राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 9

मंगलवार

दिनांक 20 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म० पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 173

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

सरकार द्वारा आवासन मण्डल को दिये गये निर्देश

174. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से जनवरी, 1984 तक राज्य सरकार ने कुल कितने निर्देश (डायरेक्टिव) राजस्थान आवासन मण्डल को दिये ? उनमें से केवल आवंटन सम्बन्धी आज्ञा के कितने निर्देश किस प्रयोजन से किस किस के लिये दिये गये थे ?

(2) क्या मण्डल के एक्ट व नियमों के तहत राज्य सरकार को इस प्रकार के आदेशों को देने की पावर्स हैं ? यदि हां, तो क्या कभी किसी स्तर पर आदेशों को किसी के द्वारा चुनौती दी गई ? कृपया चुनौती का विवरण सदन की मेज पर रखें।

आवासन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा मण्डल को 16 निर्देश दिये गये हैं, जिनमें से 9 निर्देश आवंटन से सम्बन्धित है। आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) धारा 60 के अनुरूप निर्देश देने के अधिकार हैं, निर्देशों को किसी भी अदालत में चुनौती दिये जाने का अभी तक कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है।

(आदेशों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

Page No 2

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को दिये गये आदेशों को यदि हम देखें तो इसमें मैंने जो एक प्रश्न किया धारा 60 के अन्तर्गत इस तरह की पावर्स हैं क्या ? मंत्री महोदय, धारा 60 पढ़िये—

"The State Government may give to oard such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and it shall be the duty of the Board to comply with such directions."

मगर इसी के साथ आपने अलाटमेंट के रूल्स भी बना रखे हैं, कुछ पावर्स आपने एक्ट के तहत भी दे रखी हैं। कोई स्कीम कहां बनाई जाये, कितना किसको रिजर्वेशन दिया जाये, इसकी पावर्स इस एक्ट के 26 (3) में है और 53 (बी) में अलाटमेंट के बारे में है। इसके लिये भी आपने नियम बनाये हैं। इस एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं उसमें एक कमेटी बना दी है। आप रिजर्वेशन तो कर सकते हैं मगर अलाटमेंट कमेटी का अधिकार है वह अलाटमेंट कैसे करे। बोर्ड ने रूल्स बना दिये जो आपने एन्डोर्स किये हैं। नेक्स्ट अलाटमेंट जो वेटिंग लिस्ट में है उसको दिया जाये, इसकी आपने अवहेलना की है। अगर इसको किसी ने चैलेन्ज नहीं किया है, मैं इस सदन के माध्यम से जरूर चैलेंज करना चाहूंगी। रूल 60 को आप पढ़ें, मैं यह पूछना चाहती हूं जो अलाटमेंट किये हैं····

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, एक-एक प्रश्न पूछें तो जवाब दे सकूंगा। इन्होंने स्पीच शुरू कर दी।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रही हूँ। एक्ट का कौनसा पर्पज सर्व हुआ है ? अलाटमेंट की जो लिस्ट दी है उस लिस्ट में और इस लिस्ट में थोड़ा सा फर्क है, कुछ नाम नहीं हैं और कुछ नाम दूसरों के हैं, आप दोनों को चैक कर लीजिये। एक्ट का कौनसा पर्पज सर्व हुआ है ?

श्री दुलाराम : आपने क्वेश्चन में यह पूछा है, वर्ष 80 से जनवरी, 84 तक राज्य सरकार ने कुल कितने निर्देश (डायरेक्टिव) राजस्थान आवासन मण्डल को दिये ? क्या मण्डल के एक्ट व नियमों के तहत राज्य सरकार को इस प्रकार के आदेशों को देने की पावर्स हैं ? यदि हां, तो क्या कभी किसी स्तर पर आदेशों को किसी के द्वारा चुनौती दी गई ? मैंने कहा है धारा 60 के तहत अधिकार है।

श्रीमती विद्या पाठक : आपको निर्देश देने के अधिकार हैं लेकिन आपको किस तरह के अधिकार हैं ? पालिसी डिसीजन के, रिजर्वेशन के····

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन यह है कि दोनों आदेश दिये हैं। धारा 60 के तहत अलाटमेंट के आदेश भी दिये हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं पूछना चाहती हूं इसमें एक्ट का कौन सा पर्पज सर्व हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : यह कानून की व्याख्या का प्रश्न है इसको अदालत तय कर सकती है ।

श्रीमती विद्या पाठक : आपको सारी जनता के हितों को देखना है । मैं पूछना चाहती हूं, मकान अलाटमेंट में कौन सा पर्पज सर्व हो गया ? जो जगह बदलने के लिये डायरेक्शन दिया है उससे पब्लिक का कौनसा भला किया है ? आपने ऐसे लोगों को मकान अलाट किये हैं, बदले हैं जो दूसरो को दिये जाने चाहिये थे। धारा 60 के तहत आपने दूसरों को अलाट कर दिये । जवाहर नगर में जिनके आलरेडी लेजीटिमेट राइट्स हैं जिनको मकान नहीं दे पाये हैं उनको कहां आवंटित करेंगे ? कौनसा पर्पज सर्व होता है एक्सेप्ट सेलफिश पर्पज । पब्लिक के साथ बहुत बड़ा फ्राड किया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्या ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सन् 75, 76 और 77 में डायरेक्शन दिये, अमुक अमुक एम. एल. एज. को अमुक जगह 60'×90' के मकान अलाट किये जायें । उसके तुरन्त बाद जनता पार्टी की सरकार आई । जनता पार्टी की सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री ने कहा रूल 60 के तहत हमको अलाटमेंट नहीं करना चाहिये । तत्कालीन मन्त्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने राज्य मन्त्री के नोट से सहमति व्यक्त की और पहला वाला आर्डर केन्सिल कर दिया । उसके तुरन्त बाद उसी स्टेट मिनिस्टर ने 75–76 में जो अलाटमेंट हुए, गुलाबसिंह शक्तावत, जो राज्य मन्त्री और जिन्हें रूल 60 के तहत अलाटमेंट के डायरेक्शन्स देने की पावर्स थीं, के डायरेक्शन्स के तहत अलाटमेंट किये गये । उस समय यह प्रश्न आया था, कुछ एम. एल. एज. का रजिस्ट्रेशन है कुछ एम. एल. एज. का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है । उसके बाद यह प्रश्न आया था, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का है उन्हीं को अलाटमेंट किये जायें । मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद यह भूल रही हैं, इनके शासन में भी डायरेक्शन्स दिये गये हैं । रूल 60 के तहत हम अलाटमेंट करने के डायरेक्शन्स दे सकते हैं । 6-7-78 को इनके श्री भंवर लाल शर्मा ने डायरेक्शन्स दिये हैं । इन्होंने गवर्नमेंट के एक सेक्रेटरी को अलाटमेंट करने के निर्देश दिये हैं । यह कौन से रूल 60 की बात कर रही हैं । आप कहें तो मैं दुबारा पढ़ दूं । उसके बाद भी अगर आप पूछेंगी तो दुबारा और बता दूंगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न कैसे ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डायरेक्शन्स दिये हैं उन डायरेक्शन्स को स्वयं राज्य सरकार ने अनुचित माना है ?

श्री दुलाराम : कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वाली सरकार की।

श्री दुलाराम : कांग्रेस सरकार ने उसको सही माना।

(व्यवधान)

एक मिनट मेरी बात सुन लें।

कांग्रेस शासन ने 1975, 76 और 77 में सही माना और श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने सही नहीं माना। उसके बाद आपके मन्त्री श्री भंवरलाल शर्मा ने सही माना। अब आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं ? मैं तो इसको सही मान रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो अमेण्डमेन्ट लाये हैं उस अमेण्डमेन्ट में इस बात को अमेण्ड करने की क्या आवश्यकता थी कि गवर्नमेन्ट ने जितने भी आर्डर्स इश्यू किये हैं वह सारे के सारे रद्द माने जायेंगे ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बिल आयेगा तब मैं इस बात का भी जवाब दूंगा। यह आपकी कमेटी की ही राय थी कि 60 के तहत आप आर्डर्स पास करवालें और आपकी नोमिनेट कमेटी नहीं बने और आपकी राय पर ही आपने ववेश्चन लगवाया इसलिए मैं ना नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि जो कमेटी बनी हुई थी उसके लिए अमेण्डमेन्ट लाये हैं। अमेण्डमेन्ट 60 में अलाटमेन्ट के लिए नहीं लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 60 का दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि एम. एल. एज. का रिजर्वेशन कर रखा है तो वह अधिकार आपको है इस एक्ट में, पर माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें, श्रीमती पुष्पा जैन यह कौन एम०एल०ए० हैं, वर्तमान में है या कब रही हैं ?

श्री दुलाराम : यह मेरा किया हुआ नहीं है। यह कौनसी लिस्ट आप पढ़ रही हैं। आप पहली लिस्ट पढ़ लीजिए। पुष्पा जैन का मेरा किया हुआ नहीं है। आप कहें तो मैं लिस्ट आपको पढ़ कर सुना दूं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बीच-बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप फिर उसी बात को कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य विराज जायें। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इस धारा 60 की व्याख्या का कानूनी प्रश्न है। कभी सरकार ने मान लिया कि अधिकार है और कभी माना कि अधिकार नहीं हैं। तो कानून की व्याख्या

(श्री अध्यक्ष)

जो लोग कर सकते हैं उनसे करवा लें। उन्हें जो भी शिकायत है। यहां कोई अन्त नहीं हो सकता।

श्रीमती विद्या पाठक : कानून की व्याख्या लोगों के हित में करने के लिए सदन बैठा है।

श्री अध्यक्ष : सदन को कानून बनाने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : लेकिन सदन तो लोगों का हित करने के लिए बैठा है। अपनी व्याख्या की बात करके मन्त्री महोदय साइट ट्रेक कर रहे हैं। उसके बाद आर्डिनेन्स ले आये हैं और "........ directions given by the State Government to the Board under section 60 of the principal Act."

श्री अध्यक्ष : सरकार ऐसा मानती है कि वर्तमान सरकार को अधिकार है।

श्रीमती विद्या पाठक : Point of order.

श्री अध्यक्ष : अब व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्रीमती विद्या पाठक : इन्होंने गलती की है और उसको आर्डिनेन्स से रेगुलेराइज कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : उसको आने दीजिए। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय होगा। इस सदन की डिग्निटी समाप्त हो जायेगी। जिस निष्कर्ष पर सदन पहुंचा है उस पर यह सरकार नहीं पहुंच सकती।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न!

उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटित कोटा

175-श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य को केन्द्र से किस-किस चीज का कितना-कितना कोटा कब-कब आवंटित हुआ ?

(2) राज्य में किस-किस जिले में कितना-कितना कोटा आवंटित किया एवं किस-किस जिले में कितना-कितना माल कब-कब उठाया ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार आवश्यकता के अनुसार राज्य का कोटा आवंटित नहीं करवा सकी तथा आवंटित कोटे को समय-समय पर नहीं उठा सकी ? यदि हां, तो कोटा नहीं उठाये जाने के क्या कारण थे ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(4) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में नियंत्रित मूल्य से प्राप्त वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब निजी फर्मों को किस-किस उपयोग हेतु दी गई ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी राम यादव) : (1) वर्ष 1982–83; 1983–84 में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं का केन्द्र से जितना-जितना कोटा जब-जब आवंटित हुआ है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) किस-किस जिले को कितना-कोटा आवंटित किया और उनके द्वारा कितना-कितना कब-कब उठाया, इसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। केन्द्र से मांग के अनुसार कोटा प्राप्त करने का यथासम्भव प्रयास किया जाता है परन्तु निम्नांकित वस्तुओं के कोटे के यथासमय उठाव में निम्नांकित कठिनाइयां आती हैं:—

चीनी : उपभोक्ता संघ एवं समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होना, मिलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना, वैगनों का अभाव होना।

कोयला : निदेशक, रेलवे मूवमेन्ट द्वारा यथासमय कोयले के लिए वैगनों का उपलब्ध न कराया जाना।

सीमेन्ट : विद्युत कटौती होने के कारण सीमेन्ट फैक्ट्रियों का उत्पादन निर्धारित मात्रा से कम हुआ जिसके फल-स्वरूप आवंटित लेवी सीमेन्ट पूरी मात्रा में फैक्ट्रियों द्वारा लदान नहीं करायी जा सकी।

(4) नियंत्रित मूल्य की वस्तुएँ निजी फर्मों को आवंटित नहीं की जाती हैं। अतः उन्हें वर्ष 1982–83 और 1983–84 में दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (3) में आपने चीनी, कोयला और सीमेन्ट के बारे में अलग-अलग बताया है कि उपभोक्ता संघ और समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। तो विभाग ने उपभोक्ता संघ और सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता कब-कब दी और उनको सुदृढ़ करने का क्या प्रयास किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और दूसरा आपने कोयले के बारे में कहा। निदेशक, रेलवे मूवमेन्ट द्वारा यथासमय कोयले के लिये वैगनों का उपलब्ध न कराया जाना।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इस वजह से क्या फर्मों और सप्लायर्स ने कोयला नहीं उठाया ? तीसरे, सीमेन्ट के बारे में यह कह दिया कि बिजली कटौती की वजह से कोटा निर्धारित मात्रा में नहीं दिया जा सका। तो क्या बिजली कटौती हमेशा रही है ? प्रत्येक साल में सीमेन्ट की उपलब्धि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हुई। इस प्रकार का जनरल जवाब दिया कि बिजली कटौती के कारण सीमेन्ट हम नहीं दे सके। यह आपने अपनी अक्षमता को दिखाने की कोशिश की। चौथा निवेदन है कि तीन चीजों के बारे में तो कहा लेकिन कपड़ा, केरोसीन और पाम आयल, चावल के बारे में नहीं कहा कि क्यों नहीं उठाया जा सका। इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि किस तरह से आवंटित कोटे को नहीं उठाया।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गेहूँ का सवाल है, गेहूं के भाव बढ़ गये....

श्री महावीर प्रसाद जैन : गेहूं के लिए नहीं पूछा है।

श्री घासीराम यादव : चावल के बारे में पूछा है। चावल की खपत कम है। राजस्थान को जितना चावल आवंटित होता है उसका उठाव नहीं होता क्योंकि मांग कम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल को देखा जाये तो किसी जिले से ऐसी शिकायत नहीं आयी कि चावल नहीं उठाया क्योंकि चावल की खपत कम है। केरोसीन बराबर जितना आवंटित हुआ है उतना करीब करीब दोनों साल उठाया है। कपड़ा पहले सस्ता था लेकिन बाद में कीमत बढ़ा दी। अब उन कीमतों और बाजार भाव में फर्क नहीं है। उसकी मांग कम है और पड़ा रहता है। सीमेन्ट के बारे में बताया कि अब की दफा बिजली की कमी नहीं आयी। थोड़ी बहुत आयी है लेकिन पिछले साल से अच्छी स्थिति है। अब सीमेन्ट पिछले तिमाही का 10,000 टन बाकी है। 84 में थोड़ा बहुत कम रहेगा लेकिन पिछले साल से कहीं ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि आवंटित कोटे के अगेन्स्ट में आप को किस किस वर्ष में कौन-कौन सी चीज कितनी उपलब्ध हुई।

श्री घासीराम यादव : यह तो मैं पहले बता चुका हूं। सबके फिगर्स दे दिये। थोड़ी थोड़ी कमी रहती है वह बता दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जितना जिस वस्तु का कोटा भारत सरकार द्वारा आवं-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टित किया गया उसके अगेन्स्ट उपलब्धि कितनी-कितनी है ?

श्री घासीराम यादव : दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें नहीं है।

श्री घासीराम यादव : जिलेवार दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिलेवार नहीं। प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार को कितनी प्राप्ति हुई ? जिले में तो जितनी उपलब्धि होगी उसका वितरण होगा।

श्री घासीराम यादव : आप कौनसी वस्तु का पूछना चाहते हैं मैं बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आवंटित हुआ, इसमें बताया है।

श्री घासीराम यादव : आप कौन से साल का पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप 1983-84 का बता दीजिए।

श्री घासीराम यादव : 1983-84 में केरोसीन 2,30,930 किलोलीटर आवंटित हुआ सारे राजस्थान में और 15,596 किलोलीटर उठाव हो गया और पाम आयल....

एक माननीय सदस्य : आ गये सारा।

श्री घासीराम यादव : अभी आ रहा हूँ। अभी तो आपने पूछा है सीमेन्ट का। आपने कहा कि कपड़ा कम उठाया। तो कपड़ा कम उठाने का कारण यह था कि भाव तेज हो गये थे। 9038 गांठ 1983-84 में आवंटित हुई उसके मुकाबले में 6873 गांठें उपलब्ध हो गई। कोयला ग्यारह सौ साढ़े सत्तावन वैगन अलाट हुआ था जिसके बदले 1315 वैन आ गये। इसमें पिछले साल का भी आ गया है। यह आपका सीमेन्ट है 1,15,800 मैट्रिक टन का अलाटमेंट हुआ था और 65,845 मैट्रिक टन आ गया है, 10,000 मैट्रिक टन मार्च, 83 तक का बाकी है जो अभी आयेगा और 27,000 मैट्रिक प्रथम तिमाही का बाकी है जो अभी उठायेंगे। इस तरह से करीब एक लाख टन आ जायेगा, एक लाख पन्द्रह हजार मैट्रिक टन में से। चीनी 1,95,000 टन के मुकाबले में 1,65,000 टन आ गई है और बाकी भी आ रही है, इसलिए लैप्स होने का सवाल ही नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छी स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता चाहता हूँ, जैसा उन्होंने बताया कि वैगनों के अभाव के कारण कोटा उठाने में कठिनाई होती है। 14 नवम्बर, 1983 को डायरेक्टर आफ रेलवे मूवमेंट ने लेटर लिखा है उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

"Existing capacities for movement of BRK/RC rakes from Bengal/Bihar field are not being fully

Page No 9

(श्री अनंगकुमार जैन)

utilised due to cancellation and non-sub-mission of programmes by consumers and their suppliers."

यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी कमजोरी रही है कि उसकी ढुलाई नहीं करा सके और वेगनों की कमी का कारण बताया है।

श्री घासीराम यादव : मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले साल जो अलाटमेंट हुआ था वह उठा लिया गया। आप कौन सी चीज के लिए कह रहे हैं ?

श्री अनंगकुमार जैन : डायरेक्टर, रेलवे मूवमेंट ने लैटर लिखा है....

श्री घासीराम यादव : पिछले साल का जितना अलाटमेंट हुआ था उससे ज्यादा उठाया है हमने।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगी, आपने अभी वेगनों की बात कही है। आपके आदेश से ट्रकों से कोयला उठाया गया। कोयला लाने वालों ने वहाँ से कोयला उठाकर बीच में ही बेच दिया। वहाँ की कम्पनियों ने खरीद लिया और राजस्थान में कोयला आया ही नहीं। कोयले के इतने भाव बढ़े हुए हैं जिसकी सीमा नहीं है। आपने जिनको परमिट दिया, जिनको कोयला लाने का आदेश दिया उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, जबाब दें कि एक करोड़ रुपयों का कोयला नहीं आया इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी मैंने एक प्रश्न रखा था। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार जो आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य है उसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता देती है ? यदि देती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री सुजानसिंह यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : लेकिन अलग से प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िये उसके बाद ही कहें।

श्री सुजानसिंह यादव : मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने बात सुन ली है, इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : दो साल से मेरे

Page No 10

(श्री सुजानसिंह यादव)

विधान सभा क्षेत्र में चीनी नहीं मिल रही है....

श्री अध्यक्ष : आगे माँग आ रही है सहकारिता विभाग की।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत बड़े न्यायी हैं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो मूल प्रश्न है उसकी परिधि में ही पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा घेराव किया गया, जब मैं जन सम्पर्क अभियान में गया था....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी असंगत बात है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रश्न है और आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया है, अगर मंत्री महोदय जवाब देना उचित समझेंगे तो जवाब दे देंगे। लेकिन इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मंत्री महोदय जवाब क्या देंगे, जब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसके लिए उनका अलग से प्रश्न है, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री सुजानसिंह यादव : जब मेरा प्रश्न आयेगा तब डिस्कशन नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : आपने एक पर्टीकुलर सोसायटी के बारे में सवाल उठाया है....

श्री सुजानसिंह यादव : जब मेरा प्रश्न आयेगा उस समय अगर वह प्रश्नकाल में नहीं आया तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य सफल नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आयेगा तब पूरक प्रश्न होंगे।

श्री सुजानसिंह यादव : आप अलाउ ही नहीं। करेंगे आज आप यह विश्वास दिला दें कि जब मेरा प्रश्न आयेगा तब उस पर डिस्कशन होगा....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है कि कोयला सड़कों के

Page No 11

(श्री घासीराम यादव)

द्वारा ट्रकों से मंगाया गया। पिछले सत्र में भी इस पर....

श्री अध्यक्ष : पिछले सत्र में इस पर काफी चर्चा हुई थी, मुझे याद है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ। मेरा को-आपरेटिव सोसायटी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य का प्रश्न अलग से आ गया है, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुत सशक्त सोसायटी है, तीन ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं जिसमें दो साल से चीनी नहीं मिल रही। एक साधारण सी बात है कि गाँव वालों को चीनी नहीं मिल रही है....

श्री घासीराम यादव : जहाँ तक मुझे याद है....

श्री सुजानसिंह यादव : आपने यह फर्माया था कि सबसे पहले प्राथमिकता को-ऑपरेटिव सोसायटियों को दी जायेगी लेकिन आज तक प्राथमिकता नहीं दी गई है और चीनी को-ऑपरेटिव सोसायटी को नहीं दी है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं कह रहा हूँ, को-ऑपरेटिव सोसायटी के पक्ष में बोल रहा हूँ। राज्य सरकार के निर्देश थे कि को-ऑपरेटिव सोसायटी को चीनी दे देंगे। यह आवश्यक वस्तुओं के वितरण का प्रश्न है। मंत्री महोदय, माल आ जाता है लेकिन उस ग्राम के लिए माल नहीं जाता है....

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे दें तो मैं बिना तैयारी के ही इसका जवाब दे दूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को-ऑपरेटिव सोसायटी के बारे में कह रहे हैं, उसमें पहले एक इंडिविजुअल आदमी काम करता था, जिसके खिलाफ काफी शिकायतें हुईं। उसके खिलाफ सेशन जज के यहाँ चालान पेश किया गया। उसके बाद में उसी इंडिविजुअल ने ग्राम पंचायत में प्रवेश करा। बाद में उसी आदमी, जिसका चालान हो रहा है, ने को-ऑपरेटिव पर कब्जा कर रखा है और उसी को माननीय सदस्य कोटा दिलाना चाहते हैं जिसका चालान हो रहा है। आज वही आदमी को-ऑपरेटिव का काम कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है। वह इसका मेम्बर जरूर है....

श्री घासीराम यादव : वह उसका सैक्रेटरी या कुछ है....

(व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : वह इसका मैम्बर है। को-ऑपरेटिव सोसायटी यह धन्धा करती है, इंडिविजुअल नहीं करता है। किसी व्यक्ति के लिए को-ऑपरेटिव सोसायटी का सदस्य होना अपराध नहीं है। कोई सदस्य ने गड़बड़ की है तो उसका चालान होगा। अब तो को-ऑपरेटिव सोसायटी लेने को तैयार हैं और मंत्री महोदय देने को तैयार नहीं हैं।

श्री घासीराम यादव : उस को-ऑपरेटिव पर उसी का कब्जा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, पूरक प्रश्न जो पूछे गये हैं उनका जवाब दे दें।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्या ने कहा कि कोयला वहीं पर बेच दिया गया, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोयला दो तरह से आता है, एक रेल से आता है और दूसरा ट्रकों से भी आता है। पिछले साल एक आदमी को परमिट दिया गया था। हो सकता है कि उसने कोई गड़बड़ की हो और कोयला बेच दिया हो लेकिन रेल से कोयला आने में तो गड़बड़ी की कोई बात ही नहीं है। रेल से बुकिंग होता है उसकी सूचना यहाँ पर आ जाती है इसलिए बीच में बेचने की तो कोई बात ही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने कोयला बीच में ही बेच दिया, एक करोड़ का इसमें घपला हुआ है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायगा। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ का मामला है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रूमिधन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष : कृपया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल पूछ लेने दें।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि नियंत्रित मूल्य की वस्तुएँ निजी फर्म को आवंटित नहीं की जाती हैं। इस मामले में उद्योग विभाग और दूसरी एजेंसियों, जिसकी एक लिस्ट है, से सूचना खाद्य विभाग को मिलती है। तो राजस्थान में विभिन्न उद्योगों, जो कि प्राइवेट फर्म हैं, को कब-कब किस चीज का आवंटन किया ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आप कहते हैं कि नियंत्रित मूल्य की वस्तुएं निजी फर्मों को आवंटित नहीं की जाती हैं जबकि मेरा कहना यह है कि आवंटित की जाती हैं। सीमेंट भी की जाती है, आपकी गवर्नमेंट का गेहूं भी दिया जाता है, आपका पाम आयल दिया जाता है। इसमें मेरा कहना यह है कि आपके नियमों में इन विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाली जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कम्पनियां हैं....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अलग से प्रश्न नहीं है। आप....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न के खण्ड (4) को पढ़िये, "वर्ष 1982–83 और 1983-84 में नियंत्रित मूल्य से प्राप्त वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब निजी फर्मों को किस-किस उपयोग हेतु दी गईं ?"

यह है आपका प्रश्न। इसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दे दिया गया है। अगर कोई गलतफहमी है तो आप बता दें।

श्री घासीराम यादव : किसी व्यक्ति के निजी उपयोग के लिये नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन प्रश्न तो यह है, "वर्ष 82-83 और 83-84 में नियंत्रित मूल्य से प्राप्त वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब निजी फर्मों को किस-किस उपयोग हेतु दी गईं ?" निजी उपयोग का तो सवाल ही नहीं है।

श्री घासीराम यादव : निजी फर्म को नहीं दी गई हैं, यह तो कंट्रोल की वस्तुएं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किस-किस उपयोग के लिये दी गईं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर 'ना' में आ गया है। अगला प्रश्न, श्री रामधन चौधरी।

लाडनूं पंचायत समिति में स्थायी समिति का गठन

176. श्री रामधन चौधरी (लाडनूं): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं पंचायत समिति में पांचवीं स्थायी समिति का गठन किया गया ? यदि हां तो कब तथा कितने सदस्यों का चुनाव करवाया गया ? क्या उक्त चुनाव विकास अधिकारी द्वारा करवाया गया था ? यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी यह चुनाव करवाने में सक्षम था ? यदि हां, तो कैसे ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं पंचायत समिति के प्रधान नियम विरुद्ध दो स्थायी समितियों के अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने के लिये प्रधान एवं विकास

(श्री रामधन चौधरी)

अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विषय में पहले भी कई शिकायतें विभाग के पास हुई थी ? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? कृपया की गई कार्यवाही की जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री पंचायत राज (श्री शीश-ओला) : (1) जी हाँ । पांचवीं स्थायी समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन एवं दो सदस्यों का सहयोजन दिनांक 12-4-83 को विकास अधिकारी, पचायत समिति, लाडनूं द्वारा करवाया गया । चूंकि पांचवीं स्थायी समिति के गठन का निर्णय पंचायत समिति द्वारा अपनी साधारण बैठक दिनांक 21-2-83 में लिया गया था । अतः राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (स्थायी समितियों का गठन) नियम, 1965 के नियम 3(5) के अनुसार विकास अधिकारी ऐसा करने के लिये सक्षम थे ।

(2) जी हाँ । प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं दिनांक 12-4-83 से नियम विरुद्ध दो स्थायी समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं । पंचायत समिति द्वारा पांचवीं स्थायी समिति के गठन संबंधी पारित प्रस्ताव की वैधानिकता एवं इस संबंध में प्रधान एवं विकास अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित करने के प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(3) जी हाँ । राज्य सरकार द्वारा शिकायत की जाँच करने के लिये जिलाधीश, नागौर को आदेश दिये गये थे । जिलाधीश नागौर के आदेशानुसार शिकायत की जाँच उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा की गई । उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 28-12-83 के द्वारा प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं की पांचवीं स्थायी समिति की सदस्यता समाप्त हुई घोषित की जा चुकी है ।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जिलाधीश, नागौर के आदेश के बाद भी क्या प्रधान पंचायत समिति की अतिरिक्त पांचवीं स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब नियमों में यह साफ लिखा हुआ है कि एक सदस्य एक ही समय में दो समितियों का सदस्य नहीं रह सकता, इसके बावजूद भी पिछले एक साल से प्रधान, पचायत समिति, लाडनूं अतिरिक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं । इस बारे में आपको व राज्य सरकार को 7-9-83 और 25-10-83 को शिकायत की गई थी जिसमें सरकार की तरफ से 15 दिन में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये । क्या आज तक इस विषय में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? और नहीं, तो क्यों ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मसला है जिसमें कानून को बिलकुल ताक पर रख दिया गया है । लाडनूं पंचायत समिति का गठन 1-4-82 को हुआ और स्थायी समिति का

(श्री रामधन चौधरी)

चुनाव 7-9-82 को हुआ। ये दो चुनाव अतिरिक्त जिलाधीश ने करवाये थे। जब पांचवीं स्थायी समिति का गठन हुआ, जैसा कि नियमों में लिखा हुआ है, गजटेड आफिसर होना चाहिये जबकि एस. डी. आई. को विकास अधिकारी का चार्ज दे रखा था, उस समय सिर्फ 6 दिन का नोटिस जारी हुआ जिसमें चुनाव करवाया, अध्यक्ष महोदय, 6 सदस्यों का, जब कि रखना चाहिये 7 सदस्यों का। नोटिफिकेशन 7 दिन का होना चाहिये और इसमें लिखा है 6 दिन का। बावजूद इसके एक साल तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या अब भी आप कोई कार्यवाही करना चाहेंगे? विकास अधिकारी के खिलाफ अपने किसी तरह का एक्शन लिया? नहीं, तो क्यों?

श्री महाराम चौधरी (नागौर): यह तो इलेक्शन पिटीशन का मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री शीशराम ओला: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन कर दिया है, शिकायत 19-9-83 को इस संबंध में प्रस्तुत की गई। विभाग ने जिला परिषद् नागौर को 10-10-83 को आदेश दिये कि 15 दिन में वस्तुस्थिति से अवगत करावें; जिसकी एस. डी. ओ. से जांच करवाई गई और जांच से वस्तुस्थिति सही पाई गई, इस कारण उन्होंने प्रधान को सदस्यता से अलग किया। इसके बावजूद भी प्रधान कार्य कर रहे हैं तो सरकार ने इस बात को गलत माना है। यह सही है कि एक सदस्य दो कमेटीज में सदस्य नहीं होगा, वह एक में ही सदस्य रह सकता है। यही कलेक्टर ने भी कहा है लेकिन सरकार यह महसूस कर रही है कि पंचायत समिति की इस स्टेंडिंग कमेटी का गठन गलत हुआ है इसलिये सरकार विधि विभाग से इस बारे में जानकारी ले रही है और इस पर सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी। जो पंचायत समिति की दो स्टेंडिंग कमेटी बनाई गई हैं उनको भी समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। यदि विधि विभाग की सलाह से वह गलत होती है तो उस समिति के माध्यम से जो भी कार्यवाही हुई है वह निरस्त कर दी जायेगी।

श्री रामधन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं जितनी बार भी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से मिला, उन्होंने यही कहा कि यह गलत है। मंत्रीजी भी मानते हैं कि इसका गठन गलत हुआ है। इसके बावजूद इस स्थायी समिति में निर्णय लेकर किसी को सस्पेण्ड कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया और इसके जरिये लाखों रुपये का गबन भी किया गया है....

(व्यवधान)

मंत्रीजी सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप इसको भंग करके विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री शीशराम ओला : यह कोई लाखों रुपयों का मामला नहीं है। समिति के गठन से संबंधित मामला है जिसमें विधि विभाग की राय ले रहे हैं। विकास अधिकारी के खिलाफ भी दोषी पाये जाने पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। प्रधान भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां के विकास अधिकारी का स्थानान्तरण भी हो चुका है और दूसरे आदमी ने वहाँ जोइन भी कर लिया है इसके बावजूद वही विकास अधिकारी कार्य कर रहा है। अभी भी ग्राम पंचायत बनावा के सरपंच ने जिन गरीब लोगों को पट्टे दिये थे, उनके खिलाफ स्टे जारी किया। यह तानाशाही का रवैया बना हुआ है। आप इसको थोड़ी सी गंभीरता से लेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जायेगा कि यह क्यों हो रहा है।

श्री शीशराम ओला : मैंने निवेदन किया, इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कानून के तहत एक्शन होगा चाहे प्रधान हो या गवर्नमेंट का अधिकारी हो। मैंने बताया कि इस पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी के दो टुकड़े बना दिये वह नहीं बनाये जाने चाहिये थे। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वह एक ही रहेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि स्थायी समितिप्र शासन, वित्त एवं कर की अतिरिक्त तो नहीं हो सकती लेकिन with the consent of the members of the Sthayi committee—अगर वह सब-कमेटी है तो जायज है। सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट स्थायी कमेटी को देनी पड़ती है और स्थायी समिति की दृष्टि से उसने अगर कोई अनियमितता की है तो जो भी कार्यवाही होगी उसको निरस्त कर सकती हैं लेकिन किसी सब कमेटी को खारिज नहीं कर सकते। सब कमेटी अलग से बना सकते हैं और उसमें प्रधान भी मैम्बर हो सकता है, चेयरमैन तो रहेगा ही। आप कह रहे हैं स्थायी समिति अतिरिक्त बनी है। सब कमेटी हो सकती है लेकिन उसकी रिपोर्ट स्थायी समिति, जो महीने में एक बार होती है, के अन्दर लेनी पड़ती है। अगर वह है तो आप देख लें नहीं तो आप उलझन में न पड़ जाना।

श्री शीशराम ओला : बराबर इस प्रकार की पेरेलल स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। उसके दो-चार सदस्य भी चुने गये। प्रधान उसका भी अध्यक्ष है। उसका भी मैम्बर है। स्टेंडिंग कमेटी, स्थायी समिति बनायी जा सकती है। वित्त एवं कर समिति की स्टेंडिंग कमेटी का पदेन सभापति प्रधान होता है, इसलिये वह नहीं बनायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महाराम चौधरी।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल

177. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महाराम चौधरी)

(1) राजस्थान की स्पोर्ट्स कौन्सिल खेलों में भाग लेने के लिये क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

(2) क्या स्पोर्ट्स कौन्सिल राजस्थान के खिलाड़ी अन्य प्रान्तों में जाते हैं तो 10 रुपये रोजाना के हिसाब से दैनिक भत्ता ही दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दूसरे प्रान्तों में वहाँ के खिलाड़ियों को जितना भत्ता दिया जाता है उतना दैनिक भत्ता अपने खिलाड़ियों को देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

(3) ग्रामीण क्षेत्र के पैतृक परम्परागत खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये एवं राज्य स्तर के खेलों में शुमार करने के लिये कौन-कौन से खेलों को अपनाने का विचार है?

राज्य मन्त्री, खेल (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् खेलों में भाग लेने के लिये निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है :—

1. निःशुल्क प्रशिक्षकों की सेवाएं,

2. खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रेल/बस किराया व दैनिक भत्ता देना,

3. राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता व राष्ट्रीय महिला खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को "किट" प्रदान करना,

4. मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को हवाई किराया किट व विदेश में आवास व भोजन का पूरा व्यय वहन करना।

(2) राजस्थान के खिलाड़ी अन्य प्रान्तों में जाते हैं तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 10/– रुपया प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है। अन्य प्रान्तों में वहाँ के खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय नीति के अनुसार पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों, एथेलेटिक्स, हाकी, बास्केट बाल, वालीबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो व तीरन्दाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य यह है कि जो 10/– रुपया दैनिक भत्ता खिलाड़ियों को दिया जाता है वह बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि दूसरे राज्यों में कितना भत्ता दिया जाता है, क्या उसके बराबर आप देंगे? मैं यह आरोप लगाता हूँ कि राज्य सरकार की नीयत खराब है। 10/– रुपया जो खिलाड़ियों को दिया जाता है वह कम है। दस रुपये में तो वह एक टाइम का खाना ही खा सकता है।

श्री अध्यक्ष : पहलवान हो तो दस, बीस, तीस रुपये का खा जाये।

Page No 18

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक खिलाड़ियों को दस रुपया दिया जाता है। परन्तु अब राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में खिलाड़ियों को 12/– रुपये और 15/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया जायेगा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : सवाल यह है कि क्या खेल मंत्रालय है या नहीं? यह नाममात्र के लिये दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण खेलों के लिये पंचायत समिति स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं परन्तु पंचायत समिति स्तर तक यह कार्यक्रम बिलकुल नहीं होते हैं। पंचायत समिति को सहायता, अनुदान देकर इन खेलों को प्रोत्साहन देने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हमारे यहाँ पर अनुदान की घोषणा करके आये हैं परन्तु वह आज दिन तक नहीं मिला है।

श्री रामकिशन वर्मा : 31 मार्च तक हो जायेगा।....

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : **रात्रि पोलो** के बारे में....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले 7 00 रुपये दिये जाते थे, जब मैं स्पोर्ट्स कौन्सिल में था तो यह बढ़ा कर 10.– रुपये किये गये। दूसरी स्टेट्स में खिलाड़ियों को जितना भत्ता दिया जाता है उसके अनुपात में क्या यहाँ भत्ता बढ़ाया जायेगा? आपकी स्पोर्ट्स कौन्सिल का बजट कम है। जब तक आप इसका बजट नहीं बढ़ायेंगे तब तक यह भत्ता ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह 12/– रुपये और 15/– रुपये करने का जो आपने कहा है यह भी कम है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने उन माननीय सदस्यों को अवसर दिया है जिनका खेल से सम्बन्ध है।

आर्डर प्लीज। समय न लें।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 178

श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री भैरूलाल मीणा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अवसर नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न को जब यह माँग विचाराधीन हो उस समय आप उठा सकते हैं।

Page No 19

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

अंकित न हो । I will not, permit like this.

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें सदन के नियमों से आप परिचित हैं । आप प्रश्न पूछने के उत्सुक थे, आपको अवसर दे दिया गया है । माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी का संबंध ऑल इण्डिया स्पोर्ट्स कौन्सिल से रहा है, उनको अवसर दे दिया है । अब इसमें हर माननीय सदस्य गाँव के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इतना समय नहीं है । अल्पकालीन समय है इसलिए माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री हरीश शर्मा : मेरा भी प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : न तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और न ही इजाजत दूंगा । कृपया बैठ जायें ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । बाधा न डालें । नहीं तो मुझे बाध्य होकर नियमों के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री हरीश शर्मा : मैं तैयार हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवधान न डालें । समय कम है । सदन के सभी सदस्य प्रश्न पूछने को उत्सुक होते हैं, परन्तु समय अल्पकालीन है । मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा । मैं तो माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए नियमों में ढील देकर काफी पूरक प्रश्नों की इजाजत देता हूँ । अब पाँच माननीय सदस्य खड़े हो जायें, दस माननीय सदस्य खड़े हो जायें तो मैं समय नहीं दे सकता । धैर्य रखें । जब कभी सामान्य वाद-विवाद हो उस समय आप सुझाव दे सकते हैं । विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कृपया आप बैठ जायें ।

श्री भैरूलाल मीणा ।

उदयपुर जिले में महुआ बेचने के प्रदत्त लाइसेन्स

179. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में उदयपुर जिले में महुआ बेचने के लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो जिले में कितने लोगों को लाइसेन्स दिये गये ? कृपया नाम

(श्री भैरूंलाल मीणा)

व पतों की सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1983 में उदयपुर जिले में अवैध शराब के कुल कितने मुकदमें दायर हुए और कितने निर्णीत हुए ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) महुए पर आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। महुआ बेचने के लाइसेन्स आबकारी वभाग द्वारा नहीं दिये जाते हैं।

(2) वर्ष 1983 में राजस्व जिला उदयपुर में अवैध शराब के कुल 416 मुकदमे अदालतों में दायर हुए हैं। इन दायर हुए मुकदमों में से 32 मुकदमे विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत हुए हैं।

श्री भैरूंलाल मीणा : मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो मुकदमे दायर हुए हैं, जिस शराब के मामले में दायर हुए हैं, वह शराब किन वस्तुओं की बनी हुई थी ?

दूसरा प्रश्न यह है, आपने बताया कि 416 मुकदमे अदालतों में दायर हुए हैं। उनमें कितने व्यक्ति ट्राइब्स के थे कितने नान ट्राइब्स के थे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग प्रश्न है। मंत्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शराब तो अलग-अलग चीज की बनती है इसके बारे में तो सभी जानते हैं। यदि माननीय सदस्य को इसके बारे में ज्यादा जानकारी हो तो मैं कह नहीं सकता। शराब तो अलग-अलग चीजों की ही बनती है।

दूसरा, जिन 32 व्यक्तियों के केस निर्णीत हुए हैं उनमें किसी के 50/– रुपये, किसी के 70/– रुपये ऐसे लगे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने आदिवासी हैं। लिस्ट देखने से तो पता चलता है कि अधिकांश आदिवासी ही हैं।

श्री भैरूंलाल मीणा : एक तरफ तो जो सम्पन्न लोग महुए की शराब बनाते हैं, उनके पास लाइसेन्स हैं और दूसरी तरफ आदिवासी शराब बनाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आबकारी विभाग वाले उनसे पैसा खीते हैं। यह तो उनकी जीविका का साधन है। सरकार इसमें कोई परिवर्तन करे। उनको भी लाइसेन्स शराब निकालने का दिलायें जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। महुआ बेचने का भी लाइसेन्स उनको नहीं दिया गया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आबकारी विभाग द्वारा महुआ बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : देशी शराब निकालने का होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : देशी शराब निकालने का भी वहां पर किसी को कोई अधिकार नहीं है।

Page No 21

श्री भैरूंलाल मीणा : महुए से शराब बनती है यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आदिवासी लोग गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वे शराब बनाते हैं और सम्पन्न लोग उनसे सस्ते भावों में खरीद कर बाजार में बेच देते हैं। इस तरह की नीति में कोई परिवर्तन होना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूँ, उसका इससे कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। दूसरा निवेदन है जहाँ नाजायज शराब बनती है, जिन्होंने बनाई है सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : यह कुटीर उद्योग तो सदियों से ही चल रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहाँ तक मुझे जानकारी है, पशुओं के खाने के काम में भी महुआ आता है।

श्री भैरूंलाल मीणा : आदिवासी के पास खाने को दाना नहीं है, जगल में घास नहीं है इसलिए वे अपने पशुओं को चारे के स्थान पर महुआ ही खिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : महुआ मवेशियों को खिलाने पर आबकारी विभाग वाले उनको पकड़ कर ले जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। संक्षेप में।

श्री नन्दलाल मीणा : उदयपुर जिले में नाजायज शराब के 416 मामले रजिस्टर किये हैं उनमें कितने ऐसे मामले हैं जो महुए से शराब बनाने के हैं ? महुआ पशुओं को खिलाते हैं। ऐसे कितने मामले हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : महुआ आदिवासी के खाने के काम आता है। इस प्रकार से उनके जबर्दस्ती केस बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : वहाँ पर जो महुआ होता है, उस महुए को, पूरे के पूरे महुए को राज्य सरकार खरीदे जिससे इस तरह के अवैध केस न हों। जो आदिवासी अवैध शराब का धन्धा करते हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : तीन-चार माननीय सदस्यों ने इस बारे में प्रश्न पूछे हैं। जिन्होंने प्रश्न पूछा वे माननीय सदस्य उदयपुर में रहते हैं। मैं उदयपुर, डूंगरपुर का दौरा करके आया हूँ, आदिवासी इलाके में जाकर आया हूँ, जहाँ अवैध शराब बनती है वहाँ पर भी जाकर आया हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपने महुए के झाड़ को देखा होगा।

(12.00 बजे मध्याह्न)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जहाँ तक अवैध शराब का प्रश्न है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसकी बनी हुई चीज को 'काम में लाते होंगे लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा, मेरी भी जानकारी है कि जहां पर आदिवासी अधिकांश में हैं वहां पर इस महुए से शराब बनती हैं। शराब बना करके वे बेचते भी हैं। सरकार का निर्णय यह है कि सरकार भी शराब बनाकर बेचती है। अगर दूसरे लोग भी अवैध शराब बनाते हैं उस अवैध शराब को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही होती है।

अभी जो माननीय सदस्य ने, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा कि लाइसेंस उनको शराब बनाने का दिया जाय और उन से सारी शराब सरकार खरीदे। कुछ आश्वासन देने के लिये उन्होंने कहा है। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि उनको इस बारे में कोई आश्वासन दे सकूँ, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहूँगा कि जहां पर भी अवैध शराब बनाने का काम चल रहा है सरकार सारे राजस्थान में उसको सख्ती के साथ रोक रही है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अपने घर में यूज करने के लिये बनाते हैं उसके लिये क्या सरकार छूट देगी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अगला प्रश्न महत्त्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न । **श्री हीरालाल** । समय समाप्त हो गया है इसलिये केवल उत्तर आयगा एकाध पूरक प्रश्न प्रश्नकर्त्ता पूछ सकते हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 मार्च, 1984)

ग्राम पंचायत इटावा के सरपंच द्वारा भूखण्ड आवंटन के नाम पर राशि वसूली

10. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा के सरपंच ने आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के नाम पर बिना किसी योजना व प्लाट नम्बर के अग्रिम राशि के रूप में भारी रकम जनता से वसूल की है ?

(2) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी राशि पंचायत कोष में पिछले तीन वर्षों में इकट्ठी की गई ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या इस प्रकार से बिना योजना के अग्रिम राशि वसूल करना उचित है ? यदि नहीं, तो सरपंच की इस अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, किसी तरीके से उठाये। मेरी मजबूरी है। मैंने बहुत कहा है कि स्थगित प्रश्न लिये जायं लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई कि........

एक माननीय सदस्य : कृपया इसको स्थगित करें क्योंकि सूचना अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री नाथूसिंह : माननीय मंत्री महोदय, सस्पेंड करो। ये लूट रहे हैं जनता को। उसने लाखों रुपये इकट्ठे किये हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत दिन चलेगा सदन ! श्री चुन्नीलाल का प्रश्न।

सवाई माधोपुर में न्यायालय हेतु आरक्षित भू-खण्ड

180. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :** क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक न्यायालयों के लिये कितना भू-खण्ड किस सन् में आरक्षित किया गया ?

(2) क्या जिला मुख्यालय पर उक्त भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ करवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मन्त्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक न्यायालयों के लिये भवन निर्माण हेतु 6356 वर्गमीटर भूखण्ड नगर आयोजक, कोटा द्वारा दिनांक 29-12-79 से आरक्षित किया गया है।

(2) जी नहीं, जिला मुख्यालय पर उक्त भवन के निर्माण हेतु राज्य की दयनीय वित्तीय स्थिति की वजह से चालू वित्त वर्ष में धनराशि आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री चुन्नीलाल : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले समय इसी भवन को बनाने के लिये 6 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी ?

श्री अध्यक्ष : दयनीय स्थिति 6 हजार रुपयों के लिये भी होगी। इस साल नहीं कर सकेगी।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : भवन निर्माण के लिये 6,18,000 रुपये की स्वीकृति के लिये लिखा गया था लेकिन वित्त विभाग ने इसको मंजूर नहीं किया तो फिर चार-

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

दीवारी के लिये 10,000 रुपये की मांग की गयी। नये साल में....

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। न्यायालय भवनों के अभाव के कारण उन्होंने मेन रोड से डेढ़-डेढ़, दो-दो मील के एरिया में कोर्ट खोल रखा है जिससे लोगों को आने जाने में काफी टाइम देना पड़ता है, उनको कई दफा सजा के शिकंजे में भी फंसना पड़ता है। क्या इस भवन को बनाने के लिये अब सरकार विचार रखती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री चुन्नीलाल : भवन बनाने के लिये क्या सरकार इस वर्ष विचार रखती है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : उस पर विचार किया जा रहा है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मैं आधा मिनट लेना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय। प्लीज दे दीजिये....

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

सुश्री पुष्पा जैन : इसी सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय।

मन्त्री महोदय आप यह बतायें कि गरीबों को सुन्दर न्याय दिलाने के लिये क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते कि उक्त न्यायालय के लिये जो भूमि 79 में आरक्षण की गई थी उस पर भवन बनाना नितांत आवश्यक है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं सिद्धान्ततः आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इसीलिये कह रहा हूँ कि उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

ऑर्डर-ऑर्डर। कृपया बैठ जायं।

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : प्रश्न संख्या 181 बहुत महत्त्व का प्रश्न है। इसको आप स्थगित कर दें कल के लिये।

श्री अध्यक्ष : हमारे नियमों के अन्दर प्रावधान है यदि कोई प्रश्न सभा के समक्ष एक घंटे के समय में नहीं आता है तो अन्य कई विकल्प आपके पास हैं। कृपया आप उन विकल्पों का सहारा लें तो आसन उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कृपया एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बैठ जायं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

करौली उप-खण्ड में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति

173. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज किन-किन स्थानों पर नियुक्त किया जाना विचाराधीन है ?

(2) क्या सवाई माधोपुर जिले के करौली उपखण्ड में अदालती मामलों की संख्या सर्वाधिक है ?

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार करौली उप खण्ड में भी एडीशलन डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्न स्थानों पर ए० डी० जे० कोर्ट स्थापित करने के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं :

चित्तौड़गढ़—1, अजमेर–1, जयपुर जिला–1, जयपुर सिटी–3, सवाई माधोपुर–3,

(हिण्डौन, करौली, सवाई माधोपुर)

(2) जी नहीं ।

(3) करौली में ए० डी० जे० कोर्ट खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

नौहर एवं भादरा तहसील में भूमि का आवंटन

178. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नोहर, भादरा तहसील की भाखरा नहर परियोजनाओं में कितनी आराजी राज भूमि पड़ी है ?

(2) क्या सरकार इस आराजी राज भूमि का इस क्षेत्र के भूमिहीनों को स्थाई आवंटन का इरादा रखती हैं ? यदि हाँ, तो कब तक स्थाई आवंटन का कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार द्वारा भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आरक्षण की गई है ? यदि हाँ, तो कितनी भूमि का आरक्षण किया गया है ?

(4) उक्त आरक्षित भूमि भाखरा के भूमिहीनों को कब तक आवंटित कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) तहसील नोहर, भादरा में दिनांक 1-3-84 तक 1108 एकड़ आराजी राज भूमि उपलब्ध है ।

(श्री उपनिवेशन मन्त्री)

(2) जी हाँ। उपजिलाधीश, नोहर द्वारा नियमानुसार पात्र भूमिहीनों को भूमि का स्थाई आवंटन किया जा रहा है।

(3) जी हाँ। भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों को राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटन हेतु 37805 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

(4) भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों के लिए रखी गई उपरोक्त आरक्षित भूमि पात्र घोषित भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धतूरिया एवं सोर खण्ड माइनर (अन्ता) में पानी

227. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बाराँ): क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्ता, आर. एम. सी. द्वितीय खण्ड क्षेत्र में, ताखा, बम्बूलिया माताजी, लिसाडी, अन्ता I, अन्ता कालोनी, अन्ता स्टेशन, धतूरिया एवं सोरखण्ड माइनर में माह जनवरी, 1984 में कितने दिन पानी चला है एवं पानी का क्या गेज रहा है ?

(2) विभाग के कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त माइनरों में किन-किन तिथियों में माह जनवरी, 1984 में पानी चलना चाहिए था ? क्या उन निश्चित तिथियों में पानी चला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त नहरों में व्यवस्थित रूप से पानी चलाने की विभाग की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जनवरी माह में नहरों में पानी चलने की तिथियां एवं पानी का गेज संलग्न तालिका में अंकित है। (परिशिष्ट—1)

(2) कार्यक्रम के अनुसार नहरें चलने की तिथियाँ संलग्न तालिका में अंकित हैं। माह दिसम्बर, 1983 में पलेवा के उपरांत दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 1983 को क्षेत्र में व्यापक वर्षा हो गई थी, अतः क्षेत्र में पानी की माँग के अनुसार ही नहरों में पानी चलाया गया। केवल ताखा ही एक ऐसी नहर है जिसमें कि पानी नहीं चल सका क्योंकि यह नहर केवल उस समय ही चल सकती है जब दाँयी मुख्य नहर में 10.5 फीट पानी हो। इसमें पानी चलाने हेतु ताखा माइनर का हैड नीचा करके ताखा नहर को गहरा किया जावे जो विचाराधीन है जिससे कि दायीं मुख्य नहर में पानी का तल कम रहने पर भी ताखा के कृषकों को पम्पों द्वारा पानी लेने हेतु उपलब्ध हो सके। इसके अलावा बम्बूलिया माताजी, लिसाड़ी एवं अन्ता मैन माइनर को पानी उपलब्ध कराने हेतु कोटा बारां डी० आर० बी० पर क्रास रेगुलेटर बनाने की सम्भावना विचाराधीन है।

(3) नहरों में पानी व्यवस्थित रूप से योजना अनुसार ही चलाया जा रहा है।

(गेज तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र की पंचायत समिति भूमि पर सिंचाई व्यवस्था

228. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में अठारहवां, फूसोद नोनेरा, इटावा, जोरावरपुरा, करवाड, विनायका आदि पंचायतों में कई एकड़ भूमि पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के लिए ट्यूब वेल खुदाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी ?

उत्तर

(1) जी हां, इन ग्राम पंचायतों के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अलावा अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) यह कार्य इस विभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

राजस्थान नहर परियोजना निर्माण पर अनुमानित लागत

230. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना में प्रारम्भ में कितनी अनुमानित लागत आंकी गई थी एवं कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था ? अब तक कितना कार्य पूर्ण करा दिया गया है व कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य में कितनी धनराशि व्यय की जावेगी व कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) राजस्थान नहर परियोजना के सम्पूर्ण होने पर अब कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970 के तखमीनों के अनुसार आज के स्वरूप में परियोजना के निर्माण कार्यों की लागत 207·68 करोड़ रुपये आंकी गई थी एवं निर्माण कार्य 1980–81 में पूर्ण करने का कार्यक्रम था। जनवरी, 83 तक फीडर नहर 204 कि. मी. लम्बाई में, मुख्य नहर 371 कि. मी. लम्बाई में तथा वितरक प्रणाली 3113 कि. मी. लम्बाई में पक्की बन चुकी है व 398·60 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

(2) 1983 के मूल्य स्तर पर द्वितीय चरण की लागत 680 करोड़ रुपये आंकी गई है व कार्यों को मार्च 94 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(3) 1983 के मूल्य स्तर पर जनवरी, 1983 के बाद शेष कामों को पूरा करने के लिए 518·84 करोड़ रुपये राशि की आवश्यकता अनुमानित है।

कृषि औजारों-रासायनिक खाद व बीज पर कर

231. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात में कृषि के काम में आने वाले उपकरणों व रासायनिक खाद पर बिक्री कर नहीं है ? क्या यह सही है कि राजस्थान में यह कर कृषि औजारों, रासायनिक खाद व बीज पर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पड़ोसी राज्यों की तरह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिक्री कर को समाप्त करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान व पड़ोसी राज्यों में कृषि के काम में आने वाले उपकरण विक्रय कर से मुक्त हैं। रासायनिक खाद पर पंजाब, महाराष्ट्र, देहली और हरियाणा में कर नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में रासायनिक खाद पर कर लगता है। बीज पर केवल गुजरात में कर नहीं है क्योंकि वहाँ अनाज पर बिक्री कर नहीं है।

राजस्थान व अन्य प्रदेशों में बीज को सामान्य अनाज ही माना जाता है अतः उस पर कर है।

(2) जी नही, कर राज्य की अपनी स्थिति एवं साधनों को दृष्टि में रखते हुए लगाया जाता है।

डिस्टलरीज एवं शराब के गोदाम (गंगानगर) में कार्यरत श्रमिक

232. **श्री त्रिलोकसिंह** (फतेहपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी गंगानगर शुगर मिल लि० द्वारा संचालित डिस्टलरीज एवं शराब के गोदामों पर कितने श्रमिक कार्य करते हैं ?

(2) इन श्रमिकों में से कितने श्रमिक स्थाई हैं और कितने श्रमिक अस्थाई हैं ?

(3) जो श्रमिक अस्थाई हैं वो कितने समय से अस्थाई चल रहे हैं ?

(4) फैक्ट्री एक्ट के अनुसार 240 दिन बाद जब श्रमिक को स्थाई किये जाने का प्रावधान है तो इन श्रमिकों को स्थाई क्यों नहीं किया गया है ?

(5) क्या सरकार अब भी इनको स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित विभिन्न डिस्टलरीज एवं शराब के गोदामों पर 696 श्रमिक कार्य कर रहें हैं।

(आबकारी मंत्री)

(2) इन श्रमिकों में से 493 श्रमिक स्थाई है तथा 203 श्रमिक अस्थाई (दैनिक वेतन) आधार पर कार्यरत हैं।

(3) अस्थाई (दैनिक वेतन) श्रमिक लगभग गत ढाई साल से चल रहे हैं।

(4) फैक्ट्री एक्ट में 240 दिन की सेवा के बाद श्रमिकों को स्थाई किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) गंगानगर शुगर मिल्स एवं डिस्टलरीज मजदूर एकता समिति (सीटू), जयपुर पश्चिम के साथ हुए समझौते के अनुसार, उपरोक्त अस्थाई कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आगामी तीन वर्षों में नियमित वेतन शृंखलाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया है। समझौते के अनुसार दिनांक 1-1-84 से 80 अस्थाई श्रमिकों को नियमित वेतन शृंखलाएं प्रदान की जावेंगी तथा शेष श्रमिकों को आगामी 2-3 वर्ष में नियमित वेतन शृंखलाएं प्रदान कर दी जावेंगी।

पिड़ावा बस स्टेण्ड के पास शराब की दुकान

234. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा झालावाड़ मोटर स्टेन्ड के पास जो सरकारी धर्मशाला है, उसमें शराब की दुकान कितने समय से खुली हुई है ?

(2) क्या सरकार धर्मशाला से शराब की दुकान हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिड़ावा, झालावाड़ मोटर स्टेण्ड के पास किसी धर्मशाला में शराब की दुकान नहीं लगी हुई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर जिला सेशन न्यायालय

235. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर जिला सेशन न्यायालय में विभिन्न प्रकार के कितने मुकदमे पेंडिग हैं ?

(2) सेशन कोर्ट प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ कैम्प के अतिरिक्त कितने मुकदमें पेंडिग हैं ?

(3) चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ सेशन कोर्ट का कैम्प लगने से हर महीने कितना दैनिक एवं यात्रा भत्ता खर्च होता है ?

(4) मुकदमों की संख्या व प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ आने जाने में खर्च एवं भवन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अतिरिक्त सेशन न्यायालय की स्थापना चित्तौड़गढ़ में नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस वर्ष इसकी स्थापना हेतु विचार

(श्री घनश्याम जैन)

रखती है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़, मुख्यालय पर जिला सैशन न्यायालय में निम्न प्रकार से मुकदमे विचाराधीन हैं।

दीवानी	फौजदारी	कुल
715	819	1570

(2) सैशन कोर्ट प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ कैम्प के अतिरिक्त निम्न प्रकार मुकदमे विचाराधीन हैं :—

दीवानी	फौजदारी	कुल
506	780	1286

(3) चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ सैशन कोर्ट का कैम्प कोर्ट लगने से मासिक यात्रा व्यय व दैनिक भत्ता लगभग रु० 2300/- रुपया खर्च होता है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

पंचायत समिति टौंक के विकलांगों को पेन्शन

236. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम चौकी अहमदपुरा पंचायत समिति टौंक में हीरा पुत्र श्री रूपा मीणा, लालू पुत्र श्री गोरधन मीणा, जो कि विकलांग हैं, सितम्बर, 1983 से पेन्शन से वंचित हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और उनको पेन्शन राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं। श्री हीरा पुत्र श्री रूपा मीणा ग्राम चौकी अहमदपुरा को विकलांग पेन्शन से वंचित नहीं किया गया है। उन्हें माह फरवरी, 84 तक की पेन्शन राशि मनीआर्डर द्वारा दिनाँक 15-2-84 को भिजवाई जा चुकी है। इसी प्रकार श्री लालू पुत्र श्री गोरधन मीणा को माह मई, 83 से अगस्त, 83 तक की विकलांग पेन्शन की राशि मनीआर्डर द्वारा माह सितम्बर, 83 में भिजवाई गई थी। परन्तु उसकी रसीद अब तक प्राप्त नहीं हुई और न ही मनीआर्डर वापस प्राप्त होने की सूचना कोषाधिकारी, टौंक को प्रार्थी ने दी। अतः माह सितम्बर, 83 के बाद की राशि उन्हें नहीं भेजी गई।

सुल्तानपुर व सांगोद पं० सं० के अपाहिज, वृद्ध तथा विधवाओं को पेंशन

237. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा क्षेत्र एवं सुल्तानपुर व सांगोद पंचायत समिति के कुल कितने

(श्री हीरालाल आर्य)

व्यक्तियों को अपाहिज एवं वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन मिल रही है ? सूची, नाम व पतों सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पेंशन प्राप्त करने वालों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से वे बड़े परेशान हैं ? यदि हाँ, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति इटावा से भेजे गये पेंशन हेतु मामलों की अभी तक भी स्वीकृति नहीं मिली है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार पेंशन समय पर मिले इसके लिये विशेष प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र एवं सुल्तानपुर व संगोद पंचायत समिति के कुल 746 व्यक्तियों को अपाहिज एवं वृन्दावस्था पेंशन (जिसमें विधवायें भी सम्मिलित हैं) दी जा रही है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि इन लोगों को पेन्शन समय पर नहीं मिलती। अत: देर से मिलने के लिये कौन जिम्मेदार है इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति इटावा से 31 वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण प्राप्त हुये थे जिनमें 24 की स्वीकृति दी जा चुकी है, शेष 7 प्रकरण कोष कार्यालय कोटा में विचाराधीन है।

(3) पेंशन मनीआर्डर द्वारा भेजने की व्यवस्था है जिसकी फीस भी राज्य सरकार वहन करती है। पेंशन समय पर मिलने के लिये कोषाधिकारी द्वारा बराबर प्रयत्न किये जाते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम (जैसलमेर) में हरिजन, गिरिजन विकास के लक्ष्य

238. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 1982-83, 1983-84 में (हरिजन, गिरिजन) विकास के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या-क्या उपलब्धियाँ अर्जित की जा चुकी हैं ? कृपया विगतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 82-83 83-84 हरिजन गिरीजन विकास के निर्धारित लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धियाँ संलग्न सूची में अंकित प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

टौंक जिले के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को अनुदान

239. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को वर्ष 1980 से अब तक किस-किस ग्राम में, किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना अनुदान दिया गया एवं आवासीय भू-खण्ड आवंटन किन-किन ग्रामों में किन-किन परिवारों को किया गया ? सूची ग्रामवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

टौंक जिले में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक ग्रामीण क्षेत्र के 3210 अनुसूचित जाति व 1797 अनुसूचित जन जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परिवारों की संख्या	
	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1980-81	769	312
1981-82	568	239
1982-83	1100	600
1983-84	773	596

इसके अतिरिक्त 2473 अनुसूचित जाति व 475 अनुसूचित जन जाति के परिवारों को आवासीय भू-खण्ड ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित किये गये तथा 203 अनुसूचित जाति के परिवारों को शहरी क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटित किये गये। शहरी क्षेत्रों का विवरण निम्न है :—

नाम कस्बा	परिवारों की संख्या
टोडारायसिंह	56
टौंक	94
देवली	6
निवाई	10
मालपुरा	33

ग्रामीण क्षेत्र की व्यक्तिवार एवं ग्रामवार सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जैसलमेर के असहाय व्यक्तियों को पेंशन

240. श्री अमीन खां (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने व्यक्तियों को असहाय पेंशन दी जाती है ? तहसीलवार संख्या बताने की कृपा करें।

(2) पिछले वर्ष प्रशासन गांवों की ओर अभियान में असहायों के पेंशन के कितने

Page No 33

(श्री अमीन खां)

मामले पेश हुए ? कितने स्वीकृत किए गए ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने व्यक्तियों को असहाय पेंशन दी जाती है उनकी तहसील वाइज संख्या निम्न प्रकार है :

जिला-जैसलमेर

तहसील	वृद्धावस्था पेंशन	अपाहिज पेंशन
जैसलमेर	333	43
पोकरण	344	52
योग	677	95

जिला-बाड़मेर

तहसील	वृद्धावस्था पेंशन	अपाहिज पेंशन
बाड़मेर	656	37
चौहटन	185	2
शिव	217	2
सिवाणा	109	40
पचपदरा	193	49
गुडामालानी	171	8
योग	1480	129

(2) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पाली जिले में समाज कल्याण छात्रावास

242. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पाली जिले में कितने समाज कल्याण छात्रावास खोले गये ? कृपया स्थान के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जून 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पाली जिले में खोले गये छात्रावासों की सूची निम्न प्रकार है :—

नाम स्थान	योजना जिसके अन्तर्गत छात्रावास खोला गया।	खोलने का दिनांक	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4
1. मारवाड़ जंक्शन	भंगी कष्ट मुक्ति योजना	1-7-82	25
2. पाली	,,	2-10-81	25

आवासन मण्डल द्वारा जमा राशि का हिसाब

243. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(1) क्या आवासन मण्डल अपने आवंटियों को प्रतिवर्ष मार्च तक का जमा का हिसाब भेजता है ? यदि हाँ, तो उदयपुर नगर के आवंटियों को कब तक की हिसाब भेज दिया है ?

(2) 31 मार्च, 1983 तक उदयपुर नगर में कितने आवंटियों की बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग के पास ठीक से हिसाब नहीं होने से जिन लोगों की ओर बकाया नहीं थी उनके भी मकान नीलाम करने के नोटिस अखबारों तक में निकलवाये गये ? यदि हाँ तो कितने लोगों के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ, आवासन मंडल यथा सम्भव प्रति वर्ष मार्च तक का हिसाब भेजता है तथा उदयपुर के आवंटियों को मार्च 81 तक का हिसाब भेज दिया गया है।

(2) 31-03-83 तक का बकाया की सूची अभी तैयार नहीं हुई है।

(3) जी नहीं, ऐसा जानकारी में नहीं आया है।

सरपंच ग्राम पंचायत रावतभाटा के विरुद्ध जांच

244. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध गबन, अनियमितता, फर्जी कार्यवाही, निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड गरीबों के बजाय कर्मचारियों की पत्नियों को देना आदि की जाँच जिलाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा भेजे गये जाँच अधिकारी, सहायक जिला विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई थी ? यदि हाँ, तो दिसम्बर 1983 से 15 फरवरी, 1984 तक सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जाँच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सरपंच, ग्राम पंचायत, रावतभाटा (जिला-चित्तौड़गढ़) के विरुद्ध उनके द्वारा की गई अनियमितताएँ, फर्जी कार्यवाही, निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड गरीबों के बजाय अन्य कर्मचारियों को देने आदि सम्बन्धी शिकायतों की जाँच जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई थी। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है। जाँच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(जाँच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बून्दी पंचायत समिति को जीप

245. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(1) जिला बूंदी में किस-किस पंचायत समिति के पास अपने वाहन (जीप) हैं और कब से तथा वाहन (जीप) आने के बाद अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है ?

(2) प्रत्येक पंचायत समितियों के प्रधान व विकास अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य से जीप द्वारा किये गये दौरे का विवरण गत तीन वर्ष का सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पाली जिले की पंचायत समितियों में विकास कार्य

246. श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पंचायत समितियों के माध्यम से विकास के क्या-क्या कार्य सम्पन्न हुए एवं कितने कार्य वर्तमान में चल रहे हैं ? कृपया ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें।

(2) कृपया सूची में कार्यवार धनराशि, जो स्वीकृत की गई या खर्च हुई, का विवरण भी प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति, रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक 419 कार्य स्वीकृत हुए। उनमें से 276 कार्य पूर्ण एवं 143 कार्य अपूर्ण है। सूची अधिक विस्तृत होने से सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है। गोशवारा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त कार्य के लिए 43,86,092 रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से रुपये 30,01,710 व्यय हुए हैं। इसका विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

'गरीब को छप्पर' योजना (नागौर) में मकानों का निर्माण

247. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा जिला नागौर में 'गरीब को छप्पर' योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण

(श्री महाराम चौधरी)

कराया गया तथा किस-किस ग्राम में ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 'गरीब को छप्पर' योजना के आधार पर भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया उक्त पंचायत समितिवार निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखें। अनुदान की राशि, व्यक्ति का नाम, जाति का नाम भवन निर्माण पूरा किया गया या नहीं।

(3) क्या यह सही है कि 'गरीब को छप्पर' योजना में पंचायत समिति नागौर के कई ग्रामों में अनियमितताएं सम्बन्धी शिकायतें जिलाधीश नागौर को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जिलाधीश नागौर ने क्या कार्यवाही की है ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत श्री बालाजी पंचायत समिति नागौर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच उप खण्ड अधिकारी, नागौर से करवाई गई। जिलाधीश नागौर द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची व जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पंचायत समिति टोंक में नलकूप निर्माण

248. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पेयजल कूप निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत टोंक पंचायत समिति में कहां-कहां पर नलकूप निर्माण करवाये गये तथा कहां-कहां पर कुओं की मरम्मत एवं गहरा करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसमें कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

कोटा जिले की पंचायत समितियों का चार्ज

249. श्री रघुवीर सिंह कौशल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(बारां) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में कितनी पंचायतों का रिकार्ड का चार्ज पंचायत सचिवों को प्राप्त नहीं हुआ है ? सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें ।

उत्तर

कोटा जिले की 93 पंचायतों के रिकार्ड का चार्ज ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुआ है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

प्रदेश की पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति

250. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति की जावेगी ? यदि हां, तो जैसलमेर जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं ?

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में कितने ग्राम सेवक नियुक्त किये गये हैं ? शेष रही पंचायतों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) केवल जैसलमेर जिले की प्रत्येक पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत का पद स्वीकृत है । जैसलमेर जिले में 93 ग्राम पंचायत हैं ।

(2) इन ग्राम पंचायतों में 57 ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत नियुक्त किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायत एवं स्वायत शासन अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा 17 सरप्लस ग्राम सेवक पदेन सचिवों का समायोजन किया जा चुका है । शेष पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

पंचायत समिति सुल्तानपुर को थ्रेसर मशीनें

251. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति के तहत किन-किन पंचायतों को थ्रेसर मशीनें किस-किस शर्त पर कब-कब दी गई थीं ?

(2) क्या उक्त थ्रेसरों में से एक अस्थिपंजर मात्र निमोदा पंचायत भवन में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(3) इस पर कितना खर्च आया था और अब पंचायत में उसका उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा ?

Page No 38

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा किसी भी पंचायत को कोई थ्रेसर मशीन नहीं दी गई थी।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

झालावाड़ जिले की तहसीलों में सीमेन्ट का आवंटन

252. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्ष में झालावाड़ जिले में किन-किन तहसीलों को कितनी-कितनी सीमेन्ट आवंटित की गई ? सीमेन्ट का वितरण मुख्यत: किस-किस प्रयोजनार्थ वर्षवार कितने व्यक्तियों को किया गया ?

(2) क्या किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट दी गई ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी ? कृपया वर्षवार संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की किन-किन तहसीलों को कितनी-कितनी सीमेन्ट विगत तीन वर्षों में आवंटित की गई एवं किस-किस प्रयोजनार्थ कितने व्यक्तियों को दी गई है, का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट क एवं ख)

(2) जी हां। जिन-जिन तहसीलों में जितने-जितने किसानों को सीमेन्ट प्राथमिकता के आधार पर दी गई है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ग)

(विवरण व सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिले में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र

253. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार भेड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोटा में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र की स्थापना करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 6 मार्च, 1984)

वर्ष 1982-83 में सांगानेर पंचायत को दिया गया अनुदान

14. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982–83 में तहसील सांगानेर की पंचायतों को किस दर से कितना कितना अनुदान दिया गया ?

(2) सांगानेर तहसील में पिछले 5 वर्षों में पंचायतों की निजी आय कितनी हुई और उसका उपयोग पंचायतों द्वारा किस-किस कार्य के लिये किया गया ?

(3) तहसील में पिछले 5 वर्षों में मेले व समारोह से पंचायतों को कितनी आय हुई और उसका उपयोग उन्होंने किस-किस कार्य में किया ?

(4) सांगानेर तहसील में वर्ष 1982-83 में पंचायतों ने अपनी निजी आय बढ़ाने के क्या-क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को वर्ष 1982-83 में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2.25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायतार्थ अनुदान दिया गया था। तहसील सांगानेर की पंचायतों को वर्ष 1982-83 में दिये गये सहायतार्थ अनुदान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) वर्ष 1982–83 में पंचायतों द्वारा अपनी निजी आय बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों के सम्बन्धों में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ग्राम पंचायत घोलीमगरी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सहायता

24. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत घोलीमगरी, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर को 1 अप्रेल, 1978 से 31 जनवरी, 1984 तक किन-किन स्रोतों से सहायता प्राप्त हुई ? कृपया सूची मय राशि दिनांक व कार्य जिस हेतु प्राप्त हुई, के सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पंचायत ने काम के बदले अनाज योजना में भी कार्य कराये ? यदि हां, तो कुल कितना अनाज किस-किस कार्य हेतु मिला एवं कितना वितरण कर दिया व कितना बाकी है ?

(3) क्या वर्ष 1978 से 31 जनवरी, 1984 तक पंचायत के आय-व्यय के हिसाब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का ऑडिट हो गया ? यदि हां, तो आय व्यय का ब्यौरा वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कुल 836 क्विन्टल 800 ग्राम अनाज पाठशाला, आयुर्वेदिक औषधालय, धर्मशाला, पंचायत भवन, तलाई और सड़कों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ जिसमें से 832 क्विन्टल 69 किलो 800 ग्राम वितरण कर दिया गया है। 3 क्विन्टल 31 किलो शेष रहा है।

(3) वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के पंचायत के आय व्यय के हिसाब का आडिट हो चुका है जिसका वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक का आडिट होना बकाया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

पंचायत समिति धरियावद जिला उदयपुर की लोगों में बकाया राशि

25. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत धरियावद, जिला उदयपुर की वसूली योग्य राशि कितने लोगों में बकाया है व कब से है ? कृपया सूची मय नाम पिता का नाम, राशि ब्याज कब से बकाया है, के सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पंचायत ने प्रभावशाली व्यक्ति जैसे विधायक, सांसद, सरपंच, पंचायत सदस्य या उनके परिवारों को निःशुल्क भू-खण्ड दिया ? यदि हां, तो 1978 से आज तक आवंटित भू-खण्डों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपने प्लॉट बेच दिये एवं पुनः अलॉटमेंट अपने परिवार के नाम करवा लिये ?

(4) क्या विभाग पंचायत कार्यों की सम्पूर्ण जांच करवाने को तैयार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) किसी भी विधायक, सांसद एवं सरपंच या उनके परिवारों को कोई निःशुल्क भू-खण्ड नहीं दिया गया है। पंचायत के केवल एक सहवृत्त सदस्य एक वार्ड पंच एवं एक अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी के परिवार वालों को निःशुल्क भू-खण्ड दिये गये हैं, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(पंचायत राज मंत्री)

(3) जी, नहीं। ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(4) किसी भी मामले में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करवाई जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

संदेश

राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 14 मार्च, 1984को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है -

"अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 12(2)रा. भ. 84 दिनांक 15 मार्च, 1984.

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 14 मार्च, 1984 का अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या एफ. 10(5) सदन/विस/84/12329 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुँचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ

ओ० पी० मेहरा"

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री हरीश शर्मा, दाऊदयाल जोशी, हीरालाल आर्य व बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचित क्षेत्रीय विकास कोटा से हटाये गये करीब 500 कर्मचारियों को राजस्थान नहर परियोजना में जैसलमेर भेजने पर उन्हें नियुक्ति न देने के विषय में,

(2) सर्व श्री मेघराज तावड़, उम्मेदसिंह व त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका कपासन के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य के अपहरण के विषय में,

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सवाई माधोपुर की हरिजन बस्तियों में पीने के पानी और रोशनी की कमी के विषय में,

(4) श्रीमती विद्या पाठक व श्री महारामचौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मार्च के तीसरे हफ्ते में चौहटन व आस-पास के गांवों में ओरी नामक बीमारी से बच्चों की मृत्यु के विषय में,

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलयत जिला बीकानेर की कुछ जल प्रदाय योजनाओं में बिजली बंद होने के कारण पशुओं और जन साधारण को पानी न मिलने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय की लगभग 600 अध्यापिकाओं को फरवरी माह का वेतन न मिलने के विषय में,

(7) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार में ढाई लाख रुपये का गबन व गोलमाल के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर ही निर्णय किया जायेगा।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में आयुर्वेद कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने के विषय में।

यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

(9) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सभा के सत्र के दौरान जिला प्रशासन बूंदी द्वारा भूमि आवंटन कार्यक्रम चलाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है फिर भी इस विषय में सरकार को पुनः आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

(10) श्री रामकंवार बैरवा सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर एवं टोंक जिले में चने एवं सरसों की खेती को शीत लहर से क्षति।

इस विषय पर सदन में कल विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है।

(11) सर्वश्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, रामकिशोर मीणा, यदुनाथसिंह, रामकंवार बैरवा, राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अस्थाई जनगणना कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन।

इस विषय को सदन में पूर्व में उठाया जा चुका है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने से असमर्थ हूँ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) **श्री बंसीलाल पटवा** : मेजा बांध से इस वर्ष रबी की फसल को चार पाण पानी देने के स्थान पर केवल तीन पाण पानी देने से फसल को हुई क्षति के विषय में।

इस विषय पर सरकार से एक वक्तव्य दिलाया जायेगा जिसकी तिथि बाद में तय की जायगी।

(2) **श्री देवीसिंह भाटी** : ग्राम गंगनवाला तहसील कोलायत के एक भारतीय नागरिक श्री अल्ला बसाया व अन्यों को जिला पुलिस द्वारा जबरदस्ती पाकिस्तान में धकेलने के विषय में।

इस विषय पर राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है वह संतोषप्रद नहीं है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अतः इस पर पुनः जानकारी मंगवाई जा रही है।

(3) **श्री देवीसिंह भाटी** : राजस्थान नहर की लूणकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत 2 महीनों से पानी नहीं आने से फसल को क्षति।

इस विषय में प्राप्त विस्तृत सूचना का अध्ययन किया जा रहा है।

(4) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : राजस्थान आरा मशीन नियम लागू करने से लकड़ी विक्रेताओं को कठिनाई।

सरकार ने सूचित किया है कि यह नियम वृक्षों की अवैध कटाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आरा मशीनों पर आने वाली लकड़ी को नियमित करने की दृष्टि से लाये गये हैं और यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) **श्री बंसीलाल पटवा** : भीलवाड़ा नगर में लेबर कालोनी की सड़कें नालियां आदि टूटी-फूटी होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि सड़कों की सफाई के लिये हरिजन कर्मचारी लगे हुए हैं और निजी शौचालयों को फ्लश में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) **श्री दाऊदयाल जोशी** : आयुर्वेद विभाग में स्थानीय स्नातकों के उपलब्ध होते हुए भी बाहर के स्नातकों की नियुक्ति।

सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में विधि विभाग द्वारा राय दी गई है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर नियुक्ति न देना भेदभावपूर्ण एवं संविधान के विपरीत होगा। ऐसी नियुक्तियां केवल 20 आशार्थियों को दी गई हैं।

(7) **श्री महावीर प्रसाद जैन** : ग्राम पंचायत कावरा व याकूबगंज पंचायत समिति टोंक में काश्तकार परचों की जमीन पर अतिक्रमण करना।

सरकार ने सूचित किया है कि सीलिंग से अधिक की भूमि नियमानुसार नोटिस दिया जाकर अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। ग्राम याकूबगंज में किसी को जेल अथवा सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी है।

(8) **श्री महावीर प्रसाद जैन** : पंचायत समिति टोंक की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी।

सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 114 प्राथमिक शालाओं में 144 अध्यापकों की कमी है और इनके पद स्वीकृत किये जाने पर इनकी पूर्ति हो सकेगी। इस वर्ष टोंक में 8 प्राथमिक शालाओं के खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(9) **श्रीमती विद्या पाठक** : मांडियां डूंगर झालाना जिला जयपुर में खनन कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को बेरोजगार करने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

10. श्री देवीसिंह भाटी : तहसील कोलायत में भेड़ों में जूं की बीमारी लगने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में दो पार्टियां गठित की जाकर रोगों की रोकथाम व चिकित्सा हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में नियुक्त एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि इस क्षेत्र में कुछ भेड़ों की मृत्यु निमोनिया एवं अन्य बीमारी से हुई है, न कि जूंओं के प्रकोप से।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब जैसी कि पूर्व में परम्परा रही है, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है राज्य सरकार से जानकारी लेने के पश्चात्, उनमें मैं माननीय सदस्यों के एक-एक करके नाम पुकारूंगा हो माननीय सदस्य एक-एक, दो-दो मिनट में अपनी बात कहने का कष्ट करें। श्रीमती उजला अरोड़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष, उन्होंने गवर्नमेंट के आर्डर को ठुकरा दिया। मैं एक-एक करके बात सुन लूंगा बिराज जायें। मुझसे मिल लें।

माननीय श्री त्रिलोकसिंहजी की एक शिकायत थी। मैंने ताकीद कर दी थी कि राज्य सरकार तुरन्त जानकारी भेजे। मैं समझता हूं कि इतनी जानकारियां आ गई हैं तो वह भी आज या कल तक आ जायेगी।

श्री हरीश, क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। मैं जिनका नाम पुकारूं—

श्री हरीश, क्या शिकायत है आपको?

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। यह इतना गम्भीर विषय है, यह इतना क्रूर मजाक है, कोटा में फैक्ट्री से 500 कर्मचारियों को निकाला छंटनी में और फिर जब उन्होंने आन्दोलन किया....

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी चाही है, इतना महत्वपूर्ण मामला है इस पर सरकार से जानकारी ले रहा हूं। जानकारी लेने के

(श्री अध्यक्ष)

बाद, जब जानकारी सरकार से प्राप्त हो जायेगी उस वक्त मैं व्यवस्था दूंगा ।

(व्यवधान)

कृपया सहयोग दें ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो क्रूर हो रही है । वे बेचारे मंत्रीजी के यहाँ और वित्त मंत्रीजी के यहाँ बारबार आ रहे हैं, जा रहे हैं उनकी सुनते एक नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री हीरालाल आर्य : पूरे परिवार सहित पड़े हैं । बेचारे भटक रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय न लें ।

श्री हीरालाल आर्य : यहाँ बराबर आ रहे हैं । सोचना तो चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य । व्यवधान न डालें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसमें स्पष्ट लिखा था कि आयुर्वेद के नर्स और छात्र आन्दोलन पर हैं, उनकी दो ही माँगें हैं केवल....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है, आरा मशीन के बारे में । पहले उस पर आ जाइये । पहले मेरी बात मान लीजिए बाद में मैं आपकी बात मान लूंगा ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : एक बात मेरी भी सुन लीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आरा मशीन के 500 से भी अधिक व्यक्ति काम करने वाले यहाँ पर आन्दोलित होकर आये हैं । मैंने यहाँ स्थगन प्रस्ताव रखा था और मैंने महसूस किया है कि सरकार ने जो आदेश निकाला है वह बिल्कुल गलत है । आरा मशीन वालों पर यह प्रतिबन्ध लगाना गलत है कि जो लकड़ी वहाँ पर लाई जाती है वह तहसीलदार के प्रमाण-पत्र द्वारा लाई जाय, चाहे वह छोटी-छोटी लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे खिड़की के लिये मसाला हो या कोई किवाड़ बनाने की चीज हो । इन छोटी-छोटी बातों के लिए आरा मशीन मालिक तहसीलदारों से प्रमाण पत्र लायेगा तो यह आशंका है कि तहसीलदार प्रमाण पत्र देंगे ही नहीं बल्कि उसमें रिश्वत-खोरी और चलेगी । इसीलिए राजस्थान के आरा मशीन मालिक यहाँ आये । उन्होंने अपनी मांगें रखी कि किस तरह उन पर गलत कानून थोपा जा रहा है, उसको उन पर नहीं लादा जाय ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मान्यवर, लकड़ी हमारे कई कामों में आती है, जलाने के भी काम में आती है, फर्नीचर बनाने के काम में भी आती है, मकान में कुछ सुविधायें बनाने, जैसे कड़ियाँ, खिड़की, दरवाजे लगाने, इन सबके काम में आती है। आरा मशीन वाले केवल फण्टे चिरते हैं और फण्टे चीरने के बाद उनका सामान बनाया जाता है। अगर फण्टे ही चिरने के लिए नहीं आयेंगे, गाँवों से लकड़ी नहीं आयेगी, मैं यह नहीं कहती कि अवैध लकड़ियों की कटाई मत रोकें, उसको रोकने के लिए अलग से नियम हैं, वह काफी प्रभावी नियम हैं उनके माध्यम से अवैध कटाई होती है वनों की, उन पर नियन्त्रण रखा जा सकता है लेकिन इस तरह आरा मशीन वालों को तंग करना कि रिकार्ड रखना होगा, 24 घन्टे में इंसपेक्टर कभी भी जाँच कर लेगा, मतलब यह है कि 24 घण्टे आरा मशीन वाले आरा मशीन खुली रखेंगे। यह जो नियम लागू किये जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इनसे छोटे से काम करने वालों को, जो हाथ से काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, आरा मशीन के बड़ी दिक्कत आ गई है। यह काम अगर बन्द हो गया तो जनता को काफी तकलीफ होने वाली है। मैं उपभोक्ताओं की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, आरा मशीन में काम करने वालों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो नियम बनाये जा रहे हैं इस सम्बन्ध में, इस तरह से उन पर पाबन्दी न लगाई जाय। अवैध कटाई रोकने वाले अन्य प्रभावी नियम हैं, उन्हीं से प्रभावी नियन्त्रण रखा जाय। यही मेरा आप से आग्रह है।

अंत में, यदि आपकी अनुमति हो तो, नर्सों के बारे में दो एक बातें कहना चाहूँगी। मेरे स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा था कि आयुर्वेद की नर्स और छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी दो ही माँगें हैं, समान काम का समान वेतन। यह राज्य सरकार की घोषणा भी है और मान्यता भी है लेकिन यहाँ एलोपैथिक वालों को अधिक वेतन दिया जा रहा है और आयुर्वेद वालों को, जो उतना ही समय उतना ही काम करने वाली नर्सेज को कम वेतन दिया जा रहा है, यह दोहरी नीति सरकार ने अपना रखी है। आयुर्वेद के साथ यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। उनको जो इन्टर्नशिप में भत्ता दिया जाता है वह भी बढ़ाया जाना चाहिए। आज की इस महंगाई को देखते हुए और कीमतों को देखते हुए अन्य कामों में सुविधा प्राप्त करने के लिए नर्सों ने इन्टर्नशिप का भत्ता बढ़ाने की माँग की है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मेरा दुर्भाग्य कि यहाँ पर चिकित्सा मन्त्री बैठे हुए नहीं हैं, आयुर्वेद मंत्री भी शायद कहीं सो रहे लगते हैं, अगर वह सुनें तो मैं इनके बारे में उनसे कहना चाहूँगी कि इनकी माँगों को मान लें। आप देखेंगे कि इस तरह पोस्टर्स जगह जगह पर शहरों में लगे हुए हैं, सरकार की नींद हराम करने की धमकी, और 20 मार्च को आयुर्वेद की नर्सों और छात्रों का विधान सभा पर प्रदर्शन ! मैं समझती हूं कि प्रदर्शन नीचे हो भी गया होगा। ऐसे लोग जो चिकित्सा का कार्य करते हैं ····

श्री अध्यक्ष : तो आप जल्दी समाप्त कीजिए, वह आकर चले नहीं जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे लोग जो सेवा करते हैं बीमारों की, अगर सड़कों पर आ गये तो बीमारों का क्या होगा। अगर बीमार को ज्यादा तकलीफ हो गयी तो उनके परिवार वालों को क्षति उठानी पड़ेगी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को आप चेतावनी दें कि इनकी मांगों को माना जाय। वाजिब मांगें हैं, इसलिये उनका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूं। आप राज्य सरकार को बाध्य करें कि यह जो आयुर्वेद के नर्सों और छात्रों की मांगें हैं उनको तत्काल माना जाय जिससे कि भूख हड़ताल और आमरण अनशन की नौबत न आने पाये।

धन्यवाद।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक बात कहना चाहता हूं। जनगणना कर्मचारियों को निरस्त कर दिया गया है। वे कई दिनों से हड़ताल पर हैं, हालत उनकी दयनीय है। उनकी रोजी रोटी····

श्री अध्यक्ष : पहले भी यह आया था। सरकार से जानकारी चाही थी। सरकार ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसका मैंने अध्ययन करने के पश्चात् व्यवस्था दी थी। पूर्व में भी सत्रों में 2–3 बार इस पर चर्चा हो चुकी है। मेरे ख्याल से अब इस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा। उनको निरस्त किया गया, उनकी रोजी-रोटी छीनी गयी है। राज्य सरकार आल्टरनेट व्यवस्था कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने काफी कुछ किया है, वर्तमान में विस्तार में हम नहीं जा सकते।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इनको आश्वासन दिया, सब जगह लगाया। और जगह होते हुए भी आज हमारी सरकार····

श्री अध्यक्ष : आज चर्चा नहीं होगी। विचार हो रहा है। आपको आज मैं जब अवसर दूं, उस वक्त आप कह सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार अगर प्राथमिकता देकर उनको एब्जोर्व कर ले तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा। भीलवाड़ा नगर की सड़कों आदि के बारे में।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में प्रताप नगर स्थित लेबर कालोनी है। इस लेबर कालोनी में लगभग 2 हजार श्रमिकों के परिवार रहते हैं। 1952–53 में लेबर कालोनी का निर्माण किया गया।

श्री बंसीलाल पटवा)

वहाँ पर सरकार की ओर से मकान निर्मित किये गये। छोटे बड़े क्वार्टर्स हैं वह श्रमिकों को दिये गये हैं। जब से उनको वह अलाट किये गये तब से वहाँ वह श्रमिक रह रहे हैं। उनके बाल बच्चे, परिवार सब वहां रहते हैं। आरम्भ से जब लेबर कालोनी निर्मित हुई, बनाई गई, उस समय से लेकर आज की अवधि तक वहाँ श्रमिक रहते हैं, सब कुछ है, शौचालय है, मूत्रालय है। लेकिन उन शौचालय, मूत्रालयों की नालियों की, सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि वे जर्जरित हैं। उन पर दो हजार श्रमिकों के परिवार वालों को नारकीय जीवन यापन करना पड़ रहा है। शौचालय जो फ्लश के कहे जाते हैं उनके सेप्टी टैंक भरे हुए हैं। उनमें पाखाना करने नहीं जा सकते। इसी के साथ वहाँ सुअर इर्द-गिर्द घूमते हैं, नालियाँ जर्जरित हैं। मकान के बिलकुल बाहर नालियाँ हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं। नालियाँ टूटी हैं इसलिए सफाई बराबर होती नहीं। सरकार ने उत्तर दिया है कि सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, यह मिथ्या है, और भ्रमित करने वाली बात है। श्रमिकों के बारे में बराबर आश्वासन दिया जाता है कि लेबर कालोनी का विकास करेंगे, जल्दी ही शौचालय बनायेंगे, मूत्रालय ठीक करेंगे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जब से लेबर कालोनी बनाई गई, उन क्वार्टर्स की रिपेयर तक नहीं की गयी। उनकी खिड़कियां, जालियाँ टूटी हुई हैं। श्रमिक संगठन इसके लिए बार-बार प्रतिनिवेदन देते हैं, रिप्रजेण्टेशन देते हैं, उनको आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन आज दिन तक उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 हजार श्रमिक परिवार वहाँ पर रहते हैं। शौचालय ठीक नहीं, किसी के किवाड़ टूटे हुए हैं, फ्लश टैंक भरे हुए हैं, और बरसों से भरे हुए हैं, सफाई तक ठीक नहीं करा पा रहे हैं। आज की स्थिति में भी भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में मेरा एक निवेदन है कि इस बारे में आप सरकार को कहें, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और कार्यवाही करे। अन्यथा, मैं आपको बताऊँ, वहाँ का श्रमिक आन्दोलित होगा और आन्दोलित होकर इसके बारे में कार्यवाही करेगा। क्योंकि प्रति वर्ष उनमें कुछ न कुछ लगना चाहिए, उनकी मेन्टिनेन्स होनी चाहिए उनसे किराया लिया जाता है। परन्तु आज दिन तक इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि यदि शौचालय, मूत्रालय, मकान ठीक नहीं किये गये, जर्जरित सड़कों को ठीक नहीं किया गया तो वहाँ के मजदूर संगठन और श्रमिक मिलकर आन्दोलित होंगे। उसका परिणाम क्या होगा, यह सरकार जाने। लेकिन सरकार श्रमिकों के हित की बात कहती है तो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। आयुर्वेद विभाग में स्थानीय स्नातकों के उपलब्ध होते हुए भी बाहर के स्नातकों की नियुक्ति।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, राज्य का दुर्भाग्य है कि जहाँ एक ओर 250 से अधिक आयुर्वेद के स्नातक बेरोजगार की श्रेणी में हैं····

श्री अध्यक्ष : आपको भी शामिल मान रहे हैं क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, भगवान की दया से मैं तो यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद अपनी प्रेक्टिस अलग से करूंगा। निवेदन करना यह है कि जहाँ 250 से अधिक आयुर्वेदिक स्नातक बेरोजगारी की स्थिति में हैं वहीं आयुर्वेद मंत्री ने × × × राजस्थान के बाहर से 20 व्यक्तियों की नियुक्ति की है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आरोप जो लगाया है वह एक्सपन्ज किया जाय। कृपया !

श्री दाऊदयाल जोशी : कारण बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जिस किसी के सम्बन्ध में आपत्ति की जाय, मामला पूर्व सूचना के, बिना नियमों के माननीय सदस्य सदन के समक्ष न लायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बाहर के विद्यार्थियों को माननीय मंत्री महोदय ने विभाग में नियुक्ति दी। 4 उत्तर प्रदेश के, 8 मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को नियुक्ति दी····

श्री अध्यक्ष : देश एक है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को ही नियुक्ति देंगे। पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश के अलावा कहीं का भी विद्यार्थी आयुर्वेद विभाग में नहीं लिया जाता है····

श्री अध्यक्ष : राजस्थानवासी भी बहुत से अन्य प्रदेशों में हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल कानून बना दिया, नियम तय कर दिये कि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं के स्नातकों को नियुक्ति नहीं दी जाय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया, मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि वहाँ के स्नातकों के अलावा कहीं के स्नातकों को नियुक्ति नहीं देंगे, लेकिन राजस्थान सरकार ने 250 स्नातकों को बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा करके बाहर के लोगों को नियुक्ति दे दी। मेरा निवेदन है कि नियुक्ति दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन इण्डियन मेडिसन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उनके पास इन्डियन मेडिसन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि इन्डियन मेडिसन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं, दो व्यक्तियों की उम्र समाप्त हो गई नौकरी करने की, उनको भी नियुक्ति दे दी। मैंने पिछली बार····

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य तरीके से उठाना चाहिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कौनसे अलग तरीके से उठायें।

× × ×अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद के समय उठायें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थगन प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो व्यक्तियों ने वृहस्पति के लिये निवेदन किया, पिछले साल जिनको इसलिये नियुक्ति नही दी जा सकी थी कि उनके पास इन्टर्नशिप का प्रमाण-पत्र नही था । इन्टर्नशिप नहीं करने वाले व्यक्तियों को भी आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति दे दी गई । अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहले आरोप लगाया, क्या इस बात से उसकी पुष्टि नहीं होती है ?····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को नियुक्ति देने से मेरा आरोप सिद्ध है । जिस समय मैं आयुर्वेद विभाग की डिबेट पर बोलूंगा उस समय प्रमाण सहित बोलूंगा तब आयुर्वेद मंत्री जी निरुत्तर हो जाएँगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जो आरोप लगाया है उसे एक्सपन्ज किया जाय ।

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आरोप लगा रहा हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह अनर्गल बात नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो आरोप आपने लगाये हैं उनको एक्सपन्ज कर दिया गया है । कृपया बैठ जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : पंचायत समिति टौंक के प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 114 प्राथमिक शालाओं में 44 अध्यापकों की कमी है । 8 स्कूल इन्होंने और स्वीकृत किये हैं । इस प्रकार 52 अध्यापकों की कमी है । माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : नये स्कूल खोले हैं उनके लिये तो अध्यापकों का प्रावधान किया होगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, 3 हजार अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है । 114 स्कूलों में इधर-उधर से अध्यापक लगाये हैं लेकिन टौंक में नहीं लगाये । अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, सबको साक्षर करना चाहते हैं, किन्तु स्कूलों की हालत यह है कि 50 विद्यार्थियों पर भी एक अध्यापक होगा, चाहे 4 कक्षाएँ चलती हों, चाहे 3 कक्षायें

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

चलती हों, एक अध्यापक होगा। अध्यक्ष महोदय, एक अध्यापक सारी कक्षाओं को किस प्रकार पढ़ा सकता है। निर्धारित नार्म्स के अनुसार यह अध्यापक लगायें तो 44 अध्यापकों की कमी है। राज्य सरकार ने इस बजट में केवल 3 हजार अध्यापकों की स्वीकृति दी है जब कि कम से कम 20-25 हजार अध्यापकों की कमी है। इसलिये इनकी मंशा साफ हो जाती है कि छात्र पढ़ें नहीं, गांव का छात्र भी अनपढ़ रहे। इनका बीस सूत्री कार्यक्रम है, सबको साक्षर करेंगे, इस प्रकार की घोषणा करके कहां से पढ़ायेंगे, कैसे साक्षर करेंगे? किसी प्रकार का इनकी प्लानिंग या नियोजन नहीं लगता। गांव के बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़कर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ कान्स्टीट्यूशन का किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं लेकिन सरकार का ध्यान दिलाकर निवेदन करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि गांवों की आज जिस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है वह ठीक नहीं है, एक अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। मांडिया डूंगर झालाना जिला जयपुर में खनन कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को बेरोजगार करने के विषय में।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो जनहित के प्रश्न है उनको सब-जुडिस रूप देकर हमेशा के लिये, जब तक निर्णय नहीं हो, अवधि जिसकी निश्चित नहीं हो, टाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझको मालूम नहीं था कि सदन में मामला आने वाला है इसलिये मैं मेरे पास जो प्रमाणित कागजात थे लेकर नहीं आ सकी परन्तु मोटे मोटे रूप से इस विषय में कुछ कहना चाहूंगी। एक सबसे बड़ा प्रश्न अपने सदन की व्यवस्था का भी है कि जिस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया जाय, स्थगन प्रस्ताव का जवाब गलत दे दिया जाय उसके लिये किसको कहें, किसको समझायें कि यह बात गलत है। न मंत्री यहां पर है, न सम्बन्धित अधिकारी गण। अगर अधिकारी है तो केबिन में हैं। इसलिये इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव से बहुत प्रभाव होने वाला हो, ऐसा नहीं लगता है। ऐसे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं। केवल अधिकारी और सरकार ध्यानपूर्वक कन्फर्म करेगी या डिनाई करेंगी। मैं समझती हूं कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया गया कि मामला सब-जुडिस है। वर्ष 1980 के बाद जो भी स्थान है, वन पूर्ण रूप से आरक्षित है। आरक्षित वन क्षेत्र में खनन के लिये इजाजत नहीं दी जायगी। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का नियम है। मगर यहां यह भी चर्चा कर रहे हैं, ये लोग सन् 1974 से काबिज हैं और इन खानों में खनन कर रहे हैं, छोटी-बड़ी खानें हैं, निरन्तर खनन कर रहे हैं, इस स्थान पर कोई वन क्षेत्र आरक्षित नहीं है। आप स्वयं जाकर देख लीजिये, माननीय

(श्रीमती विद्या पाठक)

अध्यक्ष महोदय। तो ऐसी स्थिति में भी गत वर्ष, यही तो आश्चर्य है, डेढ़-दो साल पहले एक वर्ष में चार बार स्वीकृति दी गई। जिसमें पिछली स्वीकृति अभी 15–20 दिन पहले दी गई। इतने वर्षों तक खनन कार्य करते रहे और अधिकारी लोग अपनी मनमानी करते रहे, कहीं भी नियमों की पालना नहीं की गई, और नियमों के विरुद्ध काम किया गया। सरकार इस विषय में यह कह कर मौन नहीं हो सकती कि यह सब जुडिस है। इसलिए इसको सीरियसली एग्जामिन करने का इस साल प्रयत्न किया जाय और सदन में आपके मार्फत इन तथ्यों की पुष्टि और इसके निराकरण की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। कोलायत तहसील में भेड़ों में बीमारी के बारे में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जिला बीकानेर तहसील कोलायत में करीबन साढ़े पांच लाख भेड़े हैं। गत वर्ष भी मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, इसी प्रकार से जो अकाल की स्थिति में पूर्व में कमजोर हो जाती हैं इन्हें जूं से अन्य बीमारियाँ लग जाती हैं। फिर भी तीन माह तक उपचार को व्यवस्था नहीं की गई। उस वक्त हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री दुलारामजी दौरे पर गये थे। जब उन्हें लोगों ने दावा में, गंडाल में और गडियाला में ज्ञापन दिये थे, और शिकायत की थी कि साहब आप उपचार के लिये कोई व्यवस्था कीजिये, भेड़ें मर रही हैं, अकाल अलग से है और जुओं की बीमारी अलग से लगी है परन्तु उस वक्त भी उपचार नहीं किया गया। मैं निश्चित तौर पर आपको निवेदन करूं कि डेढ़ लाख भेड़ें हमारी मर गई। सरकार राहत अन्य तो कोई दे नहीं सकती। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मामूली जो पैसे लगते हैं जो कि गांव वालों की जानकारी में है नहीं, उसकी अगर समय पर व्यवस्था कर दें तो हमारा जो पशुधन है भेड़ें हैं वह बच सकती हैं। यह राज्य सरकार ··

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में तो काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार ने उत्तर भेजा है उसमें उन्होंने बताया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वही मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर आया है उसमें यह बताया है कि हमने टोलियाँ बना दीं और उन गांवों के अन्दर भेजी हैं। मैं अभी हाल ही में गांव बरकलपुर, राववाला और अतुलसर में जाकर आया हूं····

श्री अध्यक्ष : वहाँ टोलियाँ मिली कि नहीं आपको कोई ?

श्री देवीसिंह भाटी : कोई टोलियाँ नहीं मिलीं। अध्यक्ष महोदय, एक उनका स्टाफ असिस्टेन्ट बैठा था, उसने यह बताया कि अभी तो हमारे अधिकारीगण दौरा करके गये हैं और दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने जयपुर को लिखा है। अध्यक्ष महोदय, कब उनकी व्यवस्था होगी ? मेरा यही निवेदन है कि जुओं की बीमारी लगी उसके लगने से ही यह निमोनिया की बीमारी लगी। उससे उनके दस्तों

(श्री देवीसिंह भाटी)

के अन्दर खून आने लगा है, उनके मुँह से झाग आकर बीमारी लगकर वह खतम होने जा रही है। मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का तात्पर्य यही था कि शीघ्र ही राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था हो। जिला मुख्यालय के अलावा जयपुर से अलग टोलियाँ भेजी जावें क्योंकि यह काफी फैला हुआ क्षेत्र है, जगह-जगह भेड़ें हैं। भेड़ ही हमारा एक साधन है जिससे हमारा आर्थिक जीविकोपार्जन होता है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे पुनः यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो उत्तर आया है उसी के सन्दर्भ में पुनः आप यह लिखें कि अलग से टोलियाँ बनाकर भेड़ों के उपचार के लिए व्यवस्था की जाय।

श्री रामकंवार बैरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम दिया था।

श्री अध्यक्ष : कहाँ है आपका नाम, भेड़ों वाले में ?

श्री रामकंवार बैरवा : शीत लहर से फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में।

श्री अध्यक्ष : नुकसान के बारे में कल आपका नाम पुकारा गया, उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, लम्बे समय तक काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज उस पर पुनः चर्चा नहीं होगी।

श्री रामकंवार बैरवा : मैंने कल दिया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आज सामान्य वादविवाद हो रहा है बजट पर, उस वक्त आप इस प्रश्न को उठा सकेंगे। उसके दायरे में सभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं।

सदन पटल पर रखा गया पत्र-प्रतिवेदन एवं लेखे

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। प्रतिवेदन एवं लेखे। सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री जी।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर: स्थापन मोहन लाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर: स्थापित किया जायगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्व-विद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्या 8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना कण्ट्रोल का कागज उपलब्ध कराये 44 नयी पुस्तकों का मुद्रण।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। श्रीमती कमला, शिक्षा मन्त्री। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना कण्ट्रोल का कागज उपलब्ध कराये 44 नई पुस्तकों का मुद्रण कराने के सम्बन्ध में।

श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कैलाशजी मेघवाल ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा बिना पूर्व सूचना व बिना कण्ट्रोल का कागज उपलब्ध कराये 44 पाठ्य पुस्तकों को नई छपवाने के निर्णय को अविवेकपूर्ण बताते हुए इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में अपना जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार है—

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य कार्य है, परीक्षायें संचालित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, छात्रवृत्तियाँ आदि देना एवं अन्य समस्त वह कार्य, जो राज्य में माध्यमिक शिक्षा के नियमों तथा देखरेख के लिए गठित निकाय की हैसियत से बोर्ड के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपेक्षित हों, करता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के अध्याय 6 विनिमय 18 के अन्तर्गत पुस्तकें लिखवाने का कार्य बोर्ड की शक्तियों के अन्तर्गत आता है। उक्त शक्तियों के अन्तर्गत बोर्ड समय समय पर विभिन्न विषयों हेतु पुस्तकें अभि-स्तावित एवं प्रस्तावित करता है। ये पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं, प्रथम वे पुस्तकें जिनका लेखन बोर्ड स्वयं लेखक नियुक्त करके करवाता है तथा इन पुस्तकों के मुद्रण व वितरण हेतु पंजीकृत प्रकाशकों से निविदायें आमंत्रित करता है। इन पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत पुस्तकें कहा जाता है। सर्वप्रथम 1963 में बोर्ड ने इस श्रेणी में पुस्तकें लिखवाना प्रारम्भ किया और 1982 तक इस श्रेणी में 72 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हो

Page No 55

(श्रीमती कमला)

हो चुकी है। एन. सी. ई. आर. टी. स्वयं की पुस्तकों के समग्र राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने सन् 1980 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिशा निर्देश दिया कि बोर्ड धीरे-धीरे सभी पुस्तकें राष्ट्रीयकृत करने के कार्य को गति प्रदान करे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की पिछले 9 से 14 वर्षों से लगातार चली आ रही पुस्तकों को बदला जाना बहुत पहले ही आवश्यक हो चुका था। ऐसी सात विषयों की 15 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किये जाने का बोर्ड ने निर्णय किया है।

सन् 1983-84 में राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत कुल 216 पुस्तकें बोर्ड द्वारा प्रस्तावित व अभिस्तावित थीं। इनमें से 137 पुस्तकों के सम्बन्ध में बोर्ड ने लेखन या प्रकाशन अधिकार बदलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया। अर्थात् उनको यथावत् ही रखने का प्रस्ताव किया। इनमें 20 राष्ट्रीयकृत पुस्तकें भी सम्मिलित हैं जिनका पर्याप्त स्टाक सम्बन्धित प्रकाशक के पास होने से यह पूर्व के मूल्यों पर ही छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा 15 पुस्तकें कोर्स से नितान्त रूप से हटाई जा चुकी हैं। राष्ट्रीयकृत 54 पुस्तकें, जिनका स्टाक उपलब्ध नहीं है, के प्रकाशन अधिकार दिये जाने हेतु बोर्ड ने पंजीकृत प्रकाशकों से इस वर्ष निविदायें आमन्त्रित की हैं जो सन् 1984-85 में पुस्तकें उपलब्ध करवायेंगे। शेष पुस्तकों का लेखन, मुद्रण एवं वितरण सभी स्तर का समग्र राष्ट्रीयकरण करने का बोर्ड ने प्रथम बार निर्णय लिया है। जिन 15 पुस्तकों····

(व्यवधान)

यह क्या कर रहे हो भाई !

जिन 15 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया गया है राष्ट्रीयकृत नहीं भी की जातीं और यथावत् ही छप कर बाजार में आतीं क्योंकि उनका स्टाक छात्र संख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशकों के पास में 1984-85 हेतु पर्याप्त नहीं है, तो इन पुस्तकों का 1984 संस्करण का मूल्य पूर्व के मुकाबले बढ़ता क्योंकि कण्ट्रोल का कागज इस वर्ष उपलब्ध नहीं हुआ। वैसे कण्ट्रोल कागज का मूल्य एवं मुद्रण लागत पूर्वापेक्षा बहुत बढ़ गयी है। इस वर्ष राष्ट्रीयकरण की गयी 15 पुस्तकों में से फिर भी 9 नई पुस्तकें छात्रों को पुरानी पुस्तकों के 1984 संस्करण के मुकाबले 13 पैसे से 4 रुपये 9 पैसे तक सस्ती प्राप्त होंगी। पूर्व के मुकाबले में शेष 6 पुस्तकों में जो वृद्धि होगी, वह प्राप्त दरों के आधार पर मात्र 28 पैसे से दो रुपये 96 पैसे के बीच होगी। सम्भावना तो यह है कि ये 6 पुस्तकें भी बोर्ड द्वारा अन्तिम अनुमोदन के बाद जब मुद्रित होंगी तो वास्तविक पृष्ठ संख्या के आधार पर उनका मूल्य भी सम्भवतः पुरानी पुस्तकों के 1984 संस्करण से कम ही होगा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त 15 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण छात्रों के शैक्षिक तरक्की के दृष्टिकोण से व राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य के अन्तर्गत किया जाना उचित समझ कर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है।

29 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों, जो पिछले पांच से 12 वर्षों से चली आ रही हैं, को लिखवाने का निर्णय भी बोर्ड ने इस वर्ष लिया है। इनमें हिन्दी की 12, अंग्रेजी की

(श्रीमती कमला)

7, संस्कृत की 9 व सामान्य विज्ञान की 1 पुस्तक है। इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम परिवर्तन के कारण पुनः लिखवाये जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त पुस्तकों में संस्कृत की विभिन्न विधाओं की 4 पुस्तकें नये सिरे से जोड़ी गई हैं जो इस सब्जेक्ट में नहीं थी। इन 29 पुस्तकों में से 9 पुस्तकों का मूल्य पुरानी पुस्तकों के 1984 संस्करण के मुकाबले 13 पैसे से दो रुपये 22 पैसे तक कम होगा। शेष 6 पुस्तकों में 15 पैसे से 61 पैसे तक वृद्धि हो सकती है। किन्तु यहाँ भी सम्भावना यही है कि पुस्तक का मुद्रण हो जाने पर वास्तविक पृष्ठ संख्या के आधार पर इनका मूल्य भी पुरानी पुस्तकों की तुलना में कम हो सकता है।

पुस्तकों के मुद्रण हेतु कण्ट्रोल का कागज प्राप्त करने के लिये बोर्ड ने 17 मार्च, 1983 से अपने प्रयत्न प्रारम्भ किये थे किन्तु केन्द्रीय सरकार को कागज मिलों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से राज्य सरकार को पर्याप्त कोटे का आवंटन नहीं हो सका और इसके फलस्वरूप राज्य सरकार बोर्ड को कागज उपलब्ध नहीं करा सकी जो पुस्तक प्रकाशकों को वह उपलब्ध करा सकता। कण्ट्रोल का कागज प्राप्त करने हेतु बोर्ड पूरा प्रयत्नशील है तथा यदि पुस्तकों का मुद्रण प्रारम्भ होने से पूर्व कागज प्राप्त हो गया तो पुस्तकों के मूल्य में और भी भारी कमी हो सकेगी। वर्तमान में बोर्ड ने मिलों को 467 टन कागज हेतु अग्रिम राशि जमा कराई हुई है।

माननीय सदस्य महोदय ने मूल्य वृद्धि के कथन में जिन आठ पुस्तकों के पुराने मूल्य से तुलना करते हुए नई पुस्तकों के मूल्य का उदाहरण दिया है उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि निविदा में प्राप्त मूल्य वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, पुस्तकों का वास्तविक मूल्य पुस्तक मुद्रित हो जाने पर उसके मुद्रित प्रत्येक पृष्ठ के आधार पर निर्धारित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पुस्तकों को बिना पूर्व सूचना के बदले जाने का भी उल्लेख किया है। उल्लेखनीय यह है कि बोर्ड पुस्तकों के लिए पिछले कई वर्षों से केवल एक सत्र का ही विक्रय अधिकार प्रकाशकों को देता रहा है जिससे जब कभी भी पुस्तकों की तबदीली की जरूरत पड़े तो उसको बदलने में दिक्कत नहीं हो। अतः सभी पुस्तक प्रकाशकों को इस बात की पूर्ण सूचना है कि उसके प्रकाशन अधिकार की अवधि 31 मार्च, 1984 को समाप्त हो जाती है, अतः अतिरिक्त रूप से उन्हें सूचित करने की जरूरत नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं, शिक्षा के क्षेत्र में बदलते आयामों, पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट किये जाने वाले कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य बहुत तेजी से पूरा करने के सन्दर्भ में बहुत समय से वांछित था इस कार्य को गति देने के लिये यह आवश्यक और उचित समझा गया कि इस प्रकार का निर्णय लिया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा

(श्री कैलाश मेघवाल)

मन्त्री जी ने जो यहाँ पर स्टेटमेन्ट पढ़ा है उसमें, कीमतों का वास्तविक मूल्य कम हो जायगा, यह कहा है, कि अधिकार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह कहा है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए कुछ पाइन्टेड सवाल पूछना चाहता हूं कि जब तक वह सवाल मैं नहीं पूछूंगा तब तक जो यह इतना साधारण स्टेटमेन्ट और प्रथम दृष्टया स्टेटमेन्ट जो दिख रहा है इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, वह इसलिये, अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नियम है जिसका कि हवाला मन्त्री जी ने दिया है, नियम 6 का हवाला दिया है, नियम 6 का विनियम 13 (4) प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति से सम्बद्ध विषयों का है। वह पाठ्यक्रम समिति उसके नियम तैयार करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त पुस्तकें तथा उनके मूल्य की सिफारिश करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला प्रावधान है। मैं इसके विस्तार और भूमिका में न जाते हुए माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जितनी पाठ्य पुस्तकें आपने नयी लिखाई हैं उन में किस किस पाठ्य पुस्तकों के विषय में आपको सिफारिश की है। मेरी जानकारी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि पाठ्य पुस्तक समिति के द्वारा एक भी पुस्तक में परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की गयी है, जो कि अब छपवाई जा रही हैं उन पुस्तकों के लिये सिफारिश नहीं की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से साल या डेढ़ साल पहले पाठ्य पुस्तक समिति ने गणित की एक पुस्तक को बदलने के लिये, उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये ठोस आधारों पर सुझाव दिया था, पर दुर्भाग्य से जो एक काम नियमित हुआ उस नियमित काम को उस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है। 54 पुस्तकें आप दे रहे हैं उनमें से पाठ्य समिति ने एक भी पुस्तक का सुझाव नहीं दिया है।

(12.58 म. प.)

(श्री हरिसिंह 'कुम्हेर' सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न जो रखना चाहता हूं उसको पढ़ देना चाहता हूं। नियम जो बोर्ड के बने हुए हैं उसके विनियम के अध्याय आठ के पेज नंबर 33 पर आप देख लें, उस पेज 33 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है "पाठ्य क्रम समिति की अनुशंसा पर बोर्ड की परीक्षाओं के लिये पाठ्य क्रम और प्रत्येक विषय के लिये पुस्तकों की अनुशंसा करना" मैं सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आप इस सारे मसले को किसी भी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से मत आँकिये, मैं आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं इस सदन के सामने, क्या इसकी जो पालना की गयी है, वह केरीकुलम कमेटी जो बनी हुई है उस केरीकुलम कमेटी के सामने पाठ्यक्रम समिति की सिफारशें की जाती हैं उस केरीकुलम कमेटी के माध्यम से अब अनुशंसित होने के बाद ही छपाई में जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, पर एक भी पुस्तक का, जैसा मैंने कहा न तो पाठ्यक्रम

(श्री कैलाश मेघवाल)

समिति ने सुझाव दिया और न केरीकुलम समिति ने अनुशंसा की है। हालत यह है, सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता था कि शिक्षा मन्त्री जी सीधे सीधे सारे तथ्य यहां पर रख देतीं क्योंकि मैंने लिखा है कि स्टॉक भी पड़ा है, मैंने लिखा है कि महगा भी हो रहा है। मैंने यह भी लिखा है कि यह आदेश अभी तक नहीं किये गये हैं। इसीलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 15 मार्च, 1984 को आपने आदेश दे दिये, मुद्रण आदेश दे दिये, माननीय सभापति महोदय, जो दस किताबें बोर्ड की तरफ से छपवाई जा रही हैं और बोर्ड प्राप्त करके इन पुस्तकों को अपने माध्यम से बिकवायेगा, उन दस पुस्तकों के मुद्रण के आदेश भी 15–3–84 को दिये जा चुके है। दूसरी जो 34 पुस्तकें हैं जिनमें चार संस्कृत शिक्षा की आप कहती हैं और 30 दूसरी पुस्तकें हैं उनके छपवाने के मुद्रण आदेश भी 15-3-84 को दिये जा चुके हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि यह किस बात के आदेश दिये गये। क्या हवा के दिये या जल के दिये या पहाड़ के दिये हैं? सभापति महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा, जानकारी है कि एक भी पान्डुलिपि आज तक किसी भी मुद्रक के पास नहीं भेजी गयी है। यह पान्डुलिपि कहां पड़ी है? क्योंकि एतराज उठ गया और सभापति महोदय, यह तो आप जानते हैं कि कहीं न कहीं श्रद्धालु लोग रहते हैं उन्होंने इसके लिये एतराज उठाया और कहा, यह पुस्तकें कैसे छप रही हैं। जो समिति होती है उसको भी मालूम नहीं पड़ा कि पुस्तकें छप रही है।

(1.00 म. प.)

जब इनको मालूम पड़ा, जब यह एतराज उठाया गया, तो कहा साहब न तो पाठ्यक्रम समिति ने सुझाव दिये और न केरीकुलम समिति ने अनुशंसा की इन पुस्तकों को छपवाने के लिए। तो किस आधार पर यह हुआ? अब प्रत्येक पाण्डुलिपि की केरीकुलम कमेटी में स्क्रूटिनी हो रही है इसकी पिछली बैठक वाणिज्य की 12-3-84 को हुई थी उसमें कुछ सुझाव दिये और 25-3-84 को फिर से बैठक होगी। उसमें भी उन सदस्यों ने कहा कि जिस लेखक से लिखवाई हैं, यह बिलकुल भद्दी हैं, ठीक ढंग से लिखी हुई नहीं हैं। इसलिये पुराने सुझावों के आधार पर जब नई पाण्डुलिपि लिख कर आ जाय एक बार हम फिर इसका परीक्षण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी इस सदन के सामने यह रखें कि क्या 15-3-84 को सब आदेश मुद्रण के दिये गये या नहीं? 10 पुस्तकों के तो आपने पर एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित करवा लिये। इन 34 पुस्तकों के एग्रीमेंट मुद्रकों से तो करवा लिये और चूंकि यह स्थगन प्रस्ताव चला गया और हो सकता है यह आशंका हो गई हो कि यह भण्डा फूटने वाला है इसलिए मुद्रकों से दस्तखत ले लिये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टेबल पर शिक्षा बोर्ड की तरफ से दस्तखत करने के लिए कागज अभी तक रखे हुए हैं। आज इस बहस के बाद जो भी नतीजा निकलेगा, तब वह किये जायेंगे। मैं इसलिये पूछना चाहता हूं, आखिर यह तमाशा आप क्यों कर रहे है?

Page No 59

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो हवाला आपने दिया उसी का हवाला मैं दे रहा हूँ।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, लेखकों का चयन किया। एक बात कही गई है कि लेखकों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पुस्तकें लिखवाई है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है इस सारे सवाल को समझने के लिए इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे लेखक पुस्तकें लिखें, अच्छे विषयों के मान्यता प्राप्त पंडित पुस्तकें लिखें, वह पुस्तकें इन दो क्रमों से, पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से और केरीकुलम समिति के माध्यम से परीक्षण होने के बाद छपने के लिए जायं। इसकी परम्परा क्या है? आज से दो साल पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक विज्ञप्ति निकाली और सारे देश के लेखकों को आमंत्रित किया, आव्हान किया कि हम पुस्तकें बदलना चाहते हैं इसलिए आप हमारे यहाँ अपना नाम भिजवाइये और हमारे यहाँ पंजीकृत करा लीजिये। आपकी योग्यता क्या है, आपके विषय क्या है, आपके अब तक के अनुभव क्या हैं। इस आधार पर, एक विज्ञप्ति निकली। उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रमाणित लेखकों की एक सूची निकाली। आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस सूची में से एक लेखक को भी आपने पुस्तक लिखने के लिए नहीं दी। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने विनियम का हवाला दिया है उसमें अध्याय 6 के नियम 14 में यह भावना व्यक्त की गई है, यह मैं आपके सामने इसलिये पढ़ देना चाहता हूँ उसकी मंशा यह है कि "बोर्ड में कार्यरत कोई कर्मचारी, बोर्ड का कोई अधिकारी, इन अधिकारियों का कोई रिश्तेदार, पति, पत्नी, सारे रिश्तेदारों की सूचियां हैं, इन लोगों से पुस्तकें नहीं लिखवाई जायंगी। पाठ्यक्रम समिति अथवा बोर्ड के सदस्य अथवा इसके नियमानुसार गठित किसी भी समिति के सदस्य द्वारा उनकी सदस्यता अवधि के दौरान अथवा बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित अथवा प्रकाशित कोई भी पुस्तक बोर्ड को किसी भी परीक्षा के लिए निर्धारित अथवा अभिप्रमाणित नहीं की जायेगी। बोर्ड के सदस्य अथवा इसके नियमानुसार गठित किसी भी समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देकर उसकी सदस्यता अवधि के दौरान पुस्तक प्रस्तुत करने पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा", त्यागपत्र दे दें तो भी। "यह प्रतिबन्ध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो बोर्ड अथवा बोर्ड के अधिकार से अध्यक्ष द्वारा पुस्तक लिखने को आमन्त्रित किये जावें अथवा जो अपनी पुस्तक को बोर्ड की पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए भेंट कर दें। विचारार्थ पुस्तक/पुस्तकों में से कोई पुस्तक बोर्ड अथवा समिति के सदस्य के सम्बन्धी ने प्रस्तुत की हैं तो वह सदस्य बोर्ड अथवा समिति की उस बैठक में उपस्थित नहीं होगा जिसमें उस पुस्तक पर विचार होगा। कोई भी निर्धारित अथवा अभिप्रमाणित पुस्तक सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं बदली जायेगी।" मैंने यह इसीलिए पढ़कर सुनाया, इसकी भावना को ठीक करने के लिए, अब मैंने इसकी भावना आपके सामने रख दी है। यह 44

(श्री कैलाश मेघवाल)

पुस्तकें इन्होंने लिखाई हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि लेखकों का चयन करने का आधार क्या है, मापदण्ड क्या है? इनका चयन आपकी किस विशेषज्ञ समिति मे किया? आखिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान के शिक्षा शास्त्री वहाँ पर कई समितियों के सदस्य हैं, कई तरह की कमेटियों के सदस्य हैं। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये पुस्तकें किससे लिखवाई हैं? अब यह ठीक है कि वे सब भूतपूर्व हैं। लेकिन इन 44 पुस्तकों में अधिकांश पुस्तकें जो लिखवाई हैं वे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भूतपूर्व सचिवों से लिखवाई हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ, इन 44 पुस्तकों में जो पुस्तकें लिखवाई हैं—पुष्पकान्त दलाल भूतपूर्व सचिव थे, शिवकुमार भूतपूर्व सचिव थे, गजराज जैन भूतपूर्व सचिव थे, मालीराम भूतपूर्व सचिव थे, से लिखवाई हैं। भारत भूषण भूतपूर्व सचिव थे। एम. एल. कोठारी, जो यहाँ के डायरेक्टर, फाइनेन्स कमेटी के रह चुके हैं, से और कुछ ऐसे अध्यापक जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो रिटायर हो गये हैं उनसे लिखाई गयीं। इनके अलावा कोई इनको सारे देश अथवा राजस्थान में लेखक नहीं मिले। सारे ऐसे लोग हैं जिनका वहाँ से सम्बन्ध रहा है जो प्रशासन के आगे पीछे घूमने वाले हैं। आज इन पुस्तकों का जो परीक्षण हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के साथ धोखा होगा, राजस्थान की शिक्षा के साथ सबसे बड़ा डिसीव होगा, फरेब होगा। जो पुस्तकें अब परीक्षण में आई हैं और जो सूचनायें अजमेर में मुझ तक पहुँची हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर से आता हूँ। इससे भद्दी पुस्तकें शिक्षा के स्तर को गिराने वाली पुस्तकें नहीं है। इन लोगों ने कभी पुस्तकें नहीं लिखीं। इन लोगों ने कभी कोई लेखन कार्य नहीं किया। यह सब लोग किसी न किसी बहाने लाभ प्राप्ति के लिए यह चाहते है और चेयरमैन के आगे-पीछे घूम-घामकर इन्होंने सारी पुस्तकें लिखने का अधिकार ले लिया है। मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ, इसमें आपका क्या आधार है? मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ, वहाँ पर पक्षपात करके रॉयल्टी मिलती है उनको कुछ दाना-पानी चाहिए। इसके लिए राजस्थान के शिक्षा जगत के साथ धोखा करने की जो साजिश की है, आप स्पष्ट बताइये कि किस आधार पर क्या मापदण्ड और योग्यता थी। दो साल पहले जो सारे लेखकों के पते मँगाये थे और पंजीयन किया था उनमें से किसी से पुस्तक क्यों नहीं लिखवाई? माननीय सभापति महोदय, मैं इससे पहले की एक व्यवस्था और रख देना चाहता हूँ। यह व्यवस्था भी रखना इसलिए आवश्यक है आखिर कुछ परम्परायें, माननीय सभापति महोदय, होती हैं। पुस्तकें राष्ट्रीयकृत करने के पहले की बोर्ड की यह व्यवस्था थी कि बोर्ड पब्लिशर्स से एक बात कहता था कि हमने इन इन विषयों पर पुस्तकें प्रेस्क्राइब की हैं। स्लेबस बनता था, माननीय सभापति महोदय, स्लेबस बनने के बाद उस स्लेबस को पब्लिशर्स को भेजा जाता था, प्रकाशित किया जाता था, निविदा जारी की जाती थी कि हम इस इस विषय की इस इस स्लेबस की पुस्तकें छपवाना चाहते है। पब्लिशर्स एक-दो, चार, पाँच सारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

देश में से लेखकों का चयन करके उन लेखकों के आधार पर वह एक एक विषय की पांच-छः पुस्तकें बोर्ड को सबमिट करते थे। उसके बाद उनमें से पाठ्यक्रम समिति स्लेबस के आधार पर, केरीकुलम समिति स्लेबस के आधार पर परीक्षण करने के बाद और फिर बोर्ड में तीन-तीन परीक्षण करने के बाद चयन कर पुस्तक छपवाई जाती थी। वह एक क्रीम आती थी। वह एक अच्छी पुस्तक होती थी। ऐसी व्यवस्था को छोड़कर आज पिक एण्ड चूज़ करने का कोई न कोई आधार बताओ। एक इंस्टीट्यूशन है, करोड़ों रुपयों राजस्थान की जनता का उसमें लगा हुआ है। हर समय आप फीस बढ़ा देते हैं, एग्जामिनेशन की फीस बढ़ा देते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा वह है। आखिर हमको यह आधार मालूम पड़ना चाहिए, किस आधार पर आपने चयन किया है। अब मैं कुछ मुद्दे, माननीय सभापति महोदय, उठाऊंगा। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से उनका आज विधान सभा के सामने जवाब दें। यह इसलिए आवश्यक है, शिक्षा मंत्री जी ने एक बात स्वीकार की है कि यह पुस्तकें पिछले 9 साल से 12 साल से लगातार चली आ रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बोर्ड का इतिहास है जब से भी राष्ट्रीयकृत पुस्तकें छपवाना चालू हुआ कभी भी किसी भी साल 8 या 10 पुस्तकों से ज्यादा नहीं छपवाई। इसका कारण क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के अपने नियम हैं उन नियमों में जितनी पुस्तकें छपती हैं, एक पुस्तक पहली बार बोर्ड पूरी छपवाने के लिए कहता है, संख्या दे देता है कि यह सम्भावित छात्र हैं राजस्थान के, अगर संभावित छात्र उस पुस्तक के एक लाख है तो बोर्ड कहता है कि 70 प्रतिशत पुस्तकें छपवाइये। पहली बार वह पुस्तक छपवाने के बाद जब जब भी दूसरी बार वह पुस्तक छपवाई जाती है, माननीय सभापति महोदय, बोर्ड अपने डाइरेक्शन्स देता है कि छात्र संख्या इतनी है छात्र संख्या इतनी होने की वजह से आप 30 या 35 प्रतिशत पुस्तकें छपवाइये। क्यों छपवाइये? आपको तो मालूम है कि नहीं मुझे तो मालूम है क्योंकि मैं भी उस प्रक्रिया से गुजरा हूं, पुरानी पुस्तकें भी पुराने पुस्तक भण्डारों पर बिकती हैं, आपस में छात्र भी बेच देते हैं, यह बोर्ड की मान्यता है कि 70 प्रतिशत के करीब पुरानी पुस्तकें छात्र खरीदते हैं। पुस्तक भण्डार भी उनको इकट्ठा करते हैं। जो छात्र कक्षा पास कर लेते हैं उनके द्वारा वह खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप आठ दस नई पुस्तकें रख देते हैं। 216 और 217 आपने गिनाई वह कोई माने इसलिए नहीं रखते कि मुख्यतः आपकी 50-60 पुस्तकें है जो कि व्यापक स्तर पर सारे राजस्थान में चलती हैं। अब संस्कृत की पुस्तकें हजार हजार दो हजार मुश्किल से छपती होंगी। उर्दू की पुस्तकें हैं गुजराती की पुस्तकें हैं और इसी तरह उपाध्याय और प्रवेशिका की पुस्तकें हैं जो नहीं चलती हैं, उन सब को छोड़ दीजिए लेकिन मुख्यतः 55 या 60 पुस्तकें ऐसी हैं जो कि सारे राजस्थान में चलती हैं। उन 55–60 पुस्तकों में से

(श्री कैलाश मेघवाल)

पहली बार 44 पुस्तकें बिलकुल नयी छपवाई जा रही हैं। इसलिए होगा क्या, माननीय सभापति महोदय, मैं मूल्यांकन पर तो अब आऊंगा कि मूल्य क्या होंगे उनके होगा। यह इससे कि एक साथ हर विद्यार्थी को नयी पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। जिस विद्यार्थी का काम आज 100 रुपये में चल जाता है, जो गरीब विद्यार्थी पुरानी पुस्तकें 100 रुपये में खरीद कर अपने पढ़ने का काम चला लेता है उसको 500 रुपये में वह पुस्तकें खरीदकर पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए आज इस बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार 44 नयी पुस्तकें एक साथ लिखाई जा रही हैं।

अब दूसरे दिनांक 13-3-84 की, तारीख भी दूर नहीं, आप भी शायद मिली हों, डाक्टर माधुरी शाह यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की अध्यक्षा जयपुर पधारी। 13-2-84 को उन्होंने एक भाषण दिया। राज्य सरकार को एक सुझाव दिया कि दस जमा दो पद्धति में आपको क्या कहना है। इसको तुरन्त लागू कीजिए। तुरन्त लागू कीजिए यह निर्देश दिया, सुझाव समझ लीजिए, निर्देश तो नहीं दे सकतीं क्योंकि राजस्थान सरकार का अपना भी नजरिया भी हो सकता है। बधाई दूंगा माननीय शिक्षा मंत्राणी महोदया को कि उन्होंने बड़ी तत्परता से 13-4 के उस सुझाव पर चिन्तन करके उसके औचित्य को स्वीकार करते हुए इस बात को सही मानते हुए जो 15-3-84 को शिक्षा संघ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्रीमती कमला जी कर रही थीं, उन्होंने वहाँ कहा है कि दस जमा दो पद्धति को हम तुरन्त लागू कर रहे हैं और इसको क्रियान्वित किया जाना है। आज मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि यह मामला क्यों उठ रहा है? दस जमा दो पद्धति चालू हो जाने के बाद 11वीं की आप पुस्तकें छपवा रहे हैं, यह सब तो बेकार हो जायेंगी। आज यह स्पष्ट होना चाहिए कि पिछले नौ या दस साल से जो पुस्तकें चल रही हैं एक साल उनको और चलाने देते। आप निर्णय कर लीजिए। केवल एक साल के लिए ही आप कुछ लोगों को राहत देने के लिए अपने इस दुराग्रह पर दृढ़ हैं। आप यह बताइये कि दस जमा दो की जो शिक्षा पद्धति है उसके प्रति आपका क्या रुख है? आपने जिस मीटिंग का हवाला दिया उसमें कहा है, डाक्टर माधुरी शाह ने कहा है कि दस जमा दो की पद्धति लागू हो जानी चाहिए। अगर वह पद्धति लागू हो जायेगी तो यह 11वीं कक्षा के लिए जो पुस्तकें छपवाई जा रही हैं उनका क्या होगा?

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, इसका भी आप मुझे पाइन्टेडली जवाब दीजिए कि 12-2-84 को परीक्षा समिति की एक बैठक हुई। मुझे यह बात कहते हुए खुशी है कि उस परीक्षा समिति में जनता की, गरीब जनता की, राजस्थान की गरीब हिस्से की भावना को समझने वाले लोग थे। उन्होंने एक सिफारिश की, क्या सिफारिश की, माननीय सभापति, यह 9वीं और 10वीं सैकन्डरी की जो पुस्तकें छपती हैं, यह 9वीं और 10वीं की पुस्तकें एक साथ छपती हैं। नवीं में जो छात्र पुस्तक खरी-

(श्री कैलाश मेघवाल)

दता है दसवीं में भी पढ़ता है इसलिए इस परीक्षा समिति ने एक सिफारिश की कि 9वीं और 10वीं की पुस्तक है यह एक साथ छपने वाली हैं। इनको दो भागों में बांटा जाये। एक तो 9वीं के लिए छापी जाय और एक 10वीं के लिए छापी जाय। माननीय सभापति महोदय, इस परीक्षा समिति की सिफारिश बोर्ड की पिछली मीटिंग में प्रस्तुत हुई। अब प्रस्तुत होने के बाद उस पर क्या राय बनी है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि बोर्ड भी इस परीक्षा समिति की सिफारिश के औचित्य को मानता है कि यह सही है। दो लाभ होंगे परीक्षा समिति की सिफारिशों से, एक तो छात्रों के बस्तों का भार कम होगा। आजकल सारे राजस्थान में छात्रों के बस्तों का भार बढ़ा हुआ माना जा रहा है, बस्ता बड़ा लम्बा चौड़ा है। आपके भी छोटे-मोटे बच्चे, भाई बहिन पढ़ते होंगे। तो परीक्षा समिति ने यह कारण दिया है कि छात्रों के बस्तों का भार कम होगा और दूसरे दो साल की पुस्तक की ज्यादा कीमत होने की वजह से और बड़ी होने की वजह से एक बार में जो पुस्तक खरीदता है छात्र का अभिभावक उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो वह कम पैसे में एक साल में शिक्षा की पुस्तक खरीद कर सकेगा। यह दो दो साल की, इस सिफारिश के बारे में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मामला संक्षिप्त कर लेता हूँ मैं लेकिन इस मसले को जरा आप देखिये........

श्री सभापति : आप बोलिये लेकिन संक्षेप में बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा !

तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि परीक्षा समिति की यह जो सिफारिश हुई है इस सिफारिश के बारे में आपको क्या कहना है। जैसा आपने स्वीकार किया है पुराने स्टाक के बारे में एक बात कही, मैंने पुराने स्टाक का एक मसला उठाया है वह फिर उठाना चाहता हूँ आज। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा श्रीमती शिक्षा मंत्राणी से स्पष्ट जवाब चाहता हूँ कि यह दोगली नीति क्यों चल रही है ? क्या होता है यह मैं आपको बताऊँ। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मण्डल, जिसका नियन्त्रण भी शिक्षा मंत्री जी के पास है, के चेयरमैन भी शायद शिक्षा सचिव या राज्य सरकार के अधिकारी हैं। वह मण्डल एक से आठवीं तक की सब पुस्तकें छपवाता है। माननीय सभापति महोदय, यह पुस्तकें वह अपनी तरफ से छपवाता है और अपनी तरफ से पुस्तक भण्डार को विक्रय के लिए देता है। पिछली बार 1981-82 में छठी और सातवीं की अंग्रेजी की पुस्तक उन्होंने बदली और 1982-83 में बदल दी, परिवर्तित कर दी। पुरानी पुस्तकों को हटाकर नयी पुस्तकें छपवा लीं। छपवाने के बाद, माननीय सभापति महोदय, उन पुस्तकों को केवल 23 जिलों में बंटवाया। कितने जिलों में ? केवल 23 जिलों में। राजस्थान के अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और झुंझुनू इन चार जिलों में पुरानी पुस्तकें

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसलिए चलवाई कि स्टाक पड़ा है छपा हुआ, आखिर कागज लगता है एक पुस्तक की छपाई में, मेहनत भी लगती है पुस्तक की छपाई में, यह मेहनत और स्टाक बेकार नहीं जाये, यह राष्ट्रीय क्षति होगी, राष्ट्रीय क्षति नहीं तो पाठ्य पुस्तक मण्डल की क्षति होगी। नयी पुस्तकें सही ता थी किन्तु पुस्तकों के परिवर्तन में बहुत छोटे-मोटे संशोधन होते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। वह क्यों किया कि पुराना स्टाक खपत हो जाये। सभापति महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी पहली, दूसरी, तीसरी की हिन्दी की और अंग्रेजी की 8वीं की कुल 8 पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल नयी छपवा रहा है। नयी छपवाने के बाद राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल ने आदेश दे दिये हैं कि पुराना स्टाक किस किस विक्रेता के पास या हमारे किस किस एजेन्ट के पास पड़ा है उसकी सूचना लाओ। क्योंकि अब यह छपेंगी तो उस स्टाक की तो खपत पहले होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पिछले दस-बारह सालों से एक ही तरह की छपती आ रही है। इस तकनीकी बात की आड़ लेकर के एक करोड़ की पुस्तकें हैं, आपके गांवों में भी जो पुस्तक भण्डारों पर आदमी बैठे हैं दो सौ, चार सौ उसके पास होंगी। जो डूंगरपुर बारां में बैठा है, पांच सौ, चार सौ उसके पास भी होंगी। सारे राजस्थान में लगभग एक करोड़ रुपये की पुरानी पुस्तकों का भण्डार है जो कि इकट्ठा हो रहा है दस बारह साल से। एक साल का अनुबन्ध करते हैं। जो पुस्तक भण्डार एक साल के लिए 25 किताबें खरीद करके ले जाता है तो 25 नहीं बिकती हैं तो वह फेंक नहीं देता है बल्कि उनको पड़ी रहने देता है। जब दूसरी बार छात्र खरीदने आता है तो उसको वह बेचता है। यह एक स्थिति है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया जो कि पाठ्य पुस्तक मण्डल में है, ठीक बात है, सही बात है, आखिर एक करोड़ की किताबें है उनमें कागज लगा है जो कागज आपको मिल नहीं रहा है, उनमें पूंजी लगी है जो पूंजी राष्ट्रीय पूंजी है। उसको आपने छपवाया है और पुस्तक भण्डार वाले भी आपके सारे सिस्टम के एक अंग है, क्या आपने कभी इनसे पूछा है, क्या आपने यह सारा पब्लिशर्स से पूछा है? कभी उनको सूचित किया है? आप कहते हैं, हमारा कान्ट्रेक्ट है अथवा पब्लिशर्स से कान्ट्रेक्ट है। यह सही है, पब्लिशर्स अपनी रायल्टी ले लेते हैं। इस एक करोड़ की पुस्तकों के भण्डारों का क्या होगा, माननीय सभापति महोदय? उस पृष्ठ भूमि में यहां व्यवस्था है कि इस तरह का स्टाक खपत करवाया जाना चाना चाहिये। यह मैंने आपसे इसलिये कहा कि पाठ्य पुस्तक मण्डल व्यापारिक संस्थान जो राज्य सरकार का है, उसमें अगर आप यह नीति अपना रहे हैं तो जो छोटे-छोटे गरीब पुस्तक भण्डार गांवों में बैठे हैं, जिनके पास अलग-अलग स्टाक है, बड़े भण्डारों के पास बड़ा स्टाक होगा, उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? यह मैंने आपको इसलिये निवेदन किया, माननीय सभापति महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह हालात मैंने आपके सामने रखे हैं।

अब प्रश्न आया मूल्य का। मुझे अफसोस है, इस विधान सभा के सामने एक ऐसा वक्तव्य दिया गया जिसका कोई आधार नहीं है। अफसोस इसलिये है, माननीय सभापति महोदय, आपने सुना होगा, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज यह कहना चाहती हैं कि वास्तविक छपाई पर एक तिहाई पृष्ठ रह जायेंगे। क्या कहा है? वास्तविक छपाई पर एक तिहाई पृष्ठ कम हो जायेंगे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। वह पृष्ठ कम हो जायेंगे और इसलिये पुस्तकों का मूल्य कम हो जायगा। क्या कर रहे हैं आपके यह अधिकारी? आपके यहा तो सारी मशीनरी है। क्या कर रहे हैं आपके ये विशेषज्ञ? क्या कर रहे हैं आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी? जिनको यह मालूम नहीं पड़ा कि यह पाण्डुलिपि कितने पृष्ठों में छपेगी। मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। यह तो आपने यह कहा कि एक तिहाई पृष्ठ कम हो जायेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस पाण्डुलिपि के एक तिहाई पृष्ठ ज्यादा हो गये, एक चौथाई पृष्ठ ज्यादा हो गये तो कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं? आखिर एक बात मैंने विधान सभा में रखी है, उम्मीद मैं यह करता था कि शिक्षा मंत्री जी उस बात को सही ढंग से सोचेंगी, उस बात पर मनन करेंगी, विधान सभा के सामने तथ्य रखेंगी लेकिन कुछ किताबों के आंकड़े दे दिये क्योंकि ऐसा गोरखधन्धा इन्होंने पैदा कर दिया है, मेरा तो सवाल था 44 पुस्तकों का। माननीय सभापति महोदय, इन 44 में से 10 तो वह हैं जो बोर्ड छपवा रहा है और 34 वह हैं जो प्राइवेट पुस्तक वालों से छपवाई जा रही हैं। अब एक 20 और ले आईं बीच में कि यह भी हम छपवा रहे हैं और इनकी भी कीमतें तो बढ़ेंगी! क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हम कन्ट्रोल का कागज नहीं दे सके। सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान गरीब है, राजस्थान में शिक्षा पाने वाले गरीब छात्र हैं ड्राप आउट्स भी आपसे छिपे नहीं हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से छात्र विद्यालयों में नहीं जा पाता। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं इन पुस्तकों की कीमतें न बढ़ें। आप यह कहती हैं हमने कागज के लिये प्रयत्न किये। आप कहती है कि प्रयत्न किये कागज के लिये और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रयत्न किये नहीं, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक आपको 556 टन कागज अलाट कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से, यह पूछें अपने अधिकारियों से, यह पूछें अपने मांध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से, यह कागज, जो 556 टन आपको अलाट हो चुका है, कब-कब अलाट हुआ? उसमें से अभी तक, माननीय सभापति महोदय, 89 टन कागज प्राप्त हुआ है। उस 89 टन पर अभी दस पुस्तकें बोर्ड छपवा रहा है। उस 89 टन पर बोर्ड जो सीधे पुस्तकें छपवा रहा है, बाकी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है। वह दस पुस्तकें छापता रहा है जो तालिका आठ की आज आप दे रहे हैं मैंने तो उसमें यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहा है, मैंने उदाहरण दिये हैं, आपने उसी तालिका को आधार बना लिया है। आप मेरा स्थगन प्रस्ताव पढ़ लीजिये, वह सीधे का सीधा आपके पास आया है, तकनीकी आड़ में मत जाइये, मत जाइये। मैंने स्पष्ट लिखा है, जिसके उदाहरण यह हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके अनुसार जो पुस्तक आज जिस भाव में बिक रही है वही पुस्तक तीन गुना भाव में बिकेगी कि नहीं ? आप सीधे-सीधे जवाब दीजिये, जो दरें आज हैं उन दरों के आधार पर करिये। छपने के बाद कीमत ज्यादा होगी, या कम होगी, जब यह स्थगन प्रस्ताव आया तब आपके अधिकारियों को चेत आया कि यह क्या हो रहा है, हम इससे बचें कैसे ? सभापति महोदय, आज आसन पर आप विराजे हैं, आपका यह निर्णय राजस्थान की शिक्षा को बहुत अधिक रूप से प्रभावित करने वाला है। इसके दूसरे कारण भी हैं, शिक्षा मन्त्री जी बहुत नाराज हैं कुंजी बेचने वालों से मैं भी नाराज हूं और सारा राजस्थान नाराज है। शिक्षा की मौलिकता में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुंजी से नाराज है। होगा क्या, माननीय सभापति महोदय, 15 जून तक इनको पहला लाट छपाई का मिल जाना चाहिये। सबसे बड़ी एक किताब है सामान्य विज्ञान की, जो छपेगी कोई डेढ़ दो लाख में, उस किताब के आर्डर इन्होंने अभी तक नहीं दिये। 25 लाख की छपेगी; अभी तक टेन्डर भी एप्रूव नहीं कर सके। अब उसका यह क्या करने वाले हैं ? कुछ अन्दर की तालमेल है उस पर तो बाद में बोलूंगा क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है, अजमेर का होने की वजह से मुझे सब मालूम पड़ रहा है। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह आपकी पुस्तकें टाइम पर छपेंगी नहीं। एक जुलाई से सत्र चालू होगा और यह आपके न्यूज प्रिन्ट पर छपेंगी जो बाजार का कागज है। बाजार के कागज और कन्ट्रोल के कागज के फर्क को समझना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, कन्ट्रोल के कागज का कुछ रंग ऐसा होता है कि तुरन्त पहचाना जाता है। बाजार का कागज जिस मेक का है, अलग-अलग कम्पनियां बनाती हैं, उसको पहचाना नहीं जा सकता, किस कम्पनी का कौनसा है। होगा क्या, आप सुन लीजिये, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, हो सकता है अगली बार विधान सभा का सत्र हो, उस सत्र में आपसे पूछूंगा। एक जुलाई तक एक पुस्तक छाप कर आपका कोई पब्लिशर नहीं दे सकता। होगा क्या ? उसकी पांडुलिपि या उसका प्रूफ है वह चुरा लिया जायगा और उसके आधार पर कुंजियां लिखी जायेंगी। जब मौलिक छपी हुई पुस्तक नहीं मिलेगी तो सारे राजस्थान में विद्यार्थी कुंजियां पढ़ेंगे जिन कुंजियों की आप सबसे बड़ी शत्रु है। न केवल यह होगा, माननीय सभापति महोदय, यह पब्लिशर्स बड़े तेज होते हैं, एक पांडुलिपि चुराई, कितने की बिकने वाली है ?25 लाख की। दिल्ली में छपेगी और पुस्तक भण्डारों पर आयगी बिना रायल्टी के। ·25 पर्सेन्ट की रायल्टी का लाभ होगा। सब तरफ आपके दरवाजे खुले हुए हैं भ्रष्टाचार के। नकली पुस्तकें छपेंगी। आप नहीं पहचान सकते, यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

नकली पुस्तकें किस कागज पर छप रही हैं। पब्लिशर के कागज पर छपाई है वह पुस्तक है या नकली छप कर आयी है वह पुस्तक। उसमें राज्य सरकार को भी लास होगा। तो मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, मैंने तीन मुद्दे तो पहले रखे हैं; नौ से बारह साल तक जो व्यवस्था चल रही थी, आप कागज का इन्तजाम नहीं कर सके हो। अगर आप कागज का इन्तजाम नहीं कर सके तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कागज का इन्तजाम होने तक क्या एक साल के लिये नहीं टाला जा सकता? यह जितना कागज आपको अभी तक अलाट हुआ है और आगे होने और वाला है, अगर यह कागज अलाट हो जाता है, एक साल के लिये इस को स्थगित कर दीजिये, सारी गड़बड़िया कुछ लोगों को लाभ देने के लिए, कुछ प्रकाशकों को लाभ देने के लिये, राजस्थान की शिक्षा में अराजकता पैदा करने के लिये की जा रही हैं, यह सारी गड़बड़िया समाप्त हो जायेंगी माननीय सभापति महोदय। और मैं प्रामाणिकता से कहता हूं कि आज तक एक पांडुलिपि एक नई पुस्तक की नहीं गई। वह पुरानी गई है 20, नया संस्करण 84 का छपवा रहे हैं उसकी गई है, जो 20 या 30 प्रतिशत छपेंगी, ज्यादा नहीं छपेंगी। नई छपने वाली पुस्तकों की एक पाण्डुलिपि नहीं गई तो रोकिये इस निर्णय को। 556 टन कागज आपको अलाट हो चुका है उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिये। थोड़ा और कीजिये, राजस्थान के शिक्षा जगत पर पड़ने वाले इस भार को आप कम कर दीजिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन यही है, मूल्यों के गोरख धन्धे पर तो भले ही मैं आपके साथ बैठ कर डिस्कस करने को तैयार हूं। इसमें आपको पूरी तरह से भ्रमित किया गया है। आपकी समझ में आया या नहीं आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं समझता हूं वह इतना टैक्निकल और इतने बड़े आंकड़ों वाला है, अगर मैं यहां उसमें उलझ गया तो आप भी समय नहीं देंगे और उसको यहां समझाने में भी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि वह टेबल पर आंकड़ों का मामला है। इसलिये एक तिहाई हो जायगी, दो तिहाई हो जायगी अलग से लीजिये, इसका यह हो जायगा, यह दस हमने लिखी है इसका यह हो जायगा, यह पृष्ठ यों बढ़ जायेंगे, ये पृष्ठ यों घट जायेंगे। वह लम्बा चौड़ा मेरे पास सारा है। किन्तु मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। आप भी समय के लिये वह कर रहे हैं। तो मेरे इन मुद्दों का जवाब दे दीजिये और इन जवाबों के आधार पर इन्डिपेन्डेंट निर्णय लीजिये। स्वायत्तशासी संस्थाओं के नाम पर मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। राजस्थान के गरीब विद्यार्थियों को महंगी पुस्तकें खरीदने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कहते हैं कि रायल्टी से भार नहीं पड़ेगा।

(व्यवधान)

(श्री कैलाश मेघवाल)

नहीं मैं कीमतों का तो उसमें कहूंगा। 25 प्रतिशत रायल्टी ले रहे हैं और, माननीय सभापति महोदय, इन पुस्तकों से करीब 60 लाख की रायल्टी प्राप्त करेंगे। और उस 60 लाख से अपने खर्चे बढ़ायेगा। इस बोर्ड में तो जब भी कमी पड़ती है यह अपने यहां मांगने नहीं आता, आपको देना हो तो दे दो। परीक्षा फार्म की फीस बढ़ा दी, और कुछ कर दिया, और कुछ कर दिया। सारे देश में मेरी चुनौती है, राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत की रायल्टी लगा रखी है वहां सरकार की तरफ से पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है, मुझे एक भी बता दें जहां कहीं 10 प्रतिशत से ज्यादा रायल्टी सारे देश में ली जा रही हो? क्या मजाक है? इतना बड़ा निर्णय ले लिया। यह निर्णय लिया जाय, ज्यादा पुस्तकें छपेंगी, ज्यादा आमद नहीं चाहिये, नो प्राफिट नो लाभ के आधार पर चलिये, रायल्टी को कम कीजिये। बोर्ड क्या कर रहा है। यह कह कर नहीं चला जा सकता कि साहब, दस साल पहले एक निर्णय गलत हो गया तो इस साल नहीं सुधारना चाहिए। बोर्ड का कहना है, जैसा मुझे मालूम पड़ा आठ दस लाख की रायल्टी हमें आती है पुस्तकों से, आठ दस लाख की रायल्टी आगे भी मिलनी चाहिए। आमद क्यों करना चाहता है बोर्ड? 50-60 लाख की रायल्टी क्यों लेना चाहता है बोर्ड? इस रायल्टी को भी कम करने की घोषणा कीजिये और यही रायल्टी है, जो आपके अच्छे उद्देश्य हैं कि मौलिक किताब पढ़ें, कुंजियां नहीं पढ़ें और नकली किताबें छपकर नहीं आयें। नकली किताब छप कर आयेंगी तो बोर्ड को बहुत बड़ा घाटा होगा लेकिन बोर्ड के अधिकारी, ये बोर्ड के सेवा निवृत अधिकारी कागज वालों से मिल कर प्रकाशकों से मिल कर यह सारा षड्यन्त्र कर रहे हैं। इसलिये, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए और राजस्थान के शिक्षा जगत को एक जुलाई का अराजकता में जाने से रोकिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जुलाई को जब सत्र प्रारम्भ होगा राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र अराजकता के अंधेरे में धकेल दिया जायगा, उसको रोकिये। इस सारी समस्या को समझिये।

श्री सभापति : शिक्षा मन्त्री जी।

श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आभार मानती हूं कि उन्होंने बहुत ही उपयोगी और आवश्यक सवाल पूछकर सारे मुद्दों पर प्रकाश भी डाला है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। जैसी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है मैं उसके मुताबिक उनको आमन्त्रण भी देना चाहती हूं कि इस थोड़े समय की बहस में समय नहीं मिला और कुछ और मुद्दे भी वह बताना चाहें तो वह जरूर मुझसे मिलें, और जो कोई भी स्थिति सामने आयगी उसके गुण अवगुण के आधार पर हम आवश्यक रूप से कार्यवाही करेंगे। सबसे पहले जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया, और उठाना भी वही सबसे पहले चाहिए था क्योंकि आधार भी वही है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने भी माध्यमिक बोर्ड के अधि-

(श्रीमती कमला)

कारीगण और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण से चर्चा के दौरान उस मुद्दे को पूछा और उसके मुताबिक मैंने उसके सम्बन्ध में आदेश भी प्रसारित किये है। माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या ये पुस्तकों के बदली करने की, नयी लिखाने की, कौन लेखक लगाये जाय, उनकी समितियों ने सिफारिशें की है। एकाध समिति पूरी ने बैठक में सिफारिश जरूर की है लेकिन आम तौर पर समिति ने, कुल ने बैठक करके सिफारिशें नहीं करके उसमें जो उसके कन्वीनर है, संयोजक, उन्होंने उसकी सिफारिशें की हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैंने 2-3 आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये हैं। एक वह भी आदेश है जिसके बारे में माननीय सदस्य जो मूल आधार है उसको कहना भूल गये कि समिति खुद के गठन के बारे में कोई आधार होना चाहिए। वह आधार अभी जो हमारे नियम उप-नियम हैं बोर्ड के, उसके अन्दर नहीं है। समिति में कौन कौन सदस्य किस किस प्रकार से रखे जायेंगे और समिति किन किन आधारों पर किन किन की सिफारिश करेगी और रिव्यू करने वालों को किन किन आधारों पर किस किस प्रकार से रखा जा सकेगा, इन तीनों के बारे में मैंने स्पष्ट आदेश जारी किये है और उसमें सबसे पहले आदेश जो कमेटी के बनाने के बारे में दिये हैं वह यह है कि बोर्ड जब कभी भी कमेटी बनायगा उसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उत्तम और श्रेष्ठ पुरस्कृत अध्यापकों को, जो अच्छे लेखक विद्वानजन हैं उनको और जितने भी अवार्डीज हैं उनको और जो भी पुस्तक लिखने के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त-स्तर के अच्छे क्वालिफाइड लोग और अनुभवी लोग हैं, इस तरह के क्राइटेरियाज उनके अपाइन्टमेन्ट के लिए बनाये जायं। दूसरे, जिन गाइड लाइन्स को तैयार करने के लिए बाध्य होंगे या जिनको मानने के लिए बाध्य होंगे वह यह है कि जब कभी भी पाठ्यक्रम को बदलने के लिए, पठ्यक्रम की पुस्तकों और लेखकों को सजेस्ट करने के लिए कोई भी कार्यवाही की जायगी तो अकेले संयोजक नहीं, पूरी समिति की बैठक होगी और पूरी समिति अपना निर्णय बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेगी। इसी तरह से जो पुस्तकें लिख कर के आती हैं, राष्ट्रीयकृत पुस्तकें, उसके बाद में उनका रिव्यू कराया जाता है ऐसे लोगों से जिनके नाम खोले नहीं जाते लेकिन जिनको कहा जाता है कि आप देख कर बतायें कि जिस सिलेबस के अनुसार जिस सब्जेक्ट मैटर के साथ हमने इनसे लिखने के लिए कहा था उसमें कोई कमी-खामी रह गयी या सही है। तो उनके रिव्यू करने वालों का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। चेयरमैन अपने स्तर पर उनको अपाइंन्ट करते हैं। तो इसलिए उनके क्राइटेरिया के लिए भी हमने इसी तरह से गाइड लाइन्स जारी की हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर उनको यह भी डायरेक्शन दिये गये हैं कि आइन्दा से समिति के सदस्य या रिश्तेदारों से बोर्ड पुस्तकें नहीं लिखवाये। और अगर कोई सदस्य बहुत अच्छे लेखक हैं तो उनको समिति से बाहर रखें। यह दोनों का विरोधाभास मिट जाय क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग हमारी समिति में भी आयें और अच्छे से अच्छे लेखक लिखने वाले भी चयनित हों, लेकिन यह भी नहीं हो कि कमेटी के सदस्य ही सब लिखने लग जायं।

(श्रीमती कमला)

इस तरह की स्थिति न हो, इसको भी ध्यान में रखा जाय। इस तरह के डायरेक्शन्स के मुताबिक आगे से कार्यवाही की जाय। यह 3-4 जो जरूरी मुद्दे हैं इनके बारे में मैंने आदेश जारी किये हैं और उनको पाबन्द किया है। माननीय सभापति महोदय, दरअसल हमारी जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं इनको इन मूलभूत मुद्दों के ऊपर सरकार को पूर्व में अवगत करके उसकी सलाह से यह सारे कार्य करने चाहिए, लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो अधिकार हैं उनका प्रयोग करते हुए, और एक निर्देश जो राज्य सरकार का 1980 में दिया जा चुका था कि आप राष्ट्रीयकरण की दिशा में तेजी से बढ़ें और अभी तक आपने 72 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत की हैं और आपकी जो अभिशंसित या प्रस्तावित पुस्तकें हैं वह 216 के करीब हैं, इसलिए आप गति के साथ इनके राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ें। तो उन आधारों को लेकर इन्होंने इस साल में व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को हाथ में लेने का काम किया और कुछ स्टेजेज पर जब राज्य सरकार को इसकी जानकारी हुई और कुछ सदस्यों ने भी लिख कर दिया और मुझे भी पता लगा, अखबारों में भी आया तो मैंने बोर्ड और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा की और उनसे यह सारा डिटेल में मालूम किया क्योंकि अत्यन्त आवश्यकता इस स्थिति में यह पैदा हुई है कि हम इतने बड़े पैमाने पर इनको रीराइट करायें या नयी पुस्तकें इन्ट्रोड्यूज करें या राष्ट्रीयकृत करें। तो उस दिशा में जो स्थिति थी वह तो मैंने अपने वक्तव्य में पहले बतायी है। लेकिन जो पहला सवाल आपने किया उसके बारे में मैंने यह निर्देश जारी किये हैं। और जो भी आवश्यक हो चर्चा के दौरान, आप ही नहीं मैं सभी सदस्यों को आमन्त्रित करती हूं कि उनको भी इस बारे में जो सुझाव देने हों, इसको रोकने के लिए कि कोई गलत काम न हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। आपने यह कहा है कि 10 पुस्तकें बोर्ड खुद ही छपवायगा, खुद ही वितरित करेगा, मतलब समग्र राष्ट्रीयकृत की जो प्रक्रिया है वह सारी बोर्ड ही करेगा 10 पुस्तकों के बाबत में, लेकिन उसके आदेश व्यक्तिगत प्रकाशकों या मुद्रकों को दिये जा चुके है, ऐसी आपने मुझे जानकारी दी है। यदि ऐसा हुआ है; क्योंकि मुझे बोर्ड ने और विभाग ने यह सूचना कई बार पूछने और क्वेरीज और क्रास क्वेश्चनिंग करने के बाद में जो दी है उसके बावजूद अगर यह गलत निकलती है तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपको और सदन को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि इस प्रकार गलत सूचना के लिए मैं उन समस्त अधिकारियों के खिलाफ, सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगी।

आपने एक सवाल यह भी पूछा कि जो लेखकों का चयन किया है, जैसा मैंने कहा वह तो आधार इन्होंने नहीं बनाया, मैंने डायरेक्शन्स दिये हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों के नाम आपने पढ़ कर सुनाये और यह कहा कि कुल मिलाकर या तो कोई भूतपूर्व सदस्य थे बोर्ड के या समिति के कोई सदस्य हैं उनको यह सारा काम दे दिया गया है, बाकी किसी को भी नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं

(श्रीमती कमला)

है। मैं माननीय सदस्य से भी यह कहना चाहती हूं कि वह भी अपनी सूचना को थोड़ा सही कर लें। 96 लेखकों को इन किताबों के लिखने का काम दिया गया जिसमें कुछ सामूहिक रूप से 2-3 लेखक इकट्ठे होकर लिख रहे हैं कुछ अलग लिख रहे हैं। इन 96 लेखकों में से कुल 17 सदस्य समिति के हैं बाकी सब के सब या तो विश्वविद्यालय स्तर के से पी० एच० डी० प्रोफेसर वगैरह जो काम रहे हैं वह हैं या शिक्षा विभाग के अच्छे वरिष्ठ लेखक, अध्यापकगण हैं या कुछ बाहरी जगत के अच्छे शिक्षाविद् लोग हैं। इन 17 सदस्यों के बारे में भी जैसा मैंने आपसे कहा, उनसे कहा है कि आगामी समय में यह भी देखें कि अगर इस तरह की बात आगे पैदा न हो तो अच्छा है। लेकिन सदस्य अच्छे हैं और लेखक भी अच्छे हों। इस उपलब्धि में हमारी कमी न होनी चाहिए। फिर भी गलतियां हम निकाल सकें, ऐसे कुछ उपाय हमको करने चाहिए।

फिर आपने यह कहा कि पहले जो राष्ट्रीयकरण के अलावा नीति थी उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से स्लेबस देते थे। हमारी मर्यादा कैसी होनी चाहिए, कितने पृष्ठ होने चाहिए, कितना मुद्रण हो, कैसा सब्जेक्ट हो, क्या-क्या चीजें हों, हम सारी डिटेल्स देकर खुले रूप से कहते थे कि जो भी अपनी इस बारे में पुस्तकें लिख कर लायगा उसका कमेटी चयन करके उन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल कर देगी। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य यह है कि हम खुले बाजार से उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकें न लेते हुए अपने स्लेबस और डायरेक्शन के मुताबिक कुछ चुने हुए अच्छे बढ़िया लेखकों से ये पुस्तकें लिखवायें और फिर उनकी जांच करवायें, जो हमने कहा उसके मुताबिक तैयार की या नहीं की, और उनकी गलतियां निकाल कर फिर उनको वापस सही करवा कर हमारे उद्देश्य और इच्छा के मुताबिक या लक्ष्य के मुताबिक उसको तैयार करा कर फिर उनको पाठ्यपुस्तकों में डालें बजाय इसके कि वह जैसी भी तैयार करके लायें, जो जैसी भी पुस्तक तैयार करके लावें उसी में से छांट कर अच्छी या बुरी हो लागू कर दें। उसकी बजाय राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह है कि हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने विचार और अपनी मर्यादा के मुताबिक उसको तैयार करवायें और आखिरी वक्त तक उसको देख कर, संशोधन करवा कर, बाकायदा अप्रूव करके फिर उनको छपवा-कर शामिल करें। इसलिए पहले वाले में तो यह खूबी थी कि बहुत बड़ा वाइड स्कोप मिलता था कि आप उसमें से चयन करें। उसकी तो यह खूबी थी लेकिन इसकी यह खूबी है कि वह जैसा भी लिख लावे वैसा का वैसा आप शामिल करने के लिए मजबूर नहीं हो सकते। आप जैसा शामिल कराना चाहते हैं वैसा ही शामिल होगा। अन्यथा जैसा वह लिख कर ले आए, मजबूरी में उसको आप शामिल करें, यह नहीं होगा। यह राष्ट्रीयकरण की अपनी एक खूबी है। इसलिए राष्ट्रीयकरण का आम तौर पर सारे देश भर में ए. सी. ई. आर. टी. स्तर पर भी, भारत सरकार के

(श्रीमती कमला)

स्तर पर भी. दूसरे राज्यों में राष्ट्रीयकरण किए जाने का एक आम तौर पर मान्यता प्राप्त फार्मूला बना हुआ है। एन सी. ई. आर. टी. ने तो अपने भारत सरकार के स्तर की तमाम पुस्तकें समग्र राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम अपना रखा है यानि लेखन, मुद्रण और वितरण। ये तमाम स्टेजेज पर एन सी. ई.आर.टी. अपना काम करती है और उसी संदर्भ में उन्होंने और राज्यों से भी चाहा। इसीलिए 1963 से हमारे इस बोर्ड ने भी यह नीति अपनाई कि हम भी तेजी से अपने राष्ट्रीयकरण के इस कार्यक्रम को करें। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि इसको शनैः शनैः ही करना चाहिए। जल्दी नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके करना चाहिए। इसकी क्रियान्विति में कहीं कोई गलतियां हों तो उसको जरूर हमको देखने का है। फिर आपने एक बात यह कही है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाकी जैसा आप कह रहे हैं कि पहले के वर्षों में थोड़ा-थोड़ा करके 72 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हुई। कभी किसी साल में छः, कभी किसी साल में सात, किसी साल में 12, इस तरह से दो पाँच कर दीं। इस साल में जो ज्यादा राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हैं वह तो हैं 15 और बाकी जो 29 पुस्तकें हैं उनमें बीस तो राष्ट्रीयकृत पुरानी पुस्तकें है और जो बाकी हैं उनमें कुछ नये हमको स्लेवस डालने पड़े थे। जैसी आप सभी माननीय सदस्यों की, समय-समय पर शिक्षा सम्मेलनों की, माननीय प्रधान मंत्रीजी की और देश के आम शिक्षाविदों की जो राय है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो आज हमारी शिक्षा प्रणाली में होने आवश्यक हैं लेकिन कतई तौर पर उनका कहीं कोई समावेश नहीं है इसलिए उनको डालना जरूरी है। जैसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से बच्चों के जहन में, उनके संस्कारों में डाला जाय. इस तरह का विषय उसमें डालना चाहिए। इसी तरह से पर्यावरण के साथ में व्यक्ति जीना सीखे। पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखे और जैसी प्रकृति बनाई है उसको कायम रखने में उसकी रुचि हो. यह देखे। स्वतंत्रता कैसे आई, कैसे बलिदान हुए, उसको रखना कितना बड़ा हमारा फर्ज है, यह उनको मालूम हो। इसी प्रकार से और कुछ ऐसे छोटे उद्योगों का है. स्वास्थ्य का है। कई ऐसे मुद्दे हैं नये तरीके से जिनको बच्चों को देना जरूरी है। उसके दृष्टिकोण से कुछ पुस्तकें हैं उनके अन्दर नये पाठ डालने जरूरी थे, इसलिए कुछ पुस्तकें उसके अन्दर बदली गई हैं। तो इसलिए ज्यादा संख्या इस प्रकार बन गई है कि जो कि लाजिमी हो गई। क्योंकि पिछले दस बारह वर्षों से हम कुछ कर नहीं रहे थे इस उम्मीद में कि शायद हमारी वोकेशनल प्रणाली की तरफ हम जावें तो उसी प्रकार का हमको बनाना पड़े। पिछले कुछ वर्षों से दस जमा दो पद्धति सारे देश भर में हुई है और हम भी बराबर पिछले सालों से इस बात की चेष्टा में हैं कि सारे देश की आम धारा के अन्दर हमारा राज्य भी अगर सम्मिलित नहीं होगा तो बच्चों को नुकसान होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम भी उस प्रक्रिया को अपनायें। इसलिए

(श्रीमती कमला)

पुस्तकों को हम रोकते गये कि अभी ठहरो, अगले साल करेंगे। अभी ठहरो, अगले साल करेंगे। इसलिए कुछ पुस्तकों को नौ साल हो गए, किसी को बारह साल हो गये, किसी को पन्द्रह साल हो गये लेकिन इस वर्ष हमने जो यह परिवर्तन किया है, इसमें 29-30 पुस्तकें तो ऐसी हैं जिनको इस दृष्टिकोण से ही परिवर्तित किया है कि हमने दसजमा दो का मंत्रिमण्डल को एक ज्ञापन तैयार करके दिया है और अभी यह मंत्रिमण्डल के अन्दर आयेगा। उसमें हमने बहुत मिनिमय फार्मूले के साथ में जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति से तालमेल खाते हुए वह इसको स्वीकृत करने की स्थिति में हो सके, तो हमने वह ज्ञापन दिया है। हमारे यहां भी अगर जल्दी से जल्दी दस जमा दो की पद्धति राज्य सरकार स्वीकृत कर दे तो हम उसको शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, दो तीन मुद्दे इस प्रकार के हमारे सामने आ चुके हैं कि भारत सरकार ने टेलेंट सर्च के दौरान में हमको चिट्ठी लिख कर भेज दी कि आपके राज्य में चूंकि दस जमा दो पद्धति आपने अभी लागू नहीं की है इसलिए आपके यहां पर यह प्रदान नहीं किया जाएगा। आपके यहां पर दस जमा दो पद्धति नहीं है इसलिए कम्प्यूटर की ट्रेनिंग का प्रबन्ध आपके यहां नहीं किया जाएगा। इस तरह की कई चिट्ठियां आई हैं और मैंने बहुत ही प्रभावी ढंग से लिख कर भेजा है, खास पर्सनली भी, मंत्री महोदया, जो भारत सरकार की हैं उनसे कहा है कि बच्चों के ऊपर इसका आघात नहीं होना चाहिए। बच्चों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि अगर किसी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एकदम से टैन प्लस टू पर जाने की नहीं है तो उनके बच्चों की इसी कारण से किसी काम से मना कर दिया जावे। टेलेंट सर्च के अन्दर मुझे गर्व के साथ कहने में खुशी होती है कि टेलेंट सर्च के अन्दर राजस्थान का सबसे बड़ा नम्बर जो है बच्चों का नेशनल स्तर पर आता है, उनको अवार्ड मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो आम राष्ट्रीय धारा से जब अलग हो जाते हैं तो हमको तकलीफ होने वाली है। यह भी हमने उनको लिखा है कि हम भी अपनी सरकार से बहुत पुरजोर अपील कर रहे हैं, लिख कर भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर विचार करें कि बच्चों को किस प्रकार से आम राष्ट्रीय धारा से अलगाव होने की, नुकसान होने की स्थिति पैदा नहीं हो। इसी दृष्टिकोण से बहुत सारी पुस्तकें इस तरह से परिवर्तित की गई कि कल को अगर टेन प्लस टू भी आवे तो उनको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टेन प्लस टू में आम तौर पर प्रावधान हैं वही इन पुस्तकों के अन्दर हमने किये हैं।

इसके बाद में आपने यह कहा है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल ने कोई एक करोड़ रुपये की पुस्तकें छपवाई। उन एक करोड़ रुपयों की पुस्तकों में से कुछ को तो कुछ ज़िलों में बांट दिया, बाकी पुस्तकों का क्या हुआ कुछ पता नहीं। उन पुस्तकों में से कहां-कहां कितनी पुस्तकें पड़ी रहीं हैं, क्यों छपवाई

(श्रीमती कमला)

गई थीं, क्यों नहीं बंटीं। यह, माननीय सभापति महोदय, अचानक माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात कही है जिसका मेरे पास में तुरन्त ही पूरा विश्लेषण नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बारे में पूरी जाँच पड़ताल करके जो भी स्थिति होगी वह आपको अवगत कराऊँगी, जो कार्यवाही की जावेगी उससे भी आपको अवगत कराऊँगी।

माननीय सदस्य ने एक सवाल यह भी रखा कि आपने अपने बयान में यह कहा है कि जब अंतिम प्रकाशन होगा उस वक्त सम्भवतः पुस्तकों की पृष्ठ संख्या कम हो जावे, शायद उसकी रेट कम हो सकती है। दूसरी तरफ आपने यह कहा कि क्या क्यों यह जरूरी है कि कम हो। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जावे। दो पेज ज्यादा भी हो जावें। यह अप्रूवल करने के ऊपर निर्भर है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आपके स्थगन प्रस्ताव से और समाचार पत्रों में आने से मैंने उन सब को बुला कर बातचीत की, उनको कुछ डायरेक्शन दिए। उसके दिशा निर्देश से बहुत कुछ उनको इस बात में सम्भल करके चलने की जरूरत पड़ेगी कि वह बच्चों के ऊपर इस प्रकार का भार न डालें और किसी भी प्रकार से बच्चों को पुस्तकें खरीदते समय में पूर्व से ज्यादा पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े। यह उनको आम तौर पर हिदायत भी की गई है। इसलिए ज्यादा होने का सवाल पैदा नहीं होगा, कमी ही चाहे होगी।

एक बड़ी बात जो आपने कही कि कण्ट्रोल का कागज आप उपलब्ध नहीं करा सके। माननीय सभापति महोदय, इसमें दरअसल में राज्य सरकार के स्तर पर कोशिश किए जाने के बावजूद हम बहुत घाटे में हैं और बहुत नुकसान हमको इससे हो भी रहा है। हमने अपने स्तर पर एडवांसेज भी जमा कराये, फैक्ट्रीज के अन्दर हमने लगातार प्रतिनिधि, व्यक्तिशः भी प्रभाव डलवाये, भारत सरकार से भी कहा उसके बावजूद जितना हमको अलाटमेंट भारत सरकार करती है उतना भी फैक्ट्रीज हमको दे नहीं रही हैं। देने में कोई न कोई बहाना लगाती हैं, कभी कहती हैं कि तारीख निकल गई। हम कहते हैं कि यह तो तारीख है, कैसे निकल गई। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यह तारीख मौजूद है तो आप उस तारीख को आ जाइये। फिर और कुछ बहाना लगाते हैं। उनको देने के लिए भारत सरकार को भी हम और तौर तरीकों से भी अवगत कराते रहे हैं। हम हाइएस्ट लेवल पर भी लिखा पढ़ी करते रहे हैं, और भी चेष्टा करेंगे लेकिन यह वस्तुः स्थिति सही है। राज्य सरकार इस मामले में कुछ कमजोरी में रही है कि उनको अगर कंट्रोल का कागज मिलता तो आज परिवर्तन करने के बावजूद भी भारी रिड्यूस्ड रेट पर हम बच्चों को पुस्तकें दे सकते थे। इसके लिये राज्य सरकार तो दोषी है ही लेकिन भारत सरकार को भी इसके बारे में अपनी स्थिति से अवगत कराया है कि आपके ऐसा न करने से आज हमारे बच्चों को, अभिभावकों को और परिवारों को इस महंगाई में काफी दिक्कत उठानी पड़ी है। सभा-

(श्रीमती कमला)

पति महोदय, बहुत समय से इस तरह की स्थिति आ रही है कि 50 प्रतिशत या उसके लगभग हमको कम कोटा मिलता चला आ रहा है। पहले जितनी हमारी मांग थी वह हमको देते थे। अब तो उन्होंने मांग लेना भी बन्द कर दिया है। अब सिर्फ वह अपना अलाटमेंट करते हैं। उसमें भी भारत सरकार कोई गारन्टी पूरा दिलवाने की नहीं करती। इसलिये इस बारे में मैं इतना ही भरोसा दिलवा सकती हूँ कि भारत सरकार के स्तर पर मुख्य मंत्री जी से और अपने स्तर पर जो भी हमारे पास उनको प्रेशराइज करने के साधन हो सकते हैं उनके जरिये से पूरी कोशिश की जायगी, हम पूरा कागज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

कुंजियों का आपने जिक्र किया कि कुंजियां और पास बुक्स शिक्षा जगत को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं और बच्चों के शिक्षा स्तर को गिरा रही हैं। कुंजियों और पास बुक्स की स्थिति, माननीय सभापति महोदय, यह है कि जो टेक्स्ट बुक्स पर्टिकुलर प्राइस पर बेचने वालों को देते हैं वह उस पुस्तक को अकेली को दो रुपये में नहीं देते उसके साथ डेढ़ रुपये की कुंजी और पौने दो रुपये की पास बुक जरूरी तौर पर लेनी पड़ेगी, तब जाकर वह किताब उनको देते हैं। तो दो रुपये की किताब पांच साढ़े पांच में लेनी पड़ती है। यह सारा पिछले साल से अभिभावकों की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, विद्यालयों की तरफ से भी और जन प्रतिनिधियों की तरफ से भी आया और मुझे खुद को भी मालूम है, इसके परिणाम-स्वरूप मैंने पिछले दिनों में हमारे टैक्स्ट बुक बोर्ड से और बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। टैक्स्ट बुक बोर्ड के साथ तो मैंने इस तरह से व्यवस्था बैठा कर नीति तय कर दी है कि आगामी सत्र में हम किसी भी प्राइवेट डीलर को इस तरह की पुस्तक वितरण का कार्य नहीं देंगे और हमारे विद्यालयों में 8 विद्यालयों के माध्यम से ही हम इन पुस्तकों का वितरण करेंगे जिससे न तो जबरन कुंजी और पास बुक लेनी पड़ेगी, न कीमतें बढ़ा कर दे सकेंगे और हमारे बच्चों को भी जल्दबाजी में किताब खतम हो जायगी जल्दी से ले आओ चाहे कुंजी और पास बुक लेनी पड़े तो भी ले आओ तो यह जो भगदड़ रहती है जिसमें लोग ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, कई बार हवा उड़ा देते हैं कि पुस्तकें खतम हो गई और अभिभावक परेशान होकर ऊंची कीमत पर और फालतू सामान लेकर भी पुस्तकें ले आते हैं, यह बड़ा भारी रैकेट चल रहा है इसको खतम करने के लिये हमने पाठ्य-पुस्तक मण्डल द्वारा जो आठवीं तक की पुस्तकें और एक्सरसाइज बुक्स हैं उनको स्कूलों के माध्यम से देने का विचार पक्का कर लिया है। इसकी वित्तीय व्यवस्था के बारे में किस प्रकार से खर्च किया जायगा, कैसे संचालन किया जायगा इसके लिए भी अभी 8 तारीख को डी. ओज. लेवल पर और जिला शिक्षा विभाग के निदेशक, उप निदेशक के स्तर पर और राज्य स्तर के सब अधिकारियों को बैठा करके पूरे

(श्रीमती कमला)

रूप से चर्चा करके उनको भी इस बात के लिये शामिल किया गया है। इस तरह से करके अच्छी व्यवस्था कायम कर सकेंगे और बच्चों को इस शोषण से बचा सकेंगे।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सवाल है, उनके पास में जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के वितरण का काम अभी तक नहीं था। केवल प्रकाशन के लिये टेण्डर लेकर प्रकाशन का काम सीमा बान्ध कर देते हैं, वितरण की व्यवस्था अभी उनके पास नहीं है। मैंने उनसे बात की है। जनरली अभी उसको कार्यरूप देना बाकी है कि आप भी हमारे जो टैक्स्ट बुक डिपोज है उनके माध्यम से अपनी पुस्तकें बिकवावें और उसमें जो खर्चा होता है उनको जो आप खर्च देते हैं, आप अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं उसमें या तो मकान की जिसमें वह स्टोर कर सकें और एक आदमी जो मैनेज कर सके उसका खर्चा दें, या आप लम्पसम में कुछ ग्रान्ट या एडवान्स दे दें जिससे कि आपकी पुस्तकें भी इन डिपोज के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में जा सकें ताकि जो रायल्टी और शोषण की शिकायतें हैं, माध्यमिक बोर्ड ने परिवर्तन इसलिये किया कि उसको रायल्टी काफी मिलेगी और बीच में लोग-बाग अपना काम करेंगे तो इस तरह की स्थिति को बचाने का और बच्चों को भी और पेरेन्ट्स को भी राहत देने के लिये इस तरह से हमने माध्यमिक बोर्ड से बात की है। अभी उनके अध्यक्ष महोदय और बोर्ड से पूरी चर्चा करके अमली रूप देना बाकी है लेकिन यह मेरे विचार और निगाह में है और मुझे मालूम है कि यह अति आवश्यक है ताकि शोषण का रेकेट पुस्तकों के मामले में बन्द हो सके और सभी नागरिक उससे राहत पा सकें।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कुछ शिक्षा परीक्षा प्रणाली के बारे में कहा कि जो परीक्षा प्रणाली के बारे में सुझाव आये हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। वह डिटेल में नहीं सुन पाई कि उन्होंने क्या बताया है और वह मुझसे क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने जो एक बात कही, आपने 13 तारीख की मीटिंग में कहा कि हम 10 प्लस 2 को तुरन्त लागू कर रहे हैं। न तो मैंने ऐसा कहा और अगर पेपर्स में आया है तो मैंने देखा नहीं। वह गलत है। मैंने उन सभी शिक्षक संघों के साथ में बातचीत की है जो आज राजस्थान में मान्यता या बिना मान्यता के एग्जिएट करते हैं। चाहे सनाढ्य ग्रुप है या शेखावत ग्रुप है, चाहे व्याख्याता संघ है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक संघ है या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संघ है और चाहे दूसरे कोई प्रगतिशील संघ है। सबसे, सभापति महोदय, दो दिन तक सुबह से शाम तक बारी-बारी से एक-एक बिन्दु पर चर्चा करके हर एक बात, जो वर्षों पेंडिंग पड़ी हुई थी थोरोली डिस्कस करके जो हो सकता है उसको करने की व्यवस्था करने की चर्चा की है और जो संभव नहीं है उसके लिये उनको रजामन्द किया है कि वह ऐसी चीजों के लिये बार-बार तकाजा न करें। उस दौरान में जो मैंने चर्चा की उसमें यही कहा कि निजी तौर पर मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज की आम राष्ट्रीय धारा में

(श्रीमती कमला)

जल्दी से जल्दी सम्मिलित नहीं होते हैं 10 प्लस 2 के संबंध में, तो हमारे राज्य को भी और बच्चों को भी नुकसान होगा, इसलिये जल्दी से जल्दी शामिल हों, इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं। बाकी यह तुरन्त लागू हो जाय ऐसा न तो मैं कह सकती हूं, क्योंकि न तो मेरे हाथ में पैसा है और न मेरे हाथ में मंजूरी है। जब तक मंजूरी और पैसा नहीं हो मैं लागू भी नहीं कर सकती। इसलिये ऐसा अगर अखबारों में कहीं आया है या किसी ने कहा है तो वह गलत कहा है, लेकिन हम इसके नीतिगत पक्ष में है। हालां कि, सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुश्किल से सारे देश पर में शुद्ध रूप से जो 10 प्लस 2 लागू होना चासिये वह बहुत कम राज्यों में लागू है। आज यह स्थिति है जैसे अपने यहां भी पहले 10 वीं, फिर इंटर और फिर बी. ए. होता था वैसी ही पुरानी पद्धति कुछ राज्यों में आज भी चलती है उसको उन्होंने as it is 10 प्लस 2 कहते हैं कि हमारे यहां यह लागू है तो हम तो ऐसा नहीं करना चाहते। 10+2 का मूल उद्देश्य यह है कि 10वीं क्लास तक आते-आते बच्चा पूरी तरह से यह समझ जाय कि उसको कौनसा सब्जेक्ट अपने फ्यूचर केरियर के लिये सलेक्ट करना है। इसलिये 10वीं तक पूरे सब्जेक्ट चढ़ाये जाते हैं। फिर जो हायर सैकण्डरी, 11वीं और 12वीं होगी उनमें वह अपने निश्चित सबजेक्ट चूज करेगा जिसको हायर स्टडोज में ले जायेगा। खास तौर से दूसरी बात यह है कि बच्चा 10वीं पास करके हायर स्टडीज छोड़ कर अपना काम धन्धा करना चाहता है, लाइफ में एंटर होना चाहता है. अपने आपको एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको वोकेशनल नालेज, अनुभव इतना होना चाहिये, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वह बच्चा इसलिये कि लाइफ में एडिटलेट होने के लिये काम टेक अप नहीं कर सकता वह जबरदस्ती हायर स्टडीज की ओर भागता चला जाय, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। यह जो इसकी मूल भावना है 10+2 की वह हम लागू करना चाहते हैं जैसी कि कुछ राज्यों में है लेकिन कुछ में सिर्फ ढांचा है उसकी तरफ दौड़ना नहीं चाहते। इसलिये हमने भारत सरकार से यही कहा है कि आप रूप ही रूप को मान्यता देना चाहते हैं तो हम भी रूप बना देते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि मूल स्पिरिट के बिना इसे कायम किये जाय। हम स्पिरिट के साथ काम करना चाहते हैं जिससे दरअसल भारत सरकार और हमारे राष्ट्र के नागरिकों को भावी जीवन का लक्ष्य देने की पूर्ति कर सकें। इस दिशा में पूरे मनोयोग से मैं जुटी हुई हूं कि किस प्रकार से जल्दी से जल्दी राजस्थान इस शिक्षा पद्धति को अडाप्ट कर सके।

तो, माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी प्रमुख मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये उनके बारे में विवरण मैंने दिया है। फिर निवेदन करना चाहती हूं सभी माननीय सदस्यों से कि और भी कुछ कहना हो उसके बारे में खुले रूप से मुझसे मिलिये, मैं उसको समझ कर जो भी करने का काम

Page No 78

(श्रीमती कमला)

है उसको करने की जरूर कोशिश करूंगी।

धन्यवाद।

(2.00 म. प.)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : दो मुद्दे हैं मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ....

श्री सभापति : विस्तार से उत्तर दिया है। कोई खास बात रह गयी हो तो पूछलें।

श्री कैलाश मेघवाल : ....सभापति महोदय, मैंने परीक्षा समिति के बारे में जो बात कही है वह इस रेफरेन्स में कही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति ने दिनांक 13-2-1984 को निर्णय लिया कि कक्षा 9 व 10 की अभी जो एक पुस्तक है उसको दो भागों में बाँटा जाये तथा कक्षा नवीं के लिये और दसवीं के लिये अलग-अलग पुस्तकें छपायी जायें। इससे बच्चों के बस्ते का वजन हल्का होगा। पुस्तक की कीमत भी कम आयेगी। इस बोर्ड की परीक्षा समिति ने जो यह सिफारिश की है उस पर बोर्ड में विचार हुआ है ? उसका परिणाम क्या रहा ? इस निर्णय से आपकी नवीं, दसवीं की किताबें अलग-अलग हो जायेंगी। अभी यह एक साथ छप रही हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि 40 पुस्तकों की छपायी की जा रही है। एक साथ यह पुस्तकें लड़कों को खरीदनी पड़ेंगी। अभी एक लड़का 100/-रुपये की पुस्तकें खरीद कर काम चला सकता है परन्तु इससे उसको 500/-रुपये की पुस्तकें खरीदनी पड़ेंगी। यह मैंने आपको उदाहरण दिया है।

मैंने स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक करोड़ रुपये की किताबें बिना बिके दुकानों पर पड़ी हैं। इसमें कन्ट्रोल का कागज लगा है। इसके लिये आपको मैं पाठ्य पुस्तक मण्डल का उदाहरण दूंगा। उसके पास कक्षा 6 व 7 की पुस्तकें छप गयीं। यह पुस्तक बदलने के बाद सारे विक्रेताओं से सूचना मंगवाई कि उनके पास स्टाक कितना है वह स्टाक इकट्ठा किया गया। राजस्थान के 23 जिलों में जो नयी पुस्तकें दी गयीं और यह पुराना स्टाक अलवर, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में बिकवाया। अब आप यह पुस्तकें बदल रहे हैं तो क्या इनका स्टाक भी आपने मंगवाया है। 34 पुस्तकें हैं। दस का तो आपने माल लिया है। मैं आपको इसलिये कह रहा हूँ कि यह 34 पुस्तकें हैं। इनकी रायल्टी आप ले रहे हैं। इसलिये पुस्तकों की कीमत बढ़ जाती है। पाठ्य पुस्तक मण्डल नो प्राफिट नो लास पर पुस्तकों का व्यवसाय करता है। आप भी इस पद्धति पर चलिये। क्या बोर्ड एक व्यावसायिक संस्था है ? नहीं है। रायल्टी 1 लाख 50 हजार की ली है। इसलिये यह रायल्टी आप कम कीजिये जिससे कि पुस्तकें सस्ती मिल सकें। जब से यह भावना अखबार में आई कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुस्तक बिक्री

(श्री कैलाश मेघवाल)

के लिये पंजीयन पद्धति लागू करेगा बोर्ड ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया। बोर्ड यह आपकी भावना के विपरीत कार्य कर रहा है। इसके लिये मैं आपको अभी से चेता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा की दफा 26, 27, 28 के अन्तर्गत आपको व्यापक अधिकार हैं। आप इसके जरिये पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। स्वायत्तशासी संस्था होने के बावजूद भी आपको व्यापक अधिकार हैं। इसलिये राजस्थान के शिक्षा जगत को आप एक जुलाई से अराजकता के निर्णय में न धकेलें। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने कई अच्छे निर्णय लिये हैं।

श्रीमती कमला : मैं भी सुधारना चाहती हूँ।

एक बात सुनिये।

माननीय सदस्य ने जो दुबारा बात कही है उनमें से कई बातें तो रिपीट की हैं। दो बातें मुख्यत: कही गयीं हैं। एक तो परीक्षा प्रणाली का आपने कहा। इसके बारे में मैं जाँच करूंगी जो कमेटी ने निर्णय लिया उसके बारे में बोर्ड ने क्या क्रियान्विति की। और नहीं की है तो क्यों नहीं की।

दूसरा आपने सुझाव दिया कि जैसे पाठ्य पुस्तक मण्डल आठवीं तक पुस्तकें नो प्राफिट नो लास पर छाप कर देता है क्या उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें सम्भव की जा सकती है। यह एक उपयोगी सुझाव है।

सभापति महोदय, मैं अपने पूर्व के स्टेटमेंट में करेक्शन करना चाहूंगी। मुझे यह ध्यान था कि शायद दो-तीन समितियों ने कोर्स को बदलने की सिफारिश की है और बाकी का संयोजकों ने किया है। समिति ने पूरे नये कोर्स को बदलने की सिफारिश की है लेकिन लेखकों में से किस को रखा जाये और किस को न रखा जाये यह संयोजकों ने किया है। माननीय सदस्यों की जानकरी के लिये यह मैं सुधार करना चाहूंगी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आय-व्ययक 1984-85 पर वाद-विवाद।

श्री सूर्य कुमार जैन।

श्री सूर्य कुमार जैन (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 1984-85 के बजट के सम्बन्ध में वाद-विवाद पर भाग लेने से पूर्व हमें राजस्थान की जो वर्तमान आर्थिक विषम स्थिति है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सारा सदन जानता है कि राजस्थान लगभग साढ़े तीन लाख स्कवायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और देश के सभी राज्यों से क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जहाँ तक आबादी का प्रश्न है, नेशनल एवरेज 1 किलोमीटर के लगभग क्षेत्र पर 200 व्यक्तियों का है और राजस्थान 100 व्यक्तियों का एवरेज लिये हुए हैं, यहाँ पर पापुलेशन की जो वृद्धि हुई है वह 32.38 पर्सेन्ट की रेट लिये हुए है जब कि नेशनल ग्रोथ 24.75 पर्सेन्ट की रेट से हुई

(श्री सूर्य कुमार जैन)

है। यह भी मेरे ख्याल से माननीय सदस्यगण जानते हैं कि जो फाइनेन्शियल इम्बेलेंस, डिस्टोर्शन राजस्थान में है वह भी इस बजट पर वाद-विवाद करने के लिये पहले ही विचारणीय है। सेन्टर की तरफ से जो परकेपिटा शेयर के रूप में जो डिवोलूशन मिलता है वह जैसा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की बुलेटिन है 1981 की, उसमें अगर हम नजर डालें तो नेशनल एवरेज यानि दूसरी स्टेट की परकेपिटा का एवरेज 126/-रुपये है और राजस्थान का डिवोलूशन सेन्टर का परकेपिटा के लिहाज से केवल 104.40 रुपये है, यह एक अच्छा पहलू है कि राजस्थान उन कुछ राज्यों में से है जिनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। पब्लिक कर्जा 1951 में लगभग 11 करोड़ रुपया था राजस्थान पर, 1983-84 के एण्ड में वही पब्लिक डेट 2321 करोड़ रुपया हो गया। जहाँ तक पापुलेशन में विभाजन का प्रश्न है, शिड्यूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन राजस्थान में 17 पर्सेन्ट है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन 12 पर्सेन्ट है। कुल मिलाकर 29 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह केवल 22 पर्सेन्ट है। सभापति महोदय, जब शिड्यूल्ट कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापुलेशन 29 पर्सेन्ट होने के कारण 7 पर्सेन्ट से हम अन्य राज्यों से आगे हैं तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यही पापुलेशन है जिसको बजट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जहां तक लिट्रेसी का प्रश्न है सन् 1981 को अगर हम आधार वर्ष मानें तो आल इण्डिया लेवल पर 36 पर्सेन्ट की लिट्रेसी है और हम राजस्थान में 24 पर्सेन्ट लिट्रेसी में जी रहे हैं। जहां तक पूरे क्राप एरिया में इरिगेशन का प्रश्न है, हम क्राप एरिया के 23 पर्सेन्ट एरिया में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा पाये हैं।

जहाँ तक बिजली का प्रश्न है बिजली की स्थिति में तो राजस्थान काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन सारी स्थितियों पर नजर डालने के बाद अगर हम 1984-85 के बजट पर हमारी दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि आज की कांग्रेस सरकार, वर्तमान सरकार विशेषतः वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय को यह एक चुनौती की बात थी और ऐसी आर्थिक विषम परिस्थितियों में इस प्रकार का बजट तैयार करते। मैं बजट के बारे में कुछ निवेदन करूं इससे पूर्व विरोध पक्ष की ओर से जो बजट की आलोचना आयी है उस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहे वह केन्द्र सरकार का बजट रहा हो, चाहे अन्य कांग्रेस सरकारों का बजट रहा हो, चाहे वह राजस्थान का बजट हो विरोध पक्ष वाले कहते हैं कि यह चुनावी बजट है। मैं फक्र के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अगर चुनावी बजट है तो, सभापति महोदय, यह कांग्रेस के लिए एक गौरव का विषय है। विरोध पक्ष ने आलोचना क्यों की? मैं पूछता हूँ जैसे कि क्या उनका विश्वास प्रजातन्त्र में है? क्या उनका प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास है? तो क्या चुनाव प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक नहीं हैं। अगर चुनाव प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक हैं

(श्री सूर्य कुमार जैन)

तो क्या चुनाव के लिए किसी भी राजनैतिक दल को अपना घोषणा-पत्र नहीं देना पड़ेगा ? इस घोषणा-पत्र के आधार पर क्या वह राजनैतिक सत्ता में बैठने के लिये या सत्ता से बाहर रहने के लिये जनता के सामने नहीं जायेगा ? अगर हमने हमारे चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए, कांग्रेस की सरकार ने जो चुनाव में वायदे किये थे, उनको पूरा करने के लिये यह बजट पेश किया है, जिसको विरोध पक्ष स्वीकार करता है यह चुनावी बजट है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, सभापति महोदय, कांग्रेस ने जो चुनाव में वायदे किये थे, उसको पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आलोचना के माध्यम से विरोध पक्ष अपने खोखलेपन को जाहिर कर रहे हैं। जो डींग मारते हैं कि प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, वह प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं लेकिन वह चुनावी बजट कहकर सरकार का मजाक बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, वह सरकार का मजाक नहीं है वह अपने आपको टटोल कर देखें, वह निश्चित रूप से प्रजातन्त्र का मजाक बनाना चाहते हैं। वह अपना खोखलापन सिद्ध करना चाहते है। विरोध पक्ष दूसरी बात यह कहकर आलोचना करते हैं कि यह दिशाहीन बजट है। यह दिशाहीन बजट है या, सभापति महोदय, विरोध पक्ष दिशाहीन है। मैं ऐतिहासिक सन्दर्भों के आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, विरोध पक्ष की यह दिशाहीन यात्रा, दिशाहीन सफर जहाँ तक मेरी स्मृति है, 1967 से आरम्भ हुआ। 1967 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया ने एक गैर-कांग्रेसवाद का नारा दिया देश को और देश को कहा, सभी राजनैतिक दलों को कहा कि कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस हराने के लिए सब एक झण्डे के नीचे आ जावो। चाहे किसी के सिद्धान्त किसी भी राजनैतिक दल से मेल खाते हों या नहीं खाते हों, एक गैर कांग्रेसवाद का नारा 1967 में डॉक्टर लोहिया ने दिया। विरोध पक्ष की दिशाहीन यात्रा यहीं से, 1967 से प्रारम्भ हुई। जो 1967 की यात्रा आरम्भ हुई वह 1977 में क्लाइमेक्स पर पहुँच गई। देश ने 1967 की सरकार को देखा, देश ने 1977 की सरकार को देखा और देखा कि विरोध पक्ष किस प्रकार इस दिशाहीन यात्रा में नाकामयाब रहा है। विरोध पक्ष दिशाहीन कहना चाहता है कांग्रेस सरकार के बजट को, कांग्रेस सरकार के कार्य कलाप को। लेकिन अगर विरोध पक्ष के पास कोई निगाह है देखने की तो वह देखें, यह दिशाहीन बजट है या विरोध पक्ष दिशा हीन होकर इस बजट पर दृष्टिगोचर कर रहा है। इसके लिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस की दिशा तो बहुत पहले से साफ है। कांग्रेस की दिशा को देखना है तो 1929 में जो नागौर का कांग्रेस अधिवेशन नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था उसको देखिये कि कांग्रेस की क्या दिशा थी। कांग्रेस ने 1929 में कह दिया था कि हम सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को चाहते हैं। हम समाजवाद को और प्रजातन्त्र को चाहते हैं। यह दिशा 1929 से कांग्रेस ने अपनी निर्धारित की है। सभापति महोदय, 1931 में गांधीजी ने जो दूसरी राउण्ड टेबल कांफ्रेंस हुई उसमें

(श्री सूर्य कुमार जैन)

कांग्रेस की दिशा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि कांग्रेस की दिशा क्या है। यह उन करोड़ों, गरीबों और बेरोजगार लोगों के हित में कुछ लोगों के सिद्धान्तों को कुर्बान करके इस देश में खुशहाली लाना चाहती है और गरीबी मिटाना चाहती है। 1931 का जो करांची अधिवेशन है, 1937 का जो फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन है हमने कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से कृषि नीति निर्धारित की। 1938 में हरिपुरा का जो सेशन हुआ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में, उसमें हमने कहा कि हम नेशनल प्लानिंग कमेटी चाहते हैं, और नेशनल प्लानिंग के आधार पर हम देश में एक नियोजित विकास चाहते हैं। यह हमने 1938 में तय किया। उसी का परिणाम है, सभापति महोदय, आज देश में प्लानिंग कमीशन के नाम से एक नेशनल प्लानिंग कमीशन है। 1955 का आवड़ी अधिवेशन कांग्रेस का बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन है उसमें समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि देश का लक्ष्य, हिन्दुस्तान का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है। 1959 का जो नागपुर सेशन है, सभापति महोदय, उसमें कहा गया कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की मंजिल को प्लानिंग के थ्रू लेना चाहते हैं। 1964 में जो भुवनेश्वर का सेशन था कांग्रेस का उसमें भी इसी आवड़ी इरादे पर दुबारा मोहर लगाई। 1967 में जब श्रीमती गांधी शासन में आईं, उन्होंने टेन पाइन्ट प्रोग्राम दिया। वह टेन पाइन्ट प्रोग्राम कांग्रेस शासन, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन की एक दिशा थी। सभापति महोदय, 1967 में श्रीमती इन्दिरा ने एक विशेष थोट्स के नाम से, बिखरे ख्यालों के नाम से नोट पेश किया। अपनी केबिनेट और देश के सामने, वह भी निश्चित रूप से कांग्रेस की दिशा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं जो घोषणा है कांग्रेस की व जितने आम चुनाव इस देश में हुए हैं उन चुनाव में जो घोषणा-पत्र दिये हैं वह कांग्रेस की दिशा है। मैं पूछना चाहता हूं विरोध पक्ष की क्या दिशा है? विरोध पक्ष भटकाव के भंवर में फंसा हुआ है, विरोध पक्ष दिशाहीनता के दल-दल में फंसा हुआ है, विरोध पक्ष अफवाहों के अम्बार के नीचे दबा हुआ है, विरोध पक्ष भ्रान्तियों के भ्रम जाल में उलझा हुआ है। विरोध पक्ष सोच नहीं पा रहा है। विरोधी पक्ष कभी सोचता है आसाम में अलगाव की आग लगी हुई है उसका फायदा उठाया जाये, विरोध पक्ष कभी सोचता है, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो रहे हैं, कांग्रेस के संगठन को या कांग्रेस की सरकार की स्थिति को नाजुक बनाने में संलग्न हैं, विरोध पक्ष जम्मू और कश्मीर की तरफ अपना मुंह करता है। जब कभी पंजाब में आग लगती है तो विरोध पक्ष उस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। विरोध पक्ष के सामने कोई मंजिल नहीं है। विरोध का और विकास का कोई संबंध नहीं रह गया है। यह इतिहास ने सिद्ध कर दिया है। इतिहास की क्या बात कहूं, यह तो पढ़ने से ताल्लुक रखता है।

अभी इसी अधिवेशन की बात है, सभा-

(श्री सूर्य कुमार जैन)

पति महोदय, आपके ध्यान में होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विरोध पक्ष ने बहिष्कार किया। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उस अभिभाषण का जो आखिरी से पहला पैराग्राफ है अगर उसका आप मुलायजा फर्मायेंगे तो विरोध पक्ष ने एक हकीकत को स्वीकार किया है, एक ऐतिहासिक हकीकत को स्वीकार किया है कि उनका विकास से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। राज्यपाल महोदय ने कहा सदन के सभी सदस्यगण से कि आप लोग राजस्थान के विकास में भागीदार रहे हैं।

सभापति महोदय से पूछिये सभापति महोदय जो कुछ कहेंगे, मैं कहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : गलती की है तो यह क्या जरूरी है कि आप भी करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता; प्रतिपक्ष) : गलती सभी की है।

एक माननीय सदस्य : अन्दर उछल कूद की आपने पहली दफा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। आप अपना भाषण शुरू करिये।

श्री सूर्य कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विरोध पक्ष को भी विकास से सम्मिलित करते हुए विरोध को भी मुबारकबाद दिया कि और कहा कि राजस्थान में जो भी उल्लेखनीय विकास हुआ उसमें आप भागीदार भी रहे हैं। लेकिन विरोध पक्ष ने बहिष्कार करके यह सिद्ध कर दिया है कि विकास से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। विकास का और विरोध पक्ष का खास करके जो हिन्दुस्तान और राजस्थान में हुआ, कोई सम्बन्ध नहीं है तो यह निश्चित रूप से चुनावी बजट है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव में वायदे किये थे उन वायदों को पूरा करने की दिशा में एक योजनाबद्ध बजट पेश किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

सभापति महोदय, विरोध पक्ष की ओर से एक आलोचना आयी कि यह अधूरा बजट है। क्यों लगा विरोध पक्ष को? इसका एक बहुत सीधा सा कारण है। कहते तो यह हैं विरोध पक्ष के लोग कि यह जन साधारण के हिमायती हैं, जन साधारण का हित अहित देखने में केवल इन्हीं की ठेकेदारी है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है, कांग्रेस का संगठन जनहित विरोधी है ऐसा यह विरोध पक्ष दावा करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब राजस्थान के बजट में, राजस्थान की जनता पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा तो विरोध पक्ष को बजट अधूरा लग रहा है। विरोध पक्ष को बजट पूरा तब लगेगा, सभापति महोदय, राजस्थान की जनता पर यह कांग्रेस सरकार किसी प्रकार का कोई कर भार डालेगी तो विरोध पक्ष की नजर में वह बजट शायद पूरा हो जावे। लेकिन

(श्री सूर्य कुमार जैन)

चूंकि विकास की सारी सम्भावनाओं को व्यक्त करते हुए, विकास के सारे प्रावधानों का लेखा जोखा देते हुए जब राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बजट पेश किया, विकासोन्मुखी बजट पेश किया तो विरोध पक्ष को अधूरा बजट लगने के अलावा और क्या हो सकता था। एक बात विरोध पक्ष कहना चाहता है कि घाटे का बजट है। घाटे का बजट निश्चित रूप से है इसको कहने की क्या आवश्यकता है। लेकिन क्या विकासोन्मुखी बजट घाटे का बजट नहीं होगा? जो अर्थ शास्त्र समझते हैं जो अर्थ शास्त्र के सिद्धांतों को जानते हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो जानते हुए भी अनजान बनना चाहें, जिनके पास आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाहें उसके लिए तो मेरे पास में, किसी समझदार आदमी के पास में, किसी विवेकशील नागरिक के पास में कोई तरीका नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं इससे पूर्व कि विरोध पक्ष के जितने आलोचनात्मक बिन्दु थे उनको खोखला सिद्ध करूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : फीका या चटपटा कैसा बजट है?

श्री सूर्य कुमार जैन : होमियोपैथी की दवाइयों से अच्छा है। होमियोपैथी की दवाइयों से अच्छा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा तो कोई कन्सर्न नहीं है होमियोपैथी से।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री सूर्य कुमार जैन : राजस्थान में घाटे के बजट के उन कारणों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कारणों को समझेंगे तो दो बिन्दुओं के अलावा तीसरा कोई भी बिन्दु हमें विचार में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला बिन्दु है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही इस प्रकार की है कि अरावली के पर्वतों ने उसे दो भागों में बांटा है। अरावली के पर्वत ने जिन दो भागों में इसको बांटा है, उसका 3/6 भाग रेगिस्तानी इलाका है, 2 5 भाग दूसरा है। जब रेगिस्तानी है तो इसमें, इसकी वजह से राजस्थान में समय-समय पर अकाल पड़ना एक आवश्यक अंग राजस्थान का बन गया है। जब अकाल पड़ता है तो सरकार को उस अकाल से निपटने के लिए अकालग्रस्त गांवों, उनमें रहने वाले निवासीगण को राहत देने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान विशेष रूप से करना आवश्यक है। एक यह सबसे बड़ा कारण रहा है राजस्थान के सामने चाहे वह कभी भी कोई सरकार रही हो। अकाल जब पड़ा है, अकाल ने राजस्थान की सारी आर्थिक स्थिति को, सारे आर्थिक सन्तुलन को बिगाड़ दिया है। इसके साथ-साथ जो कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया गया है कर्मचारियों के जो पे-स्केल रिवाइज किये गये, जो कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी गई उनका भी अतिरिक्त भार निश्चित रूप से राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। सभापति

(श्री सूर्य कुमार जैन)

महोदय, 477 करोड़ मंहगाई भत्ते का वजन है, 82 करोड़ का वजन केवल पे-रिवीजन का है और 62 करोड़ का वजन पेंशन की जो सुविधाएं दी गई हैं उनका है। ये दो कारण हैं, सभापति महोदय, जिसकी वजह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति को डांवाडोल होना पड़ा है। राजस्थान सरकार ने जो फाइनेन्स कमीशन है उसके सामने अपने केस को पुरजोर शब्दों में और पुरजोर तरीके से रखा है। इस बात के लिए केन्द्रीय सरकार को कहा है कि जो अकाल का और जो मंहगाई भत्ते का वजन है इस वजन का केन्द्रीय सरकार स्वयं निर्वहन करें। अगर वह निर्वहन कर लेती है तो क्या फिर भी राजस्थान का बजट घाटे का बजट रह जायेगा? यह विरोध पक्ष के सोचने की बात है। क्या विरोध पक्ष यह कहना चाहता है कि अकाल की स्थिति से नहीं निपटा जाय? मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ही वह था जिसने यह कहा कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिलवाओ, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के पे-स्केल रिवाइज करो, कर्मचारियों को जो पेंशन की सुविधाएं हैं उसकी भी विरोध पक्ष ने ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा मांग इस सदन में उठाई थी। जो सारा दृश्य है, सभापति महोदय, वह आपके सामने भी है और विरोध पक्ष के सामने भी है और सदन की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें रिकार्डेड है। यह उसी का कारण है कि आज राजस्थान सरकार को घाटे का बजट पेश करना पड़ा है। राजस्थान का घाटे का बजट किसी और वजह से नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार ने इस चुनौती का, इन आर्थिक विषम स्थितियों की चुनौती का बहुत विवेक से और बहुत साहस के साथ में सामना किया है और उनको स्वीकार किया है। राजस्थान सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वह सुस्पष्ट हैं। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जानती है कि उसको सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और विद्युत् को देनी है। सिंचाई और विद्युत को प्राथमिकता देने के बाद ही यह सम्भव होगा। हम राजस्थान में जो बहबूदी लाना चाहते हैं वह केवल सिंचाई और विद्युत के आधार पर ही सम्भव हो सकेगा। यह राजस्थान की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ही कदम उठाया है और सबसे ज्यादा रकम सबसे ज्यादा प्रावधान सिंचाई और विद्युत के मद में किया है।

ठीक इसी प्रकार से, सभापति महोदय, जहां तक....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पिछले साल से रकम कम है।

श्री सूर्य कुमार जैन : 206 करोड़ मेरे ख्याल से।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, बीच में बाधा न डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पिछले साल से कम है या ज्यादा है, बता दीजिये जरा कि विकास का काम कैसा हुआ है?

श्री सूर्य कुमार जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्वयं बजट के जो प्रावधान

(श्री सूर्य कुमार जैन)

है उनको देख लेंगे और जब उनका मौका आयेगा बोलने का तब वह बोल लेंगे। महरबानी करके शान्ति से सुनें।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री सूर्य कुमार जैन: दुष्यन्त की दो लाइन की बात है, सभापति महोदय, इसी बात पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कभी-कभी किन्हीं व्यक्तियों, जिनको गुमान होता है, कुछ दिख रहा है, वे कुछ देखना चाहते हैं लेकिन दिखता नहीं है, देखना चाहते नहीं हैं उस पर दुष्यन्त ने कहा है, सभापति महोदय :

रोशन हुए चिराग तो आँखें नहीं रहीं।

रोशनी की गुमां और भी खराब है।

सभापति महोदय,....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सूर्य कुमार जी, पिछले साल से दस करोड़ कम का प्रावधान रखा है। दोनों में दस करोड़ का अन्तर है।

श्री सभापति : अब आप तो बिराजें।

श्री सूर्य कुमार जैन : सभापति महोदय, बजट में जो प्रावधान राजस्थान सरकार ने किये हैं उसमें से 67.30 पर्सेन्ट डवलपमेंट के खर्चे हैं, सभापति महोदय, और बाकी का 32.70 का खर्चा है वह जनरल सर्विसेज पर है। जो टोटल प्रोविजन है उनका 39.40 पर्सेन्ट सोशल सर्विसेज पर है, 27.90 पर्सेन्ट इकानामिक सर्विसेज में है। मैं यह कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, जो कुछ भी प्रावधान राजस्थान सरकार ने सोशल सर्विसेज के लिये, इकानामिक सर्विसेज के लिये और और डवलपमेंट के लिये किये हैं वह सराहनीय है और प्रशंसनीय है। जो कुछ भी गति विकास की पिछले वर्ष रही है, 80 से लेकर अब तक रही है वह कांग्रेस सरकार के द्वारा ही हुई राजस्थान में। इसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो कुछ भी प्रावधान इस बजट के अन्तर्गत किये गये हैं उनसे निश्चित रूप से राजस्थान विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर आगे जायेगा।

मैं इसी सन्दर्भ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बजट की दिशा पिछले कुछ सालों से बदली है। बड़े बड़े सिंचाई के बांध या बड़ी-बड़ी योजनाओं के निर्माण की तरफ भी अब हमारा ध्यान, हमारी सरकार का ध्यान गया क्योंकि नियोजित विकास हमने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और नियोजित विकास के लिए निश्चित अर्थ व्यवस्था इस देश में स्वीकार की, उस निश्चित अर्थ व्यवस्था के कारण कुछ दुष्परिणाम इस देश की आर्थिक स्थिति में आये और गरीब और अमीर के बीज में जो फर्क बहुत हुआ नजर आया उसको मिटाने के लिये श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम हमको दिया। विरोध पक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम आते ही एक मजाक की ही स्थिति में आता है लेकिन....

(श्री सूर्य कुमार जैन)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : 20 सूत्री कार्यक्रम केवल नाम....

श्री सूर्य कुमार जैन : पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य को अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम को समझने के लिये।

श्री सभापति : आर्डर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, कल मेनका गांधी कह रही थीं कि 20 सूत्री कार्यक्रम कुछ भी नहीं है केवल ढोंग है। केवल एक ही सूत्र है कि जय करो।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जायें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। आप प्रारम्भ करें।

श्री सूर्य कुमार जैन : मैंने निवेदन किया, सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के आर्थिक पहलू को, उसके आर्थिक सिद्धांत को समझने के लिये विरोध पक्ष कम से कम पूरे एक महीने तक लगातार अर्थ शास्त्र के विद्वान के साथ बैठकर सीखें तब जाकर 20 सूत्री कार्यक्रम का महत्व, 20 सूत्री कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसका मकसद समझ में आयेगा। उससे पहले, सभापति महोदय, इनके समझ में नहीं आयेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था....

एक माननीय सदस्य : इनकी तो कभी समझ में नहीं आयेगा....

(व्यवधान)

श्री सूर्य कुमार जैन : सभापति महोदय, माननीय विरोध पक्ष के सदस्य गण यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता को अभी 1967 या 1977 की तरह से कुछ खोखले नारे में बहका कर ले जायेंगे तो उसकी अब सम्भावना नहीं है। विरोध पक्ष इस बात का अहसास कर चुका है कि वह एक गलती 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की खिलाफत करके कर चुका है। परिवार नियोजन को 1977 के चुनावों का मुद्दा बनाकर और उस परिवार नियोजन कार्यक्रम के खिलाफ देश में एक वातावरण बनाकर विरोध पक्ष ने देश की आर्थिक स्थिति के साथ, देश के विकास के साथ एक इतना जबर्दस्त धोखा किया, इतना जबर्दस्त विश्वासघात किया कि उस धोखे की उस क्षति की पूर्ति करने के लिये देश को अब न जाने कितने वर्षों की जरूरत पड़ेगी। परिवार नियोजन के खिलाफ वातावरण बनने के कारण ही निश्चित रूप से जो कुछ भी विकास के कार्य देश में या राजस्थान में हुए उनके महत्त्व को हम आंक नहीं सके। उनका महत्व जनता के सामने आ नहीं सका। इसलिये, सभापति महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम की आवश्यकता कांग्रेस की सरकार को पड़ी और श्रीमती गांधी को पड़ी। बीस सूत्री कार्यक्रम एक व्यक्ति को एक परिवार को एक इकाई मानकर उसकी आर्थिक दशा में सुधार लाने का और वैसे भी सार्वजनिक रूप से विकास करने का एक कार्यक्रम है। उस बीस सूत्री कार्यक्रम की ओर ही अब कांग्रेस सरकार का, राजस्थान सरकार का विशेष ध्यान है। मैं विश्वास के साथ कह

(श्री सूर्य कुमार जैन)

सकता हूँ कि बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से देश में अग्रणी रही है, देश के पहले और दूसरे नम्बर के राज्यों में रही है कांग्रेस की सरकार, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि इस बार बीस सूत्री कार्यक्रम में कांग्रेस की सरकार उपलब्धियों में निश्चित रूप से सबसे आगे रहेगी। उसके आगे रहने का अगर हमको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा तो यह मिलेगा कि राजस्थान की जो गरीब जनता है उसकी आर्थिक दशा सुधारने में हम कुछ योगदान कर सकेंगे और जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने में हम मदद कर पायेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जहाँ से चुनकर आते हैं बूंदी, कोटा से, परिवार नियोजन की बात कही, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कही उसमें 14.600 परिवार नियोजन के आपरेशन करने का लक्ष्य था किये गये 3,000, 610 लूप लगाने का लक्ष्य था जिसमें से 74 लूप मात्र लगाये गये। माननीय सदस्य, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। अपने जिले की बात तो करें, सिर्फ 14,600 में से 3,000 हुए हैं जिसमें आप स्वयं प्रचार करने गये थे। मन्त्री महोदय, यह क्या उपलब्धि है इनके खुद के यहाँ की परिवार नियोजन में.... ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्य तो पूरी तरह से प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ना इतने लोग इसलिए नहीं देते हैं।

श्री सूर्य कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, दीगोद विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे यह मौका दिया कि मेरे क्षेत्र में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कैसा चल रहा है इसके बारे में मैं सदन को जानकारी दूं। अगर, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति नैनवा में 65 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव हो चुका है तो दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य की शक्ल पर कितने बजेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो बाद की बात है।

श्री सूर्य कुमार जैन : और, सभापति महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य यह बतायें, मेरी पंचायत समिति में, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति में तो 65 पर्सेन्ट टार्गेट पूरा हुआ है उनकी पंचायत समिति में क्या हाल है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : 90 पर्सेन्ट। अब क्या कहते हो ?

श्री सूर्य कुमार जैन : याने, सभापति महोदय, 9 प्रतिशत।

श्री दाऊदयाल जोशी : 90 पर्सेन्ट, 90। नाइन्टी पर्सेन्ट। 100 पर्सेन्ट में 10 पर्सेन्ट कम।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया शांति बनाये रखें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : खेतसिंह जी ने यह आंकड़ों में हेराफेरी करके किया होगा शायद।

श्री सूर्य कुमार जैन: सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान का वर्तमान बजट निश्चित रूप से विकासोन्मुखी बजट है, यह घाटे का बजट भले ही है लेकिन हमारी जो परम आवश्यकतायें हैं जीवन के लिए जैसे शिक्षा, बिजली, पेयजल, पशु चिकित्सा, चिकित्सा अगर इन पर होने वाले व्यय को हम जोड़ लें, इनके प्रावधानों को अगर हम जोड़ लें, और घाटे में जितना कुछ है उसको जोड़ लें तो मेरे ख्याल से विरोध पक्ष इस बात को स्वीकार करेगा कि अगर राजस्थान सरकार के पास आमदनी का कोई साधन भी नहीं हो, आमदनी का कोई स्रोत भी नहीं हो, तो भी किसी भी सरकार को इन आवश्यकताओं, जो जीवन के लिये आवश्यक है, का तो इन्तजाम करना ही पड़ता। तो उनका इन्तजाम किया। इसके साथ-साथ विकास की बहुत सारी सम्भावनायें, विकास की बहुत सारी योजनायें राजस्थान के सामने रखीं, क्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है? इसके लिए राजस्थान की सरकार की आलोचना करने के बजाय निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी विरोध पक्ष के द्वारा लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया, सभापति महोदय, विरोध पक्ष केवल आलोचना करने तक ही सीमित है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है वह उसको दिखाई नहीं देता इसलिये उसका विश्वास इस बात पर जम ही नहीं पाता, यह विश्वास जमाने की कोशिश ही नहीं करता विरोध पक्ष कि आगे भी कुछ हो जायगा, वह जानकर अनजाना बना रहना चाहता है। यही देश के लिये एक विडम्बना की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूँ देश की राजनीति के लिये यह निश्चित रूप से एक जहर है कि विरोध पक्ष जहां जिम्मेदारी का परिचय नहीं देना चाहता, विरोध पक्ष वहाँ सच्चाई को सच्चाई मानकर स्वीकार नहीं करना चाहता। यह देश की राजनीति के लिये एक सबसे घातक वस्तु है।

मैं आंकड़ों में न जाकर, सभापति महोदय, केवल अपनी बात साहिर की 4-5 पंक्तियों से समाप्त करना चाहता हूँ यह निवेदन करते हुए कि कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार और देश की सरकार श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जो कुछ हमारा समाजवादी समाज का सपना है इस समाजवाद को देश में लाना चाहते हैं। जिस समाजवाद के प्रति हम 1929 के अधिवेशन से लेकर अब तक समर्पित हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसको निश्चित रूप से हम लोग ही लेकर आयेंगे। इस बात को साहिर ने इन पंक्तियों में कहा है—

"जिस सुबह की खातिर जुग जुग से
हम सब मर मर कर जीते हैं
जिस सुबह के अमृत की धुन में
हम जहर के प्याले पीते हैं
इन भूखी प्यासी रूहों पर
एक दिन तो करम फरमायेंगे

(श्री सूर्य कुमार जैन)

दुनिया अमन व खुशहाली के फूलों से सजायी जायगी,

उस सुबह को हम ही तो लायेंगे—

वह सुबह हम से आयगी।

मैं यही निवेदन करते हुए, सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह निश्चित रूप से उसी सुबह को लाने की तरफ एक योजनाबद्ध प्रयास है, एक योजनाबद्ध कदम है जिसको लाने के लिये हम वर्षों पूर्व से कटिबद्ध थे।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी तरह मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, न ही मैंने शिक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा है लेकिन मोटी बुद्धि से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कोई अर्थशास्त्र की बात नहीं पढ़ी।

श्री यदुनाथ सिंह : वैसा तो नहीं पढ़ा है। जो मोटी बुद्धि से सरसरी तौर पर अगर बजट को देखा जाय....

एक माननीय सदस्य : चौधरी चरण सिंह को मालूम है।

श्री यदुनाथ सिंह : चौधरी चरणसिंह के पास विकल्प है। आप लोगों के पास नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : चरणसिंह का नाम आते ही घबराते क्यों हैं आप।

श्री यदुनाथ सिंह : शांति से सुनें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा गला पहले ही बैठा हुआ है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, कोई भी बजट हो आने वाले साल के लिये बजट का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उत्पादक शक्तियों को वह मजबूत करेगा, संगठित करेगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिये इन शक्तियों को मजबूत करेगा, साथ ही बचत को बढ़ावा देगा और एक पूंजी निवेश की व्यवस्था आगे आने वाले वर्ष के लिये करेगा। सभापति महोदय, बजट कोई पिछले साल के हिसाब का लेखा-जोखा ही नहीं है, आने वाले साल में और उससे भी आगे आने वाले समय में राजस्थान में, अपने राज्य में हम किस तरह का निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह से उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से रोजगार देना चाहते हैं, किस तरह से गरीबी मिटाना चाहते हैं - इन सब बातों को ध्यान में रख कर बनाया जाना चाहिये। लेकिन मुझे खेद है, सभापति महोदय, कहते हुए कि इस साल का जो बजट पेश किया गया है वह घोर निराशावादी है, उसमें उत्पादक जितने भी खर्चे हैं, मैं छोटे-छोटे उदाहरण के तौर पर कुछ आपके सामने आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा, जितने भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

उत्पादन बढ़ाने वाले कारक हैं उनमें खर्चे की कमी की गई है। जितने भी अनुत्पादक खर्चे हैं उनमें अनाप-शनाप बढ़ोत्तरी की गई है। इससे साफ स्पष्ट है कि अगले आने वाले साल में उत्पादन में वृद्धि की दर में और भी कटौती होने वाली है। उत्पादन में वृद्धि कम होगी तो महंगाई फिर बढ़ेगी, फिर प्राइस एक्सक्लेशन होगा, फिर डिवेलुएशन होगा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार पुर्नविचार करे। सरकार सोचे, किस तरह से होगा।

देखिये, सभापति महोदय, पहला ही पेज खोल लीजिये। राज्य में कृषि उत्पादन की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यह आदत बन गयी है सरकार की, जिस साल मानसून अच्छा होता है सारे आदानों का वितरण करने के बहाने, सारे साधन मुहय्या करने के बहाने सरकार उसका श्रेय अपने सिर ले लेती है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में सरकार ने बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन जिस साल मानसून खराब होता है उस साल सारा दोष मानसून के ऊपर डाल दिया जाता है। यह सही है, सभापति महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी, और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 50% से ऊपर खेती का हिस्सा है इसलिये खेती के जरा से उतार-चढ़ाव से हमारी अर्थ व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सभापति महोदय, आप देखेंगे, कोई भी सरकार, जिम्मेदार सरकार नहीं कहला सकती जो सरकार अपने खातों के राजस्व खाते में भी घाटा दिखाये। यह बहुत कम होता है।

मेरे पास जितने भी डाकूमेंट्स थे उनके आधार पर राजस्व खाते में घाटा होने का मतलब है, सरकार स्वयं अपने खर्चे को अपने संसाधनों से नहीं चला पा रही है। राजस्व खाते का अर्थ होता है सेलरी वेजेज वेतन भत्ते देने का काम, साथ ही जो ओन गोइंग वर्क्स हैं, जो काम चल रहे हैं उन कामों को स्थाई रखने का काम। यह राजस्व खाते से किया जाता है लेकिन राजस्व खाते में 88 करोड़ रुपये का घाटा है। तो, सभापति महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह है कि राजस्व खाते में जब घाटा हो तब तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। इसी प्रकार से पूंजीगत खाते में घाटा है। घाटा ही नहीं है, घाटा है तो है, सभापति महोदय, राजस्व खाते में और पूंजी खातों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि पूंजी खाते से आपको नये साल में बड़ी योजनाओं, निर्माण के कार्य करने होते हैं, जो नए असेट्स बनाने हैं उनको कैपिटल अकाउन्ट्स से करना होता है। लेकिन आप देखें, सभापति महोदय, पूंजी खाता अगर खोलेंगे आप, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में पिछले साल था 75 करोड़ 38 लाख रुपये, इस साल हो गया 61 करोड़ 90 लाख रुपये। अब आइये आप शिक्षा और संस्कृति पर। पिछले साल था 12 करोड़ 6 लाख रुपये इस साल है कुल 89 करोड़ रुपये। पब्लिक हैल्थ पर देखिये, पिछले साल था 67 करोड़ 46 लाख रुपये, इस साल है 56 करोड़ 00 लाख रुपये। किसी भी मद में देख लीजिए। पब्लिक हैल्थ में देख लीजिये, पैसा घट रहा

(श्री यदुनाथ सिंह)

है । आर्थिक सेवाओं में देख लीजिये पैसा घट रहा है । यानि पिछले साल 260 करोड़ रुपये का जो पूंजी खाते से व्यय किया गया उसके विपरीत इस वर्ष का पूंजी खाते से व्यय करने का अनुमान 202 करोड़ रुपये का है । मेरे कहने का मतलब यह है कि सिवाय तनख्वाह देने के, सिवाय टी. ए., डी. ए. देने के, उनको कोई और महंगाई भत्ता देने के, बोनस देने के, और जो स्कीम चल रही हैं उनको वहीं बरकरार बनाये रखने के अब कोई नया काम राजस्थान में होने वाला नहीं है । पूंजी खाते में यह हालत है । सभापति महोदय, महंगाई की बात देखिये, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, पिछले साल महंगाई की वृद्धि दर घटी, एकदम 15% से 2% पर आयी, इस साल फिर 8% पहुंच गयी यानि इस पैसे का भी 21 हजार करोड़ रुपये का जो बजट है, अगर प्राइस एक्सक्लेशन निकालें तो पिछले साल कुल बजट में जितना हम कर रहे थे खर्च उस महंगाई को निकाल कर वही 18-19 अरब का बजट हमारा होगा, यानि पिछले साल जितना पैसा था उस कीमत के आधार पर आज भी हम पिछले साल के बराबर कुल खर्च करेंगे । हो क्या रहा है, सभापति महोदय, डवलपमेंट खर्चा देख लीजिये, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लीजिये । देखिये, सभापति महोदय····

श्री महाराम चौधरी : दिवालिया सरकार का हिसाब-किताब निकालने में थोड़ी देर तो लगती ही है ।

श्री सभापति : आप तो बिराजें । आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : इनसे बढ़िया इकोनामिस्ट आपके दरबार में है नहीं । सभापति महोदय, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा ।

श्री सभापति : आप बाद में बता दीजियेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : नॉन डवलपमेंट खर्चा बढ़ रहा है पर्सेंटेज वाइज, डवलपमेंट का खर्चा कम हो रहा है । यानि विकास का खर्च कम हो रहा है ।

सभापति महोदय, जहां तक सवाल है छठी पंचवर्षीय योजना का, वैसे तो जब कभी योजना बनती है, एक बहस देश में चलने लग गई है आया प्लान्ड इकानामी जो है, प्लानिंग से जो हम इकानामी का डवलपमेंट करना चाहते हैं वह रेलेवेंट रही है कि नहीं । उसका कारण यह है, सभापति महोदय, हर साल हर नई पंचवर्षीय योजना जब बनती है उसमें कहा जाता है कि एम्प्लायमेंट को इसमें पहली प्राथमिकता दी जायगी, लोगों को रोजगार दिया जायगा, बेरोजगार लोगों को । एक कान्सटेन्ट स्टेबल ग्रोथ रेट रखी जायगी । अब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके मुकाबले हमारी कीमतों की ग्रोथ कई-कई गुना ज्यादा बढ़ रही है यानि आज ग्रोथ रेट हमारी हो रही है उससे कई गुना महंगाई बढ़ रही है । उसके साथ अब राजस्थान की एम्पलायमेंट ग्रोथ है । कोई भी योजना वह सही योजना नहीं हो सकती जिससे कम से कम जनसंख्या वृद्धि के बराबर आपका एम्प्लायमेंट ग्रोथ

(श्री यदुनाथ सिंह)

रेट नहीं होगा यानि रोजगार जब जनसंख्या वृद्धि के बराबर हो। आप अगर रोजगार नहीं दे पाये तो वह योजना सफल योजना नहीं मानी जा सकती। हो क्या रहा है, सभापति महोदय, योजना में हर साल घोषणा की जाती है कि हम एम्प्लायमेंट देंगे लेकिन हर योजना के बाद उससे ज्यादा लोग बेरोजगार नजर आते हैं। आप देखिये इसमें, आपकी बजट स्टडी में दिया है। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं वर्ष 1982-83 का ही बताता हूं वैसे तो 79 में था 3 लाख 38 हजार, जो रजिस्टर्ड हैं। जो गांव में हैं उनकी तो बात छोड़िये। उसमें से इन्होंने नौकरी दी, प्लेसमेंट हुआ 21 हजार यानि 3 लाख 38 हजार में से 21 हजार। यह हमारा टाइम था। अब आप देखिये, 82 में 4 लाख 3 हजार हो गये। सभापति महोदय, नौकरी मिली 14 हजार को कुल। अब 83 में फिर 4 लाख 63 हजार हो गये, नौकरी मिली 18 हजार को यानि 2%। जितने भी हमारे यहां लाइव रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन है 2% को हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और बातों को छोड़कर अगर जनसंख्या वृद्धि दर से भी देखें 2.5% 2.3% के करीब जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है तो उसके बराबर हम एम्प्लायमेंट नहीं दे पा रहे हैं इसलिये हमारी योजनाओं में कमी है, खामी है।

सभापति महोदय, कोई भी स्टेट ले लीजिये, अगले पन्ने पर कहा गया है कि अब योजना कुल पंचवर्षीय जो है मैं कह रहा था हमारे राजस्थान में जो 2025 करोड़ की कुल पंचवर्षीय योजना है वह योजना भी घटकर 1800 करोड़ से 1864 करोड़ या 1865 करोड़ रह गयी है। क्योंकि कटौती हो गई है। जिनमें कुल मिलाकर पंचवर्षीय योजना का यह हाल है जहाँ तक सवाल था इस वर्ष की योजना का, सभापति महोदय, तो आप देखेंगे इस वर्ष 1984-85 में 430 38 करोड़ व्यय की योजना का प्रस्ताव है इसके लिये 264,19 करोड़ के साधन उपलब्ध हैं बाकी के 165 करोड़ की व्यवस्था सहायता से, केन्द्र राज्यों के अंशदान से की जायगी। कहां से किया जायगा? कैसे किया जायगा ? क्या आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। यानि श्रीमती इन्दिरा गांधी कान्स्टीट्यूशन का भी लगातार वायोलेशन कर रही हैं। कान्स्टीट्यूशन की धाराओं के विपरीत जा रही हैं। जो हिस्सा राज्य और केन्द्रों का 48 और 52 का था वह पलटकर 52 और 48 कर दिया यानि, राज्य सरकार को 52% मिलना था और केन्द्र को 48% जब कि मेरे ख्याल से 45-56 का केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा था कॉन्स्टीट्यूशन में। अब 48–52 उल्टा हो गया। केन्द्र सरकार 52% ले रही है और राज्य सरकारें 48%। तो संसाधन ज्यादा कहां से मिलने वाले हैं ? सभापति महोदय, जहां तक सवाल है हमारी इस योजना का, जहां तक है अगली योजनाओं का, तो उनका भविष्य ज्यादा उत्साहवर्द्धक नहीं है।

सभापति महोदय, अब आप देखिये, माननीय सूर्य कुमार जी कह रहे थे, कि इकॉनोमिस्ट, ध्यान रखते हों, वह पढ़ते हों तो जरा बताएं, हमारे कोर-सेक्टर में हैं

(श्री यदुनाथ सिंह)

उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली और सिंचाई । बिजली-सिंचाई की इस साल की हालत देखें तो जहाँ पिछले साल बिजली सिंचाई पर खर्च किया था 216 करोड़ रुपये, वहाँ इन पर इस साल 206 करोड़ ही खर्च कर रहे हैं । 266.74 करोड़ । इस साल पैसा कम कर दिया यानि, बिजली-सिंचाई जैसी जगह पैसा कम खर्च करें ।

सभापति महोदय, और देखिये, रावी व्यास और जितनी भी परियोजनाएं थीं, उन परियोजनाओं में हमको धक्के मारकर निकाल दिया गया । पानी में तो हमारा हिस्सा मौजूद है । हरियाणा वहाँ से बिजली ले सकता है, हिमाचल वहाँ से बिजली ले सकता है, कश्मीर वहाँ से बिजली ले सकता है लेकिन हमारे लिए किसी भी योजना में इसका प्रावधान नहीं है, बजट में कोई उल्लेख नहीं । कुल मिलाकर मुख्य मंत्री जी रोज घोषणायें करते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं, और विदेश भी जाते हैं कि उद्योगपतियों ! राजस्थान में आकर उद्योग लगाओ । यानि, माथुर सरकार की तरह वे उद्योगपतियों को भी × × × समझते हैं, × × × समझते हैं । सभापति महोदय, जब राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो कोई उद्योगपति........

एक माननीय सदस्य : × × × असंसदीय है ।

श्री यदुनाथ सिंह : असंसदीय कौन सा है ? जो लायक नहीं वह × × ×

श्री सभापति : × × × शब्द असंसदीय है इसलिए कार्यवाही से.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर × × × का आल्टरनेटिव क्या है ?

श्री माननीय सदस्य : अज्ञानी ।

श्री यदुनाथसिंह : अज्ञानी अलग शब्द है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर × × × की जगह कौनसा उपयोग में लिया जाय ?

श्री सभापति : जो वे उपयुक्त समझते हों ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सिद्ध कर दें....

श्री सभापति : लेकिन वह असंसदीय है इसलिए कार्यवाही से एक्सपंज करना पड़ेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, लेकिन कोर सैक्टर में पैसा कम हो गया । पिछले साल जितना पैसा था उससे इस साल कम खर्च कर रहे हैं ।

20 सूत्री कार्यक्रम जिसका बड़ा गुणगान किया कि पहले दूसरे नम्बर पर आ रहे हैं । जो बजट स्टडी दी है और इसमें जनवरी, 1984 के आँकड़े दिये हैं वह दूसरी ही तस्वीर रखते हैं । देखिये, सभा-

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

पति महोदय, इरिगेशन इन्क्रीज इसमें था-एक लाख हैक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा, कर पाये, 31 हजार, 69 हजार की कमी रही। जहां तक इन्टेग्रेटेड रूरल प्रोग्राम का सवाल है, इसमें बेनिफिट देना था 50 हजार को, दे पाये 41 हजार, को शिड्यूल्ड कास्ट् को 28 हजार को देना था, दे पाये 17 हजार को। कुल 16 हजार 600 को देना था, दे पाये 11 हजार को। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं उसमें भी कमी रही।

नेशनल रूरल डवलपमेण्ट प्रोग्राम में जहां 62 लाख 40 हजार मैन डेज उपलब्ध कराने थे उसकी जगह 38 लाख 64 हजार मैन डेज निकाल पाये।

सभापति महोदय, चलिये, फैमिली असिस्टेन्स। शिड्यूल्ड कास्ट्स की फैमिली को असिस्ट करना था 62 हजार, की हैं 40 हजार। शिड्यूल्ड ट्राइब्स की फैमिलीज को करना था 28 हजार, कर पाये 25 हजार।

वाटर सप्लाई, जिसका बहुत हल्ला मचा था। प्रोब्लमेटिक विलेजेज का टारगेट था 32 हजार 200 का, कर पाये दो हजार।

सब्सिडी जहां 31970 लोगों को देनी थी, दे पाये 13860 को।

कहां दूसरे-तीसरे नम्बर पर हैं ? जो लक्ष्य हैं उनके आधे पर भी नहीं आ पा रहे हैं।

विलेज इलेक्ट्रिफाई करने थे 1100, कर पाये 754।

वैल्स एनरजाइज करने थे 11 हजार वहां कर पाये 7900।

फैमिली प्लानिंग-स्टर्लाइजेशन जहां करना था 2,94,000 वहां कर पाये 127000। और देखिये। पी. एच. सी. अप ग्रेडेशन। क्या हुआ आपकी घोषणाओं का ? माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, पिछले साल की घोषणाओं का क्या हुआ ? पी. एच. सी. और हैल्थ का पन्ना खुल गया है। इससे पिछले साल जितनी थीं, उस से भी कम हो रही हैं, तोड़ रहे हैं खोलना तो दूर रहा, तोड़ रहे हैं। अपग्रेडेशन करना था पी.एच.सी. का 7 का, कर पाये निल। पी.एच.सी. सेट-अप करनी थी 12, कर पाये निल, सब सेन्टर्स 500 खोलने थे कर पाये निल। यह आपकी बजट स्टडी कह रही है।

फेयर प्राइस शॉप्स। क्योंकि महगाई घटने का एक कारण बताया गया है कि हमने बहुत सारी उपभोक्ता दूकानें खोल दीं जिसमें महंगाई पर कन्ट्रोल होगा। यह एक साधन है पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का। लेकिन आप देखिये, फेयर प्राइस शॉप्स खोलनी थीं गांवों में 960, खोल पाये 501। मोबाइल खोलनी थीं 10, खोल पाये 7।

विलेज स्माल स्कल इण्डस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन करना था 5 हजार का, किया 4 हजार का। विलेजेज में हैण्ड लूम्स का करना था 1600 का, कर पाये 9200 का। एम्प्लॉयमेण्ट ऑफ आर्टिजन्स करना था 10 हजार का, वहां किया 5 हजार।

(श्री यदुनाथ सिंह)

मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, 20 सूत्र का इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है; चाहे राज्य गड्ढे में जाय, राज्य में कोई विकास हो या नहीं हो, राज्य में आने वाले समय में राज्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार ढांचा मिले कि नहीं मिले, राज्य का औद्योगीकरण हो कि नहीं हो, राज्य में पूरे क्षेत्र में सिंचाई कर पायें या नहीं कर पायें; कृषि उत्पादन कम से कम दुगुना कर पायें या नहीं कर पायें; यह इनका उद्देश्य नहीं है। इनका यह है कि येन केन प्रकारेण नेहरू परिवार को राज गद्दी पर बनाये रखें। यह केवल एक सूत्री कार्यक्रम है और कोई दूसरा कार्यक्रम है नहीं। सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में"

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों, सभापति महोदय ? बहुत टाइम है हमारा तो।

श्री सभापति : आप 20 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : 10 मिनट तो यह ले चुके हैं उसमें से।

श्री सभापति : नहीं, 20 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं, इसलिए कृपया समाप्त करिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अब लीजिए, जल प्रदाय योजनायें, मोटी मोटी बातों पर आता हूं। सभापति महोदय, जल प्रदाय योजनाओं में 82-83 में जहां खर्च किया था 28 करोड़ 89 लाख, वह इस साल खर्च कर रहे हैं 23 करोड़ 60 लाख। यानि एक साल पहले जो व्यय कर चुके, फाइनेंस एक्सजरेशन को छोड़ते हुए, इन्फ्लेशन को छोड़ते हुए, इससे भी कम पूंजी लगा कर राजस्थान के विकास की धारा को दिशा देना चाहें, तो यह सम्भव नहीं है।

विद्युत-जो मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहां का, उसके बारे में दो मिनट निवेदन करूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्षमा चाहूंगा, सभापति महोदय, 82-83 में विद्युत का प्रोविजन था 115.68 करोड़ रुपए और 83-84 में है 112.03 करोड़ रुपए, यानि पिछले साल बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जितना प्रावधान था, उससे इस साल और कम हो गया यानि 117 करोड़ ही रह गया। बिजली के बारे में, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी रोज घोषणा करते हैं कि सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना की जायगी, राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर लगेगा। जनता पार्टी के राज में 79 तक पालना की जितनी प्रगति थी, उसके आगे आपके राज्य में हुई नहीं....

एक माननीय सदस्य : गांवों में एक एक खम्भा खड़ा कर रखा था बिजली का....

श्री यदुनाथ सिंह : अब बिजली है क्या ××× गांव में ?

यह तो वित्त मन्त्री जी ××× बोल

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

रहे हैं ? सभापति महोदय, हमारा हिस्सा गया।

कोटा-स्टेज-2, दूसरा एटॉमिक पावर स्टेशन लगाने की बात थी। उसके बारे में मुख्य मन्त्री कुछ बोले, वित्त मन्त्री कुछ बोले इस साल में उसका काम शुरू करने में खर्च करेंगे एक नया पैसा ? रावी-व्यास की नदी पर, भाखड़ा नदी पर और, और जितनी भी परियोजनायें हैं. पानी हम दे रहे हैं, बिजली नहीं ले पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। 24-25 हजार मेगावाट का हमको नुकसान हो रहा है.... श्रीमान् और आप गीत गाये जा रहे हैं। सभापति महोदय,....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे यह सुझाव हैं कि केन्द्र से लड़िये, राज्य के हितों में सब एक हैं। यहां पर पूर्व में प्रस्ताव भी पास किया था, उसके बाद में पंजाब ने व्हाइट पेपर इश्यू किया जिसमें यह कहा कि थीन बान्ध और सब बान्धों का फैसला कर चुकी है, इन्दिरा गांधी ने फैसला कर दिया है, आपकी सरकार निकम्मी है। उसे निकाले...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किस में लगी हुई है ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप लोगों को सैट करने में लगी हुई हैं, आप लोगों को सैट करने में निकालने में, इसको निकालो, इसको यहाँ लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं किया.......

(व्यवधान)

तो, सभापति महोदय.......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आज तो आप जमे नहीं ?

श्री सभापति : आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बोलना चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक नहीं है लेकिन बोलना चाहता हूं..........

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : शेखावत साहब से जुड़ गये हैं इसलिये आपकी तबीयत ठीक नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप हमसे दूर हैं इसलिये.......

श्री सभापति : मेरे ख्याल से बात पूरी हो चुकी है ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बात पूरी कभी नहीं हो सकती। सभापति महोदय, इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण का मद हो, जनजाति क्षेत्र विकास का मद हो,

(श्री यदुनाथ सिंह)

ग्रामीण विकास का मद हो, कोई भी मद आप अगर देख लें तो आप पायेंगे कि उसमें पिछले साल की बजाय पैसे का प्रावधान कम किया है, रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर को बढ़ाया है, सरकारी खर्चे को बढ़ाया है विकास व्यय को कम करके अविकास व्यय को बढ़ाया है। घाटा 222 करोड़ रुपये से भी ऊपर साढ़े 222 करोड़ का है। उससे राज्य का आने वाले साल में भला होने वाला नहीं है, राज्य की दुर्गति होने वाली है। इस आधार पर मैं चाहूंगा कि यह सदन इस बजट का पूरी तरह से विरोध करे और जो राज्य की गति के पहिये को उल्टा करने वाला पहिया है उसको वापस आगे बढ़ाने के लिये काम करें।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : सभापति महोदय, 1984-85 का जो बजट प्रस्तावित है इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें सरकार ने रखी हैं जिसमें से खास तौर से बिजली, पानी, शिक्षा से सम्बन्धित, सड़क से सम्बन्धित और स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं। अभी विरोधी दल के एक साथी कह रहे थे, वह बेमन से बोल रहे थे अलबत्ता यह आवश्यक हो जाता है कि....

श्री सभापति : उनकी तबीयत ठीक नहीं थी आज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : उनकी तबीयत खराब थी, यही तो मैं कह रहा हूं कि वह बोलना नहीं चाहते थे, उनका बोलने का मन ही नहीं था परन्तु औपचारिकता निभानी होती है। विरोधी दल, जैसा कि सूर्य कुमार जी ने अभी कहा, का तो नियम यही है कि नकारात्मक पहलू के सिवाय ये आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। खैर, कोई बात नहीं।

जहां तक एक एक पाइन्ट पर, कुछ कमियां हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा और जो अच्छी बातें हैं उनका समर्थन भी बहुत आवश्यक है; क्योंकि जब तक विकास के कार्यों की सराहना नहीं करेंगे, अच्छे कामों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक अच्छाइयां आगे नहीं बढ़ेंगी। जब तक किसी कमी खामी को हम गम्भीरता से, छिछलेपन से नहीं, गम्भीरता से उधर इंगित नहीं करेंगे, अपने सुझाव नहीं देंगे तब तक बुराई कम नहीं हो सकती। इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक सदस्य अच्छाई-बुराई की दृष्टि से अपनी बात कहे। यह ठीक है कि विरोधी दल कमियों को ज्यादा से ज्यादा रुपये में नौ आने स्थान दे लेकिन अच्छाइयों को सात आने अपने भाषण में कहे परन्तु सोलह आने के सोलह आने यस और नो में बोलें, यह मुझे उचित नहीं लगता।

जहाँ तक हमारा विद्युत से सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि 1982-83 के अन्दर भी, वैसे तो जब जनता पार्टी को हमने राज संभलाया था तब 12 सौ मेगावाट बिजली उनको संभलाई थी, उन्होंने उतनी की उतनी हमको संभलाई, लौटायी, एक यूनिट भी उन्होंने नहीं बढ़ाई, परन्तु इसके बाद में

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

इसमें अगले दो वर्षों में काफी प्रगति की है, और गये मौजूदा वर्ष में 1401 मेगावाट बिजली थी वह 1707 45 मेगावाट बिजली, यह जनवरी, 1984 की बात है । इसमें हम काफी आगे बढ़े हैं ।

यह बात ठीक है कि कुल मिलाकर बिजली से बहुत अधिक काम प्रगति के लिये आवश्यक हैं, हमारे पास अपने संसाधन नहीं हैं जिनको कि हम अपने संसाधन कह सकें । प्रथमतः भौगोलिक कारण से ही समझ लीजिये हमारे पास खुद के साधन बहुत कम हैं । यह लिगनाइट आगे पेश कर रहे हैं जिसकी आगे काफी अच्छी संभावना नजर आती है, इससे हमारे खुद के सोर्सेज भी बढ़ेंगे और छोटे-छोटे बिजली घर, पन बिजली घर जैसे स्थानों पर हमें काफी लाभ होगा । परन्तु यह बात भी ठीक है कि अन्य प्रान्तों, जिनमें से खास तौर से हमको हिमाचल प्रदेश से बिजली के मामले में जितना हो सके, एक योजना के बारे में उनसे समझौता किया है लेकिन जितना आगे बढ़ सकें, हमको बढ़ना चाहिए ।

राजस्थान में ऊर्जा का विशेष स्रोत सूर्य जिस पर सारे विश्व में अनुसन्धान चल रहा है, क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, मौजूदा ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनमें कमी-खामी चल रही हैं और एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि इनसे हमारा विकास रुक जाय । सारे देश का और सारे विश्व का भी ध्यान ऊर्जा के स्रोत खास तौर से सूर्य की तरफ लोगों की निगाह है और सूर्य की राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में सबसे ज्यादा कृपा रहती है इसलिये मेरा सुझाव है कि इस मामले में सौर ऊर्जा की तरफ हमको खास तौर से ध्यान देना चाहिये और उसकी अभिवृद्धि के लिये जोर-शोर से प्रयत्न करना चाहिये ।

जहाँ तक बिजली के वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूँगा कि जहाँ भी बिजली की लाइनें खिची हुई हैं उसके आस-पास आज किन्हीं कारणों से विद्युतीकरण गाँवों का नहीं हुआ है । उन गाँवों का कम खर्चे पर विद्युतीकरण हो सकता है, उनका विद्युतीकरण होना चाहिये । दूसरी यह बात भी सही है कि जिन गाँवों में बिजली लग गई है उनमें बहुत से किसानों का बिजली की कमी के कारण आजकल नम्बर नहीं आ रहा है । हम 11 हजार कुओं को कनेक्शन्स देंगे, 11 सौ गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे । एक दृष्टि से तो ठीक मालूम पड़ता है कि आखिर जिन गाँवों में बिजली नहीं मिली है उन गाँवों को बिजली दी जानी चाहिए परन्तु दूसरे माने में विरोधाभास की बात नहीं है लेकिन जिन गाँवों के अन्दर संसाधन पहुँचाकर विद्युतीकृत किया है उनके शेष बचे हुए लोग लाइन का इन्तजार करते रहें । दूसरे गाँवों में संसाधन झोंककर बहुत कम प्राप्ति कर सकें उसके बजाय सघन विद्युतीकरण योजना हमको चलानी चाहिए । उदाहरण के तौर पर मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसका लगभग 56 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और जिसमें भविष्य में सिंचाई के संसाधनों की गुंजाइश नजर नहीं आती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे जयपुर जिले का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जाय। अधिकांश पंचायत समितियों का 70, 80, 58, 60 के करीब पर्सेन्टेज पूरा हो गया है। ऐसी पंचायत समितियों का तुरन्त नम्बर लिया जाना चाहिए ताकि शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाय।

बिजली के सम्बन्ध में एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, वितरण से सम्बन्धित बात है। यद्यपि कई बार इस सम्बन्ध में चर्चा विस्तार से हो चुकी है फिर भी इस साल तो काफी संतोषजनक स्थिति रही लेकिन रबी की फसल के टाइम पर यह बात ठीक है कि उद्योगों को बिजली मिलनी चाहिये लेकिन खेती को पहले बिजली दी जानी चाहिये। उसके लिये रबी की फसल का 3 महीने और अधिक से अधिक 4 महीने काम होता है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उन चार महीने में हम अपने सारे संसाधन लगाकर रबी की फसल पूरी कर लेंगे, इस सम्बन्ध में सिद्धान्त तय कर लेना चाहिए। बाकी 8 महीने खास तौर से गर्मी के 4 महीनों के अन्दर आप उद्योगों की कमी-खामी पूरी कर सकते हैं परन्तु रबी की फसल में कमी होती है वह नहीं होनी चाहिये। अब के वर्ष में गये साल के मुकाबले रबी की फसल के लिये ठीक से बिजली दी गई है परन्तु फिर भी शीतलहर से कमी-खामी आई है। यह जानते हुए कि शीत लहर के कारण सरकार गाँव के लोगों की मदद न करे इसलिये उन फसलों, जिनमें शीतलहर का अधिक प्रकोप हुआ है, को मैं समझता हूँ कि अधिक पानी देने से उनमें थोड़ा बहुत पुनर्जीवन आ सकता है, उनको मदद मिल सकती है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जहाँ तक सिचाई का सम्बन्ध है, हमने जो व्यवस्था की है जैसे कि 264 करोड़ रुपये के साधन हमने उपलब्ध कराने की बात की। इससे 165·45 करोड़ की पूर्ति केन्द्रीय सहायता व कर्जों से करने की बात की है परन्तु मैं यह कहता हूँ कि सिंचाई के मामले में जो व्यवस्था है यह भी कम है। इसको हमको अधिक बढ़ाना चाहिये क्योंकि कृषि प्रधान देश है। खास तौर से इस प्रान्त के सिंचाई के मामले में केवल राजस्थान नहर या माही परियोजना आदि का जो अच्छा कार्य चल रहा है जिसकी हम सब तारीफ करते हैं, मैं भी करूंगा तारीफ, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। राजस्थान के खास तौर से उत्तरी पूर्वी भाग आठ-दस जिलों, जयपुर और दूसरे जिलों के अन्दर पहले से ही कुओं से सिचाई होती है। उनमें भी कुओं का पानी निरन्तर नीचे जा रहा है, वह हमारे लिये खतरे की घण्टी है। इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

हमने एक जल विकास बोर्ड बनाया। यह बड़ी खुशी की बात है कि वह बोरिंग वगैरह भी करेगा और संसाधन जुटायेगा पानी के परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि बोरिंग केवल उस जगह कामयाब होता है जहाँ जमीन में पानी है। यदि पानी की ही जमीन में कमी है तो ऐसी सूरत के अन्दर बोरिंग कुछ लाभ नहीं दे पाता है। इन आठ-दस जिलों के अन्दर, खास तौर से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अन्दर, हर साल एक फुट दो फुट, डेढ़ फुट पानी का स्तर जमीन से नीचे जाता है। पहले से जिन इलाकों में

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सेजे का पानी था, वह सेजे का पानी भी बहुत नीचे जा रहा है। अधिकांश जगह तो झरने का पानी है उस जगह पानी की भयानक कमी हुई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि लघु सिंचाई से सम्बन्धित जो हमारा पैसा है, वह पैसा हमें बढ़ाना चाहिये। स्थानीय बरसाती पानी को रोकने की व्यवस्था खास तौर से इन जिलों में करनी चाहिये।

हमने इस बजट में यह भी इंगित किया है कि राजस्थान से बाहर जाने वाले पानी को भी हम रोककर राजस्थान में उससे सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। इस सम्बन्ध में भी पूर्वी राजस्थान की साबी नदी, बाण गंगा नदी और ढूंढ नदी की तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। यद्यपि ढूंढ नदी में कानोता के पास एक बांध बनाने की इसमें स्वीकृति की बात है परन्तु जहां तक मैं जानता हूँ इस ढूंढ नदी के उत्तरी ऊपरी सिरे पर जब तक छोटे-छोटे दो-तीन एनीकट एक भानपुर कलां के पास, एक इन्द्रगढ़ के पास, एक रामगढ़ रोड़ के आसपास नहीं बनाया जायेगा तब तक कुओं में पानी की अत्यधिक कमी है उसको दूर नहीं किया जा सकेगा। कहीं सिंचाई विभाग आगे चल कर यह दिक्कत पैदा न कर दे कि यह कानोता का बांध बँध गया इसलिये इसके केचमेन्ट एरिया में दूसरे एनीकट नहीं बनाये जा सकते। आज भी वही पुराना सिद्धान्त है, यदि एक बड़ा बांध बना दिया जाए तो उसके ऊपर जितना इलाका है, केचमेन्ट एरिया के नाम पर पानी रोकने की इजाजत नहीं दी जायगी। वह पुराना सिद्धान्त आज के जमाने में बिलकुल फिट नहीं है। आज तो जरूरी यह है कि प्रत्येक पानी के स्रोत चाहे वह कैसा ही छोटा या बड़ा नदी नाला हो, को एक-एक किलोमीटर पर, नहीं तो हर दो किलोमीटर पर रोका जाना चाहिए क्योंकि हर डेढ़ दो किलोमीटर पर रोकने से पानी का रूकाव कुओं के अन्दर पानी बढ़ाने में, सेजा करने में मदद करता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, एक विशेष बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बरसाती पानी को रोकने के लिए हमको गम्भीरता से प्रयत्न शुरू करने चाहिए। अभी हमने इसमें शुरूआत ही नहीं की है। केवल बड़े बांध, जो पहले से प्रस्तावित हैं, बड़ी योजनायें या लघु या मध्यम या लघु सिंचाई के नाम पर ऐसी योजनायें, जिनसे सिंचाई कानून के अहत डाइरेक्ट पिलाई हो सकती है, की ओर ही हम ध्यान देते हैं। डाइरेक्ट पिलाई वाली बात को ही ध्यान में न रख करके जिससे इन्डाइरेक्ट कुओं में पानी भरता है उनकी हमने अभी तक शुरूआत नहीं की है। उनकी हमको शुरूआत करनी चाहिये।

कृषि से सम्बन्धित कामों पर हमने जो इस बजट में व्यय किया है वह 77.65 करोड़ रुपया है। मैं कृषि विभाग के व्यय के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। यह एक ऐसा विभाग है जिस पर खेती के नाम पर इतनी बड़ी धनराशि तो खर्च की जाती है पर यदि हम इसके डिटेल में जायेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बड़े-बड़े आफिसरों और बहुत बड़े स्टाफ के खर्चे में अधिकांश लगायी जाती है। कृषि विभाग के नाम में कृषि

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

शब्द लगा होने से ही किसान को यह विश्वास होता है कि शायद सीधे ही डाइरेक्ट उसको कुछ मदद मिलती होगी। पर वेतन-भत्तों पर ही सारा पैसा खर्च होता है। मेरा निवेदन यह है कि कृषि के बजट में किसानों को मदद करने जैसी बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी कल परसों ही एक तारांकित प्रश्न के सिलसिले में सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की थी कि खाद और जो कृषि यन्त्र हैं इन पर हमारे राजस्थान में कर ही नहीं है बल्कि बहुत अधिक कर है जबकि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे प्रान्तों में इन पर कर नहीं लगाया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को हमको साधारण वे में नहीं लेना चाहिये और इसको गम्भीरता से सोचना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ेगा राशि का और किसानों के काम की जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक औषधियां हैं और जो कृषि के यन्त्र हैं उन पर बिक्री कर और साथ साथ एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाकर महंगाई का वातावरण बना हुआ है। यह गरीब किसानों के लिए कमर तोड़ बात है। मेरा निवेदन है कि इन पर माननीय वित्त मन्त्रीजी जरूर विचार करेंगे। ऐसा लगता है कि वह उत्तर देंगे तब किसानों को राहत पहुंचाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। बीस सूत्री कार्यक्रम का कुछ मित्र नाम लेते ही न मालूम क्यों चमकते हैं, विरोधी दल ने आदत बना रखी है। पेपर में आज पढ़ा, मेनका गांधी भी कहती हैं कि बीस सूत्र क्या है। भई, बीस सूत्र याद नहीं हैं तो पूछ लो, समझ लो, नहीं तो बीस सूत्री कार्यक्रम में दो ही सूत्र बड़े हैं। एक देश की आम तौर पर तरक्की करना और एक व्यक्ति की तरक्की करना। एक तो व्यक्ति की उन्नति के लिए कार्य और सारे समाज की उन्नति के लिए कार्य। यह दोनों ही सूत्र समझ लो बीस में से। आपको बीस समझ में नहीं आवें तो दो सूत्र ही समझ लो।

(व्यवधान)

आप मोटे तौर पर दो समझने लगोगे तो फिर आगे-आगे मैं आपको तीन-चार करके बीस तक समझा दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो के आगे शून्य है।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : आप दो समझ जायेंगे तो बीस पर भी आ जायेंगे। आप हिलो तो सही, हिलते ही नहीं हो आप तो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें कृपया, माननीय सदस्य। कृपया बिराजें, कृपया व्यवधान न डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको तो बीस सूत्र याद होंगे, बीस सूत्र गिना दो।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मान्यवर, इन मित्रों की बीस सूत्री कार्यक्रम से चमक पर

Page No 103

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

एक बात याद आ जाती है। बहुत पहले की बात है सन् 52–53 की। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, मैं एक नई बैल जोड़ी लेकर जब खेती के लिये गया था तो चाहे जैसे खेत जोतने में तो काम देते थे नये बैल थे, चमक भी थी, कुछ ताकतवर भी थे....

श्री महाराम चौधरी : नागौर के थे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह नागौर के तो नहीं थे, हमारे स्थानीय थे।

परन्तु क्या हुआ, साहब कि जब उनको हल में जोतने की बात हुई जब तो चाहे जैसे कर लिया पर जब उनको कुएँ पर जूड़ी में लगाया और नाड़ी देने लगे तो हाथ ही नहीं धरने दें। ऐसे चमक, साहिब, जिसकी कोई हद ही नहीं। बड़ी मुश्किल। तो मैंने यह कहा कि जैसे वे बैल चमकते थे, कुओं में से पानी निकालने से एकदम दूर भागते थे बिलकुल ठीक वैसे ही विकास का कार्यक्रम, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हो रहा है, इतने बढ़िया काम को भी ये माननीय मित्र नकारना चाहते हैं। यह कहते हैं कि कोई बीस सूत्र नहीं, यह सब बकवास है। अरे भई, इतनी चमक क्यों है ? यह जो गांवों में काम होने लगा है और हो रहा है उससे इनके केवल बहकाने के वोट हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि ये रचनात्मक सुझाव नहीं देते। माननीय सदस्य कहीं जायेंगे तो केवल नकारात्मक भाषण देंगे, किसी की बुराई करेंगे। अब लोग यह समझ गये हैं कि ये बुराई करने वाले लोग हैं। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, बार-बार कहना ठीक नहीं है इन मित्रों के लिये क्योंकि आदरणीय मित्र हैं, बाकी लोग इनको जोंक से जोड़ने लगे हैं। कल भी मैं एक आदिवासियों के गांव गया था तो गांव के कार्यकर्ता कहने लगे, महाराज यह विरोधी दल का काम तो जोंक की नाई छै, कोई न कोई खामी ढूंढे छे। सरकार के किसी न किसी काम में, कहीं भी चले जाइये पर उसमें कुछ न कुछ कमी खामी तो रहेगी। मगर इनका ध्यान कमी खामियों की ओर ही रहेगा।

इसमें, सभापति महोदय, इनको ही नुकसान हो रहा है वह बात नहीं है इससे हमको भी नुकसान हो रहा है। विरोधी दल के लोग आंख मूंद कर चलते हैं तो क्या करें। इनका तो, सभापति महोदय, काम है कहीं पर गोलीकाण्ड में सहयोग करना या उसको करवाने के लिये लोगों को भड़काना। यह तो इस प्रकार के × × × काम करते हैं फिर यहां पर आकर सदन में चार छः घन्टे का समय खराब करके सदन का वातावरण खराब करते हैं। जवाब दिया जाता है तो उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं और यहां से भाग जाते हैं। सभापति महोदय, आखिर सदन का जो टाइम है, जो यह जाया करते हैं वह काफी कीमती होता है। आखिर यह पैसा हमारे देश की गरीब जनता के टैक्स के रूप में वसूल करके यहां पर खर्च किया जाता है। सदन का एक एक मिनट काफी कीमती होता है। हमारे मित्र लोग जो कि यहां पर बैठे हैं सामने, यह बात नहीं कि सभी नये हैं, इनमें काफी सदस्य ऐसे हैं जो कि अनुभवी हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह लोग सदन में अमूल्य सुझाव दें। पर

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

वह तो चमक कर भाग जाते हैं × × × पर इनमें कई बुजुर्ग हैं. × × पुराने भी हैं। नये चमकते हों तो कोई बात समझ में आती है पर जो पुराने हैं वह पता नहीं क्यों चमक कर भागते हैं।

खैर, मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम सभी की भलाई के लिये है। इससे सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की बात है। पर इसमें भी एक खामी को अगर निकाल दिया जाये तो बहुत अच्छी बात है। वह खामी यह है, सभापति महोदय, आज जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है वह अधिकांशतः हमारे यहां की नौकरशाही के द्वारा सम्पन्न होता है। पर नौकरशाही का अभी तक मानस ही नहीं बना है कि वह सुचारु रूप से चले क्योंकि इसमें तो गरीबों को लाभ पहुचाने की बात है। सभापति महोदय, विशेष तौर से मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैंक के कर्मचारी लोग हैं उनमें खास तौर से यह भावना नहीं है। इसके लिये हमारे भारत सरकार के जो वित्त मन्त्री जी हैं उन्होंने वह विचार प्रकट किया कि आज जो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं वह अमीर लोगों को तो रुपया देते हैं जी हुजूरी करके पर गरीब लोगों को पैसा देने में इनको बहुत बड़ा दुख होता है। अमीर को चैक जी करके देते हैं पर गरीब को पैसे देने में इनका जी बहुत दुखता है। वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे अपनी कमाई का पैसा दे रहे हों। वह लोग गरीब वर्ग के लोगों को बहुत तंग करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो नियम बने हुए हैं उनका सरलीकरण किया जाना चाहिये। इसके अलावा मेरा सुझाव यह है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें स्थानीय लोगों, जो कि वहां के प्रतिनिधि हैं, का सहयोग लेना चाहिये। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इसमें विरोधी दल के मित्रों का भी सहयोग लेना चाहिये क्योंकि वह लोग भी जन प्रतिनिधि हैं और वह भी चुने हुए हैं। इनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये पर वह लोग तो 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से ही चमकते हैं। अब यह अगर हम नहीं करते हैं तो यह कहेंगे कि इसमें कांग्रेसी सदस्यों को क्यों लिया गया है। इसके लिये मेरा निवेदन यह है, भाई, आपके ही लखणों की वजह से आपको इसमें नहीं लिया है। मेरा तो यह सुझाव है कि इसमें विरोधी दल के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि वह भी जन प्रतिनिधि हैं। पर यह तो, जैसा कि मैंने कहा, 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से ही चमकते हैं और भागते हैं। इनके पास तो एक काम है कि असेम्बली में फालतू समय वेस्ट करते रहें गरीब जनता के लिये काम नहीं करना चाहते। मैं तो यह कहूंगा, इनको चाहिये कि जो यह आदत है इसको बदलें। मैं तो इसके लिये सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह जन प्रतिनिधि हैं इनको भी जिम्मेदारी का काम सौंपो। आखिर यह भी जिम्मेदार लोग हैं इनके इलाके में भी यह 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं। उनमें अगर कोई खामी हो तो यह उसको दूर कराकर इसका लाभ अपने क्षेत्र में पहुंचावें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No 105

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम को नौकरशाही के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उन लोगों में गरीब लोगों की मदद करने की भावना नहीं है। होना यह चाहिये कि हमारे अन्दर एक कम्पीटीशन हो कि कौन कितना जनता के बीच में जाकर गरीब लोगों की मदद करता है। परन्तु, सभापति महोदय, बात यह है कि पार्टीज का गठन किया गया है वह निहित स्वार्थ को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है। निहित स्वार्थ को किस तरह से प्रतिपादित किया जाय इसके लिये यह काम करते हैं। इनकी तो यह हालत है, सभापति महोदय, इनकी ऊपर से डोर खिचती है उसी के ऊपर यह चलते हैं। वास्तव में यह गरीब का भला करना ही नहीं चाहते। चूंकि हमारे यहां चुनाव होते हैं इसलिये ऐसे लोग चुन कर आते हैं तो विधायक की हैसियत से विधान सभा में और सांसद की हैसियत से लोक सभा में इनके मुख से बेमन से गरीब के भले की बात कभी कभी निकल जाती है। परन्तु वास्तव में यह उनका भला नहीं चाहते। मैं तो यह कहना चाहूंगा, इन्हें चाहिये कि यह लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में जाकर जो अनुसूचित जाति या जन जाति के लोग हैं या गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हमारे यहां के शिक्षित बेरोजगार लोग हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको हमारी सरकार इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ों अरबों रुपये की मदद कर रही है इसको अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करके अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचायें। आप जाकर उनका मोनिटरिंग करें, आप जाकर देखें कि इसमें कहां पर खामी है। पर यह लोग जाते नहीं हैं और चमक कर भागते हैं। इनका तो काम ही यही है कि किसी प्रकार झगड़े टन्टे होते रहें। यह अपना समय उसमें ही पास करते हैं। यह गरीब की मदद तो करना ही नहीं चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में, हम शिक्षित बेरोजगारों की मदद करना चाहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, शिक्षित बेरोजगारों के लिये हमने नयी योजना बनायी है किन्तु हमारे सामने बैठने वाले मित्र उन शिक्षित बेरोजगारों को जाकर भड़काते हैं जैसे कि कल मेनका गान्धी ने अपनी सभा में कहा कि आप में से कितने लोगों को कितना ऋण मिला। तो जिन को मिला वह तो बोले नहीं पर जिनको नहीं मिला उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिये। इस तरह लोगों को किसी तरह से भड़काना और शिक्षित बेरोजगारों में असन्तोष पैदा करना ही इनका काम है। जैसा कि हमारी सरकार ने कहा, हम 15 हजार शिक्षित बेरोजगारों को काम देंगे। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आप 15 हजार युवकों की डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनायें। इसका प्रचार होना चाहिये, हमें यह पता लगाना चाहिये कि अमुक अमुक जगह पर इतने शिक्षित बेरोजगार हैं और इतने गरीब वर्ग के लोग हैं, इतने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसके बाद से प्रायोरिटी फिक्स की जानी चाहिये और प्रायोरिटी के अनुसार लोगों को काम

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

मिलना चाहिये। नहीं तो यह विरोधी पक्ष के लोग जनता में असन्तोष फैलाते हैं।

जहां तक हमारी शिक्षा का मामला है हमने इस साल एक हजार प्राथमिक पाठशालायें खोलने की घोषणा की है। पिछले साल भी हमने 1200, 1300 प्राइमरी स्कूल खोले थे। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। इसके अलावा हमारे यहां पर 6000 मिडल स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई थी, इस साल भी खोल रहे हैं। यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूल आपने खोलने की बात कही और 3 हजार अध्यापकों के नये पद सृजित करने की भी घोषणा की है, यह भी बहुत ही खुशी की बात है। पर जो स्कूल हम खोलने जा रहे हैं और जो पद हमने सृजित किये हैं उसमें एक बात तो बहुत ही आवश्यक है। जो अभी स्कूल चल रहे हैं वह स्कूल के तौर पर नहीं चल रहे हैं क्योंकि अध्यापकों की संख्या कम है। एक एक स्कूल में सौ सौ लड़कों पर एक अध्यापक नियुक्त किया हुआ है। बेचारा अध्यापक बच्चों को बैठायेगा या बच्चों को पढ़ायेगा। एक अध्यापक द्वारा इतने बच्चों को पढ़ाने का सवाल है। मेरा निवेदन यह है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक जो मूल जड़ है उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं। हम आज प्राइमरी शिक्षा पर क्या खर्च करते हैं। स्थिति यह है कि ज्यों ज्यों हमारे यहां पढ़ाई ऊपर की ओर जाती है त्यों त्यों उस पर खर्चा बढ़ता जाता है। जितना बजट प्राइमरी स्कूलों के लिये है उससे ज्यादा मिडल स्कूलों के लिये है और आगे कालेज शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। गरीब जनता का टैक्स पर पैसा ऊपर की शिक्षा पर अधिक खर्च होता है। उसका अन्त यह होता है कि जब पढ़ लिख कर कोई भी व्यक्ति कालेज और यूनिवर्सिटी से निकलता है तो नौकरी की बात सोचता है, धन्धे की बात तो वह सोचता ही नहीं है क्योंकि धन्धा करने की हमारे लोगों की आदत ही नहीं है। जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है वह दोषपूर्ण है। वह तो नौकरी पेशा लोगों को ही पैदा करती है। हमें इस मौजूदा शिक्षा पद्धति को बदलना है। जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने कहा, मैं तो कहता हूं कि इसको तुरन्त बदलना चाहिये। नहीं तो शुरू में क, ख, ग पढ़ने वाले बच्चे पर तो बहुत ही कम पैसा खर्च होता है जबकि होना यह चाहिये कि जो शिक्षा का बजट है उसका आधा बजट तो मेरे सुझाव के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च किया जाना चाहिये चाहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल कुछ समय के लिये खोलने पर हमें ब्रेक ही लगा देना पड़े। ताकि प्राथमिक शिक्षा तो पूरी हो जाय। नहीं तो होता यह है कि हम कालेज और दूसरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की कक्षायें खोलते रहे हैं। उसका नतीजा यह होता है कि हम बेरोजगार की एक लाइन खड़ी कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम हमारे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे कि पढ़ लिखने के बाद लड़के को यह तो पता लग जाय कि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उसे क्या करना है। आज जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने कहा, हमारे यहां पर जो यह 10+2 और 10+3 है वह हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें ताकि एक लड़का जब दस कक्षा पढ़ जाये तो मैट्रिक करने के बाद उसको पता लगे कि उसे क्या करना चाहिये। नहीं तो स्थिति यह है कि शिक्षित बेरोजगार की लाइन लग जायगी। आज तो स्थिति यह है कि मैट्रिक पास तो क्या, सभापति महोदय, आज का जो ग्रेजुएट है वह भी कुछ सोचने की स्थिति में नहीं है कि वह क्या करे। मैं तो इतना तक कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आज का ग्रेजुएट शुद्ध प्रार्थना पत्र भी नहीं लिख सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चा कमजोर रह जाता है। वह शुरू से ही कमजोर होता है। आगे तो वह बढ़ता जाता है आप उस पर पोथे के पोथे लादते हैं, बहुत भारी पैसा भी खर्च उस पर करते हैं पर वह कुछ भी नहीं कर सकता है। वह कालेज में जाकर हुड़दंग करता है। आज वातावरण ही ऐसा हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह बच्चे को अच्छी तरह से दी जाय इसके लिये शिक्षा के बजट का आधा पैसा उसी पर खर्च करना चाहिये। आज जो प्राथमिक शिक्षा है जैसा कि मन्त्रीजी ने बताया था, बारह हजार अध्यापकों की आवश्यकता है। आप आज भर्ती करने जो जा रहे हैं वह सिर्फ तीन हजार अध्यापक ही भर्ती करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं यह तो बहुत कम संख्या है। इन तीन हजार अध्यापकों में से एक हजार तो जो प्राइमरी स्कूल आप खोलने जा रहे हैं उसमें ही चले जायेंगे। फिर बाकी बचे हमारे पास दो हजार अध्यापक। हमारे यहां पर जब 12 हजार अध्यापकों की आवश्यकता है और हमारे पास सिर्फ दो हजार अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। इसके अलावा जुलाई के महीने में और छात्र लोग आयेंगे, नये भर्ती होंगे। होने भी चाहिये क्योंकि हमारी नीति है कि हम शत प्रतिशत अनिवार्य शिक्षा में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी को अनिवार्य शिक्षा कम से कम प्राथमिक स्तर तक तो मिले। इसके लिये हमें गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमें हमारे यहां पर प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों के पद सृजित करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वित्त मन्त्री जी शिक्षा मन्त्री जी के अनुरोध, जो उन्होंने बारह हजार अध्यापकों का भेजा है, पर और गौर करेंगे और अपने जवाब में यह तीन हजार प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक हैं इस संख्या को बढ़ाने की कृपा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

सभापति महोदय, जहां तक उर्दू को तरजीह मिल रही है, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई उर्दू सीखना चाहते हैं। हमारे देश में खास तौर से उत्तर भारत में उर्दू का प्रचलन काफी है, लेकिन इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा को जो साधारण वे में सांस्कृतिक शिकार बनाया जा रहा है इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत स्कूल में पढ़ने वाला लड़का किसी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भी अन्य स्कूल के लड़कों से कभी पीछे नहीं रहता बल्कि एक विषय ज्यादा सीखकर अधिक पारंगत होता है। मेरा सुझाव है कि जितने भी स्कूल खोले जायं चाहे वह प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी खोले जायें उसका हमको एक पर्सेंटेज तय करना चाहिए, संस्कृत शिक्षा के लिए और वह न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए, जितने स्कूल हम खोलेंगे 10 प्रतिशत हम संस्कृत के खोलेंगे। जैसे हम एक हजार प्राईमरी स्कूल खोलेंगे। जैसे हम एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे तो न्यूनतम हमको एक सौ स्कूल संस्कृत के खोलने चाहिए। छः सौ में से 60 मिडिल स्कूल हमको संस्कृत के खोलने चाहिए। दो सौ हम सैकण्डरी स्कूल खोलने जा रहे हैं उसमें भी हमको उसी प्रकार से दस प्रतिशत के हिसाब से ही संस्कृत के सैकण्डरी स्कूल खोलने चाहिए क्योंकि संस्कृत इस देश की ही नहीं, विश्व की भाषाओं की जननी है। आज दुनिया का विकास जो हमें नजर आ रहा है, जो पश्चिम के मुल्कों के जरिये हमारे पास पहुंच रहा है यह सब हमसे उधार लेकर गये हैं। वही संस्कृत के ग्रन्थों से उसी का अध्ययन करके कुछ जोड़कर कुछ घटाकर मौके के हिसाब से यह तरक्की दुनिया की हो रही है। उसमें संस्कृत की बहुत बड़ी देन है। माननीय सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा की अधिक तरक्की के लिए अधिक पैसा आप अलग से मत खर्च कीजिए, आप मौजूदा बजट में से ही कम से कम 10 प्रतिशत संस्कृत के नाम अलाट करने की कृपा कीजिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : डिस्पेंसरियां जो हम खोलने जा रहे हैं, नई डिस्पेंसरियां पहले 15 खोलने की बात थी, नई डिस्पेंसरियों का नम्बर लगाकर स्वास्थ्य केन्द्र वगैरह आगे बढ़ा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी हमको यह तय करना चाहिए, पंचायत समितियां, जिनकी आबादी डेढ़ लाख से ऊपर है, में तुरन्त दो-दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने चाहिए। कई जगह पंचायत समितियों में आबादी साठ-सत्तर हजार की है और कई पंचायत समितियों में आबादी डेढ़ लाख, पौने दो लाख की है। बिना किसी भेदभाव के यह तय करना चाहिए कि जिस पंचायत समिति की आबादी एक लाख से ज्यादा है वहां निश्चित तौर से दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे यह हमको तय करना चाहिए।

आयुर्वेदिक दवाखाने 200 खोले जा रहे हैं। मैं इस काम से प्रसन्न हूं, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी ने अच्छा काम किया है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आयुर्वेदिक दवाखाने गये दो साल से नाम के दवाखाने हैं। हम इसके लिए बजट भी बहुत कम रखते हैं। परन्तु जो कुछ वित्त मंत्रीजी ने कृपा करके आयुर्वेद की दवाओं के लिए प्रावधान किया है उनमें नौकरशाही की चख-चख से दवाइयां ही नहीं खरीदी गई, दो साल से लगातार आयुर्वेदिक दवाखानों में औषधियां न हों और रुपया होते हुए औषधियां नहीं हैं, पास में पैसा नहीं है तो और बात है। मैं समझता हूं कि

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

आयुर्वेद मंत्रीजी चाहते भी होंगे कि औषधियां खरीदी जायं, पर केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से, माफ कीजिएगा, काम नहीं चलेगा। सारी बीमारियों के एक डाक्टर जो आई. ए. एस. हैं यह सारा बंटाधार हमारे देश का करते जा रहे हैं। हर महकमे में हर काम के लिए आई. ए. एस., हम काम का विशेषज्ञ आई. ए. एस.। यह आई. ए. एस. न मालूम अपने को, क्या समझता है। यह असल में बेचारा गरीब आई. ए. एस. बना है कागजी और पढ़ाई के जरिये, जिसके जरिए कानूनी खामी पूर्ति का नोट लगाना, उसमें ओब्जेक्शन करना, उसने अपना काम बना लिया है। उसका ध्यान आम जनता की तरफ नहीं है। नोटिंगबाजी से दो-दो साल से दवाखानों में दवाई न होने का असर उन गरीब बीमारों पर किस तरह पड़ रहा होगा जिसकी वजह से लोग दुःख पा रहे हैं।

मैं समझता हूँ इसके लिए हमको एक औषधि निगम की स्थापना करनी चाहिए ताकि इनकी खरीद-फरोख्त, जैसा कहते हैं, के लिये हमने टेण्डर ले लिये, टेण्डर लेने के बाद बाजार भाव और ऊँचे हो गये और नहीं खरीद सके। दुबारा टेण्डर करेंगे और फिर 6 महीने निकाल देंगे। मैं समझता हूँ जो बाजार भाव हो उसके हिसाब से खरीद लो, इसके लिये योग्य समझदार लोगों का औषधि निगम बनाना चाहिए और आयुर्वेद औषधियां मुहैया कराने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं, आयुर्वेदिक औषधि की महिमा हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों के अन्दर, खास तौर से उत्तर पूर्वी एशिया के अन्दर है। मुल्कों से हमारे यहां कई डेलीगेशन आते रहते हैं। वह हमसे कुछ सीख कर जाना चाहते हैं। वह भले आदमी हममे इतने प्रभावित हैं कि वह एलोपेथिक का बॉयकाट करके आपके आयुर्वेद का अपने देशों में प्रचार चाहते हैं, उसका मार्ग-दर्शन वह भारत से लेना चाहते हैं। हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। अगर आयुर्वेद में कोई कमी-खामी है तो शास्त्र विधि से तैयार की हुई औषधि न मिलना है। पुराने से पुराने रोगों की औषधियां शास्त्रों में इतने बढ़िया तरीके से लिखी हुई है कि आज भी उनका कोई जवाब नहीं। लेकिन आज लिखी हुई विधि से इसे कौन तैयार करे। आप अगर यह अपेक्षा करें कि पुराने जमाने की तरह हर वैद्य अपनी औषधि खुद बनाएगा, यह तो संभव नहीं है। संभव यह है कि सरकार को जितने भी शास्त्रों में नुस्खे हैं उनके आधार पर औषधि निगम बनाकर उसके जरिए आयुर्वेदिक औषधियां पर्याप्त मात्रा में न केवल सरकारी दवाखानों के लिये, प्राइवेट लोगों के द्वारा खरीदने के लिए, विदेशों में निर्यात के लिए भी तैयार करनी चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है....

श्री दाऊदयाल जोशी : यहां तो अपने ही दवाखाने में 1200 रुपये प्रतिमाह वेतन वैद्य को दिया जाता है जब कि 60 रुपयें की दवा दी जाती है। 1200 रुपये माहवार वैद्यों का वेतन और दवाखाने के लिए सिर्फ 60 रुपये की दवा है। आप किस चक्कर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में पड़ रहे हों। अंधों के सामने रोना अपनी आंखें खोना।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हां, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि पेयजल के मामले में राजस्थान ने अपनी उपलब्धि हासिल की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस राजस्थान में पानी को घी से भी ज्यादा महंगा माना जाता था, लोग कहते थे घी तो मिल जाता है मारवाड़ में लेकिन पानी नहीं मिलता था, आज हमने वहां पानी की व्यवस्था की है। कांग्रेस सरकार ने प्रान्त के विकास के लिए बहुत ही कीमती बात की है। परन्तु पेयजल योजनाओं में एक-दो खामियां चल रही हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। जब सर्वे किया गया था तो बहुत से गाँव नौकरशाही के सर्वे के जरिये समस्या ग्रस्त नहीं माने गये जब कि वह गांव नियमानुसार समस्या ग्रस्त थे। आज भी कई तहसीलों में एक बटा तीन, एक बटा चार गांव ऐसे हैं जो समस्या ग्रस्त तो वस्तुतः हैं लेकिन उनको समस्याग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। इसलिए वहां पर कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं होती है। सर्वेयक की गलती से जो गांव समस्याग्रस्त घोषित नहीं किये गये वहां पर लोग प्यासे मरते हैं, उनकी समस्या की ओर क्या हम ध्यान नहीं देंगे ? हम केवल सर्वेयर से नहीं बंध सकते, हमको असलियत से बंधना पड़ेगा और वहां पर सर्वे दुबारा करवाना पड़ेगा। जो गांव समस्याग्रस्त हैं उनको नियमानुसार समस्याग्रस्त घोषित करना चाहिए। उसमें भारत सरकार से रकम तो आती ही है, हमने जो बजट में प्रावधान किये हैं उनमें खास तौर से उन गांवों को लेना चाहिए जो समस्या ग्रस्त घोषित नहीं। वास्तव में जो समस्याग्रस्त हैं उनको हम घोषित करें और वह जो बजट में रकम है ज्यादातर उन गांवों को दी जाय। ऐसे गांवों, जिन्होंने अपनी हिस्से की पूंजी जमा कराई है, को आज से आठ, दस, बारह साल पहले यह था कि एक प्रतिशत रकम जमा कराओगे तो हम पेयजल योजनाएं बनायेंगे। लोगों ने ढाई-ढाई, तीन-तीन साल का रुपया, मेरे ही क्षेत्र में सामोद में रुपया जमा कराया जो बैराठ तहसील का एक हिस्सा है। जमुवा रामगढ़ चुनाव हुए 13 साल हो गये हैं जब लोगों ने ढाई हजार रुपये जमा कराये थे, अब उनको जवाब मिलता है कि तुम समस्याग्रस्त गांवों की लिस्ट में ही नहीं हो। बड़ी मजाक होती है सरकार की। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमसे वायदे किये हैं, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन हमने जमा किया है उसका कोई अर्थ नहीं है, यदि यह कहें कि यह समस्याग्रस्त नहीं है। अगर समस्याग्रस्त नहीं होता तो आज से 13 साल पहले कोई रुपया जमा कराता क्या जनता की ओर से। तो ऐसे मामलों का भी जल्दी निपटारा लेना चाहिए।

जहां तक सड़कों का सवाल है, वैसे हमने इस बजट में 14 करोड़ रुपया रखा है, मगर आगे चल कर हमारे बजट में यह बात कही है कि हम संसाधन जुटाकर लगभग ढाई हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगे। मैं इस पर शक तो नहीं करता, परन्तु इसमें स्पष्ट नहीं किया गया। यह तो मैं जानता

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

हूं कि 14 करोड़ तो केवल पी. डब्ल्यू. डी. के रोड्स के बजट में रखा गया, उसके अलावा माइनिंग के बजट में भी सड़क के लिए होता है मण्डी कमेटियों की ओर से भी पैसा सड़कों की तरफ लगता है। 2500 किलोमीटर सड़क इस साल बनाने जा रहे हैं, उससे माननीय विरोधी दल के सदस्यों को भी खुश होना चाहिए....

(व्यवधान)

आपके भी यहां काफी सड़कें बनेंगी। ऐसी बात क्यों सोचते हो आप। आपको कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी बातों के लिए आप सोचते हैं कि 2500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी तो कहां बनेंगी? अगर आपके क्षेत्र में नहीं बनेंगी तो जरूर बनेंगी। लेकिन इन सड़कों में हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कालान्तर में हमारे हर एक इलाके के अन्दर कुछ तो अकाल राहत में सड़कें बनी थीं आपके और हमारे भी इलाकों में बनी थीं, उनमें कई जगह तो मिट्टी का काम पूरा हो गया, कई जगह मिट्टी के काम के अलावा उसमें सोलन जोड़ कर उस पर रोड़ियां पड़ गयीं, कइयों ने रोड़ियां दाब भी दीं, यानि कहीं रुपये में आठ आना काम हो गया, कहीं दस आना काम हो गया और कई जहग 12 आना काम हो गया और केवल चार आने की वजह से वह सड़कें ऐसी हो गयीं कि रास्ते भी बन्द हो गए। पहले कच्चे रास्ते से जाते थे और अब पत्थरों के ढेर लग गए, रोड़ियां पड़ी हैं और कच्चे रास्ते भी बन्द हो गए। माननीय सभापति महोदय, हमको ये सड़कें बनाते समय उन सारी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करना चाहिए जहां पर पहले फैमिन में पैसा लग गया है, यह बात सुनकर माननीय विरोधी दल के मित्रों को मेरी इस बात की ताईद करनी चाहिए कि क्योंकि जब हम सिद्धान्त तय करेंगे तो आपको उसमें जरूर लाभ मिलेगा। तो आप कम से कम महरबानी करके कहें तो सही यह बात कि हां ऐसी अधूरी सड़कें पूरी कराई जायं चाहे वह किसी भी चुनाव क्षेत्र में हों। क्योंकि हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं जिनसे आपको भी लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है और उसमें कोई गुटबाजी या पार्टीबाजी या राजनैतिक बात नहीं होती। जैसे 300 की आबादी पर एक स्कूल खोलना। माननीय मित्रो! क्या आप इसकी तारीफ नहीं करेंगे? मेरी पार्टी के बहुत से जने तो नाराज हैं कि जो पहले से ही विकसित इलाके हैं जहां पहले ही काफी स्कूल थे वहां पर कहीं दो स्कूल खुले हैं और कहीं 5 स्कूल खुले हैं क्योंकि पहले से ही काफी स्कूल थे आबादी में। मगर उन पिछड़े इलाकों में, जो कि आप लोगों के कारण पिछड़े रह गये, जैसे मेरा चुनाव क्षेत्र है, जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र उसमें आपकी ही महरबानी होती आई थी। कालांतर से जीत-जीत कर आते थे। आप देखिये, मेरे यहां 23 प्राइमरी स्कूल खुले हैं। 300 की आबादी पर 23 प्राइमरी स्कूल मेरे चुनाव क्षेत्र में खुले हैं, मुख्य मंत्रीजी के इस निर्णय के कारण कि 300 की आबादी पर एक स्कूल खुलेगा। मेरे यहां

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

23 स्कूल प्राइमरी स्कूल खुले हैं। यह जो निर्णय है यह इस बात का प्रतीक है कि हम राजस्थान के समग्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी पार्टी-बाजी के। अगर आपका सहयोग मिले तो हमारी इस भावना को और गति मिलेगी। इसलिए माननीय मित्रो! आप बजट पर जो भी भाषण दें उसमें....

श्री महाराम चौधरी : कई जगह तो प्राइमरी स्कूल खुले ही नहीं। आपके यहां 23 स्कूल खुल गए। रेगिस्तानी क्षेत्र में ढाणियों के अन्दर स्कूल नहीं खुले। आपके यहाँ सबसे ज्यादा खुल गए ना।

श्री भैरूलाल भारद्वाज :....300 की आबादी का हिसाब है इसमें भैरूलाल भारद्वाज का कुछ नम्बर नहीं है। इसमें तो 300 की आबादी है और वह 300 की आबादी के गांव में माननीय विरोधी दल के मित्रों के यहां भी जहां अधिक गांवों में स्कूल नहीं होंगे वहां भी स्कूल ज्यादा खुले होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं सड़कों की एक बात और निवेदन करके इस सड़क वाली बात से दूर हटना चाहूंगा। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने शुरू की थीं इसलिए कि माइनिंग की वस्तुओं को ले जाने की सुविधा रहे, जैसे जमवा रामगढ़ बंध से नीचे नक्शी नकटी घाटी से नायला लाने की रामगढ़ बंधे पर जितने भी ट्रक हैं माइन्स के भरे हुए आते हैं, कई बार उलटते हैं, एक्सीडेन्ट्स होते हैं इसलिए यह समझा गया था माइनिंग डिपार्टमेन्ट की ओर से कि वह बूझ होकर नायला मिलाई जायगी और आगे से लोड होकर वे ट्रक आयेंगे, उसमें 16 लाख रुपये पहले खर्च कर दिया गया परन्तु बीच में आधा टुकड़ा बिना बने पड़ा है। ऐसी दूसरी जगह भी हो सकती हैं। मैंने तो एक ही उदाहरण दिया है। माइनिंग डिपार्टमेन्ट की ओर से अगर सड़कें पूरी नहीं की गयीं तो न तो माइनिंग का लाभ हुआ, और उधर से ट्रक जायेंगे नहीं कच्चे में और पैसा भी फालतू लग गया। उसमें एक प्रकार से लोगों के दिमाग पर शिकायत सी पैदा होती है। मेरा सुझाव है कि जो खनिज मंत्री महोदय हैं वह अब जो भी पैसा खनिजों की ओर से सड़क बनाने के लिए दें वह उन अधूरी सड़कों को पूरा करने में लगायें जो कि कालान्तर से पड़ी हुई हैं।

जहाँ तक हमने हाथकर्घा के लिए व्यवस्था की है, मैं इसके साथ विद्युतकर्घा और जोड़ना चाहता हूं। गांवों में हाथ-कर्घा बहुत जरूरी चीज है। इसके अन्तर्गत गांवों में गरीबों को और खास तौर से बुनकरों के लिए हम रोजगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं पर आज के जमाने में हम केवल हाथकर्घा तक ही उसको समित करके उसके डवलपमेन्ट में धीमी गति ला रहे हैं। आज जो हाथकर्घा लेना चाहें वह दें नहीं तो उसको विद्युतकर्घा देना चाहिए। गांव-में जहां विद्युत की व्यवस्था हो गयी है वहां विद्युत चालित कर्घा हो, यह नहीं कि किशनगढ़ में आप एक ही जगह कर्घों के ढेर लगा दें। वहां पर पांच हजार

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

विद्युतचालित कर्घे हैं और गांवों में कहीं दर्शन ही नहीं होते हैं। अच्छी बात है पहले तो लोग शहरों की तरक्की का ही काम करते थे इसलिए शहरों में ही विद्युतकर्घा लगाये गये हैं। आज जब कि हम गांवों का विकास करने जा रहे हैं तो वहाँ उद्योग-धंधों को चालू करने के लिए विद्युतकर्घे का प्रचलन जारी करना चाहिए और गांवों में जो उन गरीब बुनकरों, जो लेना चाहते हैं, को प्रायोरिटी के हिसाब से विद्युत कर्घे अलाट करने चाहिए।

जहां तक कृषि का संबंध है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, टैक्स वगैरह के मामले में तो मैंने निवेदन कर दिया है, मेरे ख्याल से वित्त मंत्रीजी जो रासायनिक खाद कीटनाशक औषधियों और कृषि यंत्रों पर टैक्स माफ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। परन्तु मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो पशु-पालन का धंधा है, यह किसानों का सैकन्डरी धंधा है इसको हमें लघु उद्योग घोषित करना चाहिए। क्योंकि पशुपालन भी एक लम्बे स्केल पर लोगों का गांवों में पेट भरने का धंधा है। हमने लघु उद्योग के नाम पर तथाकथित उद्योग-पतियों को तो सब्सिडी, ऋण और कच्चा माल, पक्का माल आदि की सुविधायें देने के नियम बना रखे हैं परन्तु पशुपालन के बारे में हमने इसको लघु उद्योग घोषित नहीं किया। मेरा निवेदन है कि सरकार को पशुपालन को लघु उद्योग घोषित करना चाहिए। जो 200 पशुपालन के नये शफा-खाने खोल रहे हैं पशु चिकित्सालय में, एक बड़ी गंभीर बात, माननीय सभापतिजी, आपके जरिये पशुपालन मंत्रीजी जहां कहीं भी बैठे हों उनके कान में पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने पहले भी पशु चिकित्सालय खोले हैं। किस जगह पशु चिकित्सालय खोले हैं। यह तो उनका मापदण्ड है, उन्होंने कहां खोल दिये, कई जगह तो एक भी नहीं खोले। आप जानकर चौकेंगे सारे लोग कि जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र इतने सामने बैठने वाले मित्रों के प्रतिनिधित्व के कारण इतना अनदेखा रहा है कि पूरे चुनाव क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। जमवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र, जिसमें पशुओं की संख्या ढाई तीन लाख से कम नहीं होगी, में एक भी पशु चिकित्सालय, गये बजट में 100 पशु चिकित्सालय खोलने के बावजूद भी नहीं खोला गया। तो मैं एक तो पशु मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और जहां कहीं कमी खामी है उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो अब हम 200 नये पशु चिकित्सालन खोलने जा रहे हैं उनका वितरण जहां जिस इलाके में कमी खामी है वहां हो, वहां खोलने चाहिए। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वह क्या कागजों में ही खुलेंगे? उनके पास पशु चिकित्सक हैं कहां? मेरी जानकारी में यह है कि राजस्थान में पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं होंगे। 200 नये पशु चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं उसमें पशु चिकित्सक मिलेंगे नहीं। और पशु चिकित्सक क्यों नहीं मिलेंगे? इस-लिए कि उनके वेतनमानों में एक भयंकर असंगति है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

आपको, मैं साधारण तौर पर इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक सहायक पशु चिकित्सक होता है टी० डी० सी० प्रथम वर्ष के बाद 12 वीं कक्षा तक चार साल का उसका कोर्स होता है। वही चिकित्सक अधिकारी होता है। आपका मेडिकल प्रेक्टीशनर जो होता है वही डाक्टर बनता है, उसका भी टी० डी० सी० प्रथम वर्ष याने 12 वीं कक्षा से 4।। साल का कोर्स होता है उसका चार वर्ष का कोर्स होता है, फिर दंत चिकित्सक डेन्टल सर्जन होता है उसका भी चार साल का कोर्स होता है। वही क्वालिफिकेशन हैं। आपका अभियन्ता होता है, इन्जीनियर होता है उसका 11वीं पास करने के बाद 5 वर्ष का कोर्स होता है। याने एक प्रकार से इक्वल सारी परिस्थितियां हैं लेकिन इसके बाद इन सब में मेडिकल डाक्टर का वेतन दन्त चिकित्सक का वेतन ज्यादा होता है....

व्यवस्था का प्रश्न

आसन द्वारा घंटी बजाने पर माननीय सदस्य द्वारा स्थान ग्रहण

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : पाइन्ट आफ आर्डर सर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा आप बिराजिये। आपका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : .... और इन्जीनियर्स का वेतन....

श्री सभापति : माननीय भैरूंलालजी भारद्वाज साहब बिराजिये। उनका पाइन्ट आर्डर सुनें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बाकी जरा सी बात आपको कह दूं।

श्री सभापति : उनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलने दीजिए। जरा विराजें, पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आपने बीच में चार पांच बार घंटी बजाई है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि यह घंटी आप किस संकेत के लिए बजाते हैं और आपकी घंटी के संकेत को नहीं मानना यह आपकी आज्ञा की अवहेलना करना है, अवमानना है या क्या है? आप इतनी बार घंटी बजा चुके हैं, आप हम सबको भी शिक्षा दे दीजिए कि इस घंटी का क्या अर्थ है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह पाइन्ट आफ आर्डर पेट में दर्द का है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य का जो पाइन्ट आफ आर्डर है उसकी भावना माननीय सदस्य समझ गये होंगे। मेरा मतलब यह है कि आप जल्दी समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने इतनी बार घंटी बजाई है।

श्री सभापति : घंटी बजाने का मतलब यह है कि समय समाप्त हो गया है। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : मुझे पता है, माननीय सभापतिजी, हमारी पार्टी का समय 12-13 घंटा है । पार्टी का समय कौन लेना चाहता है यह हमारी पार्टी देखेगी 'पड़ोसन बिलोवे दह्यो, तो मोसे कैसे जाय सह्यो ।' पड़ोसन जब दही बिलोती है तो जो गरीब बकरी भी नहीं रख सकते, गाय भैंस रखने का तो सवाल ही नहीं उनको बड़ा बुरा लगता है। यह माननीय सदस्य अपने पेट की तकलीफ कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आपको तो पशु चिकित्सालय नहीं मिला ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरे पाइंट आफ आर्डर का निर्णय करें ।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : मैं आपकी पार्टी का समय ले रहा हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तो हमारे किसी भी माननीय सदस्य का नम्बर नहीं आया, चार बजने को आ गये ।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिये । मेरा घंटी बजाने का मतलब यही है कि आपका समय समाप्त हो गया है । आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, लेकिन यह मानते नहीं हैं ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्धारित समय से सवाया, ड्योढ़ा नाजायज तौर पर टाइम ले जाती है । हमारा जो वाजिब समय है पार्टी का उसमें भी इनके पेट में दर्द होता है और उस पेट के दर्द को यह पाइंट आफ आर्डर के जरिये व्यक्त करते हैं । यह कोई बात हुई ।

हां तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पहले जब विसंगति नहीं थी, पशु चिकित्सक और मनुष्यों के चिकित्सक और डेंटल चिकित्सक को समान वेतन मिलता था, तब बाहर से, यू० पी० से, बिहार से दूसरे प्रान्तों से भी हमारे यहां चिकित्सक आते थे । मेरी पूरी जानकारी में है कि बाहर तो सब का वेतन समान है, केवल राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां पशु चिकित्सक का वेतन दूसरे चिकित्सकों के मुकाबले में नहीं है । इसलिये न तो बाहर से कोई आ रहे हैं और न यहां तैयार हो रहे हैं । इसलिये पशु चिकित्सालय केवल नमूने के तौर पर खुलकर रह जायेंगे। वहां पर चिकित्सक नहीं होंगे, तो आप सोचिये कि हम पशुओं का इलाज कैसे कर पायेंगे । इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्रीजी, जो यहां बिराज रहे हैं, पशु पालन मंत्रीजी ने कहीं कान लगा रखे होंगे, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सकों का वेतन मनुष्यों के चिकित्सकों के बराबर होना चाहिये । पशुओं को पहले तो दर गुजर किया जाता था, वह जमाना अब

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

नहीं है। पशु पालन हमारे प्रान्त में जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा धन्धा है, इसलिये पशु चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए उनका वेतन न्यायसंगत करना बहुत जरूरी है। बड़ी मजाक की बात तो यह है कि डिपार्टमेंट उनको वेतन देते नहीं हैं मगर पशु चिकित्सकों को रिपोर्टिंग के लिये, सर्टीफिकेट देने के लिये ये पूरा वेतन देते हैं। राजस्थान में दूसरे महकमे तो पशु चिकित्सकों को मैडिकल डाक्टरों के बराबर पैसा देते हैं, मगर विभाग नहीं देता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खामी को दूर करना चाहिये। पशु चिकित्सालय जो दो सौ खोलने जा रहे हैं उसके लिये राजस्थान सरकार की तारीफ करूंगा, केवल यह कहते हुए कि यह उस जगह खोले जायं, जहां इनकी नितांत आवश्यकता है....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : यह आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पशु चिकित्सकों का इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि उसकी मार तो किसानों पर पड़ रही है, यह डाक्टर की मदद नहीं, यह उस गरीब किसान की मदद है, जिसका 8 हजार का बैल, जिसका 6 हजार का ऊंट, जिसकी 4-5 हजार की भैंस एक गलफोड़े से मर जाती है क्योंकि कोई डाक्टर होता नहीं है। भेड़ और बकरियों की लाइन लग जाती है, बाड़े के बाड़े खाली हो जाते हैं फिर भी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो पशु धन है हमारे पास कोई धन नहीं है सेठों की तरह। इस धन को बचाने के लिये पशु चिकित्सकों की नितांत आवश्यकता है, इसलिये आपसे निवेदन किया है।

जहाँ तक ब्याज चुकाने के लिये यह कानून है कि ब्याज मूल से ज्यादा न हो। यह हमारा जो जनरल कानून है, किसी भी तरह के ऋण पर ब्याज रकम से अधिक न हो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अभी समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो आदमी एक निश्चित तिथि में यानि 30 जून, 84 तक पैसा जमा करा देगा उससे दुगुने से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जायगा। मैं सरकार को दो कदम और आगे ले जाना चाहता हूं, फिर मैं यह चाहता हूं कि यह जो जनरल नियम है, चाहे किसी भी महकमे का ऋण हो, चाहे सरकारी ऋण हो, चाहे बैंक का ऋण हो, इन पर भी लागू होना चाहिये। कोई भी गरीब आदमी, खास तौर से किसान और मजदूर और छोटे काश्तकार, जो भी ऋण लेते हैं, पर रकम से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिये। जब हम प्राइवेट पार्टी को, बोहरों को ज्यादा ब्याज वसूल नहीं करने देते, हमने यह कानून बनाया है तो यह कानून राज पर भी लागू होना

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

चाहिये। गरीब के लिए यह नहीं होना चाहिए कि वह बोहरे से तो बच गया, मगर राज्य नया बोहरा बन गया। आपके जरिये भी हम गरीब की मदद करें। अगर आपने यह कानून राज पर लागू नहीं किया और केवल सीमित तौर पर 30-6-84 तक ही गरीबों को यह सुविधा देना चाहते हैं, यह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि दुगुने से ज्यादा ब्याज गैर कानूनी है, हमको संशोधन करके यह घोषित करना चाहिये कि दुगुने से ज्यादा ब्याज चाहे सरकारी रकम हो या प्राइवेट रकम हो, नहीं लगेगा। गरीबों के लिये यह हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

पंचायत राज के बारे में मैं केवल एक बात ही दोहराऊंगा, आप भी दोहराते हैं, एक छोटी सी बात पंचायती राज मंत्रीजी के जम ही नहीं रही है कि एक पंचायत में एक सैक्रेटरी हुए बिना आपका पंचायती राज लूला लंगड़ा पड़ा है। तीन-तीन पंचायतों में आपने एक सैक्रेटरी लगा रखा है तो वह अगला तीन में भी भटरगश्ती करता है। क्योंकि आपका नौकर तो नौकर ही नहीं है, ठाकुर है, तनख्वाह तो यों ही मिल जाती है महीने की महीने, फिर जरूरत क्या पड़ी है इसलिये अगला काम नहीं करता है। किसी भी पंच से पूछेंगे तो शिकायत यह मिलेगी, साहब, अपने पास सैक्रेटरी आता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह सारा प्रशासनिक मामला है। मैं सुझाव दूं आपको, जिससे आपका पैसा भी नहीं लगेगा। कुछ ग्राम सेवक हैं, कुछ सचिव हैं, मैं आपको और सुझाव दू आपको पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ेगा, इन पटवारियों को गांवों में क्यों नहीं लगाते। यह अपना राजस्व रिकार्ड भी रख लेंगे और गांव में पंचायत सचिव पना भी कर लेंगे। हमको तो तहसीलों को भी खतम कर देना चाहिये, फिर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पचायत समितियों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी, राजस्व प्रशासन अधिकारी, एक नायब तहसीलदार के कैडर के आदमी को लगा देना चाहिये, तहसील की कोई जरूरत नहीं है। एक ही लेवल पर दो तरह की कचहरियां बना कर प्रशासनिक खर्चे को बढ़ाना बुद्धिमता नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि तहसीलों को कम किया जाना चाहिये। एक नायब तहसीलदार के कैडर का आदमी हो, एस. डी. ओ. आज कल अधिकांश जगह आर. ए. एस. आफिसर लग गये हैं वहां पर रेवेन्यू प्रसार अधिकारी के तौर पर लगाना चाहिये। पटवारियों को ग्राम पंचायत के नीचे देना चाहिये और इनके इन्सपेक्टर और रेवेन्यू प्रसार अधिकारी को कन्ट्रोल करने के लिए पंचायत समिति के अन्डर में आना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

जहां तक....

श्री सभापति : आपकी बात समाप्त हुई, कृपया बिराजें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : समाप्त हो गई। धन्यवाद आपको।

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, नैनवाँ से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय भारद्वाजजी ने बजट पर भाषण दिये लेकिन बजट की प्रशंसा में एक शब्द भी इन दोनों के मुंह से नहीं निकला। सूर्य कुमार जी को बोलना था किन्तु क्या बोलें, क्योंकि बजट पर बोलने लायक कोई बात है ही नहीं, जिसकी प्रशंसा की जा सके, इसलिये वह कांग्रेस का इतिहास बखान करने लगे। न मालूम कब से उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को पहचाना है। जो कांग्रेस इतिहास लिख रही है उसको देख रहे हैं वह क्या इतिहास है। जिस जनतन्त्र की वे दुहाई दे रहे थे, असम के चुनाव जनतन्त्र को चुनौती है वहां पेटी लेकर घर घर वोट डलवाये गये, वहाँ दो सौ वोट पड़ने वाला विधायक बन गया। काले अक्षरों से जनतन्त्र का यह इतिहास लिखा जायगा कि यह कांग्रेस किस जनतन्त्र के इतिहास का निर्माण कर रही है। जहाँ 1980 में........

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप कहाँ बैठे हो ? विरोधी दल के लोगों ने असम में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की और बायकाट करके भाग गये। प्रजातन्त्र में चुनाव वोटों से लड़ना चाहिए था उनको आसाम में जा करके। आप लोग विरोधी हो, जहां चुनाव की घोषणा करते है, चुनाव नही लड़ते हो, ××× भाग जाते हो। और फिर कहते हो चुनाव का....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 1980 में जिस भिण्डरवाले के सहयोग से कांग्रेस चुनाव जीती हो, जिस भिण्डरवाला ने पंजाब में विषम स्थिति कायम की है उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? हाई कोर्ट ने अंतुले को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया उस भ्रष्टाचार के कानून को बदलने के लिये एक इतिहास का निर्माण कौन कर रहा है ? जनतंत्र का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है आपके यहाँ कि आपकी पार्टी के चुनाव 14 साल से नहीं हुए। यहाँ जनतन्त्र की दुहाई वे लोग देते हैं जिनकी पार्टी में जनतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होते हैं। और उदाहरण सुनिये आप। जिस कांग्रेस में 80 साल के बूढ़े बैठे हैं, कोई नेता बनने लायक नहीं है। इन्दिरा जी का सपूत संजय और फिर दूसरा सपूत, जो हवाई जहाज चलाता था, देश का नेता, कांग्रेस का नेता बनने जा रहा है। क्या यह जनतंत्र का अच्छा उदाहरण है ? जनतन्त्र की हत्या करने का कलंक किस पर है ? उस कांग्रेस पर है, माननीय सूर्य कुमार जी, जिस कांग्रेस के इतिहास की, जनतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं। इसके बावजूद, सभापति महोदय, दोनों समझदार और बुद्धिमान लोग हैं इसलिये

(4.00 म० प०)

बजट को उठाकर माननीय सूर्य कुमार जी ने एक ही शब्द कहा कि विकासोन्मुखी है, और कुछ नहीं कहा। गलती से वह पकड़े गये, उन्होंने कहा कि विद्युत और सिंचाई में अधिक बजट दिया गया है, यह वहाँ पकड़े गये।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 119

श्री सूर्य कुमार : कल आप मेरे भाषण को देखकर बोलना । आज बन्द करो अपना भाषण ।

श्री रघुबीरसिंह कौशल : और माननीय भारद्वाज जी ने इस आशा से हैण्ड पम्प की बढ़ाई कर दी कि जैसे 23 प्राइमरी स्कूल खुल गये वैसे 2-3 पशु चिकित्सालय भी खुल जायं । आप कह रहे थे कि सारे स्कूल बिना भेदभाव के खुले हैं । मेरे यहां 300 की आबादी के कई गॉव है जहां स्कूल नहीं खुले हैं । आप स्वयं अपने मुंह से कह रहे थे कि मेरे चुनाव क्षेत्र से विरोधी जीत कर आते रहे इसलिए इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, अपने मुंह से आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि भेदभाव से प्रगति की जाती है, विकास की योजनाएं भेदभावपूर्वक बनायी जाती हैं। माननीय भारद्वाज जी, यह सारा बजट मैंने भी पढ़ा है, इसको क्या विशेषण दूं, मुझे कोई विशेषण नहीं मिल रहा । यदि इसको मैं यथास्थितिवादी भी कह दूं तो भी इस बजट के साथ अन्याय होगा क्योंकि पिछली जो वार्षिक योजना थी वह 416.74 करोड़ की थी । उस योजना में योजना आयोग ने 30 करोड़ रुपये की कटौती कर दी क्योंकि हमारी स्टेट संसाधन नहीं जुटा पायी । इस साल की 430.38 करोड़ की बनी । वित्त मन्त्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि 8.13 पर्सेन्ट हुई हैं. यदि इस 8.13 पर्सेन्ट वृद्धि को कम किया जाय तो यह वार्षिक योजना बनेगी 390 करोड़ की जब कि पिछली बार थी योजना 416.74 करोड़ की । इस बार जो योजना है यह फरेब है क्योंकि 50 करोड़ रुपये योजना आयोग आपको नहीं देगा संसाधनों की कमी के कारण । इसलिए इस बजट को क्या कहा जाय, मैंने बहुत कोशिश करके इस बजट के लिए विशेषण तलाश किया, यह बीमार वित्त मन्त्री का बीमार बजट है । इसमें कहीं विकास की कोई रूपरेखा दिखायी नहीं देती, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए....

(व्यवधान)

अरे आप सुन लो, आपके यहां पशु चिकित्सालय नहीं खुलने वाले हैं । आप चिन्ता मत करो । विकास किसे कहते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा अभी ।

तो यह जो बजट बना है आज की महंगाई को देखते हुए पीछे ले जाने वाला है । यह डवलपमेन्ट के उस स्तर को भी नहीं बनाये रखेगा जो गत वर्ष था । इसी प्रकार से राजस्व प्राप्तियों में भी हमने 3 पर्सेन्ट की वृद्धि की है । राजस्व प्राप्तियां प्रमुख रूप से सेल्स टैक्स से होती है । जब भाव 8.13 पर्सेन्ट बढ़ गये हैं तो आपकी राजस्व प्राप्तियां भी ज्यादा होनी चाहिए । किन्तु वह भी नहीं हुई । सबसे बड़ी बात यह हो गयी कि इस बजट में सिंचाई और विद्युत के लिए 10 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी····

(4.05 म० प०)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

यदि इसको भी आप विकासोन्मुखी कहेंगे तो फिर क्या कहा जाय आपको, सिंचाई और विद्युत का सीधा सम्बन्ध कृषि से है । एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि कृषि में काफी प्रगति हुई है । एक करोड़

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हमारा उत्पादन हो जायगा लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा है। जहाँ तक विद्युत का सवाल है आप कह रहे थे कि जनता पार्टी के राज में क्या किया ? विकास नहीं हुआ। जनता पार्टी के राज में 80-81 में....

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : 1980-81 में तो आपका राज ही नहीं था।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भाई, जितने कुओं और गांवों का विद्युतीकरण हुआ था उस एक साल में, आप इन चार सालों में भी नहीं कर पाये। जितना विद्युतीकरण हुआ था, यह जो आप पावर की बात कर रहे थे. यह थर्मल और माही योजना कब स्वीकृत हुई थीं ? क्या कोई दावे से कह सकता है कि इन चार सालों में आपने एक भी पावर प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिये कोशिश की ? एक भी पावर प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिलाई हो ? यह जनता पार्टी के राज की देन है जिसको आपने इतने साल डिले कर दिया वरना हमको काफी सुविधा विद्युत में मिल सकती थी। आप अभी भूल गये, भारद्वाज जी, आप जब बाहर मिले थे तो कह रहे थे कि जनता पार्टी के राज को लोग याद करते हैं। कहते हैं, काम के बदले अनाज स्कीम चली थी उससे यह सड़कें बनी हैं उससे ये स्कूल बना है। आप अन्दर आते ही कैसे बदल जाते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : आपका राज तो सारा सोना और अनाज, दोनों के भंडारों को खाली करने के लिए वर्षों तक याद रखा जाएगा।

श्री यदुनाथ सिंह : हमने अनाज ज्यादा छोड़ा था, जितना इन्दिरा गांधी ने अनाज छोड़ा था उससे ज्यादा छोड़ा था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पान खाकर बोल रहे हैं। सदन की परम्परा रही है और यह नियम भी है कि पान खाकर सदन में नहीं बोल सकते।

श्री यदुनाथ सिंह : एक तो वैसे ही पता नहीं लगता है कि क्या बोल रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके मुंह में पान नहीं है। इनके मुंह में कोई फोड़ा-वोड़ा निकला हुआ है। अभी डाक्टर को दिखाकर आये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज : आप डाक्टर हो, फोड़े का इलाज कर दो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, विद्युत का भविष्य हमारे प्रदेश में कैसा है इसके बारे में अभी एक अध्ययन हुआ है उस अध्ययन के आधार पर यह निर्णय निकला है कि जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वे यदि बन भी गये तो भी छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त

Page No 121

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

तक 750 मेगावाट का पार गैप रहेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 1250 मेगावाट का गैप और बढ़ जायेगा। अब इस स्थिति में राजस्थान के भविष्य के बारे में क्या कहा जाय? क्या कहा जाय कि यह विकासोन्मुखी बजट है? आगे की योजना बनाकर उसके लिए कोई बजट अलाट हुआ? जबसे कोटा थर्मल पावर चला है तो उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। इसका प्रोडक्शन 50 से 62 प्रतिशत तक है और जो पर यूनिट कास्ट आ रही है 1·58 रु० जबकि हम दे रहे हैं 40 पैसे प्रति यूनिट। क्या भविष्य होगा विद्युत मण्डल का? आज देश में स्थिति ऐसी खड़ी हो गयी है कि जिसके कारण कुओं को बिजली नहीं दे सकेंगे। वह बात तो दूर रही, उद्योगों का अभी क्या होगा। क्या इस उत्पादन के बिना राजस्थान विकास कर सकेगा? आप बीस सूत्री कार्यक्रम का ढोल पीटते हैं। आजकल केवल बीस सूत्री बीस सूत्री कार्यक्रम करते हैं। अरे आप बीस सूत्री कार्यक्रम पर गर्व करते हो, माननीय यदुनाथ जी ने पोस्टमार्टम किया था 20 सूत्रों का कि कितनी उपलब्धियाँ आपको प्राप्त हुई हैं। केवल बीस सूत्री कार्यक्रम का नाम लेकर आप प्रसन्न हो जाते हैं चाहे बीस सूत्र याद ही नहीं हों, बीस सूत्र कैसे हैं····

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : सभी बीस सूत्रों के लिए पावर की आवश्यकता पड़ती है क्या?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हाँ, हाँ, पड़ती है।

श्री परसराम मदेरणा : बीस सूत्री कार्यक्रम के सभी बीस सूत्रों के क्रियान्वयन के लिए पावर की आवश्यकता पड़ती हैं क्या? क्या बात कर रहे है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभी में नहीं, जिन सूत्रों के लिए पड़ती है उसमें पावर भी एक सूत्र है। आपको पता ही नहीं, इसका मतलब यह है।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीस सूत्र का नाम मत लीजिए। उस सूत्र का नाम लीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पावर का एक सूत्र है जिस सूत्र की बात मैंने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बीस सूत्री कार्यक्रम में?

श्री परसराम मदेरणा : सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, प्रश्न यह चल रहा था, आप कह रहे थे कि इतना पावर का गैप रहेगा सिक्स्थ प्लान तक और सेवन्थ प्लान तक। आप कह रहे हैं कि बीस सूत्र का ढोल पीट रहे हैं और यह आपका पावर गैप है। तो बीस सूत्री कार्यक्रम के जितने सूत्र हैं उन सब में पावर की आवश्यकता है, क्या पावर की, एक्सट्रा हाई टेन्शन की जरूरत पड़ती है? मैं यह कह रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या बीस सूत्री कार्यक्रम में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यक्रम नहीं है?

श्री परसराम मदेरणा : वह है। वह सूत्र है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा उसमें जरूरत पड़ेगी। सूत्र नम्बर 11 भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ लेकिन पूरे बीस सूत्र के लिए चार्जेज लगा रहे हैं कि उसमें पावर ही पावर की जरूरत पड़ेगी....

श्री भैरोसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी ने जब अपने सारे पावर के अचीवमैन्ट्स बताये तो अपने भाषण में कहा था कि बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता उस पर निर्भर करेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक में भी पड़ेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय मन्त्रीजी जब यहाँ नहीं पधारे थे तब बीस सूत्री कार्यक्रम पर काफी हंगामा हो चुका था। उस समय मैंने कहा था माननीय भारद्वाज जी से कि आपको तो हर बात पर बीस सूत्री कार्यक्रम ही दिखता है....

(व्यवधान)

इसलिए 20 सूत्री कार्यक्रम की याद दिलायी कि बीस सूत्री कार्यक्रम का पोस्ट-मार्टम अभी हो चुका है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं विद्युत के बारे में यह निवेदन कर रहा था कि विद्युत में जो लासेज हैं, लाइन लासेज, वह हमारे देश में सबसे अधिक हैं। यदि इस पर भी कण्ट्रोल किया जाय तो कुछ सुविधा मिल सकती है। चूंकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तो केवल एक मोटी रूपरेखा कि हमारे इस बजट से प्रदेश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इसका थोड़ा सा संकेत देना चाहता हूँ। तो किसान के काम आने वाली बिजली की यह स्थिति आ गई। अब सिंचाई की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ लाइन लासेज जो हैं....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सारे सेठ लोग चोरी करते हैं। यह बात ठीक है कि लाइन लासेज ज्यादा हैं, मैं भी आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ लेकिन यह बात भी जोड़ दीजिये कि जो बड़े-बड़े सेठ हैं, उद्योग-पति हैं ये सारे चोरी करते हैं और इनको प्रोत्साहन मिलता है आपकी पार्टी की तरफ से।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये आपको चन्दा देते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इनको प्रोत्साहन मिलता है आपकी पार्टी की तरफ से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस सेठ की बात कर रहे थे, के. के. बिड़ला की बात कर रहे थे? क्या के. के. बिड़ला की बात कर रहे हो?

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सरकार आप चलाते हो....

श्री महाराम चौधरी : बिड़लाजी का आपकी पार्टी ने राज्य सभा के लिए समर्थन किया है। उनको समर्थन आपकी पार्टी दे रही है या हमारी पार्टी दे रही है?

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : जनता पार्टी भी दे रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सिंचाई मन्त्री जी विराज रहे हैं। कौन सी प्रगतिशील योजनायें हैं जिनसे आप सिंचाई बढ़ायेंगे। गत वर्ष कितना बजट रखा था और इस वर्ष कितना बजट का प्रावधान है? कितनी महंगाई बढ़ गई है? क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि आप प्रदेश को खुशहाल करने के लिए जिस जिस जिले में जो वाटर पोटेंशियल है उसको उपयोग में ला सकेंगे? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में एक प्रोजेक्ट परवन प्रोजेक्ट, परवन लिफ्ट योजना, जो साढ़े तीन करोड़ की योजना है, के लिये काफी धन दिया है, पन्द्रह लाख रुपया। वह योजना, सिंचाई मन्त्रीजी, आपका वस चलेगा तो आप कभी पूरी नहीं होने देंगे। क्योंकि उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, साढ़े तीन करोड़ की योजना पर पन्द्रह लाख रुपया दिया जायगा, सभापति महोदय, तो कर्मचारियों पर कितना खर्चा होगा? क्या उसका भविष्य होगा जो लोग इन्तजार कर रहे हैं पानी आने का? मैंने एक चीफ इंजीनियर से बात की कि आप इस साल दस बीस बीघा में पानी देंगे? बोले कि बजट होगा तो जरूर देंगे चाहे पचास बीघा में ही दें। मुझे आपके इस बजट को देखकर यह पूरा विश्वास हो गया है कि वित्त मंत्रीजी की कृपा से और आपकी कृपा से बीस वर्ष तक भी परवन लिफ्ट योजना सफल नहीं हो सकती। वह कभी क्रियान्वित नहीं होगी। उस पर पन्द्रह लाख रुपया बर्बाद होगा तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। यह मेरे साथ पक्षपात है। भारद्वाज जी कह रहे थे कि राजनैतिक पक्षपात नहीं होता है। मैं चार्ज लगाता हूं कि हमारे क्षेत्र को जान बूझ कर राजनैतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां बाढ़ योजना है....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि पैसा बर्बाद जाएगा। आप कहें तो इसको भी हटा दें। बीस साल का लम्बा समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में, उसके लिए धनराशि भी पूरी चाहिए। स्टेट की वेज एण्ड मीन्स पोजीशन बड़ी टाइट है इसलिए उसके अनुरूप ही रखा गया है प्रावधान। अब आप कह रहे हो कि बीस साल तक लम्बा समय लगेगा और बहुत कम प्रावधान रखें तो कोई मायने नहीं रखता। जब कभी काफी प्रावधान हो, पूरा प्रावधान रख सकें। उस वक्त इसको ले लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सिंचाई मंत्रीजी, आप मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं लेकिन

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

आप यह धौंस नहीं पिला सकते कि उस योजना को उठा लेंगे। उस योजना को उठाना इतना आसान नहीं है। आप यह ध्यान रखिये कि आप प्रदेश के मन्त्री हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। प्रदेश की योजनाओं के प्रति आपको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। 15 लाख का अलाटमेंट कोई अलाटमेंट नहीं है साढ़े तीन करोड़ की योजना पर। इसलिए आप यह धौंस नहीं पिला सकते कि इस योजना को उठा लें। आपका बस चले तो चम्बल और थर्मल को भी उठा लावें यहां, यह आपके बस की बात नहीं है। कोटा का विकास तो चम्बल ने किया है। आपको भी क्या दोष दें, वित्त मन्त्रीजी तो हमारे हैं, हाड़ौती के हैं, उनकी कृपा हमारे पर विशेष है विशेष रूप से किसानों पर, सी. ए. डी. को उठा लाये। वहां और कोई डिपार्टमेंट देखेंगे तो उठा लायेंगे वहां से। किसानों के बारे में कोई चिन्ता है नहीं। जो सिंचाई की जितनी योजनायें हमारे यहां हैं, पार्वती मोडरनाइजेशन योजना है, वह कई सालों से चल रही है। इस साल कितना पैसा दिया उसको? क्षत विक्षत हो गई है, वर्षों पुरानी है, लेकिन उस पर अलाटमेंट कितना सा दिया आपने। बारां बाण में डूबता है। सिंचाई मन्त्रीजी, आप जानते हो, आपकी निगाह में भी है कि बारां कई बार आधा पानी में डूब चुका है। बारां बाढ़ योजना है क्या? उस बारां योजना के लिए आपने कोई बजट दिया है? क्या वहां तालाब बने बिना बारां का बचाव हो सकता है? इन सब बातों के कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर प्रदेश की उन्नति के बारे में सोचना पड़ेगा। यह नहीं है कि वहां बी. जे. पी. के ही लोग रहते हैं, वहां कांग्रेस के भी लोग रहते हैं। बी.जे.पी. के हैं तो भी बारां में रहते हैं, यह सोचते हुए आपको इन योजनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इर्रीगेशन की सबसे ज्यादा योजनायें कोटा संभाग में चल रही हैं और....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्यों चल रही हैं, क्यों चल रही है?

श्री परसराम मदेरणा : अब आप और उसको लगाना चाहते हो तो अपन वेटलैसनेस की स्थिति में चले जायेंगे वायुमण्डल में। हम तो बहुत ऊपर उठे हुए हैं। सबसे ज्यादा योजनायें कोटा सम्भाग में चल रही हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्यों चल रही हैं?

श्री परसराम मदेरणा : क्यों चल रही हैं? क्योंकि हम निष्पक्ष हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सभी क्षेत्रों, जहां विकास की सम्भावना है, का विकास होना चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर मंत्रीजी आपको तो वह विचार करना ही पड़ेगा। जहां वाटर पोटेंशियलिटी है वहां पैसा देना ही पड़ेगा। जिस विकास की और जिस प्रोडक्शन की आप बात कर रहे

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हैं वह विकास और प्रोडक्शन तो बिना सिंचाई के, बिना विद्युत के हो नहीं सकता। इस कारण आपने सिंचाई योजनाओं पर दुर्लक्ष्य किया है। आपने पिछले साल से इस साल बजट कम रखा है। जो योजनायें चल रही हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। मैं, सिंचाई मन्त्रीजी, आपसे यह पूछूं कि आपका राज आने के बाद कितने मीडियम प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए? राजस्थान का कोई मीडियम प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा। क्या सवाई माधोपुर है. टौंक है, चित्तौड़ है, कोटा है वहाँ पर कोई वाटर पोटेंशियलिटी नहीं बढ़ी है। लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है यदि ढंग से उसका सर्वे करवाया जावे, उसकी क्रियान्विति की जावे। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि जो कुछ चल रहा हैं उसकी गति ही ऐसी है कि बीस वर्ष तक वह योजना पूरी नहीं हो सकती। इसलिये वहाँ का जो किसान आशा भरी दृष्टि से देख रहा था उसको निराशा में डूबना पड़ रहा है। आज बिना पानी के, बिना सिंचाई के प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? प्रोडक्शन के लिए कहा गया है कि प्रोडक्शन इस बार बहुत बढ़ गया है, 99लाख टन हो गया है। इसका हिसाब कैसे लगाया गया है? राजस्थान में 11 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित है। इस 11 लाख में, योजना आयोग का कहना यह है, एक करोड़ टन उत्पादन होना चाहिये। लेकिन 11 लाख सिंचित और बाकी असिंचित मिला कर, में 99 लाख टन का हमारा उत्पादन हो रहा है। कहीं न कहीं कमी है। कहीं न कहीं पर गैप है? प्रति हैक्टेयर प्रोडक्शन राजस्थान का क्या आ रहा है? अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम आ रहा है। इसका कारण क्या है? इस प्रोडक्शन की कमी का कारण है समय पर पानी न मिलना, समय पर बिजली न मिलना, खाद ठीक नहीं मिलना, बीज सब-स्टेण्डर्ड मिलना, पैस्टीसाइड शुद्ध नहीं मिलना। ये सब चीजें मिलकर प्रोडक्शन पर असर डाल रही हैं, जिसके कारण हमारे प्रदेश का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। आज उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, सभापति महोदय, अच्छा बीज होना बहुत आवश्यक है। एक सीड कार्पोरेशन नाम की संस्था है, उसका काम ही यह है. अशुद्ध बीज कैसे देना। आज भी तीस लाख रुपयों का सब स्टेंडर्ड संकर ज्वार का बीज उनके पास में वेस्ट पड़ा है जो फेंकना पड़ेगा कुएँ में। इस साल सरसों का बीज खराब आ गया। गेहूँ का बीज अनाजक हो गया। बाजरे का बीज अनाजक हो गया। तो अशुद्ध बीज खेतों में पहुँच रहा है, खेत खाली रह जाते हैं। उन्नत बीज की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। सीड कार्पोरेशन बने छः-सात साल हो गए लेकिन आज तक हमको संकर ज्वार और बाजरे का बीज अन्य प्रदेशों से मंगाना पड़ता है। हम बाजरा और ज्वार का बीज आज राजस्थान में पैदा नहीं कर पाते, क्या कारण है इसका? क्योंकि कृषि की तरफ हमारा दुर्लक्ष्य है। कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि अच्छे बीज से अच्छा उत्पादन होता है। सीड कार्पोरेशन का यदि कोई हिसाब पूछ लें कि इसकी क्या स्थिति है तो किसान उससे निराश हो चुका है। फर्टिलाइजर्स की क्या स्थिति है, सभापति

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

महोदय। फास्केट में जहाँ 16% चाहिए वहाँ 1·6 परसेंट लाइसेंस रद्द कर दिये जिस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया उस व्यक्ति ने भाई के नाम पर दूसरा लाइसेंस ले लिया। कितनी खाद सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुई, कितनों का चालान हुआ? कितने बीज सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुए राजस्थान में? एक का भी चालान नहीं हुआ। बेचने वाला निश्चित जानता है चालान नहीं होगा। पेस्टिसाइड अशुद्ध है। अभी हमारे एम. एल. ए. साहब, झालावाड़ वाले, के यहाँ एक पेस्टिसाइड छिड़का गया, सारी फसल जल गई। पता लगा कि यह आउट डेटेड दवा थी। लेकिन कण्ट्रोल कौन करे? जहाँ पेस्टिसाइड शुद्ध नहीं मिलती हो, फर्टिलाइजर जहाँ सब स्टेण्डर्ड हों, बीज ठीक नहीं मिलता हो वहाँ प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इन सब के बावजूद यदि किसान पर विपत्ति आ जाय, यदि फसल को पाला मार जाय तो उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द नहीं, टाइम पर गिरदावरी नहीं। ये सब बातें किसान को निराश कर रही हैं। सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ फर्टिलाइजर पर सेल्स टैक्स है, बीज पर सेल्स टैक्स है। सारे देश में केवल दो तीन प्रदेशों में सेल्स टैक्स है वह भी 1·5प्रतिशत। राजस्थान में 3 और 4 प्रतिशत फर्टिलाइजर पर टैक्स। हिन्दुस्तान में चुंगी कहीं नहीं है किन्तु राजस्थान में चुंगी है, यहाँ के इम्प्लीमेंट्स पर चुंगी है। पंजाब और हरियाणा में चुंगी नहीं। यह जो स्थिति बनती जा रही है इन सबसे यह सिद्ध होता है कि कृषि की ओर सरकार का दुर्लक्ष्य है। कृषि चूंकि उत्पादन का आधार है इस कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। कृषि का आधार बिजली और सिंचाई है, कृषि का आधार इम्पुट्स हैं और कृषि विभाग का यदि कोई बजट रखा है वह पहले से कम रहेगा, और जो कम रहेगा उसको भी खर्च नहीं करने दिया जायेगा। इस बार कृषि का बजट पूरा खर्च नहीं हुआ। यदि इसमें कोई सब्सिडी का कोई आइटम है तो उसको भी बचा लिया गया। यानि जो कुछ केन्द्र सरकार से आती है उसका भी ठीक से उपयोग नहीं हो पाता, यह किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, मजे की बात यह है, कृषि का बजट कम कैसे किया जाता है। पूरे वर्ष में कृषि विभाग में 627 पद रिक्त रहे जिसमें डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। 627 पद एक साल से रिक्त है खर्चा बचाने के लिए, बजट बचाने के लिये। जहाँ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर तक नहीं हों वह विभाग चलता कैसे है? इसलिए आज एग्रीकल्चर विभाग की हालत ऐसी हो गयी कि वह मृत प्रायः हो गया है और उसकी जो गति होनी चाहिये थी वह मन्द पड़ गई है।

सभापति महोदय, कोटा क्षेत्र के साथ विशेष बात है। कोटा में अभी एक मिट्टी की प्रयोगशाला चली, कोटा के नाम से सेंक्शन हुई वह यहां जयपुर में आ गई। कोटा में इटावा में जंगलात का प्रोजेक्ट आया साइल कंजरवेशन का 3 करोड़ का

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वह यहां से उठा कर आबू में भेज दिया। वहां जो भी योजना जाती है उसकी यह स्थिति होती है मानो कोटा में जानी ही नहीं चाहिए। बारां में अन्ता कस्बा है। इस अन्ता कस्बा मे पेय जल योजना है। अन्ता के लोग बीमार रहने लगे। हमने रिक्वेस्ट की, पानी का टेस्ट कराया वह पानी पीने के योग्य नहीं है, बीमारी पैदा करने वाला है लेकिन आज तक उस कस्बे के लोगों को उस जल योजना का गन्दा पानी पीना पड़ रहा है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। कोई यदि पेय जल योजना बन गई, पहले सैंक्शन हो गई तो वह अधूरी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है, आज कोयले की योजना अधूरी पड़ी है। बारां में पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सारे अभाव इस बात का द्योतक है कि कोटा के साथ राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है।

सभापति महोदय, बारां जिला बनाने का निर्णय कांग्रेस ने भी लिया। दौसा जिला बनाने का निर्णय भी कांग्रेस सरकार ने लिया। क्या कारण है कि इसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है? क्या जिला बनने से वहां की प्रगति रुक जायगी? क्या आप अपने निर्णय को भी क्रियान्वित नहीं करेंगे? आपको जनता पार्टी के निर्णय पर एतराज था कि जिला क्यों बनाया जाय। तो यह तो पहाड़िया सरकार ने निर्णय ले लिया, निर्णय लेने के बाद उसकी क्रियान्विति आप इसलिये नही होने दे रहे हैं कि वह पहाड़िया सरकार का निर्णय था। यदि इस बात पर भी एतराज हो तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी सरकार का निर्णय ले लीजिये कि बारां, दौसा, हनुमान गढ़ जिन जिन को जिला बनाना है वह शीघ्र बन जाय क्योंकि जिला बनने के अभाव में उस इलाके की प्रगति रुकी हुई है। आप इसकी जांच जिलाधीश से करा सकते हैं। आज शाहबाद, किशनगंज के लोगों को कितनी तकलीफ है, किशनगंज, शाहबाद का विकास रुका हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : इन चार स्थानों पर जिले बनाने का निर्णय किस सरकार ने लिया, वर्तमान सरकार ने या जनता सरकार ने या उसके पहले की सरकार ने?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप वार्ता में संलग्न थे। मैंने यह कहा था कि पहले जनता सरकार ने लिया था, फिर पहाड़िया सरकार ने लिया। यदि आपको एतराज हो, पहाड़िया सरकार के निर्णय की क्रियान्विति नहीं करना चाहते हों तो आपकी सरकार निर्णय ले ले।

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय न तो जनता सरकार ने लिया, न पहाड़िया सरकार ने लिया और न माथुर सरकार ने लिया। इसकी जांच कराई जायगी कि वहां प्रोपराइटी है बनने की। आपने भी यही निर्णय लिया है। जनाब, जनता सरकार ने, जिले बनाये जायं, यह निर्णय नहीं लिया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या निर्णय लिया था यह बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : जिला डी-लिमिट करने का और जिला दूसरा गठन करने का औचित्य है कि नहीं है, इस संबंध में कमेटी बिठायी जायगी और बिठा करके....

(व्यवधान)

समझो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और जिनको जिला बनाने के लिये उस कमेटी के द्वारा जांच कराने के लिये कहा गया था उनका नाम भी था, यह भी सच है कि उन को जिला के बारे में यह कमेटी विचार करे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : इससे क्या होता है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके बाद लालवानी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी। दो वर्ष हो गये, उसके बाद भी निर्णय लेने में क्या कमी रह गई ? क्या उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध नहीं हो रहा है इसके कारण ? कोटा से शाहबाद कितनी दूर पड़ता है। वहां की जनता को उद्वेलित करके क्या दौसा जैसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं ? वहां की शांतिप्रिय जनता है। वह नहीं चाहती हैं कि इस प्रकार के आन्दोलन खड़े किये जायं। मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगा कि आप जनता की भावना को समझते हुए....

श्री परसराम मदेरणा : शांतिप्रिय है तो जो गोली चली थी बारां में आपकी सरकार के समय....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर जिला बड़ा है, उसके मुकाबले में दौसा जिला बनाना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया बैठे बैठे बात नहीं करें, माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्य अपनी बात प्रारंभ करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर शहर बहुत बड़ा है। दौसा जिला बनना चाहिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल :जिला बनाने के लिये, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों से रिपोर्ट ले लें, आप वहां की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर लें तो आप यह अनुभव करेंगे कि बारां जिला बनना बहुत आवश्यक है। उस क्षेत्र की प्रगति रुकी हुई है, उस क्षेत्र में काफी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, कलेक्टर स्वयं जांच करके आयी है। आदिवासियों के नाम पर वहां सवर्ण जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। 1–1 आदमी 70–70 अलाटमेंट करवा रहा है फर्जी नाम से।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया। कृपया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पर वहां की जनता की भावना का आदर करें। बारां जिला बनना कितना आवश्यक है वहां की स्थिति को देखते हुए, यह आप देखें। किशनगंज, शाहबाद अटरू, छबड़ा, छीपा बड़ौद के लोगों को कितनी तकलीफ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी असुविधा होती है, इसकी जानकारी लेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि बारां को जिला बनाना नितांत आवश्यक है। यह वहां की जनता की मांग है। मैं आपसे मांग करता हुआ इस बजट के बारे में केवल यह कहता हूं कि विकास की जितनी योजनाएं हैं, जो कुछ चल रही हैं वे इस बजट के कारण अवरुद्ध हो जायेंगी। यह बीमार बजट है, इसमें किसान को कोई सुविधा नहीं दी गई है, इससे प्रॉडक्शन के लिये कोई अच्छे संकेत दिखाई नहीं देते हैं इसलिये मैं बजट का विरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।**

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने....

श्री सभापति : इनके बाद में आप बोलिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : जो बजट पेश किया है उसको ध्यान से देखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय श्री देवेन्द्र कुमार जी को निवेदन किया है। देवेन्द्र कुमार जी के बाद आप बोल लें। विराजिये!

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैं इस मौके पर निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, जो हमारी सरकार का कार्यक्रम है, बीस सूत्री कार्यक्रम उसके अन्तर्गत हमारे गरीब क्षेत्र के लिये बहुत बड़ा कार्य किया है। इस वक्त मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो नीति है, यह समाजवाद पर आधारित है और समाजवादी विचारधारा का यह बजट है। सबसे पहले चीज यह देखने में आयी है कि इस बजट में किसी तरह का जनता पर कोई बोझ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर शिक्षा के बारे में आप से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : बैठे बैठे नहीं, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : नहीं है, आप की तरह नहीं हैं। जो हमारा क्षेत्र उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र है वहां के आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा का प्रचार, शिक्षा की प्रगति की है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

1984–85 के बजट में स्कूलों के प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल खोलने के जो प्रस्ताव हैं, जो प्रस्ताव बजट में हैं, उससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं इस मौके पर आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र में हम पीढ़ियों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, हमें मौका मिला है आजाद होने के बाद, हमारी कांग्रेस सरकार ने उस क्षेत्र में मिडल स्कूल से लगा कर, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी तक के स्कूल खोले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि हमें यदि शिक्षा की जरूरत की पूर्ति करनी है तो वहा पर स्कूल भवनों का काम अधूरा पड़ा हुआ है इसलिये स्कूल भवन बनाने होंगे तभी जल्दी से जल्दी पूरा काम हो सकता है। कारण सबसे बड़ा है, सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हम चंदा देकर मकान पूरा नहीं कर सकते हैं। सरकार को सबसे पहले यह सोचना है कि वहां पर भवन सरकार अपने आप बना कर दे, जो स्कूल भवन अधूरे हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल उनको बनावे। चार चार साल से लगातार वहां अकाल रहा है। ऐसी हालत में हम चदा नहीं दे सकते हैं और ना ही मदद कर सकते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां इस तरह स्कूल भवन का विकास किया जाय।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ियों के बीच में है। आदिवासी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यदि यातायात के साधन, आवागमन की सुविधा नहीं होगी तो हम लोग आगे नहीं आ सकेंगे, पीछे रह जायेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इन पहाड़ों में पालों को जोड़ने के लिये तहसील हैड क्वार्टर तक सड़क निकालना ज़रूरी है। बहुत सा काम 1980 के बाद हुआ है रोड्स को मिलाने का परन्तु काम अधूरे पड़े हुए हैं। उनको पूरा करना जरूरी है। आवागमन के साधन होने से आफिसर देखरेख कर सकते हैं और हमारे यहां की तरक्की हो सकती है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार का बड़ा आभारी हूं कि आजादी के बाद लगातार कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिये बहुत बड़ा काम किया है। वहां पर पानी बह कर बाहर चला जाता है, इस पानी को रोकने के लिये सरकार से पहले निवेदन किया था कि इन पालों के अन्दर, पहाड़ों के अन्दर छोटे-छोटे एनीकट बनाने पड़ेगे। ताकि हमें कुएं से सिंचाई का लाभ हो सके। छोटी जोत होने के कारण वहां पर इस पानी को रोकने की आवश्यकता है। मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एनीकट बांधकर इस पानी को रोका जावे ताकि हमारी छोटी जोतों को पानी मिल सके।

सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में, बिजली के बारे में, हम लोगों ने कई दरख्वास्ते दी हैं, हमारा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, इसलिये हमने कई दरख्वास्तें, एप्लीकेशन फार्म भरे हैं लेकिन

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

सरकार की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । मैं मानता हूँ कि दो तीन साल से असेम्बली में हूं, लगातार यह कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे गांव, जो पालों में है, जिनमें आदिवासी रहते हैं, में ज्यादा से ज्यादा बिजली दे दी है । हमें रोशनी की जरूरत नहीं है लेकिन जहां पर कुओं की आवश्यकता है, सिंचाई के लिए वो देंगे तो हमें काफी फायदा होगा । मैंने इसके हेतु पहले भी निवेदन किया था । बड़े-बड़े पाले हैं उन पालों को बिजली देने के बारे में निवेदन किया था लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया । मैं आशा करता हूं कि अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायेगा, उस क्षेत्र में इरिगेशन के लिये बिजली के कनेक्शन दिये जावेंगे ताकि वे लोग अपनी स्थिति को सुधार सके ।

हमारे एरिया में, सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी नदी है । वह नदी वहीं बहती है और उसका पानी तहसील के बीच में जाता है । इसमें बारहों मास पानी रहता है । इसके लिये हमनें सरकार को निवेदन किया था, सुझाव दिये थे कि एक लिफ्ट इरिगेशन बनायी जाय जिससे हमारे यहाँ नदी के दोनों तरफ हजारों बीघा जमीन में सिंचाई हो सके । मैं मानता हूं कि 5-6 हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है । खेरवाड़ा तक इससे पानी की व्यवस्था हो सकती है । इस मौके पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, सरकार बधाई की पात्र है कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पर पानी की आवश्यकता थी वहां पर एक बहुत बड़ी योजना बनायी है सोम-कागदी की बहुत बड़े डेम की जिससे खेरवाड़ा और कई तहसीलों को काफी फायदा होगा । इसी तरह के बड़े-बड़े डेम बना कर वहां पर पानी को रोका जाय तो हमारे आदिवासियों की हालत अच्छी होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ में उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी गरीब लोगों की स्थिति कों आप सुधारना चाहते हैं तो सरकार को सबसे पहले ध्यान देना होगा उनकी आर्थिक हालत के बारे में । जब तक लघु उद्योग, इण्डस्ट्रीज नहीं खोलेंगे तब तक उनको रोजगार के लिये मारा मारा फिरना पड़ेगा । यदि उनकी हालत सुधारनी है तो लघु उद्योग लगाने की जरूरत है । मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ । मेरा यह सुझाव है कि पिछड़े एरिया में ज्यादातर लघु उद्योग लगाये जाय, फैक्ट्रियां खोली जाय ताकि वहां पर रहने वाला कोई भी गरीब आदमी अपनी स्थिति को सुधार सके ।

सभापति महोदय, साथ ही सहकारिता के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । सहकारिता के बारे में मैंने और मेरे साथी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सुझाव दिये थे । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, बार-बार कहना हमारे लिये भी शोभाजनक नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, बहुत बड़ा काम आदिवासियों को आगे बढ़ाने का

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

सरकार का है, उस काम को यही सरकार आगे बढ़ा सकती है। आदिवासी का हित इसी में है कि वह कांग्रेस के साथ रह कर कांग्रेस का सहयोग करे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 80 से पहले, 76 से पहले का पुराना कर्जा था। कर्जा क्या है, सभापति महोदय, जिस आदमी ने 100 रुपया लिया है तो उसका वह ब्याज से तीन गुना हो गया, उस आदमी ने पैसा तो ले लिया पर उसको भर नहीं सकता है। मेरा यह निवेदन है कि वह पुराना कर्जा माफ किया जाय, इसी में वहां के लोगों को ज्यादा फायदा है, सब्सिडी मिलने वाली है. अनुदान मिलने वाला है वह लोग ले सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूँ और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं उनकी माली हालत को सुधारने के लिये सबसे बड़ा विशेष ध्यान रखें।

सभापति महोदय, भारत सरकार और हमारी सरकार ने आदिवासी, जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के आधार पर बहुत बड़ा विकास किया है। उस योजना के आधार पर हमको भारत सरकार मदद दे रही है, राजस्थान सरकार भी हमको आगे बढ़ाने के लिये मदद दे रही है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ऐसे भवनों की जरूरत नहीं है, हमारे लिये ऐसे भवन बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर आराम हो. चारों तरफ पंखे लगे हों, हम तो नीचे शामयाने में बैठ कर ही सुखी रह सकते हैं। उदयपुर में जनजाति का जो भवन बना उसमें 12 लाख का खर्चा हुआ, वह बेकार था। जितना सरकार खर्चा करती है, जितनी मात्रा में खर्चा करती है सरकार वह बेकार हो जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजना का जो पैसा आये, ट्राइब्स के लिये खर्च करने की बात हो वह ज्यादा से ज्यादा उनके हितों में ही खर्च किया जाय। इस तरह नहीं कि उन अधिकारियों के आराम के लिये, सुविधा के लिये इतना बड़ा भवन बना दिया। इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिये कहना चाहता हूं कि जो पैसा खर्च हो रहा है वह पैसा सही मायने में आदिवासियों पर खर्च किया जाय।

अब मैं पेय जल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 80 के बाद उन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिये हमारी सरकार दृढ़ है, विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था कि बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कि भारी वाहन नहीं जा सकते हैं, बिना रोड के गाड़ी ले जाना सम्भव नहीं है।

नारू की बीमारी से हमारे यहां पर लोग 4-4 महीने तक पड़े रहते हैं। अब हैंड पम्प लगाने से बीमारी कम हुई है। मैं चाहता हूं कि जहां पर हैंड पम्प की आवश्यकता है, वहां पानी की व्यवस्था पहले हो ताकि लोगों की हालत सुधर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि विशेष

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

तौर से जिस तरह से हमारी सरकार ध्यान दे रही है, जिस तरह से आदिवासियों को गरीबों को आगे बढ़ाने की जरूरत है उसी तरह से और थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य के बारे में मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये, उदयपुर डिवीजन के लिये जो दवाई की, चिकित्सालयों की व्यवस्था की है वह तो ठीक है लेकिन जहां पालों में लोग रहते हैं वहां पर करीब 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां पर आयुर्वेद औषधालय हो या सब प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हो या कोई अन्य चिकित्सा की व्यवस्था हो तो उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों की परिस्थिति को देखें, आदिवासियों की हालत सुधारने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें तो आदिवासी आपका आभार मानेंगे।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : माननीय सभापति महोदय, यहां पर बजट पर बहस में माननीय सदस्यों द्वारा सारी बातें दर्शायी जा रही हैं। इस बजट में जो विकास के लिये धनराशि का प्रावधान रखा है, मैं तो काफी लम्बे अर्से से देखता आ रहा हूं कि जो भी घोषणायें होती हैं वह जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अधिकतर 80 प्रतिशत तो कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च हो जाता है और 20 प्रतिशत समझो विकास होता है। इसके साथ ही, सभापति महोदय, मेरा यह अनुभव है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जमीनें दी जाती हैं, आवास के लिये पट्टे दिये जाते हैं और वह पट्टे ही कैंसिल करके उन्हीं के नाम पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर अलाट हो जाते हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है। मुझे विशेष खुशी होती अगर सरकार इस बात का पता लगाती कि कितने लोगों को आज तक पट्टे दिये गये हैं। आवास के लिये कितने लोगों को कृषि के लिये जमीन दी गयी है, उन जमीनों के ऊपर वास्तव में आज की तारीख में काबिज हैं या नहीं? अगर काबिज नहीं हैं तो सरकार इस बजट में यह घोषणा करती, अपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में घोषणा करती कि इतने लोगों को आवास के पट्टे दिये गये थे और वह किन्हीं कारणों से अन्य लोगों के झगड़ों से आबाद नहीं हो सके या खेतीबाड़ी नहीं कर सके, इतने लोगों, जो पुराने पड़े हुए थे, कोकब्जा नहीं मिला था उन लोगों को कब्जा दिया गया है, इस प्रकार की घोषणा होती तो मुझे विशेष खुशी होती।

सभापति महोदय, सरकार के लिये आज सोचना इस बात का है कि शिक्षा, इलाज, इन्साफ महंगा ही नहीं है बल्कि साधारण व्यक्ति की पहुंच के बाहर है। आप खुद ही

Page No 134

(श्री रामकंवार बैरवा)

इस बात को सोच सकेंगे, सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण इलाके से चुन कर आते हैं, क्या एक ग्रामीण व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है ? क्या वह अच्छा इलाज करा सकता है ? यदि किसी बड़े व्यक्ति से या पड़ोसी, जिसका खेत है, से झगड़ा हो जाय तो वह जीत सकते हैं ? अगर बजट भाषण में या वित्त मंत्री जी के भाषण में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रकार की घोषणायें होतीं तो मुझे विशेष खुशी होती।

इसके साथ-साथ ही पिछले दिनों में जो शीत लहर चली और फसल जो फल फूल रही थी उस शीत लहर मे चना, सरसों जीरा और रायड़ा आदि सारी फसलें 75 प्रतिशत नष्ट हो चुकी हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, आज खेत में खड़ी फसल सूख गयी, पक नहीं सकी। कई खेत तो ऐसे हैं जिनको कि वैसे ही छोड़ दिया है, इसमें किस तरह से काटें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से काफी नुकसान हुआ है गांवों का। अभी मैंने गावों का पांच सात रोज का दौरा किया था, गांव में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है, फसल के नष्ट होने से। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी पटवारी को या तहसीलदार को स्पेशल इस प्रकार का निर्देश दे कि वह फसल का मुआयना करें और मुआयना करके जितने लोग गांवों में बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था कराये। वरना होगा यह कि गांव के लोग जयपुर आयेंगे, दिल्ली जायेंगे, पंजाब जायेंगे पंजाब भी नहीं जायेंगे क्योंकि वहां भी मारकाट हो रही है इसलिये वे लोग पंजाब से भी भागकर आ रहे हैं और जयपुर से इस वक्त जो व्यवस्था चल रही थी, निर्माण कार्य चल रहे थे, विकास प्राधिकरण की वजह से मजदूरों को, मिस्त्रियों को जयपुर में भी काम नहीं मिल रहा है, सब त्रस्त हैं, ठेकेदार पैसे खा जाता है, बिल्डिंग पर से गिरकर कई लोगों की टांग टूट जाती हैं, कई को कुछ हो जाता है, उनको न कोई मुआवजा मिलता है, न कुछ मिलता है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन लोगों के रोजगार की गांव में, वहीं के स्थानीय लोगों की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही बिजली मंत्री जी ने पिछले दिनों में 12 घंटे किसानों को बिजली देने की घोषणा की थी। लेकिन उस घोषणा का कहां तक पालन हुआ यह तो आप भी जानते हैं और सदन के सभी सदस्य जानते हैं। इसीलिये सरकार द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं उनमें या तो सरकारी अधिकारियों की लापरवाही हो जाती है या सरकार घोषणा करने के बाद ध्यान नहीं देती है इसलिये पालन नहीं होता है। किसानों की खेती को अधिकतर जयपुर जिला और आसपास, जहां पर कुओं में पानी है, बिजली नहीं मिलने के कारण भी फसल का काफी नुकसान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली का टाइम भी आठ रोज में बदला जाता है कभी दिन में कभी रात में देते हैं इससे किसानों की काफी मोटरें जल जाती हैं। मैं इसलिये सरकार

(श्री रामकंवार बैरवा)

से निवेदन करना चाहता हूं, आपको दिन को देनी है, या रात को देनी है यह तय करें। उनको दिन में बिजली दी जावे और आगे के लिये आप शुरू से ही यह घोषणा कर दें कि किसानों को कितने घंटे बिजली मिलेगी ताकि वे उतनी ही फसल बोयें। अधिक फसल बोने पर पूरी फसल को पानी नहीं मिलने पर तमाम फसल को नुकसान होता है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने सामूहिक खेती के नाम से जमीनें दी हैं और विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों को दी हैं। सभापति महोदय, मुझे यह मालम नहीं कि आपके एरिया में भी सामूहिक खेती के नाम से सहकारी समिति के नाम से जमीनें दी गयीं या नहीं लेकिन जिला जयपुर, टोंक और काफी जिलों में कई लाख एकड़ जमीन गरीबों विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों को पिछले 20 सालों में दी गयी थीं। लेकिन आज के जमाने में आप जानते होंगे कि सामूहिक खेती किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं और वह कामयाब नहीं हुई है सरकार। उसमें विकास कराने के अन्दर भी कोई सहायता नहीं दी और सरकार ने उनको भगवान के नाम पर छोड़ दिया है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अन्य विधेयकों में तो संशोधन लाती है लेकिन सामूहिक कृषि सहकारी समिति के नाम से जो जमीनें दी गयी हैं उसमें इस प्रकार का संशोधन सरकार लावे और उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से उन जमीनों के खातेदारी राइट्स दे दे। व्यक्तिगत रूप से सरकार भी आज की तारीख में उनको कर्जा नहीं दे सकती। इन लोगों में एका है नहीं। वे वैसे ही झोंपड़ी बनाकर जमीन पर पड़े रहते हैं। अधिकतर जो साधन सम्पन्न लोग हैं वे उन पर काबिज हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि एक ऐसा संशोधन सरकार अपनी ओर से ला करके उन हजारों हजार गरीबों का कल्याण करे ताकि उनको खातेदारी राइट्स मिलें और वे अपनी जमीन में कुआ बना सकें या किसी भी प्रकार से विकास कर सकें।

इसके साथ ही साथ गांवों में हैंड पम्प जो लगाये गये हैं उनके विषय में मेरी शिकायत है कि 25% हैंड पम्प गांवों में खराब पड़े हैं। उनको देखने वाला कोई है या नहीं। हैंड पम्पों के लिये मैं मांग करता हूं कि हैंड पम्प सरकार ने कोई मुफ्त तो लगाया नहीं। इन पर काफी खर्चा हुआ है। इस प्रकार से जनता को जो हैंड-पम्प दिया गया है उसकी एक-दो महीने मरम्मत नहीं होती है तो वहां के लोगों में बड़ा भारी असन्तोष बढ़ता है। जन प्रतिनिधियों को भी जनता की तरफ से बड़ी भारी शिकायतें हैं। वे कहते हैं कि साहब इससे तो हमारे हैंड पम्प अगर नहीं लगते तो अच्छा था। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हैंड पम्प खराब पड़े हैं आप उनको तुरन्त ठीक करवायें। हैंड पम्प लगाने के समय क्या हुआ कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बड़ा भारी भेदभाव बरता गया। हैंड पम्प लगाने वाले जो भी कोई गांव के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे या सरपंच थे, इन्हीं

(श्री रामकंवार बैरवा)

के घर पर ठहरे। वहां उनकी अच्छी खातेदारी हो गयी। इस प्रकार हरिजन मोहल्लों को वंचित रख दिया गया। आज भी जहां हैंड पम्प लगे हुए हैं वहां से एक-एक किलोमीटर दूर से हरिजनों को लाकर खारा पानी पीना पड़ रहा है। कहीं-कहीं अगर 10% हरिजन बस्ती में हैं, कोई बड़ी बस्ती थी तो उसमें तो लग गया लेकिन हरिजन बस्तियों के गांव के पास कई ढाणियां बसी हुई हैं उनको छोड़ दिया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की घोषणाएं तो करती है लेकिन बिजली गांव में पुगी तो हरिजन मोहल्लों में नहीं जाती है वह बीच बाजार में रुक जाती है। इस प्रकार से हैंड पम्प भी गांव के सवर्ण बस्तियों में लग करके हरिजन मोहल्लों को अछूता छोड़ दिया जाता है। बड़ी-बड़ी बस्तियां हैं। मैं कितनी दफा अफसरों से निवेदन कर चुका कि मेरा क्षेत्र इतना नजदीक है कि आपका केवल एक घंटा ही खर्च होगा। आप देख लीजिये, कितनी बड़ी बस्ती है, वह गांव से तीन मील की दूरी पर बसी हुई है, एक हजार घरों की बस्ती है वहां हैंड पम्प जरूरी है। वहां पानी नहीं है, कुओं में, गर्मी के दिनों में तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों का नाम है भीड़ रामचन्द्र पुरा....

श्री परसराम मदेरणा : 1000 की बस्ती है।

श्री रामकंवार बैरवा : 1000 लोग हैं वहाँ रहने वाले।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, अब लोग हो गये। घर कितने हैं ?

श्री रामकंवार बैरवा : घर तो यही कोई एक दो सौ होंगे।

इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा मैंने 1982 में पदयात्रा की थी, सभापति महोदय, किशोरपुरा पंचायत में नीमेरा पंचायत जाना था तो बीच में रामचन्द्रपुरा गांव आया। यह दूसरा रामचन्द्रपुरा गाँव है। तो वहां पर दायी के अभाव में एक महिला की बच्चे के जन्म के समय मृत्यु हो गयी। गाँव में बुरी तरह से रोना पीटना हो रहा था। मैं उस गाँव में से गुजरा और पूछा कि क्या बात है तो कहा गया कि डाक्टर साहब को कल बुलाने गये थे, अभी तक नहीं आये और महिला की मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार से सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर दवाखाने की अवश्य व्यवस्था हो, दायी की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये। दूर दराज के अन्दर वे पहुंच नहीं पाते और दूर उनका हैडक्वार्टर होता है तो वे लापरवाही करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दवाखाना और दायी की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ किसानों की उपज सरसों वगैरह, इस शीत के प्रकोप से बच गई और किसानों के घर में आई है उसका दाम 50% कम हो गया। तो मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय से कि सरकार को खरीद करनी चाहिये ऐसे मौके पर। जिस प्रकार से पिछले सीजन में सरकार ने बाजरा

(श्री रामकंवार बैरवा)

खरीदने की घोषणा कर दी थी दुकानें खोल दी थीं, लेकिन वह खरीदा नहीं गया। किसान अपने बाजरे को लेकर गांव में दर-दर भटकते थे और व्यापारियों को कम कीमत पर उनको बाजरा देना पड़ा। इस प्रकार से ये सारी घोषणाएं हैं।

सड़कों के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने 14 करोड़ रुपये पूरे राजस्थान के, इतने बड़े प्रदेश के लिये रखे हैं। इसमें, सभापति महोदय, आप देख लीजिये कि 2500 कि०मी० बनेगी तो एक तहसील में दो तहसील में केवल 12 किलोमीटर सड़क बनेगी। अब आप देख लीजिये सरकार कितना विकास कर रही है। मैं इसको नहीं के बराबर समझता हूं....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

आय–व्ययक पर सामान्य
वाद-विवाद

श्री रामकंवार बैरवा : तो सभापति महोदय, ये 12 कि.मी. सड़क एक तहसील में पड़ेगी। अब इसमें होगा यह, भारद्वाज साहब तो यह सोचेंगे कि फागी में सड़कें ज्यादा बन रही हैं और मैं यह सोचूंगा कि जमुवा रामगढ़ में सड़क ज्यादा बन रही है। आप देख लीजिये कि 12 कि.मी. सड़क का एक तहसील में इन्होंने प्रावधान रखा है जो, मैं समझता हूं, नहीं के बराबर है। इसका सरकार ने इतना लम्बा चौड़ा मास्टर प्लान बनाया, सभापति महोदय, आप देख लीजिये एक तहसील में केवल 12 कि. मी. सड़क है गांव तक और पिछले छः महीने से जन प्रतिनिधियों को तंग कर रहे हैं। आपको भी जिला परिषद का प्रस्ताव आया होगा, मंत्री महोदय का आया होगा, केवल 12 कि मी. के लिये। तो सरकार जन प्रतिनिधियों को धोखा देने जैसी योजना सदन के अन्दर रख रही है।

इसके साथ ही जो भारत सरकार से ऋण ले करके ग्रामों में मकान बनाये जा रहे है; एक परिवार को केवल .000 रुपये मकान बनाने के लिए दिये जा रहे हैं उसमें भी उन मकान बनाने वालों को 50 चक्कर काटने पड़ते हैं और वे मकान अधूरे हैं। उसमें किसी भी प्रकार से एक कमरा भी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप 3000 की योजना को आगे बढ़ा करके कम से कम 5000 रुपये तो कर दीजिये ताकि

(5.00 म० प०)

एक कमरा तो बनाकर आराम से अपना सिर छुपा सकें और आराम से रह सकें।

इसके साथ ही साथ शिक्षा के मामले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1976 में एक हाई स्कूल बनाने का, सभापति महोदय, ठेका दिया गया था पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा एक

(श्री रामकंवार बैरवा)

लाख कुछ हजार रुपयों का। वहां पर पुराना मैटीरियल था 38 हजार का, जिसमें 16 गार्डरें थीं। वह सारा मैटीरियल 38 हजार रुपये में उन्होंने लिया था, मकान का काम सारा 64 हजार में पूरा हो गया। मैंने काफी लिखा-पढ़ी की, अनेक प्रश्न उठाये लेकिन 38 हजार रुपयों का कोई पता नहीं चल रहा है। पी. डब्ल्यू. डी. कहता है न कोई हिसाब है, न कोई किताब है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी मांग है शिक्षा मंत्रालय से कि 38 हजार रुपये जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें ताकि 38 हजार रुपये में फागी के हायर सैकण्डरी स्कूल का स्वरूप सुधर सकें और कमरों की व्यवस्था बैठाई जा सकें।

इसके साथ ही छोटे बड़े स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। रोजाना, निरन्तर पत्र आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों, जो शिक्षा विभाग के है, ने पता नहीं सरकार को प्रस्ताव भेजे या नहीं, लेकिन वहां अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं मांग करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी अध्यापकों की व्यवस्था करे ताकि गांवों में बालक-बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और रिजल्ट अच्छे ला सकें।

एक और बात, जयपुर जिला सबसे बड़ा जिला है राजस्थान में और राजस्थान की राजधानी भी है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में या अन्य मामलों में जयपुर जिले में आज तक बहुत ही कम बजट खर्च होता है। जब तक माननीय सुखाड़िया जी मुख्य मन्त्री रहे तब तक उदयपुर में खर्चा होता रहा, अब भीलवाड़ा, चित्तौड़ में ज्यादा विकास होने लगा है, कुछ दिनों पहाड़ियाजी की सरकार थी तब भरतपुर की तरफ भी विकास मुड़ा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि जयपुर जिले का स्वरूप शहर से बाहर जाकर देखें तो आजादी के बाद 36 वर्ष के इतिहास में कोटा, बूंदी के इलाके से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ, टौंक के इलाके से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ नजर आयेगा। मैं मांग करता हूं, जयपुर जिले के विकास के लिए सरकार द्वारा ध्यान देकर योजना बनाई जाय ताकि द्रुत गति से विकास का काम हो।

श्री परसराम मदेरणा : अब प्रशासन के मुड़ने की बारी जयपुर की तरफ है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : तो कमलाजी को बधाई दे दें क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : भरतपुर में हुआ तो पहाड़िया साहब थे, उधर हुआ तो माथुर साहब हैं। अब माथुर साहब हट रहे हैं क्या ? क्या दूसरा कोई आने वाला है क्या ? जयपुर में कोई आ रहा है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन at the hustings, yon have not an iota of chance to be successful.

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भविष्यवाणी तो अगले चुनावों में पता लगेगी आपको। चुनाव आने दो आप।

श्री रामकंवार बैरवा : सभापति महोदय, उद्योगों के मामले में समाज कल्याण विभाग की एक पुस्तक निकली है, अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास के नये कार्यक्रम····

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री रामकंवार बैरवा : दो चार बातें कर खत्म कर देता हूं ।

मेरा यह निवेदन है कि सरकार कई दफा अनुसूचित जाति के लोगों को सीधी नौकरी देने की बात करती है लेकिन आज तक सरकार कोई सीधी नौकरी अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दे पाई । सरकार को अपने उत्तर में यह भी बताना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के कई हजार लोगों को सीधी नौकरी देने की बात की थी, घोषणा की थी, उसका क्या हुआ, कितने लोगों को नौकरियां दीं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में किस-किस श्रेणी में दीं ? इसके साथ ही, अनुसूचित जाति के काफी लोगों का प्रमोशन रोक लिया जाता है । मेरा यह निवेदन है कि रिजर्वेशन के हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए । इसके साथ ही, क्लर्क तक की नौकरी सीधी मिलनी चाहिए । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इन्टरव्यू होता है । अनुसूचित जाति के लोगों के पास इतने साधन नहीं हैं ताकि वह उतनी तैयारी कर सकें । मेरा निवेदन है कि बाबू तक की नौकरी में सीधी भर्ती होनी चाहिए । जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोटा पूरा नहीं है अनुसूचित जाति का ।

सदन के सामने एक और खेद प्रकट करता हूं, अनुसूचित जाति कल्याण समिति विधान सभा में बनी हुई है उस समिति की रिपोर्ट हमारे पास आज तक करीब 10-12 पेज से ज्यादा की नहीं आई । सब लोग अनुसूचित जाति के हैं जो चेयरमैन हैं कई संस्थाओं के, उनको इतनी फुरसत ही नहीं है। 4-4, 5-5 पेज से ज्यादा देख ही नहीं पाते हैं । मेरा यह निवेदन है कि अब जो अनुसूचित जाति कल्याण समिति बनाई जाय उसमें ऐसे लोगों को लिया जाय जो चेयरमैन न हों, पूरा टाइम उन लोगों के लिए लगावें, मेहनत करें और प्रत्येक विभाग को जाकर चैक करें ।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आवासन मण्डल के लिये कुछ कहना चाहूंगा । दिनांक 11-5-83 को 925 मकान अनुसूचित जाति के सांसद, विधायक, छोटे-बड़े कर्मचारियों को मिले थे लेकिन बड़ा भेदभाव बरता गया । सभापति महोदय, जो लोग प्रभावशाली थे, चाहे अफसर हों, चाहे मन्त्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई हो उनको तो जवाहर नगर में मकान दे दिये गये स्वतन्त्र और जिनकी कोई पूछ नहीं थी उनकी कैटेगिरी ही बदल दी गयी जब कि हाई इनकम ग्रुप में उनका रजिस्ट्रेशन है । उनको छोटे मकान दे दिये गये । जैसे बच्चों को बहलाते हैं, वैसा काम कर दिया सरकार ने ।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री रामकंवार बैरवा : मुझे इस बात का भी खेद है कि अगर आवासन मण्डल में

Page No 140

(श्री रामकंवार बैरवा)

किसी आवंटी के साथ किसी प्रकार की बेइन्साफी हो गयी तो पचासों पत्र लिखने पर भी आवासन मण्डल का जवाब नहीं आता है कि वाकई आपके साथ बेइन्साफी हुई है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, आवासन मण्डल में बहुत बड़ा घपला है, इसकी पूर्ण रूप से जांच करवाई जाय। बड़े आफिसर, चालाक आफिसर्स से मिले होते हैं, अधिकारियों को सूचियाँ बनाने के लिए दे देते हैं क्योंकि लाटरी में तो ऐसा भेदभाव हो नहीं सकता। सूचियाँ बनाने में उनका कृपापात्र या जो उनके प्रेमी आदमी हैं, यार दोस्त हैं, उनको तो अच्छा मकान बढ़िया जगह पर दे देते हैं और जो उनके यार दोस्त नहीं हैं उन लोगों को वह टोटा मोटा, टूटा फूटा मकान दे देते हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री रामकंवार बैरवा : इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि आवासन मण्डल के लिए एक कमेटी बनाई जाय। वह जांच कमेटी लाटरी निकाले और आज तक के जितने भी कारनामे हैं, सब को चैक करे और चैक करके रिपोर्ट सदन में पेश करे। उस रिपोर्ट पर यहाँ डिस्कशन हो, यही मेरी मांग है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21 मार्च, 1984 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 5.10 बजे बुधवार दिनांक 21 मार्च, 1984 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

————

Page No 141

परिशिष्ट 1

प्रश्न संख्या 117 के आदेश

राजस्थान सरकार,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:एफ.7(8) नविआ/83/ दिनांक 8.7.83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर ।

विषय :—श्री मनफूल राम अनुसूचित जाति के विधायक को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन ।

महोदय,

श्री मनफूल राम विधायक (अनुसूचित जाति), जिन्होंने आवासन मण्डल में 1973 में पंजीकरण कराया था, को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970, की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में प्लाट नं० 2–छ–28 (जो खाली है) विधान सभा सदस्यों के लिए आरक्षित प्रतिशत (कोटे) में से उनके द्वारा शपथ आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं ।

भवदीय,
ह०/–
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव आवासन मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित है ।

उप शासन सचिव ।

(सत्य प्रतिलिपि)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:–एफ 7(20)नविआ/83/ दिनांक : 24-5-83

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर ।

विषय : श्री आई० के० व्यास को जवाहर नगर में मकान आबंटन हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार श्री आई० के० व्यास को आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में जो आवास संख्या 2/417 मालवीया नगर में आवंटित किया गया है उसके स्थान पर इन्हें जिस वर्ग का आवास प्राप्त करने के यह अधिकारी हैं उसी वर्ग का आवास जवाहर नगर में आवंटित किये जाने के निर्देश राजस्थान आवासन मण्डल एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं ।

भवदीय,
ह०/—
उप शासन सचिव

(सत्य प्रतिलिपि)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप–3)

क्रमांक:एफ.7(39)नविआ/83/ दिनांक—25.7.83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर ।

विषय—श्री महेश कुमार पारीक को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन ।

महोदय,

श्री महेश कुमार पारीक जिन्होंने आवासन मण्डल का मकान प्राप्त करने हेतु 1982 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया था उन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं ।

भवदीय,

उप शासन सचिव ।

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप–3)

क्रमांक:एफ.7(39) नविआ/83/ दिनांक–25-7-83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय—श्री बी० सी० चिरानिया को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन।

महोदय,

श्री बी० सी० चिरानियां जिन्होंने आवासन मण्डल का मकान प्राप्त करने हेतु 1982 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया था उन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांक:एफ 7(34)नविआ/83/ दिनांक 16-7-83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय—श्री छुट्टनलाल अनुसूचित जन जाति के भूतपूर्व सांसद को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन आवंटन।

महोदय,

श्री छुट्टनलाल भूतपूर्व सांसद (अनुसूचित जन जाति) को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर

में उच्च आय वर्ग का मकान आरक्षित प्रतिशत (कोटे) में से उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

एस. डी.

उप शासन सचिव

सत्य प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एव आवासन विभाग

क्रमांक : 7(77) नविआ/83 दिनांक 26-11-83

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर (राज०)

विषय:—श्रीमती रामप्यारी को धारा 60 के तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री मुल्कराज थिन्द जयपुर को दिनांक 21-5-83 को मालवीया नगर में उच्च आय वर्ग में IV/85 ओ. आर. डी. मकान आवंटित किया गया हैं। इसकी एवज में इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में 4--त--11 उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

ह०/

(उप शासन संचिव)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एव आवासन विभाग

क्रमांक:प7(77) नविआ/3/83 जयपुर, दिनांक : 30-12-83

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषया—श्री शिवसिंह रावत, विधायक को धारा 60 के तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्री शिवसिंह रावत को जवाहर नगर में 4/159 आवंटन किया गया है इसकी एवज में इन्हें, राजस्थान आवासन मण्डल, अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत पत्र

जवाहर नगर योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान संख्या 7–न-2 उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,
ह०/–
(उप शासन सचिव)
सत्य प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकःप 7(77) नविआ/111/83 दिनांक : 26-11-83

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषयः— श्री नानालाल, विधायक को धारा 60 के तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्री नानालाल, विधायक को मालवीया नगर में मकान आवंटन किया गया है। इसकी एवज में इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत जवाहर नगर योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,
ह०/–
(उप शासन सचिव)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प० 7 (183) नविआ/3/81 जयपुर, दिनांक : 11-1-84

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :—**श्री भीखा भाई सांसद जनजाति को धारा 60 के तहत मालवीया नगर योजना में मकान आवंटन हेतु।**

महोदय,

श्री भीखाभाई, सांसद जनजाति को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत मालवीया नगर योजना, जयपुर में उनके आय वर्ग का स्वतंत्र प्लाट उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,
ह०
उप शासन सचिव

Page No 146

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या

भारत सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन की सूचना वर्ष, 1982-83—

क्र०सं०	नाम माह	गेहूँ (मात्रा टनों में)	चीनी (मात्रा टनों में)	चावल (मात्रा टनों में)
1	2	3	4	5
1.	अप्रेल, 82	24,000	14,520.6	2,000
2.	मई, 82	,,	,,	,,
3.	जून, 82	,,	,,	,,
4.	जुलाई, 82	,,	,,	,,
5.	अगस्त, 82	,,	,,	,,
6.	सितम्बर, 82	,,	,,	,,
7.	अक्टूबर, 82	25,000	+ 2,461.0 14,520.6	,,
8.	नवम्बर, 82	28,000	14,520.6	1,000
9.	दिसम्बर, 82	20,000	14,519.1	,,
10.	जनवरी, 83	,,	14,519.1	,,
11.	फरवरी, 83	,,	14,520.4	,,
12.	मार्च, 83	,,	14,520.8	,,
	योग :	3,09,000	1,76,705.2	19,000

Page No 147

2

3 की सूची)

(परिशिष्ट "अ")

मिट्टी का तेल (कि०ली०)	खाद्य तेल (पॉम आयल) (मात्रा टनों में)	सीमेंट (प्र. तिमाही) (मात्रा टनों में)	नियंत्रित कपड़ा (गांठों में)	कोयला (सॉफ्ट एवं बी. एच. हार्ड कोक) (275+100)
6	7	8	9	10
15,420	300	60,600 मे. टन	859 गांठें	375 वैगन
14,420	300		859 ,,	375 ,,
15,420	680		859 ,,	375 ,,
15,420	500	60,600 मे. टन	859 ,,	375 ,,
15,420	550		859 ,,	375 ,,
15,420	685		859 ,,	375 ,,
16,063	685	60,600 मे. टन		
17,926	550		859 ,,	375 ,,
17,926	190		859 ,,	375 ,,
17,926	190	60,600 मे. टन	859 ,,	375 ,,
17,926	190		859 ,,	375 ,,
16,196	190		859 ,,	375 ,,
1,96,483	5,810	2,42,400 मे. टन	10,300 गांठें	4,500 वैगन

Page No 148

भारत सरकार से प्राप्त आवंटन वर्ष, 1983-84 की सूचना

क्र०सं०	नाम माह	गेहूं (मै० टन)	चांवल (मै० टन)	चीनी (मै० टन)
1	2	3	4	5
1.	अप्रैल, 83	28,000	1,000	14,520.8
2.	मई, 83	28,000	1,000	14,520.8
3.	जून, 88	28,000	1,000	14,523.3
4.	जुलाई, 83	28,000	1,000	14,523.3
5.	अगस्त, 88	28,000	1,000	14,523.3
6.	सितम्बर, 83	28,000	1,000	14,522.0
7.	अक्टूबर, 83	28,000	1,000	18,391.0
8.	नवम्बर, 83	28,000	1,000	15,858.2
9.	दिसम्बर, 83	28,000	1,000	15,858.2
10.	जनवरी, 84	28,000	1,000	15,858.2
11.	फरवरी, 84	28,000	1,000	15,858.0
12.	मार्च, 84	28,000	1,000	15,858.0
	योग :	3 36,000	12,000	1,84,815.1

(परिशिष्ट "ब")

मिट्टी का तेल (कि०ली०)	खाद्य तेल (पॉम आयल) (मे० टन)	सीमेंट (प्र. तिमाही) (मे० टन)	नियंत्रित कपड़ा (गांठों में)	कोयला सॉफ्ट एवं वी. एच. हार्ड कोक (275+100)
6	7	8	9	10
16.191	350		859 गांठें	375 वैगन
.16 191	350	69,800 मे० टन	799 ,,	375 ,,
16,191	510		799 ,,	375 ,,
15,291	1,010		799 ,,	375 ,,
16,560	1,010	69,000 मे० टन	799 ,,	375 ,,
16,560	1,010		799 ,,	375 ,,
17,202	1,010		799 ,,	375 ,,
19,405	1,010	64,800 मे० टन	799 ,,	375 ,,
19,405	1,010		799 ,,	375 ,,
19,405	1,000		799 ,,	207½ ,, (150+57½)
19,405	1,000	64,800 मे० टन	799 ,,	207½ ,,
16,800			799 ,,	207½ ,,
2,00,385	3,270	2,69,200 मे०टन	9648 ,,	3,997½ ,,

भाग 2 की सूची

(मात्रा मै० टनों में)

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1982-83 में आवंटन एवं उठाव			
		गेहूँ		चांवल	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	14750	7943	550	105
2.	अलवर	1300	2500	—	—
3.	बाड़मेर	26060	15810	1700	1077
4.	बूँदी	1900	320	350	—
5.	बांसवाड़ा	4650.50	3100	830	775
6.	भरतपुर	700	700	100	—
7.	भीलवाड़ा	25850	16120	500	—
8.	बीकानेर	16884	845	790	685
9.	चूरू	12000	4853	200	—
10.	चित्तोड़गढ़	2240	616	80	—
11.	डूंगरपुर	5050	3754	1600	1313
12.	गंगानगर	412–5	—	—	—
13.	जयपुर	25500	8242	1500	533
14.	जोधपुर	33699	27124	1040	83
15.	जैसलमेर	18800	9830	1210	832
16.	जालौर	7800	3694	240	23
17.	झुन्झुनू	9400	2357	110	—
18.	झालावाड	4030	3660	120	—
19.	कोटा	4410	1205	460	100
20.	नागोर	7100	1439	260	20
21.	पाली	16400	10360	479	204

Page No 151

1	2	3	4	5	6
22.	सीकर	3750	1850	480	414
23.	सवाई माधोपुर	1100	290	75	25
24.	सिरोही	12250	10690	600	510
25.	टौंक	2200	1168	157	7
26.	उदयपुर	25500	16717	1120	891
27.	धौलपुर	2500	2140	408	218

गेहूँ एवं चांवल के आवंटन में जेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग तथा अन्य संस्थाओं का आवंटन शामिल नहीं है।

भाग—2 की सूची

(मात्रा मैं० टनों में)

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1982-83 में आवंटन एवं उठाव			
		सीमेंट		चीनी	
		आवंटम	उठाव	आवंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	5660	3042	7474-9	6145-0
2.	अलवर	4545	3587	9099-9	6260-0
3.	बाड़मेर	2073	2028	5780-2	5145-1
4.	बूंदी	854	854	3036-0	2989-6
5.	बांसवाड़ा	1396	821	4574-0	4512-0
6.	भरतपुर	4296	1974	6987-6	6853-0
7.	भीलवाड़ा	2985	2464	6768-7	6562-9
8.	बीकानेर	4368	1860	4422-4	4238-2

Page No 152

1	2	3	4	5	6
9.	चूरू	2197	1440	6064-6	6211-1
10.	चित्तौड़गढ़	1826	1831	6491-1	5896-9
11.	डूंगरपुर	1285	1145	3529-0	3137-0
12.	गंगानगर	7760	6689	10462-8	8738-1
13.	जयपुर	20269	16359	17676-6	17443-3
14.	जोधपुर	5733	4895	8602-8	8233-1
15.	जैसलमेर	841	760	1289-2	667-0
16.	जालौर	2001	2071	4647-8	2303-9
17.	झुन्झुनू	2581	2317	6179-8	5892-3
18.	झालावाड़	934	800	3950-5	3894-0
19.	कोटा	4627	43[illegible]5	7964-3	6728-3
20.	नागौर	2953	2471	8370-0	8253-8
21.	पाली	4209	1271	6571-0	6096-0
22.	सीकर	2612	2167	7082-4	6984-0
23.	सवाई माधोपुर	3512	2700	7871-3	6894-4
24.	सिरोही	1097	1058	2810 8	2755-0
25.	टौंक	1464	1002	4077-5	3557-3
26.	उदयपुर	10878	8359	12194-3	12765-0
27.	धौलपुर	1326	1013	2725-7	2688-0

भाग—2 की सूची

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1882–83 में आवंटन एवं उठाव			
		कोयला (मात्रा वैगनों में)		कपड़ा (मात्रा गांठों में)	
1	2	3	4	5	6
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1.	अजमेर	545	177½	468	667
2.	अलवर	22½	10½	564	393
3.	बाड़मेर	10	—	300	188¾
4.	बांसवाड़ा	—	—	264	121
5.	भरतपुर	1500	340	408	187
6.	भीलवाड़ा	25	7	432	17
7.	बीकानेर	125	45	240	122
8.	बूंदी	—	—	380	169
9.	चित्तौड़गढ़	15	—	396	283¼
10.	चूरू	15	5	338	149
11.	धौलपुर	—	—	180	69
12.	डूंगरपुर	—	—	204	136
13.	गंगानगर	125	175	564	379½
14.	जयपुर	1812½	681½	984	1225½
15.	जैसलमेर	—	—	72	84
16.	जालौर	5	—	278	172¾
17.	झालावाड़	—	—	252	31
18.	झुन्झुनू	20	—	384	209
19.	जोधपुर	360	87	444	395
20.	कोटा	55	—	420	101
21.	नागौर	5	—	504	265

1	2	3	4	5	6
22.	पाली	17½	—	384	164
23.	सवाई माधोपुर	—	—	468	293
24.	सीकर	62½	42½	420	268¾
25.	सिरोही	70	2½	192	156
26.	टोंक	—	—	252	153
27.	उदयपुर	—	—	720	675

भाग—2 की सूचना

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1982–83 में आवंटन एवं उठाव			
		केरोसिन (मात्रा कि०ली०)		पाम आयल (मात्रा मै० टन)	
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	14376	12770	500	300
2.	अलवर	8483	8319	280	122
3	बाड़मेर	3713	3540	310	10
4.	बांसवाड़ा	3353	3304	140	10
5.	भरतपुर	7065	6826	245	47
6.	भीलवाड़ा	6093	5944	332	95
7.	बीकानेर	5389	5296	405	195-7
8	बूंदी	1966	1896	200	20
9.	चित्तौड़गढ़	4990	4872	45	28
10.	चूरू	3748	3211	185	91
11.	धौलपुर	2444	2640	120	15
12.	डूंगरपुर	2066	1504	—	—

1	2	3	4	5	6
13.	गंगानगर	11537	11502	80	—
14.	जयपुर	30255	28161	773	520
15.	जैसलमेर	878	712	255	110
16.	जालौर	3593	3488	210	20
17.	झालावाड़	3194	3187	30	—
18.	झुन्झुनू	4372	4156	130	45
19.	जोधपुर	13905	13705	310	50
20.	कोटा	14402	13984	335	60
21.	नागौर	6023	6116	220	60
22.	पाली	9331	8747	310	49
23.	सवाई माधोपुर	6[illegible]67	6938	275	89
24.	सीकर	6168	6168	135	105
25.	सिरोही	3813	3461	35	10
26.	टौंक	3045	2931	235	67
27.	उदयपुर	22026	11540	220	100

§ पाम आयल का आवंटन वर्ष भारत सरकार से नवम्बर से अक्टूबर तक माना जाता है पिछले माहों का बचाव पुनः आवंटित किया जाता है ।

भाग—2 की सूची

(मात्रा मै० टनों में)

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1983–84 में आवंटन एवं उठाव			
		गेहूँ		चांवल	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	18000	630	545	165
2.	अलवर	6550	—	—	—
3.	बाड़मेर	22100	2880	750	590
4.	बूंदी	3450	—	250	20
5.	बांसवाड़ा	4900	160	730	448
6.	भरतपुर	5840	—	300	22
7.	भीलवाड़ा	15700	—	275	—
8.	बीकानेर	12200	314	710	615
9.	चूरू	5700	—	275	162
10.	चित्तौड़गढ़	8500	—	210	—
11.	डूंगरपुर	5650	1256	650	406
12.	गंगानगर	2905	—	—	—
13.	जयपुर	40900	—	1050	221
14.	जोधपुर	35000	374	940	4
15.	जैसलमेर	21500	3235	1070	793
16.	जालौर	9200	412	255	52
17.	झुन्झुनू	7600	—	225	94

1	2	3	4	5	6
18.	झालावाड़	6200	—	75	—
19.	कोटा	9300	—	370	190
20.	नागौर	9900	4	320	259
21.	पाली	13400	400	360	150
22.	सीकर	8100	2	410	350
23.	सवाई माधोपुर	4900	—	110	20
24.	सिरोही	12400	1540	500	440
25.	टोंक	7000	—	285	30
26.	उदयपुर	30000	1706	805	275
27.	धौलपुर	7000	760	330	240

गेहूं एवं चावल के आवंटन में जेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग तथा अन्य संस्थाओं का आवंटन शामिल नहीं है।

भाग 2 की सूची

(मात्रा मे० टनों में)

क्र० सं०	नाम जिला	वर्ष 1983-84 में आवंटन एवं उठाव			
		सीमेन्ट		चीनी	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	6600	3801	7845-1	4500-0
2.	अलवर	4035	2443	9517-1	8536-8

Page No 158

1	2	3	4	5	6
3.	बाड़मेर	3800	2113	6042–8	3497–3
4.	बूंदी	1100	725	3178–6	2610–5
5.	बांसवाड़ा	2550	1697	4783–6	2794–4
6.	भरतपुर	2750	1834	7025–7	4235–0
7.	भीलवाड़ा	4500	3648	7048–4	4354–3
8.	बीकानेर	2800	1222	4621–0	3376–9
9.	चूरू	2400	1810	6356–2	4613–4
10.	चित्तौड़गढ़	3200	2395	6651–7	4623–3
11.	डूंगरपुर	2050	1003	3688–2	2586–0
12.	श्रीगंगानगर	6200	3927	10943–3	7790–7
13.	जयपुर	25050	10744	18486–9	12678–8
14.	जोधपुर	8200	2451	8989–8	5386–3
15.	जैसलमेर	1500	645	1344–9	1034–0
16.	जालौर	2950	1242	4855–2	3346–2
17.	झुन्झूनू	2600	2185	6470–1	4508–8
18.	झालावाड़	1500	924	4226–9	2020–3
19.	कोटा	3950	2827	8325–0	3961–8
20.	नागौर	3650	2172	8762–5	5758–2
21.	पाली	4850	824	6876–8	3774–0
22.	सीकर	2750	2020	7412–6	5824–5
23.	सवाई माधोपुर	4150	3231	8271–6	5319–4
24.	सिरोही	2350	1243	2942–6	1885–0
25.	टोंक	2800	1597	4265–4	3023–7
26.	उदयपुर	11950	5841	12764–4	8529–0
27.	धौलपुर	1650	1172	3118–7	3000–0

भाग 2 की सूचना

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1983-84 में आवंटन एवं उठाव			
		कोयला (मात्रा वैगनों में)		कपड़ा (मात्रा गाँठों में)	
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	45	—	409	176
2.	अलवर	—	—	477	602
3.	बाड़मेर	5	—	265	97
4.	बांसवाड़ा	—	—	242	87
5.	भरतपुर	230	154½	354	401
6.	भीलवाड़ा	5	—	366	24
7.	बीकानेर	17½	—	200	94
8.	बूंदी	—	—	155	128
9.	चित्तौड़गढ़	—	—	333	317
10.	चूरू	—	—	298	251
11.	धौलपुर	12½	—	155	155
12.	डूंगरपुर	—	—	177	29
13.	गंगानगर	2½	—	477	769
14.	जयपुर	732½	1095	852	723
15.	जैसलमेर	—	—	72	134
16.	जालौर	—	—	233	98
17.	झालावाड़	—	—	221	71
18.	झुन्झुनू	5	—	365	116
19.	जोधपुर	7½	—	377	316
20.	कोटा	15	—	355	25
21.	नागौर	—	—	432	505
22.	पाली	25	65½	362	80

1	2	3	4	5	6
23.	स० माधोपुर	20	—	409	537
24.	सीकर	5	—	355	117
25.	सिरोही	—	—	156	144
26.	टोंक	—	—	221	115
27.	उदयपुर	—	—	720	76

भाग 2 की सूचना

क्र०सं०	नाम जिला	वर्ष 1983–84 में आवंटन एवं उठाव			
		केरोसीन (मात्रा कि०ली०)		पाम आयल (मात्रा मी० टन)	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	14800	12221	565	383
2,	अलवर	8910	8349	390	57
3.	बाड़मेर	4050	3153	350	80
4.	बांसवाड़ा	3450	3133	230	60
5.	भरतपुर	7450	6740	340	130
6.	भीलवाड़ा	6680	6123	395	108
7.	बीकानेर	5680	5250	690	429
8.	बूंदी	2200	1796	130	20
9.	चित्तौड़गढ़	5200	4476	260	—
10.	चूरू	4520	3202	345	108
11.	धौलपुर	2970	2970	242	22
12.	डूंगरपुर	2420	2225	190	35
13.	गंगानगर	11800	11250	190	180
14.	जयपुर	32525	2845	1189	736–5
15.	जैसलमेर	990	710	400	163

1	2	3	4	5	6
16.	जालौर	3860	3644	100	20
17.	झालावाड़	3300	2957	305	20
18.	झुंझुनू	4690	4459	355	77
19.	जोधपुर	15300	15300	470	70–2
20.	कोटा	14445	13090	500	112–5
21.	नागौर	6780	6418	350	64–6
22,	पाली	9030	6228	120	—
23.	स० माधोपुर	6850	5522	370	186
24.	सीकर	6280	5780	230	320
25.	सिरोही	3850	3307	235	27
26.	टोंक	3160	2832	425	83
27.	उदयपुर	12840	12616	420	130

पाम आयल का आवंटन भारत सरकार से वर्ष नवम्बर से अक्टूबर तक माना जाता है पिछले माहों का बचाव पुनः आवंटित किया जाता है ।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मालवीय नगर योजना में मकानों की क्षति

181. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई),

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मालवीय नगर योजना व अन्य योजनाओं में मकान टूटने व ढहने के कारण पिछले एक वर्ष में किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या, किन-किन आरोपों में कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मालवीय नगर योजना के मकान टूटने व दरार पड़ने के आरोपों में कुछ अभियंताओं को निलम्बित किया गया था ? यदि हाँ, तो किन-किन को कब-कब, किन-किन आरोपों में ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उनका निलम्बन रद्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन-किन का कब-कब व क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराई गई है ? यदि हाँ, तो क्या व उसके क्या परिणाम आये ?

उत्तर

(1) मालवीय नगर योजना व अन्य योजनाओं में मकान टूटने व ढहने के कारण आरोपों में निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(अ) मालवीय नगर योजना में:—

1. श्री आर. पी. केडिया, आवासन अभियंता एवं श्री वी. के. शर्मा, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को क्रमश: दिनाँक 28–7–83 एवं 1–8–83 को निलम्बित किया गया।

2. निम्न परियोजना अभियंता (वरिष्ठ एवं कनिष्ठ) जो कि तदर्थ नियुक्ति पर थे, को 30–9–83 से सेवामुक्त किया गया :—

1. श्री ए. के. पालीवाल (परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)

2. श्री श्रवण कुमार (परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)

3. श्री रतन सिंह (परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)

4. श्री अतुल शर्मा (परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)

(आवासन मंत्री)

इस प्रकरण की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आवासन मण्डल में प्राप्त हो चुकी है एवं मण्डल द्वारा आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ब) पुलिस एकेडमी, जयपुर में—

श्री आर. के. सचदेवा, परियोजना अभियन्ता, वरिष्ठ को दिनांक 1-8-83 को निलंबित किया गया था।

(स) हिरन मगरी, उदयपुर

1. श्री एम. एस. माथुर, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)

2. श्री आर. एस, गुप्ता, परियोजना अभियन्ता कनिष्ठ को दिनांक 20-8-83 को निलंबित किया गया था।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के भाग "अ" में उत्तर दे दिया है।

(3) जी हाँ, श्री आर. पी. केडिया, श्री वी. के. शर्मा, आर. के. सचदेवा, श्री एम. एस. माथुर व श्री आर. एस. गुप्ता का 19-11-83 को बोर्ड के हितों को ध्यान में रखकर निलम्बन रद्द कर दिया गया है।

(4) जी हाँ, जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिनका दोष पाया गया है उनके विरुद्ध मेजर पैनल्टी की कार्यवाही की जा रही है।

जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के सदस्य

182. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के सदस्य कौन-कौन हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी ग्राम पंचायत के नगरपालिका के रूप से परिवर्तित हो जाने पर उस नगरपालिका क्षेत्र का निवासी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुना हुआ सदस्य हो सकता है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि जिला परिषद में कोई सहवृत सदस्या, बेगूं नगरपालिका क्षेत्र की है व उसे हटाया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब बेगूं ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले पंचायत समिति के ऐसे सदस्यों को हटाने का विचार रखती है? कृपया सदस्यों का नाम भी बतावें।

उत्तर

(1) जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ के 27 सदस्य हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् की सदस्यता तथा सदस्य

(पंचायत राज मन्त्री)

बनने के लिए अयोग्यतायें (डिसक्वाली-फिकेशन) सम्बन्धी प्रावधान क्रमशः धारा 4, 9, 11, 12, 15 व 17 राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 धारा 8, 9, 10, 15 व 16 राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 तथा धारा 42, 43 व 47 राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 में उल्लेखित हैं।

श्रीमती चंचल लता सुराणा, सहवृत सदस्या, जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ का निवास स्थान नगरपालिका बेगूं में आने से वे जिला परिषद की सदस्या बने रहने के लिए अयोग्य हो गई हैं अथवा नहीं, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(3) ग्राम पंचायत, बेगूं को नगरपालिका के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने पर ग्राम पंचायत, बेगूं का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा ग्राम पंचायत बेगू के तत्कालीन सरपंच, श्री संग्राम सिंह, नगरपालिका बेगूं के अध्यक्ष हो गये। अतः ग्राम पंचायत, बेगूं के सरपंच की हैसियत से उनकी पंचायत समिति की पदेन सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई।

श्री मोहनलाल पालीवाल, सहयुक्त (एसोसियेट) सदस्य का निवास स्थान ग्राम सूलीमगरा, नगरपालिका, बेगूं में शामिल कर दिये जाने से वे पंचायत समिति के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गये हैं अथवा नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है।

कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रसार केन्द्र, डूंगरपुर की क्रमोन्नति

183. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में डूंगरपुर स्थित कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रसार केन्द्र (भेड़ व ऊन) को क्रमोन्नत कर जिला भेड़ व ऊन अधिकारी का कार्यालय बनाये जाने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

क्योंकि जिला कार्यालय स्थापित करने के लिए डूंगरपुर जिले में भेड़ों की संख्या पर्याप्त कम है जानकारी अनुलग्नक-एक सदन की मेज पर रख दी गई है।

अनुलग्न सूचना

डूंगरपुर जिले में वर्तमान में केवल 2,28,358 भेड़ें ही हैं जबकि जिला भेड़ व ऊन कार्यालय हेतु लगभग 4 लाख भेड़ें होनी चाहिये।

सूकनी नामक स्थान (पीपल्दा) पर सीपेज के पानी को रोकना

184. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 165

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के सूकनी नामक उपजाऊ स्थान पर सीपेज का पानी भर जाने से सैंकड़ों बीघा जमीन में पानी भरा है तथा उसर से भूमि खराब हो रही है तथा डोली, झाडोल, रनोदिया, आदि गाँवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर ड्रेन बनाकर पानी निकालने की मांग वहाँ के किसान समय-समय पर करते रहे हैं?

(3) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर अभी तक ड्रेन नहीं बनाने का क्या कारण है तथा अब कब तक ड्रेन बना दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ।

(2) इसको तकनीकी दृष्टि से लाभदायक नहीं माना गया।

अवैध शराब के मामले

185. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान शराब विक्री से राज्य सरकार को कुल कितनी आय प्राप्त हुई?

(2) अवैध शराब के 1 जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने मामले बनाकर चालान पेश किये गये?

(3) क्या सरकार ने नाजायज शराब विक्रेता एवं कच्ची शराब तोड़ने वालों को पिछले वर्ष न्यायालय द्वारा दण्डितकरवाया? यदि हाँ, तो कृपया दण्डित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान शराब की विक्री से राज्य सरकार को कुल 51·29 करोड़ रुपये आय हुई।

(2) इस अवधि में कुल 13,661 मामले पंजीकृत किये गये उनमें से 10929 मामलों में चालान कोर्ट में पेश कर दिये गये हैं।

(3) (1) जी हाँ।

(2) न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावतसर कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट

186. **श्री पीरूराम** (टीबी) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पीरूराम)

(1) क्या टीब्री. विधानसभा क्षेत्र के रावतसर कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट स्वीकृत है ?

(2) यदि हाँ, तो वह कोर्ट अब कहाँ कार्य कर रहा है और इसके रावतसर से अन्य स्थान पर कार्य करने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त कोर्ट को रावतसर में ही हस्तान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि हाँ तो कब से ?

उत्तर

(1) रावतसर कस्बे में कोई मुन्सिफ कोर्ट स्वीकृत नहीं है ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गडरारोड में छात्रावास भवन का निर्माण

187. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ज्यों ज्यों सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाते हैं उसके अनुसार ही समाज कल्याण होस्टलों का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता है ?

(2) जिला बाड़मेर के सीमावर्ती ग्राम गडरारोठ में कब से समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रावास झूंपों में किराये पर चल रहा है ?

(3) क्या सरकार गडरारोड में समाज कल्याण छात्रावास भवन बनाने का प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) छात्रावास अनुसूचित जाति व जनजाति के दूर के स्थानों के रहने वाले छात्रों के लिये खोले जाते हैं। प्रत्येक सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल के अनुसार छात्रावास खोलना उपरोक्त आधार पर आवश्यक नहीं है ।

(2) जिला बाड़मेर में गडरारोड़ ग्राम में एक अनुसूचित जाति छात्रावास वर्ष 65-66 से किराये के भवन में चलाया जा रहा है ।

(3) अगले वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तगत धनराशि स्वीकृत होने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

राज्य के पश्चिमी जिलों में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

188. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) :

श्री भगवान दास (चौहटन) व

श्री हेमा राम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक पाठशालाओं के खोलने

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

के नये सिद्धान्त 300 अथवा उससे अधिक आबादी के रेवेन्यू विलेज में प्राथमिक शालायें खोलने के सिद्धांत से राजस्थान में कुल कितनी प्राथमिक शालाएं गत वर्ष दिसम्बर 1983 तक खोली गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नीति से शालायें खोलने से राजस्थान के पश्चिमी जिलों के साथ भारी अन्याय हुआ है क्योंकि उन जिलों के ग्राम पहले ही बड़ी आबादी के हैं जहां एक एक प्राइमरी स्कूल पहले ही खुली हुई हैं और उनकी जो अधिकांश आबादी ढाणियों में आबाद है पर रेवेन्यू विलेज में बंटी हुई नहीं है वहां स्कूल नहीं खुल सकी है ?

(3) यदि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है तो कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों याने बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, श्री गंगानगर, चूरू तथा झूझनूं में पृथक् पृथक् और कुल मिलाकर कितने प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में 300 से अधिक आबादी की जिन बस्तियों (ढाणियों) में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उनमें स्कूल खोलने के लिये गुडामालानी विधायक व जिला परिषद् बाड़मेर ने मुख्य मन्त्री व निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1983 तक 756 प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। पश्चिमी क्षेत्र के दूर-दराज के गांवों/ढाणियों एवं मजरों में जिनकी आबादी 300 से भी कम है भी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	खोली गई प्राथमिक शालाओं की संख्या
1	2	3
1.	बाड़मेर	85
2.	जैसलमेर	5
3.	जालौर	38
4.	जोधपुर	58
5.	बीकानेर	42
6.	सीकर	60
7.	श्री गंगानगर	136
8.	चूरू	45
9.	झुन्झुनूं	72
		541

राजस्थान नहर में भूमिहीन हरिजनों को भूमि का आवंटन

189. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) : क्या उपनिवेशन परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर के हरिजन एवं भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल पर कब तक भूमि अलाट कर दी जावेगी एवं कितनों को ?

(2) राजस्थान कैनाल पर भूमिहीन हरिजनों को भूमि अलाट करने का मापदण्ड क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल पर काफी जमीन बाहर के व्यक्तियों को अलाट कर दी गई है जबकि उपरोक्त क्षेत्र के ही कितने ही हरिजन भूमिहीन वहां मौजूद हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) केसरीसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र के हरिजन एवं अन्य भूमिहीनों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि का आवंटन भूमि उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा ।

(2) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमिहीन हरिजनों को 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि आवंटन करने का प्रावधान है ।

(3) जी नहीं ।

उदयपुर तहसील में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

190. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर द्वारा उदयपुर तहसील में स्थित बोर्ड की सम्पत्ति की सूचना दिनांक 23 सितम्बर, 1965 को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करवायी गयी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सूची में सरकारी अथवा निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सम्पत्ति को भी शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस सम्पत्ति को ?

(3) क्या ऐसी सरकारी सम्पत्ति को वक्फ द्वारा प्रकाशित सम्पत्ति की सूची से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस विषय की सूचना राज-पत्र में प्रकाशित करवाई गई ? यदि हां, तो कब ?

(4) वक्फ सम्पत्ति की सूची के प्रकाशन के पश्चात् क्या राज्य सरकार अथवा किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इस बात की कोई आपत्ति की गई है कि इसमें राज्य सरकार की व निजी सम्पत्ति शामिल कर ली गई है ? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस सम्पत्ति के लिये ?

(5) ऐसी आपत्तियों का कब-कब कैसे-कैसे निस्तारण हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, उदयपुर तहसील की वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित वक्फ बोर्ड की सूचना दिनांक 23–9–65, राजस्थान राजपत्र दिनांक 16–6–66 में प्रकाशित हुई है।

(2) वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को शामिल नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान नहर, सिचाई क्षेत्र जैसलमेर

191. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र में जैसलमेर जिले के अनेक काश्तकारों की जमीन सिंचित होना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के बदले में सिंचाई होने वाली भूमि काश्तकारों को आवंटित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

जी हाँ, जैसलमेर जिले के कुछ काश्तकारों की भूमि असिंचित है। निर्धारित परिस्थितियों में असिंचित भूमि के बदले सिंचित भूमि देना नियमों में प्रावधान है।

राजस्थान उच्च न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण

192. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? कृपया ऐसे मुकदमों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के कारण मुकदमों के निर्णयों में विलम्ब रहा है ? यदि हां, तो इस दिशा में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच में 31–1–84 को 22133 मुकदमे विचाराधीन हैं।

(2) जी हाँ। माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः पदों के भरने का निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

जन जाति विकास निगम द्वारा खर्च राशि

193. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा पिछले दो वर्ष में जनजाति बहुल क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की दृष्टि से किस-किस पंचायत समिति में किस-किस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की ?

(2) क्या जनजाति बहुल क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से राज्य सरकार कुटीर उद्योग लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब से प्रारम्भ होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अनुसूचित जनजाति विकास निगम नहीं है, यह राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ है, जिसके द्वारा पंचायत समितियों में विकास के कोई कार्य नहीं किये जाते है।

(2) हां, कुटीर उद्योग शुरू करने हेतु आदिवासियों की सहकारी समितियां गठित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिनके माध्यम से कुटीर उद्योग प्रारम्भ किये जाने हैं।

चम्बल की दायीं मुख्य नहर की सिचाई क्षमता

194. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि चम्बल की दायीं मुख्य नहर की सिचाई क्षमता में लगातार: गिरावट आती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया गत 5 वर्षों की दायीं मुख्य नहर की सुल्तानपुर एवं इटावा पंचायत समिति क्षेत्र, सिचाई क्षमता एवं उसमें निरंतर ह्रास की विस्तृत रिपोर्ट मय तथ्यों के सदन की मेज पर रखें

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। दाईं मुख्य नहर. सुल्तानपुर एव इटावा पंचायत समिति क्षेत्र में गत पांच वर्षों में की गई सिचाई का विवरण संलग्न है।

वर्षवार सिचाई की तालिका दाई नहर सी० ए० डी० कोटा

क.सं.	वर्ष	दाई नहर का सी. सी. ए.	रबी में सिंचित क्षेत्र एकड़ों में	प्रतिशत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	1960–61	3,15,000	11360	3.60	
2.	1961–62	,,	28705	7.52	
3.	1962–63	,,	35890	11.42	
4.	1963–64	,,	66999	21.20	
5.	1964–65	,,	111423	35.37	
6.	1965–66	,,	111440	35.37	
7.	1966–67	,,	148879	47.26	
8.	1967–68	,,	147520	46.83	
9.	1968–69	,,	186237	59.12	
10.	1969–70	,,	176075	55.89	
11.	1970–71	,,	187091	59.39	
12.	1971–72	,,	201294	63.90	
13.	1972–73	,,	223446	70.93	
14.	1973–74	,,	209946	66.64	
15.	1974–75	,,	201982	64.12	
16.	1975–76	,,	211593	67.17	
17.	1976–77	,,	213654	67.82	
18.	1977–78	,,	223371	70.91	
19.	1978–79	,,	240796	76.44	

1	2	3	4	5	6
20.	1979–80	3,15,000	232957	73.95	
21.	1980–81	,,	230991	73.33	
22.	1981–82	,,	236118	74.94	
23.	1982–83	,,	234859	74.5	
24.	1983–84	,,	248000	78.73	

दाईं मुख्य नहर, इटावा एवं सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की गत 5 वर्षों की सिंचाई क्षमता

	दाईं नहर			पंचायत समिति इटावा			पंचायत समिति सुल्तानपुर		
वर्ष	सी. सी. ए. एकड़ों में	रबी सिंचाई क्षमता	रबी वास्तविक सिंचाई रबी	सी. सी. ए. एकड़ों में	सिंचाई क्षमता रबी	वास्तविक सिंचाई रबी	सी. सी. ए. एकड़ों में	सिंचाई क्षमता रबी	वास्तविक सिंचाई रबी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1978-79	3·15 लाख	55%	76%	99·048	55%	86%	97,652	55%	67·41%
1979-80	,,	,,	74%	,,	,,	83%	,,	,,	63·26%
1980-81	,,	,,	73%	,,	,,	76%	,,	,,	62·67%
1981-82	,,	,,	75%	,,	,,	76%	,,	,,	63·34%
1982-83	,,	,,	75%	,,	,,	67%	,,	,,	70·05%
1983-84	,,	,,	78%	,,	,,	80%	,,	,,	74·50%

फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों में शिक्षकों के रिक्त पद

195. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों के स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं व कब से ?

(2) क्या सरकार अध्यापकों की उक्त कमी को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, फागी में 168 तथा चाकसू में 162 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। पंचायत समिति, फागी में अध्यापकों के 5 पद जनवरी, 1984 से और पंचायत समिति, चाकसू में अध्यापकों के 2 पद दिसम्बर, 1983 से रिक्त हैं।

(2) इन पदों को शीघ्र ही भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची)

क्रमांक	नहर का नाम	जनवरी माह में कार्यक्रम के अनुसार नहरें चलने का विवरण (तिथियाँ)	(दिन)	अधिकृत डिस्चार्ज (क्यूसेक्स)	पानी जो चला (क्यूसेक्स)	वास्तविक नहरें चलने का विवरण (तिथियाँ)	कुल दिन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ताखा	8 से 21 एवं 29 से 31	17	1·95	—	—	—
2.	लिसाड़ी	,,	17	4·25	3·5	31	1
3.	सोरखण्ड	,,	17	1.66	1·5	1,2,4,29 से 31	5
4.	बंबूलिया माताजी	8 से 14 एवं 22 से 31	17	7·88	6	29 एवं 31	3
5.	अन्ता मेन	,,	17	3·03	1	13 से 31	19
6,	अन्ता कालोनी	,,	17	2·00	2	13 से 31	19
7.	अन्ता स्टेशन	,,	17	4·22	1 से 2	13 से 31	19
8.	घतुरिया	,,	17	11·69	5	28 से 31	4

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची)

पंचायत समिति सुलतानपुर क्षेत्र के अपाहिज, वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची—

क्र.सं.	नाम मय पिता/पति	जाति	ग्राम
1	2	3	4
1.	श्री रामबक्श/गिरधारी	पासवान	मोतीकुआ
2.	श्री वली मोहम्मद नूरमोहम्मद	मुसलमान	नोताड़ा
3.	श्री रामनाथी/गोवरा	मीना	भगवानपुरा
4.	श्री छोटाबाई/करीम	मुसलमान	कोडसुवो
5.	श्री बजरंगलाल/गेन्दीलाल	ब्राह्मण	,,
6.	श्री किशनलाल/भंवरलाल व पत्नी केली	धोबी	बडोद संयुक्त
7.	जेतून/हुसना	मुसलमान	,,
8.	श्री कल्याण/गोवरीलाल	धाकड़	,,
9.	श्री घासीबाई/बद्रीलाल	कोली	,,
10.	श्री छोटा/नूरखां	मुसलमान	,,
11.	श्री मोत्याबाई/गोपाललाल	गुसाई	सुल्तानपुर
12.	श्री रामधनी/कन्हैयालाल	महाजन	,,
13.	श्री चम्पालाल/छोटूलाल	मेहर	,,
14.	श्री जगनी/नारायण	खटीक	,,
15.	श्री रामदयाल/छोटूलाल	मेहर	,,
16.	श्री कालू/मुरली	खारवाल	,,
17.	श्री धन्नीबाई/रघुनाथ	तेली	,,
18.	श्री मांगीलाल/जल्या	भील	,,

Page No 177

1	2	3	4
19.	श्री रामकिशन एवं रामचन्द्रीबाई	नाई	सुल्तानपुर संयुक्त
20.	श्री गणेशराम एवं पत्नि काली	मेघवाल	,, ,,
21.	श्री सूरवणीवाई/कान्हा	तेली	,, ,,
22.	श्री केसरबाई/दल्ला	बलाई	दीगोद
23	श्री छोटीबाई/किशनलाल	धाकड़	भट्टीपुरा
24.	श्री कैलासी/हीरालाल	मीना	नीमोदा
25.	श्री छीताबाई/कालूलाल	बलाई	मोरपा
26.	श्री कल्याण/सुखदेव	गूजर	,,
27.	श्री हरदेवी/लखादास	कामड	,,
28.	श्री भवरी/किशना	भील	पडासलिया
29.	श्री रघुनाथ/बजरंगलाल	तेली	मडावरा
30.	श्री चतूरीबाई/रामनाराय	धाकड	,,
31.	गनेशराम/श्रीराम	गूजर	,,
32.	श्री रतनीवाई/घूलीलाल	खंगार	,,
33.	श्री बिरजीबाई/रामप्रताप	महाजन	,,
34.	श्री कल्याण/नन्दकिशोर	ब्राह्मण	,,
35.	श्री रामकल्याण/घुलीलाल	छीपा	,,
36.	श्री विरधीबाई/कालूलाल	कलाल	,,
37.	श्री कस्तूरीबाई/मगला	राव	मदनपुरा
38.	श्री मोत्यावाई/देवीराम	बैरवा	थारला
39.	श्री लक्खा/भोलू	बैरवा	खेडली कालया
40.	श्री गुलाब/छोगालाल	जाट	भीमपुरा
41.	श्री मांगीलाल/रामनारायण	धाकड	,,
42.	श्री सुन्दरलाल/हरदेव	कायस्थ	धोलाई कलां

Page No 178

1	2	3	4
43.	श्री गुलाबसिंह एवं इन्द्राबाई	राजपूत	मुन्डला संयुक्त
44.	श्री छीतरलाल/किशना	बलाई	रेल
45.	श्री देवीलाल/रामचन्द्र	लुहार	रेल
46.	श्री गोपाल/गोवरीलाल	नाई	रेल
47.	श्री नेनकीलाल/धन्नालाल	बलाई	भट्टीपुरा
48.	श्री गंगाबाई/मोती	नायक	,,
49.	श्री भंवरलाल/शंकरलाल	नायक	,,
50.	श्री घुलीलाल/भवानीलाल	मेहर	डोबरली
51.	श्री रामनाथी/गोबिन्दा	माली	बमारी
52.	श्री जमनाबाई/रामनारायण	माली	धनवा
53.	श्री रती बाई/भागचन्द	रेगर	मंडावरा
54.	श्री सीताबाई/संखलाल	बलाई	धनवा
55.	श्री अगरलाल/अलखू	तेली	पोलाई खुर्द
56.	श्री पन्ना/हरदेवा	चमार	,,
57.	श्री नटीबाई/भंवरलाल	दादूपंथी	मंडावरा
58.	श्री कल्याणीबाई/किशना	बलाई	टाकरवाड़ा
59.	श्री नहनीबाई/रामगोपाल	कीर	जाखडोद
60.	श्री मोतीलाल/कन्हीराम	माली	बड़ोद
61.	श्री माध्या/विरधा	धाकड	टाकरवाड़ा
62.	श्री मदारीखां व रमजी	मुरा	मंडावरा संयुक्त
63.	श्री प्रताप/घासी	कीर	वाकया
64.	श्री मांगीलाल/रामगोपाल	महाजन	नोमोदाउजाड़
65.	श्री मांगीलाल/कन्हैयालाल	रेगर	टाकरवाड़ा

Page No 179

1	2	3	4
66.	श्री मुन्नालाल व कान्ही	मेहर	टाकरवाड़ा
67.	श्री विरजी/भंवरिया	नायक	वड़ोद
68.	श्री गोपीराम/गाडीराम		पाडलिया
69.	श्री नटी/मंगला	धोबी	बूढादीत
70.	श्री हीरालाल व गुनीसी	नायक	बनोठ्या संयुक्त
71.	श्री माधोलाल/भंवरलाल	धोबी	माली
72.	श्री रामनारायण/गोपाली	मेहर	खेंडली तवरान
73.	श्री छोटूलाल/घासी	नाई	छीपड़दा
74.	श्री धुलीलाल/नेनगा	गुजर	खोवरली
75.	श्री भंवरीबाई/जगन्नाथ	माली	खेंडली तवरान
76.	श्री गुनोषीबाई/लटूर	कुम्हार	बूढादीत
77.	श्री मोडूलाल/नेनगीलाल	तेली	,,
78.	श्री ग्यारसीबाई/मुन्नालाल	बलाई	पाली
79.	श्री गोपीबाई/भूरालाल	गूजर	बूढातीत
80.	श्री हीरालाल/गंगाराम	धाकड	मेहराना
81.	श्री रघुनाथ/मगना एवं पत्नि ग्यारसी	नाई	कचोलिया संयुक्त
82.	श्री ओलिया एवं पत्नि प्रेम	मेघवाल	भेदपुरा ,,
83.	श्री शंकरलाल व हरकू पत्नि	मीना	सारोला ,,
84.	श्री गोविन्दी/ नोन्दा	गूजर	नीमोदा ,,
85.	श्री रामप्यारी/जगन्नाथ	नाई	ढावा
86.	श्री कालू एवं पत्नि रामनाथी	तेली	मंडावरा संयुक्त
87.	श्री चांदूखां/अल्लानूरखां		नोताड़ा

Page No 180

1	2	3	4
88.	कजोड/देवी	धाकड़	साराला
89.	श्री कल्याणी/रामचन्द	गूजर	दीगोद
90.	श्री हरलाल एवं पत्नी हीरा	मेघवाल	नीमोदा संयुक्त
91.	श्री बच्ची/रंगलाल	गूजर	मंडावरा
92.	श्री गोपाल/रामचन्द्र	मीना	लाखसनीणा
93.	श्री नाथी/भेरू	बलाई	कोडसूवा
94.	श्री इकरार हुसैन/एजाज हुसैन	मुसलमान	दीगोद
95.	श्री नरवदी/देवा	बलाई	बुढ़ातीत
96.	श्री यशोदा/मोहनलाल	धाकड़	वड़ोद
97.	श्री पत्नी/किशना	बलाई	बुढ़ातीत
98.	श्री पारवती/पन्ना	बलाई	किशनगंज
99.	श्री कल्याणी/घुलीलाल	बलाई	,,
100.	श्री गोडीबाई/किशनचन्द्र	गूजर	हरिपुरा
101.	श्री गोपीबाई/मांगीलाल	मेघवाल	पोलाईकलाँ
102.	श्री श्यामा/माधालाल	नाई	चोमा
103.	श्री कलासबाई/मथुरालाल	मेघवाल	सुल्तानपुर
104.	श्री रामा/नाथू	खरीरा	बुढादीत
105.	श्री गोवरीबाई/नाथूलाल	नाई	कोटडादीपसिंह
106.	श्री रामनारायण/सेवा	कोली	,,
107.	श्री केसरबाई/कालू	मेहर	नोताडा
108.	श्री भेरूलाल एवं पत्नी बिशनीबाई	सुनार	सुल्तानपुर
109.	श्री कान्हा एवं पत्नी रामनाथी	माली	खेडलीततरान
110.	श्री रामनारायण/मोतीलाल	बैरवा	मंडावरा
111.	श्री गुलाबबाई/भोला		,,

Page No 181

1	2	3	4
112.	श्री नारायणी/शांता	बलाई	बड़ोद
113.	श्री पांचूलाल/दिवीलाल	गूजर	मंडावरा
114.	श्री ज्याना/नन्दा	कुम्हार	टाकरवाड़ा
115.	श्री पांचू एवं गोपाली पत्नि		लाखेसनीजा संयुक्त
116.	श्री पुष्पा एवं पत्नि दाखा		सुल्तानपुर ,,
117.	श्री गोपाल/रंगलाल	माली	,,
118.	श्री जगनीबाई/दयाचन्द	,,	,,
119.	श्री मोडु एवं पत्नी भेरी		,,
120.	श्री हुसना/मांगीशाह	फकीर	,,
121.	श्री नटीबाई/गंगाविशन		नोताड़ा
122.	श्री हीरालाल एवं पत्नि जगनीबाई		सुल्तानपुर संयुक्त
123.	श्री जगन्नाथ/पेमा	मेहर	,,
124.	श्री सीताबाई/गोपाल	ब्राह्मण	,,
125.	श्री लक्ष्मीबाई/रतनलाल	ब्राह्मण	संयुक्त
126.	श्री गोराबाइ/तिनगूराम		,,
127.	श्री मोडू/गनेशराम	बलाई	सामल्या
121.	श्री कालू/ओंकार	बलाई	जाखंडो
129.	श्री शकरी/रामनाथ	तेली	बड़ोद
130.	श्री गुलाबबाई/रामनारायण		चारयामालियान
131.	श्री हजारा/श्रवण	गोग्या	पोलाईखुर्द
132.	श्री नटीबाई/गोपाल	गूजर	श्योपुरा
133.	श्री ग्यारसी/किशना	माली	किशरपुरा

1	2	3	4
134.	श्री भूलाबाई/नाथू		उम्मेदपुरा
135.	श्री धुलीबाई/किशना	नायक	नापाहेड़ा
136.	नटीबाई/माधो	गूजर	उम्मेदपुरा
137.	श्री भूली/गोपीलाल	बलाई	बाक्या
138.	श्री गोविन्दबाई/छीतर	माली	अकल्दा
139.	श्री गोराबाई/पन्ना	बलाई	नोताडा
140.	श्री प्रभु/बिरधा	भील	बुढातील
141.	श्री पन्नालाल/बिरधीलाल	नायक	डोबरली
142.	श्री बद्रीबाई/श्रीकृष्ण		हनोतिया
143.	श्री गिरधारी/देवलाल	कुम्हार	बडोद
144.	श्री भोलू/कागडिया	हरिजन	कचनावदा
145.	श्री पाँची/रामनारायण	महाजन	सुल्तानपुर
146.	श्री पानाबाई/रामनाथ		बनेठिया
147.	श्री नेकुबाई/कुल्लूखाँ		श्योपुरा
148.	श्री पांचू एवं पत्नि पानाबाई	बलाई	झाडगांव संयुक्त
149.	श्री शंकरीबाई/रूपा		बनेठिया
150.	श्री बिरधीबाई/मोड़ू	कुम्हार	छीपड़दा
151.	श्री गंगाकिशन/दोला	गूजर	झाडगांव
152.	श्री गुलाबबाई/हरजी	माली	थनवा
153.	श्री बसंतीबाई/कालूलाल	माली	दीगोद
154	श्री मथरी/शंकरलाल		धनवा
155	श्री नाथीबाई/किशना	माली	धनवा
156.	श्री गंगाबाई/नंदा	माली	सुल्तानपुर
157.	श्री केसरबाई/नंदा	माली	रेल

1	2	3	4
158.	श्री रामचन्दी/ग्यारसीराम		कोरखेंडा
159.	श्री बिरधीबाई/किशना	गूजर	धनसुरी
160.	श्रीमती गोमा/मनशाराम		बुढ़ातीत
161.	श्री बिरधीबाई/गोविन्द	धाकड़	किशनगंज
162.	श्री धन्नीबाई/धन्ना	गूजर	हनोतिया
163.	श्री हुराबाई/वजीरखां	मुसलमान	नोताड़ा
164.	श्री माधोलाल/किशनलाल	छापा	छीपड़दा
165.	श्री केसरीलाल/घासीलाल		नोताड़ा
166.	श्रीमती बिसमिल्ला/महमूदशाह फकीर		नोताड़ा
167.	श्री नोला/गोटू	गूजर	पाडल्या
168.	श्री किशना/घासी	बैरवा	गांवड़ी
169.	श्री मूली/बिरधा	गूजर	पाडल्या
170.	श्री ग्यारसी/देवा भील		थारला
171.	श्री नंदा/धुलीलाल	माली	रेल
172.	श्री किशनलाल/देवलाल	मेहर	सदेड़ी
173.	श्री सुखलाल/भवाना	बैरवा	तोरन
174.	श्री मानाबाई/धुलीलाल	मीना	बगतरी
175.	श्री भूलीबाई/नाथू	बलाई	नोताड़ा
176.	श्री छोगा/गिरधारी	माली	नोताड़ा
177	श्री गोबरीबाई/किशनलाल	रेगर	मंडावरा
178.	श्री पूसीबाई/ग्यारसीराम		ककरावदा
179.	श्री मथरी/कान्हा	गूजर	नरसिंहपुरा
180.	श्री हीरालाल/नेजीराम	मीना	गढ़पान

Page No 184

1	2	3	4
181.	श्री गुलाबचन्द/भंवरलाल	खाती	डंगावद
182.	श्री मथरी/जयलाल	बलाई	खेडलीमेहादीत
183.	श्री वजर/माधोनाथा	नाथ	वल्लभपुरा
184.	श्री कान्ही/रामकरण	गूजर	मण्डाला
185.	श्री काली/नंदलाल	माली	कोटडादीपसिह
186.	श्री किशनलाल/चम्पा	मेहर	लाखसनीजा
187.	श्री चन्दाबाई/नाथूलाल	धाकड़	बड़ोद
188.	श्री बूढ़ीबाई/भेरुलाल	धाकड़	बड़ोद
189.	श्री नाथीबाई/किशना	मेहर	बड़ोद
190.	जेहराबाई/हसीबुल्ला		उम्मेदपुरा
191.	श्री मांगीलाल व पत्नि गुलाब	हरिजन	बमोरी संयुक्त
192.	श्री किशनलाल/माधो	मीना	सारोला
193.	श्री नन्दूबाई/लाला बैरवा	बैरवा	हनोतिया
194.	श्री मंगला/जीवन लश्करी		ककरावदा
195.	श्री चन्दाबाई/कासम	फकीर	सुल्तानपुर
196.	श्री गोपीबाई/राधाकिशन	ब्राह्मण	सुल्तानपुर
197.	श्री गारु/किशना	कुम्हार	सुरेला
198.	श्री नरकाबाई/धन्नालाल	बलाई	सुल्तानपुर
199.	श्री नाथीबाई/धन्नालाल	बलाई	झोटेली
200.	श्री किशना व पत्नि मात्या	बैरवा	हनोतिया
201.	चन्दालाल/नन्दलाल	लुहार	चोमाकोट
202.	श्री नूरमोहम्मद व पत्नि भूराबाई		नोताड़ा संयुक्त

1	2	3	4
203.	श्री पन्नालाल/पुलीलाल	खारवाल	मंडावरी
204.	श्री जवाहरबाई/औकारसिंह	राजपूत	कोटड़ादीपसिंह
205.	श्री सुगराबाई/नरूदीन		बनेठिया
206.	श्री चन्दा/भूरा	धाकड	रेल
207.	श्री केसरबाई/गुडकया बलाई	बलाई	भोरा
208.	श्री कालूलाल/रामलाल	रेगर	बमोरी
209.	श्री मोतीलाल/नाथीलाल	लश्करी	दीगोद
210.	श्री बरजीबाई/जेलिया	बोला	उदपुरा
211.	वृजीबाई/गिल्यानाथ		टाकरवाड़ा
212.	मोडलाल/मंगला	माली	कोटडादीहसिंह
213.	श्र घूलीलाल/रोड़ू व पत्नी पांची	तेली	कल्याणपुरा संयुक्त
214.	श्री गंगाकिशन/चम्पालाल		चम्पाका खेड़ा
215.	श्री रामकन्या/नंदा		मदारिया
216.	श्री कस्तूरीबाई/रामनारायण	खारवाल	शोली
217.	श्री पुरुषोत्तम/गिरधरवाल	ब्राह्मण	शोली
218.	श्री मांगीबाई/नारायण		पीपल्दासमेल
219.	श्री गनेशीबाई/श्रीकिशन	बेरागी	डूंगरज्या
220.	श्री बशीर खां/नजीरखां	मुस०	नोताडा
221.	श्री रमजानखा/यासीनखा	मुस०	जहांगीरपुरा
222.	श्री मोतीलाल/गोरधन	रेगर	मंडावरा
223.	श्री सरवणी अमरलाल	रेगर	,,
224.	श्री पुष्पाबाई/पांचू	माली	,,

Page No 186

1	2	3	4
225.	श्री नाथीबाई/देवलाल	धाकड	महराना
226.	श्री जगन/शिवनाथ	रेगर	मण्डावरा
257.	श्री नान्दा/गरीबा कीर		,,
228.	श्री सरज्याबाई/जगन्नाथ		चोमामालियान
229.	श्री पुष्पाबाई/नन्दलाल		चम्पाका खोडा
230.	श्री रामबक्श व पत्नि नारायणी	बैरवा	डोवरली
231.	श्री प्रभुलाल/किशोर	मेहर	धनवा
232.	श्री जोधा/बिरधीलाल	बलाई	गढ़वान
233.	श्री केसर/कल्याणनाई	नाई	वडोद
234.	श्री हट्टीबाई/केशो		नोंताडा
235.	श्री बिरधीबाई/दयाराम	गूजर	मण्डोला
236.	श्री भेरुलाल/घासीलाल	बलाई	किशोरपुरा
237.	श्री गोपालीबाई/गोपीलाल	खटीक	सुल्तानपुर
238.	श्री नन्नेखा/रहीमतुल्लाखा	मुस०	ढाबा
239.	श्री लटूर/रामचन्द्र	खारवाल	शोली
240.	श्री खकारीबाई/भेरूलाल		मोरपा
241.	श्री भवरीबाई/धन्नालाल		नोताडा
242.	श्री हीराबाई/भेरूलाल		नोताडा
243.	श्री घुलीबाई/भांगीलाल	हरिजन	सुल्तानपुर
244.	श्री मूली/जगनाथ	धोबी	पडासल्या
245.	श्री भूली/ग्यारस्या		झाडगांव

Page No 187

1	2	3	4
246.	श्री मांगीबाई/गिरधारी		मोराना
247.	हीरालाल/जगन्नाथ मीना		रामनगर
248.	श्री नियाजमोहम्मद व पत्नि नाथीबाई		अमरपुरा
249.	श्री कान्ही/पन्नालाल	बलाई	बडोद
250.	श्री गनेशी/शोल्या	माली	बडोद
251.	श्री रामनाथी/गजानन्द		मंडावरा
252.	श्री रामनाथ/मथुरालाल जोशी		बमोरी
253.	श्री बिरधीबाई/मांगीलाल	चमार	खेडलीतसराना
254.	श्री सीताराम/कालू	माली	बुढादीत
255.	श्री माधोलाल/गोरधन	माली	बमोरी
256.	श्री बाच्या/कालू	बलाई	फतेहपुर
257.	श्री रामलाल/खूबचन्द	जाटम	उम्मेदपुरा
258.	श्री कृष्ण/माधो	बलाई	अमरपुरा
259.	श्री बिरजीबाई/घुलीलाल	बलाई	अमरपुरा
260.	श्री गोपाल/लोडू		अमरपुरा
261.	श्री जन्नबाई/भेरूलाल	खाती	सुल्तानपुर
262.	श्री गनपतीबाई/गोपाल		सुवनठियाँ
263.	श्री बतला/वजीरशा	फकीर	बडोद
264.	श्री मांगीबाई/माधोलाल	बलाई	सुल्तानपुर
265.	श्र केसरखा व पत्नी मोलाबाई	मुस.	सुल्तानपुर
266.	श्री भवरलाल/धन्नालाल	कुम्हार	चार
267.	श्री रघुनाथ/श्रीलाल नन्दवाना		नीमादा

Page No 188

1	2	3	4
268.	श्री धूलीबाई/भवरलाल		मोरपा
269.	श्री जगन्नाथ/हीरालाल	बलाई	नोताडर
270.	श्री हेमचन्द/विहारीलाल		भाडाहेडा
271.	श्री नटीबाई/गंगाराम	गूजर	नीमोदा
272.	श्री नहसी/नाथूलाल	हरिजन	खेडलीतवरान
273.	वानो/फतेहमोहम्मद		अमरपुरा
274.	भेरूलाल/रामसुख		खड़गांव
275.	श्री कंचनवाई/पुत्री रतना	कुम्हार	विसलाई
276.	श्री देवलाल/हीरालाल		नीमादाउजाड
277.	श्री मांगी पुत्र भेरूलाल	गूजर	बराना
278.	श्री वद्रीलाल/छीतरलाल	वलाई	हरिपुरा
279.	श्री हीरालाल/शंकरलाल	वलाई	अमरपुरा
280.	श्री भवरीवाई/माधो	कुम्हार	मोरपा
281.	श्री धन्नालाल/मोडू		सनीजाबावडी
282	श्री यशोदा/जग्गा	धोबी	चेडलीकाल्या
283.	श्री गिरधारी/श्योनाथ		बहुल्यारावताप
284.	श्री मोत्या/नारायणदास		झोटेली
285.	श्री गंगाराम/मोतीलाल	बैरवा	सागाहेडी
286.	श्री बजरंग/मोतीलाल	बैरवा	सागाहेडी
287.	श्री दुर्गाशंकर/श्रीलाल	तेली	सुल्तानपुर
288.	श्री शौकतअली/हसीमुल्ला		उम्मेदपुरा

Page No 189

1	2	3	4
289.	श्री ललिता/नारायणदास	गुसाई	झोटेली
290.	श्री नारायणी/मोतीलाल		ठाकरवाडा
291.	गोपा/हीरा	माली	कोटडादीपसिंह
292.	भवरलाल/कान्हा	गूजर	मोरपा
293.	श्री हीरा/चेत्या	चमार	सुहाना
294.	श्री मोड्ूलाल/फद्या		किशनगंज
295.	श्री कालू/नाथू		सारोला
396.	श्री बरजी/रंगलाल		हरिपुरा
297	श्री पन्ना/ननगा	बलाई	सुवाना
298.	श्री लालचन्द/धुलीलाल	बैरवा	मेडापुरा
299.	श्री रामचन्द्र/ओंकारलाल		बमोरी
300.	श्री जगन/रामनारायण		मण्डावरा
301.	श्री हरिप्रसाद/नन्दलाल		चम्पाका खेडा
302.	श्री विशना/भवाना	चमार	झोटेली
303.	श्री बाबूलाल/गजानन्द	हरिजन	मोरपा
304.	श्री तुलसा/मोतीलाल	चमार	पोलाईकलां
305.	श्री छीताराम/नाथूलाल		खेडलीपरसराम
306.	श्री जगना/अमरा	बैरवा	खरुला
307.	श्री रामप्रताप/भैरूलाल		खरुला
308.	श्री कल्याण/नानगा		महरिपुरा/नानगा

Page No 190

1	2	4	4
309.	कालू/माधो	चमार	झोटेली
310.	श्री रामकरण/देवीलाल		सुल्तानपुर
311.	श्री छीतरलाल/भवाना	बलाई	भीमपुरा
312.	श्री रूपा/नाथू		मंडावरा
313.	श्री उस्मानगनी/उलफत		सुल्तानपुर
314.	श्री गनपत/हरदेव	बैरवा	डोवरली
315.	श्री बाबूलाल/रामचन्द्र	मीना	सनीजावावडी

वृद्धावस्था पेंशन, पंचायत समिति, इटावा

क्र. सं.	नाम	तिथि	
1	2	3	
1.	छोटीबाई/जियासिंह गेता	13-3-66	
2.	मोत्याबाई/भवरसिंह गेता	22-8-66	
3.	भूरीबाई/मांगीलाल गेमा	5-10-73	
4.	पुष्पा/रामप्रतापी पीपल्दा	23-8-69	
5.	मन्नीबाई/रामनाथ सोनी	31-3-75	
6.	पद्मीबाई/पुष्कार खोताली	21-3-75	
7.	श्याणीबाई/रतनसिंह	बालूपा.	9-1-78
8.	जगनाथी/काछी बालपा	241/1/78	
9.	सरदारबाई/भीमसिंह	,,	

Page No 191

1	2	3	4
10.	गोकुल बेवा ओंकर कथवा	,,	
11.	मुरखाबेवा मोती दर्जी करवाड	,,	
12.	गुलाबछन्द-मांगीलाल अयाना	,,	
13.	धन्नवीबाई/जगन्या कंडारा	,,	
14.	गौरा-शिवप्रसाद पुरानी खातोली	,,	
15.	आनन्दीबाई/रामचन्द्र छीपा	,,	
16.	नन्दलाल/माधोलाल महा. गेता	,,	
17.	धुलीबाई/वाला कोली	,,	
18.	मथुरालाल/ओंकार नायक	,,	
19.	दाखाबाई/जगनाथ राजपूत खातोली	,,	
20.	रामप्यारी/लालसिंह रजि.	,,	
21.	जगनाथी-बजरंगलाल नाईबालूपा	,,	
22.	भवरलाल/भवानीशंकर नायक	,,	
23.	किशनसिंह/गोविन्दसिंह-अबाई फरेरा	,,	
24.	फूमा/ओंकार-कोजी कारवाड	5-4-82	
25.	धली/सादमा नायक अयानी	29-1-78	
26.	गोरधनी/सामा कोली	,,	
27.	पारो/नाथूलाल नायक	,,	
28.	शोलाबाई गोरीलाल हथोली	,,	
29.	पन्नालाल-डूंगा कोजी जसोदा	,,	
30.	समुद्रसिंह-चंदनसिंह राजपूत खेडली	,,	
31.	ज्ञाना-विधना बैरवा विनायका	,,	

1	2	3
32.	किशनलाल जुगलकिशोर	29-1-78
33.	बिहारी-ओंकार भील कैथोदा	,,
34.	धन्नालाल-छोटूलाल बैरवा	,,
35.	मांगी-मोती बैरवा गेता	,,
36.	गंगाविशन-शेकर माली गेता	,,
37.	कालीबाई-लटूर खारवाल गेता	,,
38.	मथरी-किशनलाल मेहर सरनामपुरा	,,
39.	जगनाथीबाई/शम्भूसिंह	,,
40.	रामनारायण-भेरूलाल माली करवाड	25-2-78
41.	बशीर मोह. मुलानबीब खा तलाव	5-4-78
42.	नुरको बेवा मन्ना बैरवा लोरावरपुरा	23-4-78
43.	ईदोबाई-मकबूल पीपल्दा	23-10-78
44.	धूली रामगोपाल अयाना	1-9-83
45.	अल्लानूर-बशीर खेतोली	9-1-78
46.	नन्दूबाई बेवा प्रभुलाल, सुमेरपुरा	15-12-78
47.	नैनगा/पांचू बेरवा केशोपुरा	15-11-78
48.	रम्भा बेवा रोडू रजोपाँ	13-12-78
49.	फेफा नृसिहा बारेठ केशोपुरा	15-11-78
50.	चतुर्भुजी कल्याण नाई करवाड	26-12-78
51.	रामचन्द्र खेमा बैरवा शातोली	,,
52.	यासीन मु आ. नूर मो. हुसैनी	,,
53.	भवरबाई आ. सांवलसिह	,,
54.	गणेशराम आ. कालू व पत्नी ओंकारी	,,

Page No 193

1	2	7
55.	गामदी प. ओंकार बेवा ख्यादा	26-12-78
56.	ग्यारस्या आ. कालू बैरवा ख्यावदा	,,
57.	भूरीबाई प. गोबरीलाल मीना दौलपुरा	,,
58.	जमनाबाई प. कजोड गूजर विनयका	,,
59.	नारायण-कालू बैरवा श्रीपुरा	,,
60.	माडूलाल नेननगा पत्नी चकजरेडी बैरवा	,,
61.	वजीरशाह आकाल शाह मु. हुसैनी	,,
62.	भत्ताबाई प. जाफरहुसेन मु. फैकरावंदा	,,
63.	श्रीराम आ. नन्दा कीर गोठडा कलां	,,
64.	रानीबाई मन्नालाल जागा नोता	,,
65	गुलाबबाई प. किशना गणेश खेडा	22-2-79
65.	ताराबाई अमरलाल गणेशखेडा	22-2-79
67.	फतोबाई नेनगा लुहार प्रेमपुरा	11-3-79
68.	धन्नालाल नारायण मीणा आमल्दा	10-3-79
69.	मदनसिंह आ. देवीसिंह डडवाडा	,,
70.	पांचची प. गेंदीलाल माली पीपल्दा	,,
71.	रामनाथी-प. भैंरा काछी मेना	,,
72.	रामकन्या प. नेनगा कुम्हार मियाना	,,
73.	माधो आ. किशना व पत्नी शकरी बैरवा	,,
74.	फूमा प. भैरूलाल बैरवा कजल्या	,,
75.	नाथीबाई भैरूलाल बैरवा गोण्छी	,,
76	भीर प गोपाल गूजर वाकली	,,
77.	ओंकारी प. बीरबल नायक खेडली नोनेरा	,,
78.	विधना आ. मोती बैरवा कजलिया	,,

1	2	3
79.	श्रवण आ. केसरा बैरवा डूंगरली	10-3-79
80.	जेतू प. किशनलाल श्रीपुरा	,,
81.	कल्याणीबाई प. गोमदया कुम्हार गेंता	4-8-79
81.	बजरंगलाल आ. सूरजमल ब्राह्मण नयागांव	22-6-79
83.	तुलसी उर्फ रामगबरी प. राव जलोदा	4-8-79
84.	किशनलाल आ. चन्दालाल कोसी	20-9-79
85.	रतनी प. नेनगा मेहर अवानी	,,
86.	कस्तूरचन्द आ. मांगीलाल महाजन	,,
87.	पुष्पाबाई प. रामनाथ माली	,,
88.	रामनाथी नेनगा माली पीपल्दा	,,
89.	केसरबाई प. बजरंगलाल महा ठीकरदा	,,
90.	ग्यारसी पत्नी माधो गूजर रामपुरिया	,,
91.	रामी प. नारायण दर्जी ककरावदा	16-2-79
92.	चन्दीया प. मीठिया गोठडा खुर्द	20-9-79
93.	अहमद खां आ. लाल खां खेडा	28-9-79
94.	सुन्दरबाई धन्नालाल बैरवा मठोद	,,
95.	ग्यारसा आ. भूर बैरवा विनायका	9-10-79
96.	बजरंगलाल आ. मन्नालाल महा. नीमोला	
97.	कान्हीबाई प. माधो बैरवा डडवाडा	25-10-79
98.	चन्दा आ. लच्छीराम व पत्नी शंकरी	25-1-79
99.	विशना पत्नी-कानी राह हथोली	25-10:79
100.	मथुरा आ. धनका नि. डडवाडा	,,
101.	लक्ष्मी प. जगनाथ कुम्हार इटवा	,,
102.	कन्हैया नेमा रामपुरिया	,,
103.	कालू आ, नारायण प, वीसी बैरवा	,,
104.	परशराम आ. शंकर कोली बब्बूलिया	,,

Page No 195

1	2	3
105.	रामदयाल अ. मोडू गूजर डीपरी	"
106.	मोत्याबाई/देवलाल बैरवा मीठोद	19-2-80
107.	जुम्बई बाई/यासीन फकीर अयाना	17-4-80
108.	लाडाबाई/रघुनाथ अयाना	5-8-81
109.	चन्दा/बदरी काछी बरना हाली	26-6-78
110.	धन्नीबाई/फलचन्दबाई	16-5-81
111.	रामनारायण/चतुर्भुजराव बोरदा	20-5-81
112.	गोविन्द/बिहारीलाल काछी गेंता	"
113.	यशोदाबाई/परसराम ब्राह्मण बालूपाउ	"
114.	रतनलाल/अल्लाबक्शप. अरी लु.	"
115.	गेन्दीबाई/केसरसिंह लालूपा	"
116.	रामनाथी/बक्शी काछी कालूपा	"
117.	माधो/भैरू धाकड डीपरी	"
118.	केसरबाई/हजारीलाल रेगर ढीपरी	"
119.	धन्नीबाई/माधो कीर ढीपरी	"
120.	नानका/मोतीलाल कीर ढीपरी	"
121.	पेमा/शंकर कीर किशनपुरा	"
122.	गणेशी/किशन कण्डारा मियाना	"
123.	लुंगरा/नूर मो. नीलगर खातोली	"
124.	पन्ना/ओंकार कीर	"
125.	याकुब/भूरा खां	"
126.	पन्नी/माधो कोली लुहावद	"
127.	गेन्दीलाल पांचू बैरवा	9-6-81
128.	संकरा/करीम बक्श व संकरन	11-6-81
129.	बाली/माधो काछी नीमोला	22-5-81

1	2	3
130.	मांगीबाई प. रामचन्द्र बारेठ अयाना	4-6-81
131.	मन्नीबाई प. धन्ना कोली अयाना	4-6:84
132.	लोडक्या आ. रघुनाथ गूजर जटवारी	25-9-81
133.	छोटीबाई प. पीरमोहम्मद खातोहा	29-4-81
134.	तिभुंज आ. गणेश नीमोला	22-5-81
135.	कजोडीबाई प. रामनाथ बा. डीपरी	,,
136.	कान्हा आ. बालू व प. काली बैरवा बामली	,,
137.	सीताराम आ. गोमेदा मना शेरगंज	,,
138.	गोपाली प. अर्जुन बारेठ जटवाड़ी	15-2-82
139.	नटी प. लक्खानायक नोनेरा	20-2-81
140.	भूरी प. शेकर बैरवा	,,
141.	कजोडी प. धल्या नाली नोनेरा	20-5-81
142.	प. कालू बैरवा जलोदा खो	14-12-81
143.	धन्नालाल आ. विदद्या भील	,,
144.	प्रहलादी प. गोपाल बेरागी देवपुरा	30-5-81
145.	रामनारायण आ. मोजीराम मीना नोनेरा	20-5-81
146.	नरवदा प. किशनलाल मीना नोनेरा	11-9-81
147.	लोडक्या आ. रूपा कुम्हार ढीपरी	14-2-82
148.	काली बाई प. जगना हरिजन वालूपा	28-1-78
149.	मथुरा आ. महाराम व प. धूली ढपी	30-6-81
150.	कंवरलाल आ. बिरधा मीना चकखेडली	1-2-79
151.	पारबतीबाई प. भवरलाल बा. मांगरोल	25-3-78
152.	भोलाबाई प. रामचन्द्र पासवान नीमोला	10-3-79
153.	केसरबाई प. केसरीलाल खटीक इटावा	15-3-83

Page No 197

1	2	3
154.	रामा प. भंवरलाल धाकड़ गेता	25-3-83
155.	हीराबाई प. बिरधा कोली गेता	,,
156.	पुष्पाबाई प. किशनगोपाल गेता	,,
157.	सीताराम आ. छोटू भाई नि. गेता	,,
158.	धन्ना आ. घासी मीना खेडलीचक	,,
159.	केसरबाई प. बदरी लाल दाधिच	5-4-83
160.	मंगला पुत्र घासी प. घीसी ढीपरी	,,
161.	श्रवण आ. देवा गूजर गोझदी	,,
162.	माधो आ. गंगाराम गूजर जटवाड़ी	,,
163.	अमरलाल आ. रामनाथ दोगा गोठडा	30-1-76
164.	धापूबाई प. किशनलाल बोला डडवाड़ा	5-7-83
165.	रामनाथी आ. रामनाथ माली नीमोदा	24-8-83
166.	नारायणी प. चन्दा कोली लुहावद	,,
167.	नाथूलाल आ. धन्नां तेली	,,
168.	सुन्दरबाई प. पांच्या प. भील बाई बंबूलिया	,,
169.	चतरा आ. पांचू व प. भेलीबाई बेरवा	,,
170.	जगनाथ आ. भंवरलाल धाकड बोरदा	,,
171.	मथुरालाल आ. रामचन्द्र धाकड	,,
172.	केसरा आ. नाथ मीना इटावा	23-9-83
173.	मरियम प. बशीर मु. खताली	,,
174.	सागरबाई प. मोता सिंह खताली	,,
175.	चम्पा प. ओंकार कलाल	,,
176.	केसरबाई प. राधाकिशन बेरवा	,,
177.	भंवरलाल आ. मेहर खातोली	1-10-74

1	2	3
178.	भूरी प. पीर बैरवा गुमानपुरा इटावा	1-10-74
179.	केदारलाल आ. बजरंगलाल नाई बबूलिया	24-1-78
180.	शिव कंवरी प. मोतीलाल ख्यावदी	29-1-78
181.	धन्नालाल आ. शंकरलाल गूजर नलावता	,,
182.	भैरू आ. गोपाल माली इटावा	25-2-78
183.	बजरंगला आ. ओंकार कोली इटावा	9-11-78
184.	ईदोशाह आ. कालूशाह करवाड	26-12-78
185.	प्रभुलाल आ. गोविन्दराम जागा मुण्डली	10-3-79
186.	हीरालाल आ. घासी गूजर बागली	10-3-83
187.	कल्याण आ. गोपाल गूजर ककरावदा	,,
188.	पांची प. ग्यारसा गूजर	,,
189.	ओमप्रकाश आ. मीठिया	,,
190.	रामलाल आ. कान्हा बेरवा बबेलिया	9-10-79
191.	पुष्पाबाई प. परमानन्द महाजन इटावा	3-11-79
192.	रघुवीर आश्रित मूलचन्द महाजन जटवाडी	29-5-81
193.	मंग्या आ. मंगला कुम्हार खातोली	
194.	गंगाराम आ. अमरलाल बैरवा ककरावदा	,,
195.	पांची प. पन्ना माली मरभाना	,,
196.	रामसिंह आ. रंगलाल सिंह बबेलिया कलां	9-10-79
197.	गणेशी प. माधोप्रसाद कायस्थ खातोली	13-7-82
198.	कमलेश आ. लड्डूलाल ब्राह्मण बोरदा	10-12-81
199.	देवी शंकर आ. रामचन्द्र पासवान सिमोला	10-3-79
200.	रामकली प. झबरू चमार तलाव	17-3-83

अपाहिज व विधवा पेंशन पाने वालों की सूची

पंचायत समिति सांगोद

क्र०सं०	नाम व पता	अपाहिज
1	2	3
1.	श्री शंकरलाल/देवलाल मीना, तूमड़ा	अपाहिज
2.	श्री छोटू/शंकर धोबी, कुवाड़	,,
3.	श्री रामनाथ/सीताराम गूजर, सांगोद	,,
4.	श्रीमती छोटी बाई/इसाक मोहम्मद, मुसलमान, सांगोद	,,
5.	श्रीमती नवीबाला/पन्ना, मुसलमान, सांगोद	,,
6.	श्रीमती मांगी बाई/चन्द खाँ, ,, ,,	,,
7.	श्री नसीर मोहम्मद/धूल्या पिंजारा, नाहपरया	,,
8.	श्री हरिराम/जयनारायण लुहार, कनदाफल	,,
9.	श्रीमती पन्ना बाई/लटूर मीना, गुवावता	,,
10.	श्रीमती कंचन बाई/लक्ष्मीनारायण मीणा, गुवावता	,,
11.	श्रीमती बड़ी बाई/सुन्दरा अहीर, अपाहेड़ा	,,
12.	श्री गुलाब खां/ईसाहीवक्श फकीर, पानाहेड़ा	,,
13.	श्री श्यामलाल/घासीलाल, ब्राह्मण, कनवास	,,
14.	श्री पन्नालाल/कंवरलाल, चमार, ,,	,,
15.	श्रीमती मथरी बाई/भूरालाल, काछी, कनवास	,,
16.	श्रीमती घासीबाई/बिरधा मेहर, ,,	,,
17.	श्री चन्दा/कान्हा भील, मेहरूकला	,,
18.	श्री रामनारायण/लालू बताई, मेहरूकला	,,
19.	श्रीमती केदार बाई/प्रताप, चमार, चतरपुरा	,,
20.	श्री हीरालाल/हरकिशन, पटवा, मोई खुर्द	,,
21.	श्री हसुना/अब्दुल, मुसलमान खतूरी, (हिजड़े)	,,
22.	श्री गोवरीलाल/लक्ष्मीनारायण मीणा, बम्बूल्या	,,
23.	श्री जमनालाल/मोतीलाल नायक, खड़िया	,,
24.	श्री गोविन्दराम/धोन्धु, मेघवाल, खटूरी	,,

Page No 200

1	2	3
25.	श्री बसन्तीलाल/रतिलाल बलाई, लक्ष्मीपुरा	अपाहिज
26.	श्री देवलाल/रतिराम बलाई, कुराड़िया	,,
27.	श्रीमती कंवरी बाई/किशना गूजर, मोई कला	,,
28.	श्री कल्याण/धन्नालाल मोगिया, ,,	,,
29.	श्री रामा/देवा बलाई, डोबड़ी	,,
30.	श्री रामकुंवार/रतनलाल बलाई, डोबड़ी	,,
31.	श्रीमती गुलाब बाई/गोरुती, सावनभादो	,,
32.	श्री मोहनलाल/चतुर्भुज कुम्हार, सावनभादो	,,
33.	श्रीमती गणेशीबाई/लक्ष्मीनारायण बैरवा, धूलेट	,,
34	श्री भागचन्द/पन्ना रेगर, धूलेट	,,
35.	श्री जगदीश/जगन्नाथ पुत्रा/जगदीश मीणा, चरचड़िया	,,
36.	श्रीमती भूरी बाई/गिरधर रेबारी, ग्राम दाता, धूलेट	,,
37.	श्री कनहा/अन्धा बैरवा, बनवार	विधवा पेंशन
38.	श्रीमती कमला/मदनलाल, रोतावा	,,
39.	श्रीमती चमेली बाई/छीतरलाल, धूलेट	,,
40.	श्रीमती जड़ाव बाई/आनन्दीलाल हरिजन देवला	,,
41.	श्रीमती गोपाली बाई/भवाना बलाई, देवली	,,

———

पंचायत समिति— सांगोद (कोटा)

वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र०सं०	नाम मय वल्दियत	ग्राम	तहसील	किस्म पेंशन
1	2	3	4	5
1.	श्री गोबरीलाल/बालाबक्श	आवा	सांगोद	वृद्धावस्था
2.	श्रीमती धूलीबाई/माधोलाल	,,	,,	,,
3.	श्रीमती धापू/ग्यारसीराम	,,	,,	,,
4.	श्रीमती केशर बाई/गोबरीलाल	,,	,,	,,
5.	श्री गोपालसिंह/खूबसिंह, बड़ व बाई गोपालसिंह	,,	,,	,,
6.	गोपाल/मथुरालाल, पाराबाई/गोपाल	,,	,,	,,
7.	रामचन्द्र/भैरूलाल	,,	,,	,,
8.	रामनारायण/भवाना	खजूरी	,,	,,
9.	श्री नाथूलाल/गवरा	पीसाहेज	,,	,,
10.	श्रीमती नेनूबाई/रत्ना	आमली	,,	,,
11.	श्रीमती विशना/कंवरा	खजूरी	,,	,,
12.	श्री किशनलाल/मांगीलाल	,,	,,	,,
13.	श्रीमती मांगीलाल/देवरा	आमली	,,	,,
14.	श्रीमती भंवरी बाई/गोपाल	कुराड़	,,	,,
15.	श्रीमती मोत्या बाई/नेनजी	कुशालीपुरा	,,	,,
16.	श्रीमती नारायणी/कजोड़ीलाल	कुराड़	,,	,,
17.	श्रीमती पाराबाई/सन्तोष	,,	,,	,,
18.	,, मोत्या बाई/जगन्नाथ	पीताम्बरपुरा	,,	,,
19.	श्री गणेशराम/नाथूलाल	नागल्या	,,	,,
20.	श्रीमती सोन्या बाई/पीरू	मंगलपुरा	,,	,,
21.	श्री कन्हैयालाल/मोतीलाल	देवली	,,	,,
22.	श्रीमती धन्नी बाई/लटूर	देवली	,,	,,

Page No 202

1	2	3	4	5
23.	श्रीमती नर्बदा/किशना	टीकोली	सांगोद	वृद्धावस्था
24.	श्री हरवंशलाल/गोकुल प्रसाद	देवली	,,	,,
25.	श्री रामनाथ/पांचूलाल	देवली	,,	,,
26.	श्रीमती धूली बाई/नारायण	गिरडाना	,,	,,
27.	,, गोपिया/हरलाल	टोल्या	,,	,,
28.	श्री मोड्डूदास/हुकमा	गिरधरपुरा	,,	,,
29.	श्रीमती कस्तूरी/भेरूलाल	मदारिया	,,	,,
30.	श्री गणेशलाल/कालूलाल	गिरधरपुरा	,,	,,
31.	श्रीमती शहीदन/मोलाना वशीर	सांगोद	,,	,,
32.	,, माधोबाई/शंकर	,,	,,	,,
33.	,, नन्द कुंवर/गोपालसिंह	,,	,,	,,
34.	,, मोत्या बाई/ग्यारसीराम	,,	,,	,,
35.	,, रामनाथी बाई/जमनालाल	,,	,,	,,
36.	,, शकूरन/हवीब खां	,,	,,	,,
37.	श्री मांगीलाल/जमनालाल	,,	,,	,,
38.	श्री मुनीर खां/ईनायत खां	,,	,,	,,
39.	श्रीमती रामकुंवारी/भौंरीलाल	,,	,,	,,
40.	श्री ग्यारसीराम/जगन्नाथ	,,	,,	,,
41.	श्री दीनमोहम्मद/काले खां	,,	,,	,,
42.	श्रीमती भंवरी बाई/मांगीलाल	,,	,,	,,
43.	,, गोपाली बाई/माधोलाल	,,	,,	,,
44.	,, सरदार बाई/गणपतलाल	,,	,,	,,
45.	,, कान्ती बाई/रामनाथ	,,	,,	,,
46.	श्री कालुराम/रामलाल, मथरी बाई/कालूराम	,,	,,	,,
47.	श्रीमती भूरी बाई/पृथ्वी	,,	,,	,,
48.	,, मोत्या बाई/लखमा	,,	,,	,,

Page No 203

1	2	3	4	5
49.	श्री ग्यारसीलाल/भागचन्द	सांगोद	सांगोद	वृद्धावस्था
50.	श्री रामकुंआर/रामसुखा	,,	,,	,,
51.	श्रीमती गुलाब बाई/पन्नालाल मार्फत मोहनलाल सुनार	,,	,,	,,
52.	श्री मोहम्मद/कादर खां	,,	,,	,,
53.	श्री भवरलाल/मुरली	कुन्दनपुरा	,,	,,
54.	श्री कालूलाल	किशनपुरा	,,	,,
55.	श्री मोडूलाल/ईश्वरलाल	पालक्या	,,	,,
56.	श्री नारायण/मुरली	,,	,,	,,
57.	श्री भंवरलाल/हीरालाल	कांगन्यो	,,	,,
58.	श्री नन्दा/पन्नालाल	गरमोन	,,	,,
59.	श्री बाला/गेन्दा	झालेरा	,,	,,
60.	श्री मांगीलाल/विरधीलाल	बेलहेड़ा	,,	,,
61.	श्री मोहनलाल छोगालाल, कंचन बाई/मोहनलाल	थेनाहेड़ा	,,	,,
62.	श्रीमती नूर बानो/मुनीर खां	शाहरिया	,,	,,
63.	छग्गी/मोहनलाल	फेनढ़ा कलां	,,	,,
64.	श्रीमती चन्दा बाई/मोहनलाल	,,	,,	,,
65.	,, गोरा बाई/शंकरलाल	हरिपुरा	,,	,,
66.	,, लोडकी बाई/घासीलाल	कागेने	,,	,,
67.	श्री देवलाल/गोरधन	राजगढ़	,,	,,
68.	श्री छोटूलाल/सेत्या	मण्डिता	,,	,,
69.	श्रीमती पन्नी बाई/कालूराम	राजगढ़	,,	,,
70.	,, बिरजी बाई/रामनाथ	मण्डिता	,,	,,
71.	श्री रतिराम/नेनगो	पानाहेड़ा	,,	,,
72.	श्री माधोलाल/ओंकार	रूपहेड़ा	,,	,,
73.	श्री सुन्दरा/रामा	सलोनिया	,,	,,

Page No 204

1	2	3	4	5
74.	श्री नान्या/गोमदा	टोल्या	सांगोद	वृद्धावस्था
75.	श्रीमती शंकरी/प्यारसीराम	केगीली	,,	,,
76.	,, कस्तूरी/मगनलाल	पानाहेड़ा	,,	,,
77.	श्री मांगीलाल/धन्नालाल	तेहरोली	,,	,,
78.	श्री किशनलाल/विरधीलाल	मण्डार	,,	,,
79.	श्रीमती गुलाब बाई/किशोरसिंह	कनवास	,,	,,
80.	,, गजरी बाई/गणेशराम	,,	,,	,,
81.	,, बतूल बाई/मिट्ठो खाँ	,,	,,	,,
82.	,, सुन्दरबाई/भेरूलाल	,,	,,	,,
83.	,, नन्दु बाई/बद्री	,,	,,	,,
84.	श्री नाथूलाल/गंगाराम	,,	,,	,,
85.	श्री शेर खाँ/नाहर खाँ	,,	,,	,,
86.	श्रीमती गंगा बाई/विरधीचंद	,,	,,	,,
87.	श्रीमती बिसमिल्ला/असीर	,,	,,	,,
88.	श्री आंतिया/गणेशराम	,,	,,	,,
89.	श्री घासीलाल/गंगाराम	,,	,,	,,
90.	श्रीमती गुलाब बाई/कंवरलाल	,,	,,	,,
91.	श्री हरिराम/अमरा	मादलिया	,,	,,
92.	श्रीमती केसरबाई/प्रभुलाल	दरा स्टेशन	,,	,,
93.	श्रीमती केशरबाई/गेन्दीलाल	कनवास	,,	,,
94.	,, लछमा/जोधू	,,	,,	,,
95.	,, गोगा/हीरालाल	,,	,,	,,
96.	,, रोड़ी/भंवरलाल	,,	,,	,,
97.	,, गोपाली/गणेशीराम	,,	,,	,,
98.	,, बिशनी बाई/शंकरलाल		,,	,,
99.	श्री चतुर्भुज/बाला	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
100.	श्री भैरूलाल/रतनलाल,कल्याणी/ भैरूलाल	कनवास	सांगोद	वृद्धावस्था
101.	श्रीमती नेनू बाइ/कजोड़	मोईखुर्द	,,	,,
102.	,, गोराबाई/शंकरलाल	हरिपुरा	,,	,,
103.	श्री धूलीलाल/शंकरलाल, केशर/ धूलीलाल	मोईखुर्द	,,	,,
104.	श्रीमती नर्वदा/अमरलाल	हिंगर	,,	,,
105.	,, कस्तूरी बाई/कजोड़ीलाल	,,	,,	,,
106.	श्री हमीद खाँ/ईतवार खाँ	वेसार	,,	,,
107.	श्रीमती गन्दी बाई/गंगीविशन	महुखेरी	,,	,,
108.	,, भूली बाई/शंकर	खड़िया	,,	,,
109.	श्री ओंकारलाल/धूलीलाल	महूखेड़ी	,,	,,
110.	श्रीमती चम्पा बाई/विशना	बूढराती	,,	,,
111.	श्री सादूलसिंह/रूपसिंह	,,	,,	,,
112.	श्री पन्ना/छोटू	अटूरी	,,	,,
113.	श्री हीरालाल/कालू	,,	,,	,,
114.	श्रीमती हीरा बाई/गणेशराम	डूंगरपुर	,,	,,
115.	श्री गोरूचंद/साना	ढाणी विठाणी	,,	,,
116.	श्रीमती भूली बाई/मोतीलाल	डूंगरपुरा	,,	,,
117.	,, धूली बाई/नारायण	ठिगनी	,,	,,
118.	,, कैलाश बाई/कान्हसिंह	भुलाटेन	,,	,,
119.	श्री रामनारायण/लक्ष्मण	लटूरी	,,	,,
120.	श्री ओंकार/नाथू	डूंगरपुर	,,	,,
121.	श्री रामचन्द्र/ओंकार	बड़नखेड़ा	,,	,,
122.	श्रीमती मथरी बाई देवलाल	भूलाहेड़ा	,,	,,
123.	,, तरजू बाई/ओंकार	लटूरी	,,	,,
124.	,, भूखी बाई/शंकरलाल	भूलाहेड़ा	,,	,,
125.	श्री गोपाल/रामचन्द्र	बिढानी	,,	,,

Page No 206

1	2	3	4	5
126.	श्रीमती मांगी बाई/मथुरालाल	डूंगरपुरा	सांगोद	वृद्धावस्था
127.	श्री कल्याण/रघुनाथ, भन्नीबाई, कल्याण	कमोलर	,,	,,
128.	श्रीमती अमरी बाई/धूलीलाल	रोसल्या	,,	,,
129.	श्री कन्हैयालाल/रामनारायण, नारायणी, कन्हैयालाल	कमोलर	,,	,,
130.	श्रीमती धूली बाई/देवा	,,	,,	,,
131.	,, दाखा बाई/कन्हैयालाल	,,	,,	,,
132.	,, भूली बाई/देवा	रोसलिया	,,	,,
133.	,, मोत्या बाई/गोपाल	लक्ष्मीपुरा	,,	,,
134.	श्री पन्नालाल/ग्यारसीलाल	कोटड़ी	,,	,,
135.	श्रीमती बिशनी बाई/मोड़ू	कुरडियाखुर्द	,,	,,
136.	श्री राधेलाल/गोपालसिंह	डाबरी खुर्द	,,	,,
137.	श्री माधोलाल/ग्यारसीराम	कुरड़िया खुर्द	,,	,,
138.	श्रीमती केशर बाई/लटूर	गेलाना	,,	,,
139.	,, गोपाली बाई/गणेशराम	,,	,,	,,
140.	,, अन्याधा बाई/मथुरालाल	,,	,,	,,
141.	श्री कन्हा/जीवन बलाई	देवली	,,	,,
142.	श्रीमती ओंकारी बाई/धूलीलाल	ब्यावरकलां	,,	,,
143.	,, गुलाब बाई/जगन्नाथ दास	,,	,,	,,
144.	श्री अबदुल्ला/एकबू	,,	,,	,,
145.	श्रीमती जेतून बाई/नूर मोहम्मद	,,	,,	,,
146.	,, धन्नी बाई/रामा	,,	,,	,,
147.	गुलाब बाई/देवलाल	,,	,,	,,
148.	गोरां बाई/पन्ना	,,	,,	,,
149.	श्री कालूलाल/गणेशराम	,,	,,	,,

Page No 207

1	2	3	4	5
150.	श्रीमती छवाजी बाई/एकजू	ब्यावरकलां	सांगोद	वृद्धावस्था
151.	,, नर्बदा बाई/रुढ़कीलाल	मोईकला	,,	,,
152.	,, शंकरी/नाथूलाल	,,	,,	,,
153.	,, मेनकी बाई/गोपीलाल	,,	,,	,,
154.	श्री सुन्दरलाल/मोतीलाल	डिल्लीपुरा	,,	,,
155.	श्रीमती मंगली बाई/रामपाल	रक्सपुरिया	,,	,,
156.	,, जगन्नाथी बाई/भेरूलाल	दीगोद	,,	,,
157.	,, गंगाबाई/ओंकार	हुनवतखेड़ा	,,	,,
158.	श्री किशनलाल/शोबक्स	तखनिया	,,	,,
159.	श्रीमती प्रताप बाई/मोडूसिंह	नंदेल	,,	,,
160.	,, गोपाली बाई/गोपीलाल	बेरीनकला	,,	,,
161.	श्री कृष्ण/गोरू	,,	,,	,,
162.	श्री बंशीलाल/श्यामलाल	गुरायता	,,	,,
163.	श्रीमती विरधी/बदरीलाल, बद्रीलाल कजोड़लाल	बोरीनकलां	,,	,,
164.	श्रीमती केसरबाई/माधोलाल	सावनभादो	,,	,,
165.	,, बूची बाई/चुन्नीलाल	,,	,,	,,
166.	श्री काना बाई/मोहनदास	,,	,,	,,
167.	श्री नन्दसिंह/बनेसिंह	,,	,,	,,
168.	श्री गोपाललाल/अमरलाल	,,	,,	,,
169.	श्री घासीलाल/रोडुलाल	गोपालपुरा	,,	,,
170.	श्रीमती नाथी बाई/पन्ना	सावनभादो	,,	,,
171.	,, गंगा बाई/घासी	जुगलपुरा	,,	,,
172.	,, राधा बाई/देवा	सावनभादो	,,	,,
173.	श्री धूलीदास/नाथूदास	,,	,,	,,
174.	श्री पन्नालाल/रामचन्द्र	,,	,,	,,
175.	श्रीमती भंवरबाई/चतरा	कोलावा	,,	,,
176.	श्री रामचन्द्र/ओंकारलाल	सावनभादों	,,	,,

1	2	3	4	5
177.	श्रीमती पुष्पा बाई/सूरजमल	सावनभादो	सांगोद	वृद्धावस्था
178.	,, गुलाबाई/धूलीलाल	,,	,,	,,
179.	,, भूली बाई/धूलीलाल	,,	,,	,,
180.	,, गंदी बाई/रामगोपाल	हिंगोनिया	,,	,,
181.	श्री हीरालाल/रघुनाथ	जगदीशपुरा	,,	,,
182.	श्री कृष्ण/रामचन्द्र	विशनपुरा	,,	,,
183.	श्रीमती मोत्या बाई/रामलाल	हिंगोनिया	,,	,,
184.	,, हमामी/कल्याणा	दांता	,,	,,
185.	,, विरधी/बालू मेहर	धूलेट	,,	,,
186.	श्री गोपाल/गेन्दा	,,	,,	,,
187.	श्रीमती गणेशी	,,	,,	,,
188.	,, धीसी बाई/माधो	,,	,,	,,
189.	श्रीमती नाई बाई/भेरूलाल	,,	,,	,,
190.	,, घासी बाई/मांगीलाल	,,	,,	,,
191.	श्री मोहमद/कादरबक्श	,,	,,	,,
192.	श्री मांगीलाल/किशन	,,	,,	,,

पंचायत समिति, पीपल्दा

क्र.सं. 1	नाम 2	विशेष विवरण 3
1.	श्रीमती छोटी बाई पत्नी विजय सिंह राजपूत नि० गेता	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
2.	मोत्याबाई पत्नी भंवरसिंह राजपूत	,,
3	भूरी बाई पत्नी मांगीलाल राजपूत, गेता	,,
4.	पुष्पाबाई पत्नी रामप्रताप राजपूत, पीपल्दा	,,
5.	मन्नीबाई पत्नी रामनाथ सोनी नि० पीपल्दा कला	,,
6.	बुद्धिबाई पत्नी पुष्का नारायण नि० खातोली	,,
7.	कल्याणबाई पत्नी रतनसिंह नि० बालूपा	,,
8.	जगन्नाथीबाई पत्नी काछी नि० बालूपा	,,
9.	सरदारबाई पत्नी भीमसिंह राजपूत नि० बालूपा	,,
10.	गोकुलबेवा ओंकार भील नि० केथोड़ा	,,
11.	नूरका बेवा मोतीलाल दर्जी करवाड़	,,
12.	गुलाबचन्द पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण नि० अयाना	,,
13.	धन्नीबाई पत्नी जगन्या कन्डारा नि० गणेशगंज	,,
14.	गोराबाई पत्नी शिवप्रसाद पुरानी, खातोली	,,
15.	आनन्दीबाई पत्नी रामचन्द्र, छीपा	,,
16.	नन्दलाल पुत्र माधोलाल महागेता	,,
17.	धूलबाई पत्नी बाला कोली	,,
18.	मथुरालाल पुत्र ओंकार नायक, इटावा	,,
19.	दाखाबाई पुत्र जगन्नाथ राजपूत नि० खतौली	,,
20	रामप्यारी बेवा लालसिंह राजपूत	मृत्यु हो चुकी है
21.	जगन्नाथी बेवा बजरंगलाल नई नि० बालूपा	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
22.	भंवरलाल पुत्र भवानजी नायक, इटावा	,,
23.	किशनसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह एवं	,,
	श्रीमती अलाई नि० फरेरा	,,

1	2	3
24.	श्रीमती फेमा बेवा ओंकार कोली, करवाड़	मृत्यु हो चुकी है
25.	धूलालाल पुत्र सदमा नायक, अयानी	1.8 तक का भुगतान हो चुका है।
26.	गोरधनी पुत्र खामा कोली, इटावा	,,
27.	पारो पत्नी नाथूलाल नायक इटावा	,,
28.	शोली बेवा गोरीलाल नि० हथोली	,,
29	पन्नालाल पुत्र डूगा कोली जलोदा खातियान	28–1–84 से बन्द
30.	समुन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह राजपूत खेड़ली जागीर	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
31.	ज्याना बेवा विशना बैरवा जिनायज	,,
32.	किशनलाल पुत्र जुगुल किशोर, इटावा	,,
23.	बिहारी पुत्र ओंकारभील, केशोदा	,,
34.	धन्नालाल पुत्र छोटूलाल बैरवा, सुनमानपुरा	,,
35.	मांगी पत्नी मोती बैरवा नि० मेता	,,
36.	गंगा विशन पुत्र शंकर माली, गेता	,,
37.	काली बाई बेवा लठ्ठा खारवाल नि० गोता	,,
38.	मदनी पत्नी किशनलाल मेहर, सनमानपुरा	मृत्यु हो चुकी
39.	जगन्नाथी बाई पत्नी शम्भुसिंह राजपूत, गोता	1.84 तक भुगतान हो चुका
40.	रामनारायण पुत्र भैरूलाल माली, करवाड़	मृत्यु हो चुकी
41.	बशीर मोहम्मद पुत्र मुल्लनबीबक्श नि० तलाव	1.84 तक भुगतान हो चुका
42.	श्री नूरका बेवा मन्ना बैरवा, जोरावरपुरा	,,
43.	इदोबाई पत्नी मखबूल मुस० पीपल्दा कला	,,
44.	धूली पत्नी रामगोपाल अपाना, बसेवा	,,
45.	अलानूर पुत्र वहीर मुस० खातोली	मृत्यु हो चुकी
46.	नन्दूबाई बेवा प्रभूलाल खाती, सुनोपुरा	मुकाम पर न मिलने से 5.83 से बन्द है।
47.	नेनगा पुत्र पा० बैरवा, केशोपुरा	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।

1	2	3
48.	रम्भा बाई वेवा सेडू रजोपा	1.84 तक का भुगतान हो
49.	फेफा वेवा नृसिंह वारेठ, केशोपुरा	चुका है।
50.	चतुभुजी पत्नी कल्याण नाई करवाड़ हाल० भू० म्याना	,,
51.	रामचन्द्र पुत्र खेमा बैरवा, खोतोली	,,
52.	याहीन मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद एवं हुसैनीपत्नी, तलाव	,,
53.	भंवरबाई पत्नी सावला सिंह, करवाड़	,,
54.	गणेशराम पुत्र कालू एव पत्नि ओंकारी, पीपल्दा कला	,,
55.	गोमदी पत्नी ओंकार बैरवा, ख्यावदा	,,
56.	ग्यारसा पुत्र कालूलेखा, सावदा	,,
57.	भूरीबाई पत्नी भांवरीलाल भील, दौलतपुरा	,,
58.	जमनीबाई पत्नी कजोड़ गुजर, विनायका	,,
59.	नारायण पुत्र कालू बैरवा श्री पुरा	,,
60.	मोडूलाल पुत्र नेनगा पत्नी कजोड़ी बैरवा, डीपरी	,,
61.	वजीरशाह पुत्र कालूशाह पति हुसैनी फकीर डीपरी (चरणल)	,,
62.	मन्नाबाई पत्नी जाफर हुसैन, ककरावदा	,,
63.	रामपुत्र नन्दा कौ० नि० गोठडाकला	मृत्यु हो गई।
64.	रामीबाई पत्नी मन्नालाल बजागर सीनोली	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
65.	गुलाब बाई पत्नी किशन, गणेश खेड़ा	,,
66.	ताराबाई पत्नी अमरलाल राव, गणेशखेड़ा	,,
67.	फातीबाई पत्नी नेनगा लुहार, प्रेमपुरा	,,
68.	पन्नालाल पुत्र नारायण मीना, आमल्दा	,,
69.	मदनसिंह पुत्र देवीसिंह, डडवाड़ा	,,
70.	पांची पत्नी गेन्दीलाल माली, पीपल्दा खुर्द	,,
71.	रामनाथी पत्नी भूरा काछी नोनेय	जनवरी, 84 तक का भुगतान हो चुका है।
72.	रामकन्या पत्नी नेनगा कुम्हार भिवानी	,,

Page No 212

1	2	3
73.	माधो पुत्र किशना एवं पत्नि शंकरी लेखा प्रेमपुरा	जनवरी, 84 तक का
74.	फूमा पत्नी भैरूलाल बैरवा, कजलिया	भुगतान हो चुका है ।
75.	नाथीबाई पत्नी भैरूलाल बैरवा, गोण्डी	
76.	भूरी पत्नी गोपाल गूजर बागली	,,
77.	ओंकारी पत्नी बीरबल नायक छोडली नोनेरा	,,
78.	बिशना पुत्र मोती बैरवा, बालिया	,,
79.	श्रवण पुत्र केशरा बैरवा डूंगरली	,,
80.	जेतु पत्नी किशनलाल कुम्हार श्रीपुरा	मृत्यु हो चुकी
81.	कल्याणी बाई पत्नी गोंददया कुम्हार गेता	1।84 तक का भुगतान हो चुका है
82.	बजरंगलाल पुत्र सूरजमल ब्राह्मण, नया गांव	,,
83.	तुलस्या उर्फ राम कंवरी राम जलोदा खातियान	,,
84.	किशनलाल चन्दालाल कोली, लुहावद	,,
85.	रतनी पत्नी नेनगा मेहर, अयानी	,,
86.	कस्तुरचन्द पुत्र मांगीलाल महा० विनायका	,,
87	पुष्पा बाई पत्नी रामनाथ माली डोला	,,
88.	रामनाथी पत्नी नेनगा माली पीपल्दा खुर्द	,,
89,	केसरबाई पत्नी बजरंगलाल महा ठीकरदा	,,
90.	ग्यारसी पत्नी माधो गूजर, रामपुरिया	,,
91.	रोमी पत्नी नारायण दर्जी, ककरावदा	मृत्यु हो चुकी
92	चन्दनिया पत्नी मीठ्या राव गांठडा खुर्द	8–12–82 से बन्द, कोटा लड़के के पास रहती है ।
93.	अहम्मद खां पुत्र लाल खां, खेड़ा	जीवित होने का प्रमाण पत्र नहीं होने के अभाव में 11।83 से रुकी हुई है ।
94.	सुन्दरबाई पत्नी धन्नालाल बैरवा मीठावे	,,
95.	ग्यारस्या पुत्र भेरू बैरवा विनायका	माह जनवरी तक का भुगतान हो चुका है ।
96.	कान्हीबाई पत्नी माधो बेखाडवाड़ा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है ।

1	2	3
97.	बजरंगलाल पुत्र मन्नालाल महाजन, निमोला	मृत्यु हो चुकी है
98.	चन्दा पुत्र लच्छो राम व पत्नी शंकरी राजपुरा	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
99.	विशना पत्नी बल्देव एवं पत्नि कान्हो राव नि० हथोली	,,
100.	मथुरा पुत्र धन्ना नि० डिडवाड़ा पो० इठावा	,,
101.	लक्ष्मी पत्नी जगन्नाथ कुम्हार, इटावा	,,
102.	कन्हैया पुत्र नेनगा, रामपुरिया	,,
103.	कालू पुत्र नारायण एवं पाली घीसी बेवा चक्रटोडी	,,
104.	पारसराम पुत्र शंकर कोली कम्बूलिया खुर्द	,,
105.	रामदयाल पुत्र मोडू गूजर ठीपरी (चम्बल)	,,
106.	मोत्याबाई पत्नी देवलाल बैरवा, मंठोट	,,
107.	जुम्मीबाई पत्नी यासीन फकीर, अपावा	,,
108.	लाडा बाई पत्नी रघनाथ, अपावा	,,
109.	चन्दा पुत्र बद्री काछी बरनाहाली	,,
110.	धन्नीबाई पत्नी फूलचन्द नाई, खातोली	,,
111.	गोविन्द पुत्र बिहारीलाल, काछीगेता	मृत्यु हो चुकी
112.	रामनारायण पुत्र चतुर्भुज राव बारेदा	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
113.	यशोदा बाई पत्नी पासाराम ब्राह्मण	,,
114.	रतनलाल पुत्र अलावक्स पत्नी अमरी लुहावद	,,
115.	गेन्दाबाई पत्नी केसरसिंह बालूया	,,
1P6.	रामनाथी पत्नी बंशी काशी बालूया	,,
117.	माधो पुत्र भेरू धाकड़ ठीपरी	,,
118.	केसरबाई पत्नी हजारी रेगर ठीपरी	मामला भुगतान टी०ओ०कोटा को भेजा गया हुआ है।
119.	धन्नी बाई पत्नी माधो ठीपरी (चम्बल)	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।

1	2	3
120.	नानकी पत्नी मोतीलाल ठीपरी	1।84 तक का भुगतान हो चुकी है।
121.	फूमा पत्नी शंकर कीर, विसनपुरा	
122.	गणेशी पत्नी किशन कुन्डारा, भियाना	एम० ओ० वापस आने से रुका हुआ है।
123.	सुगरा पत्नी नूर मोहम्मद लीलगर, खातोली	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
124.	पन्ना पुत्र ऊंकार खां, खातोली	मृत्यु हो चुकी है।
125.	याकूब खां पुत्र भूरा खां, खातोली	,,
126.	पन्नी पत्नी माधो कोली, लुहावद	,,
127.	गेन्दीलाल पुत्र पांचू बैरवा, लुहावद	,,
128.	सकरा पत्नी करीम बक्श एवं पत्नी सकूरन मुसलमान, कछरावदा	जीवित प्रमाण पत्र अप्राप्त होने से रोकी गई।
129.	थाली पत्नी माधोकाछी, निमोला	,,
130.	मांगी पत्नी रामचन्द्र वरिष्ठ, अयाना	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
131.	मन्नी बाई पत्नी धन्ना कोली, अयाना	,,
132.	लोडवया पुत्र रघुनाथ गुजर, जटवाड़ी	,,
133.	छोटीबाई पत्नी पीरमोहम्मद, खातोली	,,
134.	चतुर्भुज पुत्र गणेश, निमोला	,,
135.	कंजोड़ी बाई पत्नी रामनाथ ब्राह्मण, ठीपरी	,,
136.	कान्हा पुत्र बालू व पत्नि काली बैरवा, वागली	मृत्यु हो चुकी है।
137.	सीताराम पुत्र गोमता मीना, शेरगढ़ा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
138.	गोपाली पत्नी अर्जुन वारेठ, जटवाड़ा	,,
139.	नटी पत्नी लक्खा नायक, नोनेग	,,
140.	भूरी पत्नी शंकर बैरवा, नोनेग	,,
141.	कजोड़ी पत्नी धूल्या माली, नोनेग	,,

Page No 215

1	2	3
142.	मांगी पत्नी कालू बेरवा जलोदा खातियान	1.84 तक का भुगतान हो
143.	धन्नालाल पुत्र विरधा भील जलोदा खातियान	चुका है।
144.	प्रहलादी पत्नी गोपाल बेरागी देवपुरा	,,
145.	रामनारायण पुत्र मोजीराम मीना, नोनेरा	,,
146.	नखदा पत्नी किशनलाल मीना, ककरावदा	,,
147.	लोडक्या पुत्र रूपा कुम्हार, ठीपरी	,,
148.	कालीबाई पत्नी जगना हरिजन, वालूपा	,,
149.	मथुरा पुत्र महारामव पलिधूली, ठीपरी	मथुरा मर चुका
150.	कवरलाल पुत्र विरधा मीना, चकखेडली	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
151.	पार्वती बाई पत्नी भंवरलाल ब्राह्मण (मांगरोल)	पेन्शन किस तह० मांगरोल को भेज दिया गया है।
152.	मोत्याबाई पत्नी रामचन्द्र पासवान त्रिमोहला	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
153.	केसर बाई पत्नी केसरीलाल खटीक, इटावा	,,
154.	रामी पत्नी भंवरलाल धाकड़ गेतो	,,
155.	हीराबाई पत्नी विरधा कोली	,,
156.	पुष्पा बाई पत्नी किशन गोपाल गेतो	,,
157.	सीताराम पुत्र छोटू भाई गेता	,,
158.	धन्ना पुत्र घासी मीना, खेडलीचक्र	,,
159.	केसरबाई पत्नी बद्रीलाल दाधीच	,,
160.	मंगला पुत्र घासी व परिन घीसी, ठीपरो	अगस्त, 83 से जीवित प्रमाण पत्र अप्राप्त होने से रोका गया।
161.	श्रवण पुत्र देवा गूजर गोण्डी	1.84 तक का भुगतान हो चुका है।
162.	माधो पुत्र गंगाराम गूजर, जटवाड़ी	,,
163.	अमरलाल पुत्र रामनाथ दरोगा गोठड़ा	,,

1	2	3
164.	धापू बाई पत्नी किशनलाल वोला, डडवाड़ा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
165.	रामनाथी पुत्री नाथू माली, निमोदा	
166.	नारायणी पुत्री चन्दा कोली, लुहावड़	सूचित कर दिया है परन्तु उपस्थित नहीं हुआ।
167.	नाथूलाल पुत्र धन्ना तेली, इटावा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
168.	सुन्दरबाई पत्नी पांच्या नाई बोरदा	,,
169.	चतरा पुत्र पांचू एवं पत्नी भोलीबाई बैरवा बम्बूलिया	,,
270.	जगन्नाथ पुत्र भंवरलाल धाकड़ बोरदा	,,
171.	मथुरालालपुत्र रामचन्द्र धाकड़, अपाना	प्रथम भुगतान नहीं हुआ सूचना दे दी गई है।
172.	केसरा पुत्र नाथूजी मीना, इटावा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
173.	मरियम पत्नी बशीर मोहम्मद, खातौली	,,
174.	सायरबाई पत्नी मोतीसिंह, खातौली	,,
175.	चम्पा पत्नी ओंकारलाल, खातौली	,,
176.	केसरबाई पत्नी राधाकिशन बैरवा, खातौली	,,

अपाहिज-पेंशनर्स

क्र.सं. 1	नाम पेंशनर्स 2	विशेष विवरण 3
1.	भंवरलाल पुत्र मेहर, खातौली	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
2.	भूरी पत्नी पीरू बैरवा गुमानपुरा (इटावा)	,,
3.	केदारलाल पुत्र बजरंगलाल नाई, बम्बूलिया	,,
4.	शिववरी पत्नी मोतीलाल ब्यावदा	मृत्यु हो चुकी

1	2	3
5.	धन्नालाल पुत्र शंकरलाल गूजर बलावता	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
6.	भेरू पुत्र गोपाल माली, इटावा	,,
7.	बजरंगा पुत्र ओंकार कोली, इटावा	,,
8.	ईदो शाह पुत्र कालूशाह, करवाड़	मृत्यु हो चुकी है।
9.	प्रभूलाल पुत्र गोविन्दराम जांगा मूंडली	भुगतान नकद लेना चाहता है अगस्त, 18 से उपलब्ध नहीं हुआ।
10.	हीरालाल पुत्र घोसी गूजर बोनेरा	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
11.	कल्याण पुत्र गोपाल गूजर बागली	,,
12.	पांची पत्नी ग्यारस्वा, ककरावदा	मृत्यु हो चुकी
13.	ओमप्रकाश पुत्र मीठ्या गोण्डा खुर्द	बाहर गया हुआ एम० ओ० वापस आ गया।
14.	रामलाल पुत्र कान्हा बैरवा बरतुलिया कला	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।
15.	पुष्पा बाई पत्नी परमानन्द महाजन, इटावा	,,
16.	रघुवीर पुत्र मूलचन्द महाजन, जटवाड़ी	,,
17.	भाग्या पुत्र मंगला कुम्हार, खातौली	,,
18.	गंगाराम पुत्र अमरलाल बैरवा, ककरावदा	,,
19.	पांची पत्नी पन्ना माली झरझाना	,,
20.	रामसिंह पुत्र रंगलालसिंह बम्बूलिया कला	,,
21.	गणेशी पत्नी माधोप्रसाद कायस्थ खातोली	,,
22.	कमलेश पुत्र लड्डुलाल ब्राह्मण बोरदा	,,
23.	देवीशंकर पुत्र रामचन्द्र घासवाल निमोला	पेन्शन नहीं लेना चाहता।
24.	रामकली पत्नी झमारू चमार तलाव	1।84 तक का भुगतान हो चुका है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची)

सूत्र संख्या—7 हरिजन-गिरिजन विकास में अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिये वर्ष 1982-83—लक्ष्य एवं प्रगति विवरण

क्र.सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन	—	—
2.	अनुसूचित जाति के परिवारों के कुओं पर बिजली	—	—
3.	खादी एवं ग्रामोद्योग	150	119
4.	दुग्ध विकास	250	233
5.	सिंचाई	—	—
6.	राजस्थान भूमि विकास निगम (ओ०एस०डी०) कार्य	—	—
7.	मुर्गी/शूकर पालन ईकाई	—	—
8.	राजस्थान नहर क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन (सीलिंग भूमि सहित)	40	31
9.	हाथ कर्घा विकास	—	—
10.	राज्य सरकार, स्वायतशासी निकाय आदि (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) रोजगार	100	115
11.	संयुक्त निजी क्षेत्र में रोजगार	25	—
12.	शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिये ऋण	50	87
13.	राजस्थान लघु उद्योग निगम बुनकर संघ, आई० टी० आई० द्वारा प्रशिक्षण	13	15
14.	भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटन, भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु सहायता।	35	50
15.	औद्योगिक ऋण (सहायता छोटे उद्योग) गृह उद्योग एवं औद्योगिक प्लाट के लिये	25	34
16.	एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	799	900
	योग	1487	1584

Page No 219

हरिजन-गिरिजन विकास, भौतिक प्रगति

विवरण

अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिये वर्ष 1983-84 के लक्ष्य लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य	माह में	माह 2.84 तक
1.	राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन	शून्य	—	—
2.	अनुसूचित जाति के परिवारों के कुओं पर बिजली	शून्य	—	—
3.	खादी एवं ग्रामोद्योग	120	28	70
4.	दुग्ध विकास	250	25	143
5.	सिचाई	शून्य	—	—
6.	राजस्थान भूमि विकास निगम (ओ० एफ० डी० कार्य)	शून्य	—	—
7.	मुर्गी/सूअर पालन ईकाई	शून्य	—	—
8.	राजस्थान नहर क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन (सीलिंग भूमि सहित)	40	—	35
9.	हाथ कर्घा विकास	शून्य	—	—
10.	संयुक्त एवं निजी क्षेत्र में रोजगार	25	—	25
11.	शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिये ऋण	150	2	38
12.	राजस्थान लघु उद्योग निगम (बुनकर संघ) आई० टी० आई० द्वारा प्रशिक्षण एवं उसके बाद रोजगार	10	—	—
13.	भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं वि० विकास हेतु	35	6	23
14.	एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त परिवारों को सहायता	231	—	—
15.	औद्योगिक ऋण (सहायता छोटे उद्योग) गृह उद्योग एवं औद्योगिक प्लांट के लिये	20	12	54
16.	कुओं को गहरा करना	शून्य	—	—
17.	एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	799	25	404
	योग	1680	98	792

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची)

जिला–बाड़मेर

क्र.सं. नाम तहसील	मामले पेश हुए	निपटाये गये मामले स्वीकृत	खारिज	योग	शेष
1, बाड़मेर	8	—	8	8	—
2. चौहटन	2	—	2	2	—
3. शिव	5	—	5	5	—
4. सिवाना	8	1	2	3	5
5. पचपदरा	5	—	5	5	—
6. गुड़ामालानी	12	1	11	12	—

जिला–जैसलमेर

1. जैसलमेर	140	140	—	140	—
2. पोकरण	112	112	—	112	—

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 का जांच प्रतिवेदन

शिकायत (अध्यक्ष) मंत्री भारतीय जनता पार्टी मण्डल रावतभाटा

दिनांक 7-8-83

विषय :—श्री एस० एन० सिंह, सरपंच, पंचायत रावतभाटा

× : ××

शिकायत में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक आबादी भूमि विक्रय के सम्बन्ध में है जिस बाबत रेकार्ड देखा गया तो निम्न स्थिति ज्ञात हुई कार्यवाही रजिस्टर को देखा गया। रजिस्टर के प्रारम्भ में पेज संख्या 1 से 210 तक का अंकन का प्रमाण पत्र है जिस पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर व छाप मोहर लगी हुई है। पृष्ठ संख्या 1 इसी पेज से प्रारम्भ किया है। आगे पृष्ठ संख्या 2 अंकित नहीं है व 3 शुरू कर दिया है जिस पर दिनांक 2-10-82 को हुई पंचायत की बैठक कार्यवाही अंकन है पृष्ठ संख्या 3 से 10 तक ओवर राइटिंग से पृष्ठांक अंकन किये हुए हैं। पृष्ठ संख्या 11 पर 21-7-83 की प्रोसीडिंग अंकित है। इसके बाद रजिस्टर खाली है।

दिनांक 2-10-82 को पंचायत की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 2 में भूमि विक्रय बाबत निर्णय लिया गया है। जिसमें दर निम्न प्रकार तय की गई है :

बाजार की दुकानों का	70 पैसा प्रति वर्ग फुट
अन्य आबादी का	35 ,, ,,

यह निर्णय राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत किया है।

इसके पूर्व कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ कि पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक 23-3-82 में प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार निम्न प्रकार से निर्णय ले रखा है—

झोपड़ियों के लिए पट्टे मिनीमम चार्जेज	35 पैसा प्रति वर्ग गज
दुकानों के लिए	70 ,, ,,

Page No 222

इसी प्रस्ताव में पूर्व में वर्ग फुट अंकन या उसको काट कर वर्ग गज किये हैं यह शंकास्पद है। एक स्थान पर (सूक्ष्म हस्ताक्षर) किये हुए हैं।

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 22 के तहत पंचायत द्वारा एक बार लिये गये निर्णय को रूपान्तर या उप खण्डन करने के लिए पंचायत को नियमानुसार पंचायत समिति में निर्धारित तरीके से अपील करनी होती है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर को फोटो स्टेट कापियां जो प्रस्तुत हुई है उसका मिलान कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 19-11-82 व 21-7-83 से करने पर भिन्न पाया गया। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि रेकार्ड में हेराफेरी हुई है। कतिपय आबादी भूमि विक्रय की फाइलों को देखा गया :—

(1)	श्रीमती शकुन्तला देवी	प्रकरण	186
(2)	श्री इशरार अहमद खाँ	,,	180
(3)	श्री ललीत कुमार	,,	167
(4)	श्रीमती सुशीला बाई	,,	9
(5)	श्री लालचन्द छावड़ा	,,	166
(6)	श्री आमान भाई	,,	11
(7)	श्री दीप सिंह	,,	6
(8)	श्री बाबूलाल	,,	1
(9)	श्री सरोज कुमार उमाभाड कम्पनी रावतभाटा	,,	160
(10)	श्री करायत अत्थी	,,	179
(11)	श्री करायत अत्थी	,,	178
(12)	श्रीमती घीसी बाई	,,	113
(13)	श्री अलाबक्ष	,,	170
(14)	श्री नाथू पिता चाँद खां	,,	169
(15)	श्री वहीद बेग आर. ए. पी. पी. ड्राइवर	प्र. सं.	8
(16)	श्री लालचन्द छावड़ा	,,	20
(17)	श्री जगदीश छावड़ा	,,	24

(18)	श्री लालचन्द छावड़ा	प्र. सं.	21
(19)	श्री देवी सिंह	"	197
(20)	श्री विरेन्द्रपाल सिंह	"	187
(21)	श्री ललित कुमार	"	22

समस्त फाइलों में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम संख्या 257 से 266 तक की पूर्ण प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, नियम संख्या 266 के अन्तर्गत शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा निम्नलिखित नियमों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।

राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम संख्या 258 के तहत मौके का निरीक्षण नहीं किया गया है।

नियम संख्या 259 के तहत पंचायत अस्थाई फैसला नहीं किया गया।

नियम संख्या 260 के तहत आपत्तियों के लिए सूचना पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

नियम संख्या 261 के तहत आपत्तियों का निर्वतन नहीं किया गया।

नियम संख्या 262 के तहत भूमि का नीलाम नहीं किया गया है।

नियम संख्या 265 के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया है।

नियम संख्या 266 की पुष्टि नहीं की गई है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में कार्यवाही अवैधानिक पाई गई है भूमि विक्रय व पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पंचायत के कोरम से नहीं लिया गया है।

7. दिनांक 21-7-83 के पश्चात पंचायत की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1958 की धारा 21 (2) के तहत सरपंच को एक माह में दो बार बैठकें आयोजित करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं की गई हैं।

वर्ष 1983–84 में केवल मात्र एक बैठक दिनांक 21-7-83 को बुलाई गई है जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई है। वर्ष 1982-83 में भी कुल आठ बैठकें ही सरपंच द्वारा बुलाई गई हैं।

8. पंचायत का वर्ष 1983-84 का बजट पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ को जरिये पत्र संख्या 317 दिनांक 18-7-83 को भेजा जाना उल्लेख है जिस पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है। बजट भेजने के पूर्व बजट की स्वीकृति कोरम से भी ली जानी चाहिये थी जो नहीं ली गई इस प्रकार सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम संख्या 290 से 293 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

9. शिकायत के बिन्दु संख्या 11 के विवरण की पुष्टि में पंचायत द्वारा दिनांक 2-10-82 को बैठक में प्रस्ताव संख्या 4 में यह तय किया गया कि 50,000/- रुपये की एफ डी बैंक आफ बड़ौदा शाखा, भैंसरोडगढ़ में कराई जावे।

10. रोकड़ वही व वाऊचर फाइल को देखने पर निम्न अनियमिततायें पाई गई हैं :

1. दिनांक 2-11-83 से 28-12-83 तक आय/व्यय के ऊपर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

2. दिनांक 2-11-83 को 5000/- रुपये की राशि छबड़ा ब्रदर्स दिनांक 23-11-83 को 6500/- छबड़ा ब्रदर्स, दिनांक 16-11-83 को 1000/- रुपये की राशि मीना कुमारी को, दिनांक 16-12-83 को 2000/-रुपये राशि बुदुल सिंह को, दिनांक 14-12-83 को 3000/- रुपये स्वयं सरपंच एस. एन. सिंह, दिनांक 16-12-83 को 500/- रुपये की रमेश कुमार व दिनांक 23-12-83 को 6500/- रुपये मीना कुमारी को एडवान्स राशि दी गई जिसका कोई प्रयोजन अंकित नहीं किया गया है जिसका समय पर पंचायत की रोकड़ में समायोजन नहीं कर राशि का दुरुपयोग किया है।

11. **निर्माण कार्य :—**

(क) धर्मशाला निर्माण कार्य, रावतभाटा :—

इस कार्य का तखमीना 88,082=00 का पंचायत समिति के उप-अभियन्ता द्वारा बनाया गया परन्तु यह तखमीना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं करवाया गया। इस कार्य को पंचायत की निजी आय से करवाने की स्वीकृत पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 17-8-83 से दी गई है यह कार्य श्री आर. बी. सिंह ठेकेदार के मार्फत बी. एस. आर. दरों से 16.1 की अधिक दरों पर माह अप्रेल, 1983 से अगस्त, 1983 के मध्य करवाया गया, इस कार्य का अन्तिम माप एम. बी. नं. 2 के पेज नं. 13 से 26 तक पंचायत समिति के उप

अभियन्ता द्वारा अंकित किया हुआ है। कार्य कुल 1,35,192/– रुपये का उक्त एम.बी. में दर्ज है। इस कार्य का सहायक अभियन्ता (सी. डी.) द्वारा दिनांक 4 व 5 जनवरी, 1984 को निरीक्षण एवं जांच की गई है। मौके पर मिली जानकारी एवं मौजूदा कार्य की स्थिति का उन्होंने अपने विवेक से जांच कर पुनः मूल्यांकन किया जो 99,000/– रुपये का होता है। इस कार्य का चुकारा ठेकेदार को 1,18,969/– रुपये का किया गया है, जैसा कि एम. बी. नं. 2 के पेज नम्बर 25 व 26 पर अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न अनियमितता पाई गई है।

(1) तखमीना किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत नहीं कराया है।

(2) निर्माण कार्य के दौरान एक बार भी उप अभियन्ता से तथा इनसे ऊपर के अधिकारी द्वारा कार्य को चैक नहीं कराया है, तथा भुगतान से पूर्व माप आदि चैक नहीं कराये गये हैं, इस स्थिति से कार्य पर वास्तविक राशि से अधिक भुगतान होने का संदेह है।

(ख) श्मशान घाट का निर्माण :

श्मशान घाट का निर्माण संबंधित तखमीना पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा 11,600/– रुपये का बनाया गया, कार्य श्री राधेश्याम ठेकेदार द्वारा बी.एस.आर. दरों से 8% ऊंची दरों पर वर्क आर्डर संख्या 532 दिनांक 16-2-83 से कराया गया। निर्माण कार्य माह फरवरी व मार्च, 83 के दौरान हुआ। कार्य के निरीक्षण का माप व बिल पंचायत समिति के उप अभियन्ता श्री भारद्वाज द्वारा एम. बी. नम्बर 1 पेज नम्बर 69 से 75 पर चढ़ाया गया जो 14,188/– रुपये का है। सरपंच श्री एस. एन. सिंह ने इस निर्माण कार्य को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाने के फलस्वरूप आवश्यक मरम्मत कराने हेतु एक तखमीना उप अभियन्ता द्वारा 4,895/– रुपये का बनाया मरम्मत का कार्य श्री जगदीश ठेकेदार द्वारा किया गया। ठेकेदार को 5200/– रुपये का भुगतान किया गया जैसा कि एम. बी. नम्बर 2 के पेज नम्बर 2 पर अंकित है।

निर्माण कार्य आज जिस स्थिति में है उसका पुनः मूल्यांकन सहायक अभियन्ता (सी. डी.) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 4, 5 जनवरी, 1984 को किया गया जो कुल 8,000/– रुपये ही होता है। इस कार्य में निम्न अनियमितत पाई गई है।

1. कार्य का तखमीना किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर शुदा नहीं है।

2. कार्य का भुगतान ठेकेदार को करने से पूर्व कार्य का निरीक्षण एवं कार्य का माप उप अभियन्ता से एवं उच्च अधिकारी द्वारा कराया जाने के पश्चात् ही किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप काफी अधिक मात्रा में भुगतान हुआ है।

(ग) फुटपाथ निर्माण कार्य :–

1. पुलिस स्टेशन से छबीलदास के मकान तक :

(ग) (1) इस कार्य का तखमीना 28,250/– रुपये का पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा बनाया गया। निर्माण कार्य श्री आर.बी. सिंह ठेकेदार द्वारा कराया गया जो माह जनवरी, 1983 में हुआ है। कार्य का माप पंचायत समिति के उप अभियन्ता द्वारा एस. बी. नम्बर 1 के पेज नम्बर 60 से 62 तक किये जाकर 32,327/– रुपये का बिल बनाया गया कार्य पुनः मूल्यांकन श्री सहायक अभियन्ता (सी.डी.) चित्तौड़गढ़ द्वारा करने पर राशि 27,000/– रुपये की आई। इस प्रकार करीब 500/– रुपये का अधिक भुगतान हुआ है।

(ग) (2) हरिजन बस्ती से मिश्रीलाल के मकान तक :

1.	तखमीना राशि	38,000/–
2.	ठेकेदार	श्री आर. बी. सिंह
3.	निर्माण कार्य की अवधि	दिसम्बर, 82 से जनवरी, 83 तक
4.	उप अभियन्ता द्वारा माप	एम. बी. प्रथम पेज नं. 56 से 59 तक
5.	कुल लागत	61,406/–
6.	पुनः मूल्यांकन करने पर राशि	50,000/– द्वारा सहायक अभियन्ता
7.	अधिक भुगतान	उपरोक्त पैरा नम्बर ख के अनुसार

(घ) शौचालय निर्माण कार्य :

पंचायत द्वारा 4 अलग-अलग स्थानों पर शौचालय का निर्माण करने हेतु प्रत्येक शौचालय के लिये 10,750/– रुपये का तखमीना बनाया गया। कार्य

श्री पन्नालाल गहलोत ठेकेदार द्वारा वर्क आर्डर संख्या 4075 दिनांक 18-10-82 के तहत कराया गया। कार्य का माप व बिल का भुगतान एम. बी. नम्बर 1 के पेज नम्बर 63 से 68 पर अंकित है। कुल भुगतान 30,113/- रुपये का हुआ जबकि पुनः सहायक अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन करने पर कार्य की लागत 24,000/- रुपये ही पाई गई है। इस कार्य पर भी पूर्व में पैरा अनुसार अनियमितताएँ बरती गई हैं।

1. सक्षम अधिकारी से तखमीना स्वीकृत नहीं कराया है।

2. कार्य पर अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 245 से सम्बन्धित सूची)

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	वाहनों का विवरण
1.	कशोरायपाटन	दिनांक 16-10-80 से पोषाहार को जीप थी तथा दिनांक 23-4-83 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आवंटित जीप प्राप्त हुई जो क्रमशः 39,847 तथा 38,534 किलोमीटर फरवरी, 1984 तक चल चुकी है।
2.	हिण्डोली	निजी आय से क्रय किया गया वाहन सन् 1967 से है जो 1,75, 607 किलोमीटर चल चुका है।
3.	तालेड़ा	दिनांक 6-3-83 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त वाहन है जो 35,795 किलोमीटर चल चुका है। इससे पूर्व पोषाहार की जीप थी जो 6331 किलोमीटर चल चुकी थी।
4.	नेनवा	दिनांक 21-7-82 से क्रय की गई अपनी जीप है जो दिनांक 6-3-1984 तक 38,189 किलोमीटर चल चुकी है।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची)

क्र०सं०	पंचायत समिति का नाम	जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक स्वीकृत कार्यों की संख्या	कार्यों की स्थिति		स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
			पूर्ण	अपूर्ण		
1	2	3	4	5	6	7
1.	रानी स्टेशन	128	86	42	17,59,154	12,10,338
2.	मारवाड़ जंक्शन	142	116	28	14,17,325	10,50,276
3.	देसरी	149	74	75	12,09,613	7,41,096
	योग :	419	276	143	43,86,092	30,01,710

भाग (2) से सम्बन्धित सूचना

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	वर्ष	प्रधान द्वारा सरकारी कार्य से जीप द्वारा किये गये दौरों का विवरण		विकास अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य से जीप द्वारा किये गये दौरों का विवरण		प्रधान व विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किये गये दौरों का विवरण	
			दौरा दिनों की संख्या	किलोमीटर	दौरा दिनों की संख्या	किलोमीटर	दौरे के दिनों की संख्या	किलोमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कशोरायपाटन	1981-82	5	375	28	2780	—	47,074
		1982-83	50	5531	55	5975	—	—
		1983-84	77	9473	58	7173	—	—
2.	हिण्डोली	1981-82	13	382	164	3625	—	—
		1982-83	41	2559	130	9212	—	—
		1983-84	10	639	177	2718	—	—
3.	तालेड़ा	1981-82	65	5967	125	10716	—	—
		1982-83	38	3709	176	17391	—	—
		1983-84	5	707	35	3636	—	—
4.	नैनवा	1981-82	—	—	—	—	—	—
		1982-83	46	3434	54	4140	52	4,633
		1983-84	46	3393	82	7066	34	3,424

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 247 से संबंधित सूची

पंचायत समिति—नागौर

वर्ष	ग्राम का नाम	संख्या
1	2	3
1981–82	ताऊसर	20
	रामसिया	8
	गगवाना	21
	सूरजनियावास	4
	वासनी	1
	कुमारी	14
	श्री बालाजी	66
	योग :	134
1982-83	बापोड़	9
	फादरपुरा	4
	निम्बोला	7
	कुमारी	20
	योग :	40

1	2	3
1983–84	गुढ़ाभगवानदास	7
	तीतरी	2
	चाऊ	5
	रायधनु	3
	सिगड़	3
	सथेरण	7
	रोहिणी	8
	फागली	1
	अममदपुरा	14
	योग :	50

पंचायत समिति मूंडवा (वर्ष 80-81 से 83-84 तक)

क्र०सं०	ग्राम का नाम	मकानों की संख्या
1.	पालड़ी जोधा	24
2.	मुन्दियाड़	33
3.	असावरी	71
4.	शीलगांव	18
5.	खजवाना	10
6.	जनाणा	5
7.	गवाल	18
8.	खरनाल	5
9.	पालड़ी व्यासा	3
10.	रूण	8
11.	भाकरोद	1
12.	चितरणी	1
13.	संखवास	1
14.	बलाया	5
15.	पाचला सिद्धा	25
	योग :	228

पंचायत समिति नागौर के उन व्यक्तियों की सूची जिनको वर्ष 81-82 में भवन पूर्ण होने पर अनुदान दिया गया

क्रमांक 1	नाम मय पिता का नाम 2	जाति 3	नाम ग्राम 4	अनुदान राशि 5
1.	श्री दयाराम/मगाराम	भांबी	ताऊसर	750/–
2.	श्री इमरताराम/पुरखाराम	मेघवाल	,,	750/–
3.	श्री छगनाराम/उदाराम	,,	,,	750/–
4.	श्री भूराराम/बनाराम	,,	,,	750/–
5.	श्री दानाराम/छगनाराम	भामी	,,	750/–
6.	श्रीमती सुगनाबाई/मालाराम	,,	,,	750/–
7.	श्री दौलाराम/जयराम	,,	,,	750/–
8.	श्री त्रिलोकराम/रामनाथ	,,	,,	750/–
9.	श्री भोलाराम/चौथूराम	माली	,,	750/–
10.	श्री हंसराज/पुसाराम	,,	,,	750/–
11.	श्री मोती/गणेशजी	,,	,,	750/–
12.	श्री आशाराम/कानाराम	गूजर	,,	750/–
13.	श्री केशाराम/कानाराम	,,	,,	750/–
14.	श्री अमरराम/रामचन्द्र	भामी	,,	750/–
15.	श्री सुगनाराम/नाथूराम	,,	,,	750/–
16.	श्री प्रतापराम/हजारीराम	मेघवाल	,,	750/–
17.	श्री बाबूलाल/जोरूराम	,,	,,	750/–
18.	श्री सजकी/खियाराम	,,	,,	750/–
19.	श्री रेखाराम/हीराराम	,,	,,	750/–
20.	श्री बाबूलाल/मंगलाराम	,,	,,	750/–
21.	श्री सून्डाराम/मोहनराम	भामी	रामसिया	750/–
22.	श्री मादाराम/धुलाराम	,,	,,	750/–
23.	श्री गोरखराम/पांचाराम	,,	,,	750/–
24.	श्री खुमाराम/बुद्धाराम	,,	,,	750/–

1	2	3	4	5
25.	श्री चेवरराम/छगनाराम	भामी	रामसिया	750/–
26.	श्री कीजराराम/चुन्वाराम	,,	,,	750/–
27.	श्री मन्छाराम/दयालराम	,,	,,	750/–
28.	श्री छगनाराम/हरजीराम	,,	,,	750/–
29.	श्री देवाराम/पुनाराम	हरिजन	गंगवावर	750/–
30.	श्री जगराम/बाबूराम	,,	,,	750/–
31.	श्री छोगाराम/चुनाराम	भामी	,,	750/–
32.	श्री रामधन/नैनाराम	,,	,,	750/–
33.	श्री घीसाराम/चैनाराम	,,	,,	750/–
34.	श्री चन्द्राराम/सावलराम	,,	,,	750/–
35.	श्री सुगनाराम/सावलराम	,,	,,	750/–
36.	श्री मालूराम/अन्नाराम	,,	,,	750/–
37.	श्री हरजीराम/चन्द्राराम	,,	,,	750/–
38.	श्री रामप्रसाद/गोपालराम	,,	,,	750/–
39.	श्री परनाम/पदमाराम	,,	,,	750/–
40.	श्री विजाराम/पदमाराम	,,	,,	750/–
41.	श्री गौरी शंकर/भोपालराम	,,	,,	750/–
42.	श्री टीकूराम/चैलाराम	,,	,,	750/–
43.	श्री रामचन्द्र/बंशीराम	,,	,,	750/–
44.	श्री हरदीनराम/गोमन्दराम	,,	,,	750/–
45.	श्री बीजाराम/मानाराम	,,	,,	750/–
46.	श्री हरीराम/सावलराम	,,	,,	750/–
47.	श्री घीसाराम/नैनाराम	,,	,,	750/–
48.	श्री नत्थूराम/नैनूराम	,,	,,	750/–
49.	श्री भूसीराम/सावलराम	,,	,,	750/–
50.	श्री आत्माराम/रेखाराम	हरिजन	सुरजनियावास	750/–
51.	श्री महावीरप्रसाद/रेखाराम	,,	,,	750/–

Page No 236

1	2	3	4	5
52.	श्री रेखाराम/दूलाराम	हरिजन	सुरजनियावास	750/–
53.	श्री तुलछाराम/जेठाराम	मेघवाल	,,	750/–
54.	श्री गुलाममुस्तफा/इब्राहीम	मुसलमान	वासनी	750/–
55.	श्री पुनाराम/मोटाराम	नायक	कुमारी	750/–
56.	श्री चेतनराम/मोटाराम	,,	,,	750/–
57.	श्री छोटाराम/नाथाराम	,,	,,	750/–
58.	श्री जगमाल/रूपाराम	भामी	,,	750/–
59.	श्री बन्सीलाल/छगनाराम	नायक	,,	750/–
60.	श्री भीमाराम/छगनाराम	,,	,,	750/--
61.	श्रीमती मीखली/दुदाराम	नायक	कुमारी	750/–
62.	श्री बालूराम/चन्दाराम	,,	,,	750/–
63.	,, मागूराम/पुसाराम	,,	,,	750/–
64.	,, तुलछाराम/दयालराम	भामी	,,	750/–
65.	,, मांगीया/दयाला		,,	750/-
66.	,, पूनाराम/घुडाराम	,,	,,	750/-
67.	,, मंगलाराम/जयराम	,,	,,	750/-
68.	,, रामपाल/जयराम	,,	,,	750/-
69.	,, रामूराम/सुखाराम	मेघवाल	श्रीबालाजी	750/-
70.	,, दूदाराम/दयालाराम	,,	,,	750/-
71.	गुणाराम/भूराराम	,,	,,	75/-
72.	,, भीमाराम/परताराम	,,	,,	750/-
73.	,, भीखाराम/पन्नाराम	,,	,,	750/-
74.	,, हुकमाराम/कानाराम	,,	,,	750/-
75.	,, रामूराम/जग्गूराम	,,	,,	750/-
76.	,, भीखाराम/मुकनाराम	,,	,,	750/-
77.	,, गोपालराम/भैराराम	,,	,,	750/-
78.	,, हरकाराम/कानाराम	,,	,,	750/-
79.	,, सैनाराम/पन्नाराम	,,	,,	750/-
80.	,, देवाराम/मंगनाराम	,,	,,	750/-

1	2	3	4	5
81.	श्री हरसुखराम/दुलाराम	मेघवाल	श्री बालाजी	750/-
82.	,, घडाराम/जेठाराम	,,	,,	750/-
83.	,, शिवलाल/रेवतराम	,,	,,	750/-
84.	,, धन्नाराम/बुद्धाराम	हरिजन	,,	750/-
85.	,, चन्दाराम/तुलछाराम	नायक	,,	750/-
86.	,, रूघनाथ/गुलाबाराम	,,	,,	750/-
87.	,, चैतनराम/मोडाराम	मेघवाल	,,	750/-
88.	,, लालाराम/मोडाराम	,,	,,	750/-
89.	,, रतनलाल/बागाराम	,,	,,	750/-
90.	,, जैठाराम/नवलाराम	,,	,,	750/-
91.	,, रामूराम/जेठाराम	,,	,,	750/-
92.	,, तेजाराम/जग्गूराम	,,	,,	750/-
93.	,, भीरमाराम/गोपाराम	,,	,,	750/-
94.	,, तुलछाराम/मोहनराम	मेघवाल	श्री बालाजी	750/-
95.	,, रुघाराम/हरसुखराम	गुरडा	,,	750/-
96.	,, बीजाराम/लालूराम	मेघवाल	,,	750/-
97.	,, रामूराम/भैराराम	,,	,,	750/-
98.	,, पूरणाराम/मूलाराम	,,	,,	750/-
99.	,, रामूराम/नवलाराम	,,	,,	750/-
100.	,, तुलछाराम/नवलाराम	,,	,,	750/-
101.	,, लिखमाराम/शंकरराम	,,	,,	750/-
102.	,, गणेशराम/राजूराम	नायक	,,	750/-
103.	,, वल्लूराम/पन्नाराम	मेघवाल	,,	750/-
104.	,, दीपाराम/नवलाराम	नायक	,,	750/-
105.	,, परमाराम/नानूराम	मेघवाल	,,	750/-
106.	,, ईसरराम/दयालराम	,,	,,	750/-
107.	,, दुलाराम/किसनाराम	,,	,,	750/-
108.	,, सुगनाराम/जीवनराम	सांसी	,,	750/-
109.	,, अमीरराम/जीवनराम	,,	,,	750/-

Page No 238

1	2	3	4	5
110.	श्री थागोराम/गणेशराम	मेघवाल	श्री बालाजी	750/-
111.	,, देवाराम/सीदाराम	,,	,,	750/-
112.	,, लिछमाराम/सीमरथाराम	,,	,,	750/-
113.	,, अर्जुनराम/रामूराम	,,	,,	750/-
114.	,, भूराराम/आमाराम	,,	,,	750/-
115.	,, केसाराम/अखाराम	,,	,,	750/-
116.	,, हेमराम/लालूराम	,,	,,	750/-
117.	,, मेघाराम/चैनराम	,,	,,	750/-
118.	,, पन्नाराम/भीयाराम	,,	,,	750/-
119.	,, चेतनराम/भयाराम	,,	,,	750/-
120.	,, जेकूराम/खेराजराम	,,	,,	750/-
121.	,, हरजीराम/चन्दाराम	,,	,,	750/-
122.	,, मगाराम/सीवाराम	,,	,,	750/-
123.	,, केसरराम/ईसरराम	,,	,,	750/-
124.	,, खेराजराम/पताराम	,,	,,	750/-
125.	,, बंशीलाल/पाबूराम	,,	,,	7 0/-
126.	,, नीम्बाराम/भगवानाराम	,,	,,	750/-
127.	,, गणपतराम/मताराम	मेघवाल	,,	750/-
128.	,, उदाराम/मालाराम	,,	,,	750/-
129.	,, मालाराम/सावताराम	,,	,,	750/-
130.	,, मोहनराम/परताराम	,,	,,	750/-
131.	,, नानगराम/अखाराम	,,	,,	750/-
132.	,, भीमाराम/लादूराम	,,	,,	750/-
133.	,, देवाराम/गोरूराम	,,	,,	750/-
134.	,, धर्माराम/दुलाराम	,,	,,	750/-
			योग	1,00,500/-

पंचायत समिति नागौर के उन व्यक्तियों की सूची जिनको वर्ष 82-83 में भवन पूर्ण होने पर अनुदान दिया गया

क्रमांक 1	नाम मय पिता का नाम 2	जाति 3	नाम ग्राम 4	अनुदान राशि 5
1.	श्री मोहनराम/श्री राम	नायक	वापोड	750/-
2.	,, गोमदराम/श्री राम	,,	,,	750/-
3.	,, रामदेव/गोरधन	मेघवाल	,,	750/-
4.	,, पूनाराम/पेमाराम	नायक	,,	750/-
5.	,, भैंरारम/अन्नाराम	,,	,,	750/-
6.	,, पूनाराम/जवताराम	,,	,,	750/-
7.	,, शंकरलाल/पिमाराम	,,	,,	750/-
8.	,, लालाराम/अजाराम	,,	,,	750/:
9.	,, बालाराम/जवताराम	,,	,,	750/-
10.	,, प्रहलाराम/रामचन्दर	हरिजन	कादरपुरा	750/-
11.	,, आमुराम/रामचन्दर	,,	,,	750/-
12.	,, बिरमाराम/हरिराम	,,	,,	750/-
13.	श्रीमती सिनगारी/सोनाराम	मेघवाल	,,	750/-
14.	श्री निम्बाराम/तुलछाराम	नायक	निम्बोला	750/-
15.	,, वस्तीराम/तुलछाराम	,,	,,	750/-
16.	,, मोतीराम/छोगाराम	,,	,,	750/-
17	,, सुरजाराम/पेमाराम	,,	,,	750/-
18.	,, लालाराम/सादुलराम	,,	,,	750/-
19.	,, छेलाराम/मोहनराम	ढोली	,,	750/-
20:	,, शंकरराम/पूनाराम	नायक	,,	750/-
21	,, मागूराम/किसनाराम	,,	कुमारी	750/-
22.	,, शंकरराम/किसनाराम	,,	,,	750/-
23.	,, देवाराम/गणेश	भामी	,,	750/-
24	श्रीमती नाडी/झूमरराम	नायक	,,	750/-
25.	श्री जगपाल/बक्साराम	भामी	,,	750/-
26.	,, बाबूलाल/मागूलाल	,,	,,	750/-

Page No 240

1	2	3	4	5
27.	श्री आसूलाल/दयालराम	नायक	कुमारी	750/-
28.	,, शंकरलाल/पुरखाराम	,,	,,	750/-
29.	,, मंगलराम/पुरखाराम	,,	,,	750/-
30.	,, जोगाराम/पूसाराम	नायक	,,	750/-
31,	,, कालूराम/पदमाराम	,,	,,	750/-
32.	,, मगूराम/खुमाराम	,,	,,	750/-
33.	,, चन्द्राराम/खुमाराम	,,	,,	750/-
34.	श्रीमती फेफी/दयालराम	,,	,,	750/-
35.	श्री पाचाराम/तुलछाराम	,,	,,	750/-
36.	,, मालाराम/दयालाराम	,,	,,	750/-
37.	,, छोटूरामा/दयालाराम	,,	,,	750/-
38.	,, हरीराम/दयालाराम	,,	,,	750/-
39.	,, बद्रीराम/दयाला	,,	,,	750/
40.	,, करमाराम/जवाहरराम	,,	,,	750/-
			योग	30,000/-

पंचायत समिति नागौर के उन व्यक्तियों की सूची जिनकी वर्ष 83–84 में भवन पूर्ण होने पर अनुदान दिया गया

1.	श्री हेमाराम/लूणाराम	खटीक	गूढ़ाभगवानदास	750/-
2.	,, मोहनराम/नवलाराम	मेघवाल	,,	750/-
3.	,, जमनाराम/चतुराराम	,,	,,	750/-
4.	,, गोमदराम/किसनाराम	,,	,,	750/-
5.	,, रामपाल/कालूराम	,,	,,	750/-
6.	,, मैनाराम/भीखाराम	खटीक	,,	750/-
7.	,, जोगाराम/फताराम	मेघवाल	,,	750/-

1	2	3	4	5
8.	श्री लूणाराम/संगराराम	नायक	तीतरी	750/-
9.	,, मोडाराम/दूलाराम	मेघवाल	,,	750/-
10.	,, अखाराम/नानूराम	नायक	घाऊ	750/-
11.	,, पन्नाराम/कानाराम	,,	,,	850/-
12.	,, जेठाराम/सेराराम	,,	,,	750/-
13.	,, रामूराम/भोलाराम	सागरा	,,	750/-
14.	,, खुमाराम/कानाराम	नायक	,,	750/-
15.	,, वीरमदास/हरीदास	मेघवाल	रायधनु	750/-
16.	,, सोहनराम/रामचन्द्र	गरूडा	,,	750/-
17.	,, सहीराम/रामचन्द्र	,,	,,	750/-
18.	,, पुरखाराम/नाथाराम	जाट	सिगड	750/-
19.	,, रिदाराम/गणेशराम	मेघवाल	,,	750/-
20.	,, पुरखाराम/हरकाराम	,,	,,	750/-
21.	,, सोहनलाल/बलदेवराम	हरिजन	सथेरन	750/-
22.	,, रामूराम/जग्गूराम	मेघवाल	,,	750/-
23.	,, मानाराम/जग्गूराम	,,	,,	750/-
24.	,, मांगीलाल/जग्गूराम	,,	,,	750/-
25.	,, वेसाराम/उमाराम	,,	,,	750/-
26.	,, अन्नाराम/जग्गूराम	,,	,,	750/-
27.	,, तेजाराम/उमाराम	,,	,,	750/-
28.	,, पूनमचन्द/चूनाराम	हरिजन	रोहणी	750/-
29.	श्रीमती पतासी/हीराराम	,,	,,	750/-
30.	श्री गणेशराम/कुम्भाराम	,,	,,	750/-
31.	,, लिखमाराम/हीराराम	हरिजन	रोहिणी	750/-
32.	,, मांगीलाल बीवाराम	,,	,,	750/-
33.	,, चुन्नीलाल/छगनाराम	,,	,,	750/-
34.	श्रीमती भोंवरी देवी/मन्साराम	,,	,,	750/-
35.	श्री बीजाराम/हीराराम	,,	,,	750/-
36.	,, शंकरराम/मूलाराम	,,	फागली	750/-

(शेष देने हैं)

1	2	3	4		5
37.	श्री श्रीराम/भेरूराम	नायक	अहमदपुरा		750/- (शेष देने हैं)
38.	,, जगराम/श्रीराम	,,	,,	750/-	(शेष देने हैं)
39.	,, उम्मेदरा/तीताराम	,,	,,	750/-	,,
40.	,, राधाकिसना/उम्मेदराम	,,	,,	750/-	,,
41.	,, नाथाराम/तीताराम	,,	,,	750/-	,,
42.	,, दुलाराम/नाथा	,,	,,	750/-	,,
43.	,, राजू/नाथा	,,	,,	750/-	,,
44.	,, खेराज/शिवकरण	,,	,,	750/-	,,
45.	,, कोजाराम/गणेशराम	हरिजन	,,	750/-	,,
46.	,, नारायाण/गणेश	,,	,,	750/-	,,
47.	,, चन्द्रा/गणेशराम	,,	,,	750/-	,,
48.	,, भंवरलाल/चन्द्रा	,,	,,	750/-	,,
49.	,, प्रहलाद/चन्द्रा	,,	,,	750/-	,,
50.	,, बंगूराम/रामपाल	,,	,,	750/-	,,
			योग	37,500/-	
			देने शेष	11,250/-	
			कुल भुगतान	26,250/-	

पंचायत समिति मूडदा (वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक)

क्र.सं.	नाम मय जाति	ग्राम का नाम	अनुदान राशि	भवन निर्माण किया या नहीं
1	2	3	4	5
1.	श्री मोहनराम पुत्र श्री पूनाराम लवार	असावरी	750/-	भवन निर्माण किया
2.	श्रीमती जानकी पत्नी श्री पोकरराम	,,	750/-	,,

Page No 243

1	2	3	4	5
3.	श्री प्रह्लादराम पुत्र रामदीन बावरी	असावरी	750/-	भवन निर्माण किया
4.	,, रामदीन ,, धुलाराम बावरी	,,	750/-	,,
5.	,, सुगनाराम ,, रामदीन बावरी	,,	750/-	,,
6.	,, मन्छाराम ,, रामदयाल बावरी	,,	750/-	,,
7.	,, बाबूलाल ,, पुनाराम लवार	,,	750/-	,,
8.	,, घेवरराम ,, पुनाराम लवार	,,	750/-	,,
9.	,, पुनाराम ,, चीमाराम लवार	,,	750/-	,,
10.	,, रामविलास ,, सीताराम जाट	जनाणा	750/-	,,
11.	,, सीताराम ,, मोहनराम भांबी	,,	750/-	,,
12.	,, हरसुख ,, रत्नाराम भांबी	,,	750/-	,,
13.	,, भंवरलाल ,, रामपाल जाट	,,	750/-	,,
14.	,, श्रीमल ,, पोकर कांजर	शीलगांव	750/-	,,
15.	,, रामदीन ,, चूना मेघवाल	जालू	750/-	,,
16.	,, शैतान ,, चतूराम मेघवाल	,,	750/-	,,
17.	,, नृसिंह ,, त्रिलोक मेघवाल	,,	750/-	,,
18.	,, मनोहर ,, तिलोक मेघवाल	,,	750/-	,,
19.	,, शिम्भूराम ,, मोहनराम मेघवाल	जमाणा	750/-	,,
20.	,, लादूराम ,, मोडाराम लवार	असावरी	750/-	,,
21.	,, देवराम ,, शिवनाथ बावरी	,,	750/-	,,
22.	,, अमराराम ,, अर्जुनराम लवार	,,	750/-	,,
23.	,, बीजाराम ,, चुतरानाम मेघवाल	गवासू	750/-	,,
24.	,, कालूराम ,, झुमरराम मेघवाल	,,	750/-	,,
25.	,, नृसिंहराम ,, धूलाराम भावरी	असावरी	750/-	,,
26.	,, रूपाराम ,, रामसुख सरगरा	मून्दियाड़	750/-	,,
27.	,, आईदान ,, बीरमराज बावरी	,,	750/-	,,
28.	,, हरसुखराम ,, वगसाराम बावरी	,,	750/-	,,
29.	,, मदनराम/रामबक्स भांबी	खरनाल	750/-	मकान निर्माण किया
30.	,, रत्नाराम/धन्नाराम हरिजन	,,	750/-	,,

1	2	3	4	5
31.	श्री हंसराज पुत्र चिमनाराम हरिजन	शीलगांव	750/-	मकान निर्माण किया
32.	,, शंकरराम ,, रामसुख हरीजन	,,	750/-	,,
33.	श्रीमती सिणगारी पत्नी हजारी कांजर	,,	750/-	,,
34.	श्री बींजा पुत्र हजारी कांजर	,,	750/-	,,
35.	,, चिमनाराम ,, केसाराम हरिजन	,,	750/-	,,
36.	,, साबूदीन ,, ईस्माइल लवार	पालड़ी व्यासा	750/-	,,
37.	,, जीवनराम ,, किशनाराम ढोली	खरनाल	750/-	,,
38.	,, नृसिंहराम ,, भूराराम लवार	,,	750/-	,,
39.	,, मोहनराम ,, बगसाराम बावरी	मून्दियाड	750/-	,,
40.	,, रामसुख ,, होलाराम जाट	,,	750/-	,,
41.	,, बद्रीराम ,, किसनाराम ढोली	खरनाल	650/-	,,
42.	,, किसनाराम ,, गोपालराम भांबी	पालडी व्यास	750/-	,,
43.	,, मईनूदीन ,, शमशूदीन लवार	,,	750/-	,,
44.	,, नैनाराम ,, पूसाराम ढोली	मून्दियाड़	750/-	,,
45.	,, लादूराम ,, फूलाराम ढोली	,,	750/-	,,
46.	,, परसाराम ,, बीरमराम बावरी	,,	750/-	,,
47.	,, भैरूंराम ,, चुतराराम बावरी	,,	750/-	,,
48.	श्रीमती गजरी पत्नि बुधाराम बावरी	,,	750/-	,,
49.	श्री भँवरलाल पुत्र रूपाराम सरगरा	,,	750/-	,,
50.	,, सुल्तानाराम ,, बस्तीराम हरिजन	गवासू	750/-	,,
51.	,, बीजाराम ,, चन्द्राराम हरिजन	,,	750/-	,,
52.	,, बन्नी ,, मलाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
53.	,, उरजाराम ,, मनरूप मेघवाल	,,	750/-	,,
54.	,, शिवलाल ,, भीकाराम हरिजन	खजवाना	750/-	,,
55.	,, गुदडाराम ,, बसी मेघवाल	गवासू	750/-	,,
56.	,, सोहनलाल ,, आसूराम हरिजन	खजवाना	750/-	,,
57.	,, ताराचन्द ,, सीताराम हरिजन	गवालू	750/-	,,

1	2	3	4	5
58.	श्री भीखाराम पुत्र झूमरराम हरिजन	खजवाना	750/-	मकान निर्माण किया
59.	,, गणपतराम ,, झूमरराम हरिजन	,,	750/-	,,
60.	,, मीसाराम ,, सुखाराम बावरी	,,	750/-	,,
61	,, सम्पतराज ,, बस्तीराम हरिजन	गवालू	750/-	,,
62.	,, मदनलाल ,, रामदीन हरिजन	,,	750/-	,,
63.	श्रीमती बस्तूडी पत्नी झूमर हरिजन	रूण	750/-	,,
64.	श्री प्रहलादराम पुत्र मदनराम हरिजन	खजवाना	750/-	,,
65.	,, मांगीलाल ,, लालू हरिजन	रूणा	750/-	,,
66.	,, राधाकिशन ,, गणेश हरिजन	,,	750/-	,,
67.	,, हरदेव ,, मोडा हरिजन	,,	750/-	,,
98.	,, सूडी ,, रामदीन हरिजन	,,	750/-	,,
69.	,, नत्थू ,, धूला हरिजन	,,	750/-	,,
70.	,, मडाराम ,, गणेशराम मेघवाल	गवालू	750/-	,,
71.	,, मदरूप ,, पदमा मेघवाल	गवालू	750/-	,,
72.	,, माणकलाल ,, मूकनाराम हरिजन	खजवाना	750/-	,,
73.	,, आसूराम ,, रामलाल हरिजन	खजवाना	750/-	,,
74.	श्रीमती मेनकी पत्नी घासी हरिजन	रूण	750/-	,,
75.	,, सुन्दरी पत्नी हाथी हरिजन	रूण	750/-	,,
76.	श्री जवरीलाल पुत्र मूकनारा हरिजन	खजवाना	750/-	,,
77.	,, मांगीलाल ,, घमंडाराम कुम्हार	भांकरोट	750/-	,,
78.	,, कालूराम ,, खाजूराम हरिजन	पालडी जोधा	750/-	,,
79.	,, बद्रीराम ,, उम्मेदाराम भांबी	,,	750/-	,,
80.	श्रीमती गोरी पत्नी गेवरराम मेघवाल	पाचसा सिटा	750/-	,,
81.	श्री गोपालराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल	,,	750/-	,,
82.	,, मालाराम ,, भेंराराम मेघवाल	,,	750/-	,,
83.	,, भंवरराम ,, चन्दाराम नायक	चिताणी	750/-	,,

Page No 246

1	2	3	4	5
84.	श्री भंवलाल पुत्र गोपाराम लुहार	असावरी	750/-	मकान निर्माण किया
85.	,, पूनाराम ,, बीजाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
86.	,, लालू ,, मोडाराम लवार	,,	750/-	,,
87.	,, मदनराम ,, मोहनराम बावरी	,,	750/-	,,
88.	,, जीवनराम ,, सालूराम भांबी	,,	750/-	,,
89.	,, कबूराम ,, शिवनाथ बावरी	,,	750/-	,,
90.	,, बलदेवराम ,, रामदयाल बावरी	,,	750/-	,,
91.	,, अमराराम ,, चनणाराम बावरी	,,	750/-	,,
92.	,, उम्मेदराम ,, रामदयाल	,,	750/-	,,
93.	,, मोहनराम ,, जवाहर ढोली	,,	750/-	,,
94.	,, हरिसिंह ,, सोहनसिंह राजपूत	असावरी	750/-	,,
95.	,, लालू ,, जवाहर ढोली	,,	750/-	,,
96.	,, भरतसिंह ,, झीमरसिंह दरोगा	,,	750/-	,,
97.	,, कबूराम ,, पुसाराम हरिजन	,,	750/-	,,
98.	श्रीमती हीरी पत्नी बुधाराम भांबी	,,	750/-	,,
99.	श्री हरिराम पुत्र मीसूराम ढोली	असावरी	750/-	,,
100.	,, मंगलाराम ,, मोतीराम भांबी	,,	750/-	,,
101.	,, शिवदानसिंह ,, विजयसिंह राजपूत	,,	750/-	,,
102.	श्री अन्नाराम ,, जवाहर बावरी	,,	750/-	,,
103.	श्री बंगसाराम ,, गंगाराम लवार	,,	750/-	,,
104.	श्री जयराम ,, जवाहर बावरी	,,	750/-	,,
105.	श्री चेतनराम ,, मोहनराम बावरी	,,	750/-	,,
106.	श्री जोगाराम ,, अर्जुनराम लवार	,,	750/-	,,
107.	श्री गोपाराम ,, मोडाराम लवार	,,	750/-	,,
108.	श्री गंगाराम ,, लिछमाराम लवार	,,	750/-	,,
109.	श्री पेमाराम ,, वालूराम मेघवाल	,,	750/-	,,
110.	श्री उरजाराम ,, रामूराम मेघवाल	,,	750/-	,,

Page No 247

1	2	3	4	5
111.	श्री पांचाराम पुत्र नाराराम बावरी	असावरी	750/-	मकान निर्माण किया
112.	श्री बद्रीराम ,, सालूराम भांबी	,,	750/-	,,
113.	श्री तेजाराम ,, हरदेवराम भांबी	,,	750/-	,,
114.	श्री बिचवगिरी ,, विरदगिरी गोसाई	,,	750/-	,,
115.	श्री मंसाराम ,, अमरराम बावरी	,,	750/-	,,
116.	श्री पूरांराम ,, श्रीराम बावरी	,,	750/-	,,
117.	श्री मंगाराम ,, अन्नाराम बावरी	,,	750/-	,,
118.	श्री जोगाराम ,, अन्नाराम बावरी	,,	750/-	,,
119.	श्री चेलाराम ,, मोतीराम भांबी	,,	750/-	,,
120.	श्री झूमरराम ,, बीजाराम भांबी	,,	750/-	,,
121.	श्री छोगाराम ,, सालगराम नायक	,,	750/-	,,
122.	श्री सीताराम ,, अमरराम बावरी	,,	750/-	,,
123.	श्री रामनिवास ,, मंगलाराम जाट	,,	750/-	,,
124.	श्री गणपतराम ,, अमरराम बावरी	,,	750/-	,,
125.	श्रीमती लाडूडी पत्नी कानाराम नायक	,,	750/-	,,
126.	श्री जीजाराम पुत्र मलाराम मेघवाल	पाचलसिहा	750/-	,,
127.	श्री जीयाराम ,, जोगाराम हरिजन	,,	750/-	,,
128.	श्रीमती रमा पत्नी लादू मेघवाल	,,	750/-	,,
129.	श्री जोगाराम पुत्र हनुमताराम हरिजन	,,	750/-	,,
130.	श्री रेवन्तराम ,, जोगाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
131.	श्री सूरजाराम ,, जोधाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
132.	श्री केवलराम ,, बल्लूराम मेघवाल	,,	750/-	,,
133.	श्री दीपाराम ,, जोगाराम हरिजन	,,	750/-	,,
134.	श्रीमती तीजा पत्नी नारायण मेघवाल	,,	750/-	,,
135.	श्रीमती कवराई पत्नी रूपाराम	,,	750/-	,,
136.	श्री मूलाराम पुत्र गिरधारीराम	,,	750/-	,,
137.	श्री केवलराम ,, मूलाराम मेघवाल	,,	750/-	,,

1	2	3	4	5
138.	श्री रामलाल पुत्र पूनाराम मेघवाल	पाचलसिंहा	750/-	मकान निर्माण किया
139.	श्री पोकरराम ,, जोगाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
140.	श्री डालूराम ,, बिरधाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
141.	श्री निबाराम ,, जोगाराम हरिजन	,,	750/-	,,
142.	श्री किरताराम ,, भैराराम मेघवाल	,,	750/-	,,
143.	श्रीमती सूण्डी पत्नी पूनाराम मेघवाल	,,	759/-	,,
144.	श्री बीजाराम पुत्र बालूराम मेघवाल	,,	750/-	,,
145.	श्री भैराराम ,, उदाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
146.	श्री देराजराम ,, धूडाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
147.	श्री चान्दी ,, कुम्भाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
148.	श्री ग्यारसी ,, बीजाराम भांबी	गवासू	750/-	,,
149.	श्री बस्तीराम ,, रूगाराम हरिजन	,,	750/-	,,
150.	श्री सागरराम ,, रानूराम राव	शीलगांव	750/-	,,
151.	श्री गिल ,, शंकरलाल ब्राह्मण	,,	750/-	,,
152.	श्री भंवरराम ,, कालूराम ढोली	,,	750/-	,,
153.	श्रीमती जेतूनी पत्नी अमीरदीन लुहार	,,	750/-	,,
154	श्री हरीराम पुत्र धन्नाराम बावरी	खजवाना	750/-	,,
155.	श्री वीरमराम ,, जीमाराम राईका	मून्दियाड़	750/-	,,
156.	श्री लिछमणराम ,, खींचाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
157.	श्री मांगीलाल ,, आईदानराम लवार	,,	750/-	,,
158.	श्री मदन ,, खेताराम जाट	,,	750/-	,,
159.	श्री भंवरलाल ,, हनुमानराम भांबी	मून्दियाड	750/-	,,
160.	श्री मोहनसिं ,, हजसवन्तसिंह राजपूत	,,	750/-	,,
161.	श्री कोजाराम ,, बगसाराम मेघवाल	,,	750/-	,,
162.	श्री मेहराम ,, हजारी भांबी	,,	750/-	,,
163.	श्री मिसाराम ,, बीजाराम भांबी	,,	750/-	,,
164.	श्री जीवनपुरी ,, मूलापुरी भांबी	,,	750/-	,,

1	2	3	4	5
165.	श्री मांगूपुरी पुत्र नारायणपुरी	मून्दियाड़	750/-	मकान निर्माण किया
166.	श्री परसाराम ,, जोगाराम भांबी	,,	750/-	,,
167.	श्री टीकूराम ,, नारायणराम भांबी	,,	750/-	,,
168.	श्री छोटू खां ,, गफूर खां साई	,,	750/-	,,
169.	श्री सतनारायण ,, बंसी ढोली	,,	750/-	,,
170.	श्री रामूराम ,, श्रीराम जाट	,,	750/-	,,
171.	श्री जालराम ,, पूनाराम भांबी	,,	750/-	,,
172.	श्री नृसिंहराम ,, पेमाराम भांबी	,,	750/-	,,
173.	श्री गोरधनराम ,, फुसाराम ढोली	,,	750/-	,,
174.	श्री किशनाराम ,, जोगाराम भांबी	असावरी	750/-	,,
175.	श्री चान्द खां ,, हुसैन खां तेली	,,	750/-	,,
176.	श्री अर्जुनराम ,, उमाराम भांबी	,,	750/-	,,
177.	श्री भैराराम ,, खेताराम भांबी	,,	750/-	,,
178.	श्री मांगीलाल ,, मुगनाराम भांबी	,,	750/-	,,
179.	श्री चम्पालाल ,, भागराम भांबी	,,	750/-	,,
180.	श्री ओंकारराम ,, गोपालराम भांबी	,,	750/-	,,
182.	श्री जगदीश ,, नरसिंह बावरी	,,	750/-	,,
182.	श्री मानाराम ,, जयराम बावरी	,,	750/-	,,
183.	श्री फकीराराम ,, गोपालराम भांबी	,,	750/-	,,
184.	श्री मुल्तानराम ,, जयराम बावरी	,,	750/-	,,
185.	श्री चतराराम , उमाराम बावरी	,,	750/-	,,
186.	श्री मल्लाराम ,, गोवदराम नायक	,,	750/-	,,
187.	श्री छगनाराम ,, जयराम बावरी	,,	750/-	,,
188.	श्री जीवनराम ,, श्रीराम बावरी	,,	750/-	,,
189.	श्री मगनाराम ,, जयराम बावरी	,,	750/-	,,

जाँच रिपोर्ट की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, नागौर

सरपंच श्री बालाजी के विरुद्ध गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत 72 व्यक्तियों की स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता करने के सम्बन्धी जांच करने हेतु जिलाधीश महोदय नागौर द्वारा निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में मैंने आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन किया व सरपंच व शिकायतकर्ताओं को अपनी-अपनी शहादत पेश करने का अवसर दिया। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जाँच दो भागों में बांटा जा सकता है, (1) अनुदान स्वीकृति, (2) अनुदान का भुगतान।

(1) दिनांक 31-11-81 को जिलाधीश, नागौर द्वारा श्री बालाजी के 40 व्यक्तियों व 32 व्यक्तियों, कुल 72 व्यक्तियों का गरीब को छप्पर योजना के तहत अनुदान राशि मंजूर की गई।

यह अनुदान राशि इन 72 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत कर मंजूर की गई थी। यह सभी आवेदन पत्र ग्राम सेवक नत्थूलाल शर्मा एवं तत्कालीन सरपंच श्री जैकिशन तापड़िया व उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा द्वारा प्रमाणित किए गये थे। श्री रामूराम लखारा ने अपने बयान में बताया है कि श्री लिखमाराम, दुधाराम, ईशरराम, धुड़ाराम, तुलछाराम व बीजाराम रेलवे में नौकरी करते हैं व निश्चलाराम अध्यापक हैं। बालूराम पुत्र पन्नाराम स्कूल में पढ़ता है। श्री छोगाराम ने भी अपने बयानों में बताया है कि दुधाराम, ईशरराम, जो दयालराम के लड़के हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं व लिखमाराम पुत्र शंकरलाल, धुड़ाराम पुत्र जैसाराम, तुलछाराम पुत्र नवलाराम, पूर्णाराम, बींजाराम पुत्र लालूराम रेलवे में नौकरी करते हैं। ये सभी व्यक्ति 2-3 साल से ज्यादा समय से रेलवे में हैं। श्री निश्चलराम अध्यापक हैं। साथ ही इस गवाह ने यह बताया है कि पन्नाराम उसका काके के बेटे का भाई है जिसके बड़े लड़के का नाम खेमाराम है। बाकी लड़कों के नाम यह नहीं जानता। श्री पन्नाराम के लड़के बालूराम के भी 750/– रुपये मंजूर हुए हैं किन्तु यह गवाह इस व्यक्ति का नाम नहीं जानता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बालूराम यदि बालिग एवं अपने पिता से अलग होता तो उसका नाम न जानने का कोई कारण नहीं था। श्री खुणाराम मेघवाल ने भी अपने बयानों में लिखमाराम, दुधाराम, शिरराम, धुड़ाराम, तुलछाराम, पूर्णाराम, तीजाराम, (बीजाराम) पुत्र लालूराम दो साल से पूर्व रेलवे में नौकरी करते हैं। निश्चलराम मास्टर हैं एवं बालूराम पुत्र पनाराम मेघवाल स्कूल में पढ़ता है।

इस प्रकार तीन गवाहों ने अपने बयानों में श्री लिखमाराम पुत्र शंकरराम, दुधाराम पुत्र दयालराम, ईशरराम पुत्र श्री दयालराम, धुड़ाराम पुत्र जेठाराम, तुलछाराम पुत्र नवलाराम, पूर्णाराम पुत्र भूलाराम, तीजाराम पुत्र लूणाराम रेलवे में नौकरी करते हैं एवं श्री निश्चलराम पुत्र श्री दयालराम अध्यापक हैं। इन कुल 8 व्यक्ति, जो सरकारी नौकर हैं, के प्रार्थना पत्रों में श्री दुधाराम की वार्षिक आय 400/– रुपया, धुड़ाराम की वार्षिक आय 400/–रुपया, बीजाराम की 4000/– रुपया वार्षिक आय पूर्णाराम पुत्र मूलाराम की 2000/– रुपया वार्षिक (आय नौकरी, कृषि व मजदूरी) तुलछाराम पुत्र नवलाराम की कृषि व मजदूरी से 2000/– रुपया वार्षिक आय ईशरराम पुत्र दयालराम की 400/– रुपया वार्षिक आय, लिखमा राम की 3000/– रुपया वार्षिक आय नौकरी से, निश्चलराम की वार्षिक आय 400/-रुपया बताई गई है। इनमें से श्री तुलछाराम, पूर्णाराम, लिखमाराम व बीजाराम के प्रार्थना पत्रों पर सत्यापन तत्कालीन सरपंच श्री जमंकिशन तामड़िया द्वारा किया गया है एवं इनकी वार्षिक आय क्रमशः 2000/–रुपये, 2000/– रुपये/–, 3000/-रुपये व 4000/–रुपये दिखाई गई है। हालांकि इन व्यक्तियों की नौकरी से सही आय सत्यापित नहीं हो सकी है परन्तु इनकी वार्षिक आय इससे निश्चित तौर से ज्यादा है। इनके सभी के प्रार्थना पत्रों में मजदूरी या नौकरी आय का स्रोत बताया गया है किन्तु सरपच व ग्राम सेवक द्वारा आय सही सत्यापित नहीं की गई है जिसके लिए वे दोषी है। बाकी व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तत्कालीन उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा द्वारा तस्दीक किये गये हैं एवं इन सभी व्यक्तियों की आय 400/–रुपया वार्षिक आय दिखाई गई है। आय का स्रोत प्रार्थना पत्रों में नहीं बताया गया है। इस प्रकार तत्कालीन उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा ने श्री दूधाराम, ईशरराम, धूड़ाराम व निश्चलराम भी सरकारी नौकरी में होते हुए इनके प्रार्थना पत्रों में यह तथ्य छुपाया गया है एवं गलत आय अनुदान प्राप्त करने वास्ते प्रमाणित की गई है। इसके लिए तत्कालीन उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री नत्थूलाल शर्मा व उपरोक्त प्रार्थी अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु तथ्य छुपाने व गलत तथ्य प्रमाणित करने के दोषी हैं। इसी प्रकार यह भी गवाहों के बयानों से प्रमाणित है कि श्री बालूराम पुत्र पन्नालाल, जो एक स्कूली छात्र है उसका प्रार्थना पत्र भी तत्कालीन उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा, नत्थूलाल शर्मा ग्राम सेवक द्वारा गलत प्रमाणित किया गया है।

(2) **अनुदान विरणत**: जिलाधीश महोदय, नागौर द्वारा जो अनुदान स्वीकृत हुआ था उसमें अनुदान राशि विकास अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी करने के बाद करने एवं आर्थिक तौर से कमजोर होने पर मठोट तक मकान बनाए जाने के उपरान्त जी. सी. सी. इन अनुदान के के रूप में उपलब्ध कराई जाने के निर्देश थे। ग्राम श्री बालाजी में कुल 72 व्यक्तियों

को अनुदान स्वीकृत हुआ था। दिनांक 12-3-1982 को पंचायत समिति, नागौर द्वारा इन 72 व्यक्तियों के अनुदान की राशि सरपंच ग्राम पंचायत श्री बालाजी (श्री लक्ष्मीचंद शर्मा) को भुगतान की। विकास अधिकारी नागौर द्वारा सरपंच को यह राशि भुगतान करने से पूर्व कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया, जब कि स्वीकृति आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख था, इस प्रकार विकास अधिकारी नागौर ने नियमों के विपरीत एवं बगैर यह ध्यान दिए ही कि क्या अनुदान राशि के एवज में निर्माण कार्य किया जा चुका है, सरपंच ग्राम पंचायत को राशि भुगतान हेतु दे दी, इस मामले में इस हेतु तत्कालीन विकास अधिकारी, नागौर स्पष्टतः नियमों के उल्लघन के दोषी हैं।

शिकायतकर्ताओं ने जो शिकायत की थी उसमें कुछ व्यक्तियों का अनुदान राशि का बिलकुल भुगतान न करना एवं कुछ व्यक्तियों को अनुदान राशि का पूरा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था। सरपंच द्वारा कुल 66 व्यक्तियों को भुगतान किया गया व 6 व्यक्तियों को भुगतान न कर राशि पंचायत समिति में वापिस जमा कराई गई है। जिन छः व्यक्तियों की राशि पंचायत समिति में वापिस जमा कराई गई है वे सर्व श्री रामू राम, लिखमाराम पुत्र अर्जुनराम मेघवाल, श्री किशन पुत्र रामूराम, बाबूलाल पुत्र लिखमाराम, खींयाराम पुत्र मानाराम व निश्चलराम पुत्र दयालाराम। श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा सरपंच ने अपने बयानों में बताया है कि इन लोगों ने छप्पर नहीं बनाए थे इसलिए इनको भुगतान नहीं किया। बाकी 66 लोगों ने छप्पर बना दिए थे। बाकी 66 लोगों के छप्पर गांवों में नहीं हैं, ढाणियों में हैं दिखा सकता हूँ. आगे अपने बयानों में यह गवाह बताता है कि जिन लोगों को भुगतान किया उनके झोपड़े कब के बने हुए हैं, यह ध्यान हमने नहीं रखा, मैंने यह हिसाब नहीं रखा था कि झोपड़े कब के बने हुए हैं साथ ही इस गवाह ने यह भी कहा है कि जिन व्यक्तियों को (66) भुगतान किया, उनके झोपड़े, दो-दो साल पुराने भी हो सकते हैं। खींयाराम का भुगतान श्री बालाजी ने प्लाट (आवंटित) पर झोपड़ा न बनाने के कारण नहीं किया किन्तु ढाणी में उसने झोंपड़ा बनाया या नही यह इस गवाह को ध्यान नहीं। इस गवाह ने यह भी कहा है कि हमने यह पाबन्दी सही रखी कि बालाजी गांव में झोपड़ा बना हुआ है, उसको ही भुगतान करेंगे। इस प्रकार इस गवाह के बयानों में इतना विरोधाभास है कि जिससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरपंच ने अनुदान राशि के भुगतान हेतु कोई नियम नहीं अपनाया एवं जिन व्यक्तियों को भुगतान किया उन्होंने झोपड़े इस अनुदान राशि की स्वीकृति के बाद बनाए या नहीं, यह ध्यान नहीं रखा। जबकि जिन व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान नहीं किया गया, उन हेतु इस गवाह का कथन है कि उनको कोई झोपड़ा न बनाने के कारण भुगतान नहीं किया गया। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि मेरे को सरपंच द्वारा सिर्फ भीखाराम, चान्दाराम, रामूराम, तेजाराम व रामूराम पुत्र भेराराम के ही झोंपड़े दिखाये

गये बाकी झोंपड़े मुझे दिखाने सरपंच असमर्थ रहा। यह झोंपड़े भी कब के बने हुए हैं, पता नहीं लगता। निश्चित तौर से ये झोंपड़े अनुदान स्वीकृति आदेश के अनुसार निर्देशित नक्शे के अनुसार नहीं थे। श्री खींयाराम पुत्र मानाराम ने अपने बयानों में बताया है कि वो सरपच के पास पैसे लेने गया था किन्तु सरपंच ने उसे कहा कि आधे पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि खर्चा लगता है एवं आधे पैसे लेने से मैं इन्कार हो गया। रामूराम पुत्र अर्जुनराम ने भी अपने बयानों में यही कहा है कि सरपंच ने उसको आधे पैसे लेने बाबत कहा क्योंकि मेरे खर्चा लग गया है, लिखमाराम पुत्र अर्जुनराम ने अपने बयानों में बताया है कि सरपंच ने उससे आधे पैसे लेने बाबत कहा एवं कह कि मेरे खर्चा लग गया है। श्री हरिकिसन ने भी अपने बयानों में कहा है कि सरपंच ने उसको 400/– रुपये लेने बाबत कहा, जो उसने नहीं लिए। यह गवाह इस बाबत दूसरे लोगों को कहने हेतु भी कहता है। सरपंच स्वयं ने अपने बयानों में कहा है। श्री खींयाराम पुत्र कानाराम जो वार्ड पंच भी है एवं जिसने अपने बयानों में यह बताया है कि 66 व्यक्तियों को भुगतान करते समय वो मौजूद था, का अपने बयानों में कहना है कि 6 व्यक्तियों को भुगतान क्यों नहीं किया, उसे सरपंच ने नहीं बताया। इस गवाह को सरपंच ने यह नहीं कहा, उसे सरपंच ने नहीं बताया। इस गवाह को सरपच ने यह नहीं कहा कि जिन लोगों ने झोपड़े नहीं बनाये उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस गवाह का यह भी कहना है कि जिन 66 लोगों को भुगतान किया था उन्होंने झोपड़े बनाए या नहीं उसे मालूम नहीं। हालांकि इस संबंध में काफी गवाह दोनों तरफ से पेश हुए हैं किन्तु कोई तथ्यात्मक बात कोई गवाह नहीं कहता। किन्तु उपरोक्त गवाह एवं स्वयं सरपंच के बयानों एवं सरपंच द्वारा जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया, उनके झोंपड़े दिखाने में असमर्थता से यह बात स्पष्टतया साबित है कि सरपंच द्वारा 66 व्यक्तियों को भुगतान किया गया एवं 6 व्यक्तियों को भुगतान न करने का कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे इनको भुगतान नहीं किया जाता। हालांकि यह भी साबित है कि जिन 72 व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत हुआ उसमें से सिर्फ चार पांच आदमियों ने ही झोंपड़े या तो उस समय बनाए या पहले के बने हुए थे एवं यदि सही ढंग से भुगतान किया जाता तो सिर्फ कुछ ही व्यक्ति भुगतान के हकदार बनते। 6 व्यक्तियों को भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि इन व्यक्तियों ने सरपंच की इच्छापूर्ति नहीं की एवं उसके बदले में सरपंच ने इनको भुगतान न कर पैसे वापिस जमा करवा दिए।

शिकायतकर्ताओं द्वारा दूसरा आरोप यह था कि कुछ लोगों को 750/– रुपये के बजाय कम रुपयों का भुगतान किया गया। श्री आसाराम लखारा द्वारा अपने बयानों में बताया गया है कि उसको रामूराम, तेजाराम ने 500-500 रुपये मिलना बताया था एवं तब वह सरपंच से मिला था किन्तु सरपंच ने उसको कहा कि सभी लोगों को इतने ही पैसे दिए हैं, खर्चा लग गया है। काफी बार कहने के उपरान्त भी पूरे पैसे नहीं देने

पर उन्होंने उप जिला विकास अधिकारी (डिप्टी डी. डी ओ.) नागौर के यहां शिकायत की थी। इस सम्बन्ध में थाने में भी जांच हुई थी एवं उस समय 15-20 आदमियों ने इकट्ठे होकर राजीनामा की बात की थी व सरपंच ने अपनी गलती मानकर चार व्यक्तियों के 250/–, 250/– रुपये रखने मानकर चार आदमियों को वापिस देने तय किए थे। जिन लोगों को पैसे दिए वे रामूराम, तेजाराम, रामूराम भीखाराम थे। राजीनामा के वक्त सरपंच, कानसिंह, लूणाराम, हिंगलदान व 10 के करीब आदमी थे। श्री तेजाराम ने अपने बयानों में कहा है कि उसके पैसे मंजूर हुए थे व कुल 6 आदमी पैसे लेने सरपंच के पास गए थे जो बीरमाराम, तुलछाराम, रामूराम, भीखाराम, रामूराम पंचायत भवन में गए थे, उस समय ग्राम सेवक व तेजसिंह हाजिर थे। वार्ड पंच खींयाराम हाजिर नहीं था। उनको उस दिन 500/–, 500/– रुपये दिये थे। उन्होंने यह नहीं पूछा था कि कितने-कितने पैसे मंजूर हुए हैं। बाद में लोगों से सुनने पर सरपंच को कहा तो उसने कहा कि खर्चा हो गया। बाद में सरपंच की शिकायत की। थाने में भी जांच हुई थी, उसके बाद सरपंच ने 250/– रुपये एक साथ दे दिए, सरपंच ने कहा कि रुपये ले लो शिकायत मत करो। भीखा का बयान में कहना है कि उसके साथ रामू, तेजा, रामू आदि थे। उस समय पंचायत भवन में तेजसिंह व ग्राम सेवक था, खींयाराम को मौके पर नहीं देखा। सरपंच ने 500/–, 500/– रुपये दिए थे, बाद में गांव में यह चर्चा जरूर सुनी कि 750/–, 750/– रुपये मंजूर हुए हैं। थाने में भी जांच हुई थी, सरपंच ने बाद में 500/– रुपये थाने में दिए थे। श्री रामूराम पुत्र श्री भेराराम ने अपने बयान में बताया है कि उसको सरपंच ने 500/– रुपये दिए व तेजाराम, भीकाराम व रामूराम साथ थे। बाद में उसे 750/– रुपये मंजूर होने बाबत पता लगा, तब उसके कहने पर सरपंच ने कहा कि खर्चा लग गया है। रिपोर्ट होने के बाद सरपंच ने कहा कि रुपये ले लो। गवाह लूणाराम का कथन है कि उसके भाई रामूराम को पैसे मंजूर हुए थे, उसको पहले 500/– रुपये दिये थे, उसने सरपंच से कहा कि 750/– रुपये मंजूर हुए हैं तब सरपंच ने कहा कि जितने पैसे देने थे, दे दिए हैं। बाद में शिकायत हुई थी, पुलिस भी जांच के लिए आई थी तब सरपंच ने कहा था कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, अपने भाई को मनाओ। रात को थानेदार ने थाने में बुलाया था, सरपंच भी उस समय थाने में था, इसके अलावा हिंगलाजदान, आसूराम, मोहनराम, वगैरा थे। उस समय रामूराम पुत्र भेराराम भीखाराम पुत्र पनाराम, तेजाराम पुत्र जगुराम व इस गवाह के भाई के बीच राजीनामा हुआ था व इन चारों को 250/– रुपये देने किए थे, जो दूसरे दिन 250/– रुपये दे दिए। श्री रामूराम पुत्र जैसाराम का कथन है कि उसको सरपंच ने 500/– रुपये मंजूर होना बताया एवं 500/– रुपये दिए। मेरे को पैसे देते समय तेजाराम, रामूराम, भीखाराम मौजूद थे। इस गवाह का कथन है कि बाद में 750/– रुपये की मंजूरी बाबत पता लगने पर सरपंच से कहने पर सरपंच ने कहा कि इतने ही पैसे मिलेंगे। बाद में शिकायत करने पर इस गवाह व बाकी तीन व्यक्तियों को 250/–, 250/– रुपये सरपंच द्वारा देना

तय गवाह बताता है। श्री चतुर्भुज सोनी ने गांव में पूरे पैसे न मिलने की चर्चा होना बताया है। नरेन्द्र कुमार का कथन है कि उसे रामूराम व अन्य लोगों ने पूरे पैसे न मिलने बाबत बताया था। गिरधारीलाल का कहना है कि उसने गांव में पूरे पैसे न मिलने की चर्चा सुनी थी। राजीनामा की बात चलाना भी यह गवाह बताता है। श्री छोगाराम, जो सरपंच द्वारा पेश किया गया गवाह है, का भी कथन है कि राजीनामा के बाबत उसने सुना था किन्तु राजीनामे में 250/–, 250/– रुपये देने बाबत सुनना नहीं बताता। श्री मूलसिंह का कथन है कि उसके पास आसूराम, रामूराम, लिखमाराम वगैरा आए थे, जिन्होंने कहा कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरपंच को पूछने पर उसने बताया कि अफसरों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। बाद में मेघवालों व सरपंच के बीच राजीनामे के बारे में सुनना व सरपंच द्वारा मेघवालों को 2000/– रुपये देने बाबत सुनना यह गवाह बताता है। सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द ने अपने बयानों में बताया है कि उसने रामूराम, भीकाराम, रामूराम व तेजाराम को तेजसिंह, खींयाराम व चेतनराम को 750/–, 750/– रुपये दिए थे। जिनकी साख डलवाई थी। श्री तेजसिंह का कहना है कि उसके सामने 6 व्यक्तियों को पैसे दिए थे परन्तु तीन के नाम ही उसे याद हैं। उस समय खींयाराम वार्ड पंच भी वहां था। भुगतान पंचायत भवन में हुआ था। शिकायत होने व गांव में मीटिंग होने बाबत इस गवाह को जानकारी नहीं है। श्री खींयाराम जिसके बारे में सरपंच का कथन है कि सारा भुगतान उसके सामने हुआ था, का भी कहना है कि भुगतान उसके सामने हुआ था, किन्तु इस गवाह का कथन है कि कुल 66 आदमियों को भुगतान के समय वो मौजूद था और कोई आदमी मौजूद नहीं था, जबकि 6 व्यक्तियों को भुगतान के समय तेजसिंह का होना सरपंच स्वयं व अन्य गवाह बताते हैं, इस गवाह का कथन है कि पेमेन्ट सरपंच के घर हुआ था, जब कि सरपंच व तेजसिंह पेमेन्ट पंचायत भवन में होना बताते हैं। इस प्रकार यह गवाह स्पष्ट झूठ बोल रहा है और भुगतान पत्रों पर इसके हस्ताक्षर बाद में किए गए हैं।

इस प्रकार सिर्फ सरपंच के अलावा कोई अन्य गवाह गांव में समझौता न होने बाबत स्पष्ट तौर से नहीं कह सका है। एवं श्री तेजसिंह सरपंच के अलावा कोई व्यक्ति भींकाराम, रामूराम, तेजाराम व रामूराम को 750/– रुपया का भुगतान करना नहीं बताता। इस प्रकार उपरोक्त साक्षियों के बयान से यह स्पष्टतया साबित है कि श्री भीखाराम पुत्र पनाराम, रामुराम पुत्र भेराराम, तेजाराम पुत्र जगाराम व रामूराम पुत्र जेठाराम को शुरू में सरपंच द्वारा 500/–, 500/– रुपये दिए गए एवं बाद में शिकायत होने पर व पुलिस में मुकदमा दर्ज होने पर सरपंच द्वारा समझौता कर इन चारों व्यक्तियों को 250/–, 250/– रुपये दिए गए। बाकी व्यक्तियों को कितना-कितना भुगतान हुआ, वह हालांकि प्रमाणित नहीं हो सका, परन्तु गांव में सरपंच द्वारा पूरे पैसे न दिए जाने की आम चर्चा जरूर रही है एवं इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरपंच द्वारा अन्य लोगों को भी पूरा भुगतान न किया गया है।

इस मामले में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 31-8-82 को जिलाधीश नागौर को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिनांक 14-7-82 की प्रतिलिपि प्रेषित की है, चूंकि यह सब कार्यवाही शिकायत होने के बाद में की गई है जिससे यह आफ्टर थोट हो। साथ ही इस मामले मे दिनांक 3-8-83 को उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतियां भेजी गई हैं। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि 64 आदमियों को 31-3-1982 से पूर्व व शेष दो को 20-6-1982 को भुगतान किया गया है। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र में झूपा वाड कर या मरम्मत कराकर पैसे का उपयोग करने बाबत कहा गया है। जबकि अनुदान स्वीकृति में स्पष्ट निर्माण का उल्लेख है।

मरम्मत करवाकर शब्द इस मामले में अपना बचाव करने हेतु जोड़ा गया है, क्योंकि जिन लोगों को अनुदान स्वीकृत हुआ है उनके पुराने मकान होने स्वाभाविक है। प्रमाण पत्र पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर 30-7-1983 के हैं अर्थात् भुगतान होने के एक साल बाद के। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सरपंच को रहने के उपरान्त मुझे सिर्फ चार-पांच झूपे ही, जिनकी पहले चर्चा हो चुकी है, दिखाये जा सके थे, यह इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि अधिकांश मामलों में निर्माण नहीं कराया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस मामले में मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है—

(1) जिन व्यक्तियों ने ऋण के लिए आवेदन किया, उनके प्रार्थना पत्र के तथ्यों की कोई जांच नहीं की गई एवं पांच मामलों में श्री दुधाराम पुत्र दयालराम, घुदाराम पुत्र जेसाराम, ईशरराम पुत्र दयालराम, निश्चलराम पुत्र दयालराम, बालुराम पुत्र पनालाल के प्रार्थना पत्रों में तथ्य छुपाए गए हैं व गलत तथ्य प्रमाणित किए गए हैं, जिसके लिए तत्कालीन उप सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा व ग्राम सेवक नन्थूलाल शर्मा पूर्णतया दोषी है। चार व्यक्तियों तुलछाराम, पूर्णाराम, लिखमाराम व बीजाराम के प्रार्थना पत्रों पर गलत आय प्रमाणित की गई है जिसके लिए तत्कालीन सरपंच श्री जैकिशन तापड़िया व ग्राम सेवक पूर्णतया दोषी है। इस प्रकार गलत सूचना के आधार पर इन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत कराया गया।

(2) भुगतान कार्य बाबत प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद तत्कालीन विकास अधिकारी ने बगैर जांच एवं बगैर यह देखे कि क्या निर्माण हुआ या नहीं भुगतान उन्हें स्वयं जांच कर करना चाहिए था। इसके कारण 43,500/– रुपयों का गलत भुगतान हुआ, जिसके लिए तत्कालीन विकास अधिकारी नागौर पूर्णतया दोषी हैं।

(3) सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा द्वारा 66 व्यक्तियों का भुगतान बगैर यह देखे कि क्या इन व्यक्तियों द्वारा पैसे का उपयोग किया गया है, भुगतान कर दिया

एवं 6 व्यक्ति जिन्होंने सरपंच को अनुदान राशि में से हिस्सा देने से मना कर दिया, भुगतान न कर पैसे वापिस पंचायत समिति में जमा करवा दिए, इसके लिए सरपंच व ग्राम सेवक स्पष्टतः दोषी हैं ।

(4) चार व्यक्तियों को पहले 500/–, 500/– रुपये का भुगतान सरपंच द्वारा किया गया एवं बाद में शिकायत व मुकदमा होने पर उन्हें 250/–, 250/– रुपये दिए गए, बाकी मामलों में स्पष्ट नहीं हो सका कि कितना-कितना भुगतान किया गया, परन्तु यह संभावना काफी अधिक है कि अधिकांश मामलों में पूर्ण भुगतान नहीं हुआ, इसके लिए सरपंच पूर्णतया दोषी हैं ।

(5) इसके उपरान्त इस मामले में मैं यह कहना भी उचित समझूंगा कि गांव श्री बालाजी में गरीब को छप्पर योजना के तहत जो अनुदान स्वीकृत हुआ था जिस अनुदान का भुगतान किया गया, उसका कोई उपयोग सिर्फ चार पाँच मामलों को छोड़कर नहीं हुआ । योजना के नाम पर व अनियमित तरीकों व बगैर नियमों की परवाह किए व गलत सूचना के आधार पर 49,500/– रुपये का दुरुपयोग हुआ । इस अनियमित प्रकरण में सरपंच श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा, ग्राम सेवक व तत्कालीन विकास अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है । गांव श्री बालाजी हेतु हालांकि यह आंकड़े दिए जा सकते हैं कि गरीब को छप्पर योजना के तहत 66 गरीबों को छप्पर उपलब्ध कराये गए, परन्तु यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है ।

(6) भुगतान करने के एक वर्ष उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा जारी किया गया, स्पष्टतः यह प्रमाण पत्र झूठा है, इस प्रकार सरपंच व ग्राम सेवक ने झूठा प्रमाण पत्र देकर पैसे के दुरुपयोग कराने के दोषी है ।

इस योजना के तहत गांव श्री बालाजी में 72 आदमियों को अनुदान स्वीकृत हुआ था परन्तु इतने अधिक व्यक्तियों को एक ही गांव में अनुदान स्वीकृत होने पर भी पंचायत समिति के किसी अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण न किया जाना महत्वपूर्ण तथ्य है ।

———

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूची)

पंचायत समिति टोंक में सामुदायिक विकास मद से वर्ष 1982-83 में नवकूप निर्माण/गहरा, मरम्मत कराने की प्रगति]

क्र. सं	ग्राम का नाम जहां नवकूप निर्माण कराये गये	गांव का नाम जहां-जहां पर कूप मरम्मत/गहरा कराया गया	व्यय राशि
1	2	3	4
1.	—	ग्राम सीशोला ग्रा. पं. काशीपुरा	4000.00 पूर्ण
2.	—	ग्राम पंचायत झिराना	1000.00 ,,
3.	—	ग्राम पंचायत झिराना	3000.00 ,,
4.	—	ग्राम हरिपुरा ग्रा. पं सन्देड़ा	3000.00 ,,
5.	—	ग्राम मांची ग्राम पं. देवली	2850.00 प्रगति
6.	नवकूप शाला के पास सोनेवा	—	10000.00 अपूर्ण
7.	—	ग्राम नयागांव ग्रा.पं. हरवन्देड़ा	5000.00 पूर्ण
8.	—	ग्राम ठीकरियां ग्रा. पं. सोरन	5000.00 ,,
9.	जाटो का बास	—	7300.00 अपूर्ण
10.	ग्राम उम ग्रा. पं. बावरा	—	8000.00 ,,
11.	ग्राम अलीनगर ग्रा. पं. पासरोटिया	—	8000.00 ,,
12.	डाग्ड़ा हिन्दी	—	8000.00 ,,
		योग :	65150.00 ,,

पंचायत समिति टोंक में वर्ष 1982-83 में 289 गैर योजना मद-प्राकृतिक आपदाएं से निर्मित नवकूप/मरम्मत, गहरा

1	2	3	4
1.	—	ग्राम चराई ग्रा. पं. सोरन	2000.00 पूर्ण
2.	—	चन्दलाई ग्राम. पं. चन्दलाई	2500.00 अपूर्ण
3.	—	गुलाबपुरा ग्रा. पं. लवादर	5000.00 पूर्ण
4.	—	ऊटीटाना ग्रा. पं. घास	3000.00 ,,
5.	—	देवपुरा ग्रा. पं. डारड़ा हिन्दी	2000.00 ,,
6.	—	गहलोद ग्रा. पं. गहलोद	3000.00 ,,
7.	—	हमजापुरा ग्रा. पं. बोरखण्डी	3000.00 ,,
8.	—	साखंना	3500.00 ,,
9.	—	फार्म ग्रा. पं. सन्देड़ा	3000.00 ,,
10.	—	महुआ ग्रा. पं. छान	2149.00 ,,
11.	—	डूंसरी ग्रा. पं. जोला	2500.00 ,,
12	—	सोयला	3000.00 अपूर्ण
13.	—	घासरोटिया	1200.00 कार्य चाल
14.	—	ग्राम बोरखण्डी खुर्द सोयला	3000.00 अपूर्ण
15.	—	ग्राम डाड़ा ग्राम. पं. डारडाहिन्द	1500.00 प्रगति पर
16.	—	पराना	2500.00 पूर्ण
		योग :	43349.00

पंचायत समिति टोंक में वर्ष 1983-84 सामुदायिक विकास मद से निर्मित नवकूप/कूप मरम्मत जिला—टोंक

1.	—	सोयला ग्रा. पं. सोयला	3443.00
2.	—	रानीपुरा ग्रा. पं. बरनी	1600.00

Page No 260

1	2	3	4	5	6
3.	—		वोरड़ी ग्रा. पं. हरचन्देड़ा	3990.00	
4.	—		मण्डावर ग्रा. पं. मण्डावर	3956.00	
5.	—		साखंना ग्रा. पं साखंना	2950.00	
6.	—		अरनियाकेदार	1500.00	
7.	नव-कूप डोड़वाली		—	2000.00	कार्य चालू है
8.	बन्जारों की ढाणी दाखिया		—	2000.00	,,
9.	—		डारड़ा हिन्दी	1600.00	,,
10.	—		मल्लयार नगर ग्रा. पं. मण्डावर	1341.41	,,
			योग :	24389.00	

——

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल पंचायतों की संख्या	जिन पंचायतों के रिकार्ड का चार्ज सचिवों को प्राप्त नहीं हुआ है उन पंचायतों की संख्या	जिन पंचायतों के रिकार्ड का चार्ज सचिवों को प्राप्त नहीं हुआ उन पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5
1.	छीपा बड़ौद	22	10	अजनावर, बमोरीघाटा, सहजनपुर, झनझनी, कचनारिया, गगचाना, कलमोदिया, बिसेन्डी, भावपुरा, गोखमपुरा ।
2.	अन्ता	29	[illegible]	सोरमन, मालबमोरी, मऊ, बमोरीकलां, बिजोरा, जयनगर, तामखेड़ा, जारेला, पलायथा, काचरी, किशनपुरा, जलोदा-तेजाजी, भटवाड़ा, ईसरपुरा, पाटुण्डा, उदपुरिया, चड़गांव, रायथल, हिंगोनिया सीसवाली, तिसाया ।
3.	छबड़ा	20	20	कड़ेयावन, कड़ेयानोहर, मूंडक्या, तेलनी, भूलोन, कुलिजरा, चांचोड़ा, छानाहेड़ी, भीलवाड़ा नीचा, जयपला, पाली, सुवाखेड़ी, हलगना, दीलोद, वापचा, निपान्या, सेमली, पचपाड़ा, कड़याहाट, गोंडियामेहर ।
4.	शाहबाद	19	19	शाहबाद, शुभघरा, सनवाड़ा, कस्बाथानादेवरी, आगरे, बमनगंवा, कस्बानोनेरा, वीलखेडामाल, बील-

Page No 262

1	2	3	4	5
				खेड़ा डांग, राजपुर, मुंडियर, गनेशपुरा, खटका, बाल्दा, केलेवाड़ा, समरानिया, महादरा, खाडासहराल ।
5.	किशनगंज	20	20	किशनगंज, असनावर, रामगढ़, रेलावन, पीपल्दाकलां, करबरीकलां खडला, गरड़ा, भंवरगढ़, घट्टी, बांसथनी, दीगोदफार, गुमानपुरा उर्फ भिसाई, बजरगढ़, सखरावदा, जलवाड़ा, नाहरगढ़, बादीपुरा, सेमनी, छतरगज ।
6.	अटरू	26	3	अटरू, कटावर, अन्ताना ।

परिशिष्ट 14

परिशिष्ट क

(अतारांकित प्रश्न संख्या 252 की सूची)

विगत 3 वर्षों में झालावाड़ जिले की तहसीलों को सीमेन्ट आवंटन की सूचना

(मात्रा मै. टनों में)

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष 1981	वर्ष 1982	वर्ष 1983
1.	पाटन	288	115	207
2.	खानपुर	144	75	179
3.	अकलेरा	192	75	141
4.	पचपहाड़	288	110	172
5.	चिड़ावा	192	90	191
6.	गंगधार	231	75	75
	योग :	1335	540	969

परिशिष्ट ख

विगत 3 वर्षों में झालावाड़ जिले की तहसीलों में सीमेन्ट किस-किस प्रयोजनार्थ कितने व्यक्तियों को दी गई, की सूचना का विवरण

वर्ष	भवन निर्माण हेतु	कृषि कार्य अर्थात् कूप निर्माण नालियों एवं मरम्मत कार्य	अन्य कार्य जैसे मन्दिर, मस्जिद आदि निर्माण	कुल व्यक्तियों की संख्या
1981	2178	895	16	3089
1982	1249	1282	—	2531
1983	2085	2777	—	4862
योग :	5512	4954	16	10,482

परिशिष्ट ग

झालावाड़ जिले की किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी किसानों को विगत तीन वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष 1981 में दी गई मात्रा		वर्ष 1982 में दी मात्रा		वर्ष 1983 में दी गई मात्रा	
		किसानों की संख्या	मात्रा कट्टों में	किसानों की संख्या	मात्रा कट्टों में	किसानों की संख्या	मात्रा कट्टों में
1.	पाटन	80	1710	49	530	281	1455
2.	खानपुर	160	1480	120	900	576	2148
3.	अकलेरा	119	948	175	852	193	1000
4.	पचपहाड़	125	1530	481	2200	515	3440
5.	चिड़ावा	101	1202	208	860	750	1950
6.	गंगधार	310	3393	259	800	462	1660
	योग :	895	10,263	1292	6142	2777	11,653

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची)

तहसील सांगानेर की पंचायतों को वर्ष 1982-83 में दिये गये सहायतार्थ अनुदान की सूची

	नाम ग्राम पंचायत	अनुदान राशि
1.	पंचायत अवानिया	5,942 = 40
2.	अजयराजपुरा	6,885 = 60
3.	कलवाडा	6,009 = 60
4.	कपूरावाला	6,822 = 80
5.	कल्याणपुरा	6,150 = 80
6.	गोनेर	5,552 = 80
7.	अजयपुरा	6,417 = 40
8.	ठीकरिया	6,562 = 60
9.	दादिया	5,163 = 00
10.	मेवठा	5,467 = 60
11.	पवालिया	4,903 = 20
12.	विपानी	4,632 = 00
13.	विलवा	6,520 = 80
14.	मंमोरिया	5,512 = 40
15.	मांगीयावास	5,864 = 00
16.	दहमीकलां	5,774 = 40
17.	रामपुराउरती	4,939 = 00
18.	लाखना	4,775 = 40
19.	लूनियावास	5,292 = 80
20.	वाटिका	10,339 = 60
21.	श्री राम की नांगल	5,384 = 80
22.	शिकारपुरा	7,611 = 20

	नाम ग्राम पंचायत	अनुदान राशि	
23.	महापुरा	1,543 = 05	
	महापुरा	4,749 = 15	इस रकम का भुगतान वर्ष 83–84 में किया गया है।
24.	दांतली	5,803 = 60	,,
25.	जयसिंहपुरा	6,567 = 40	,, ,,
26.	श्योपुर	7,158 = 80	,, ,,
27.	जगतपुरा	4,208 = 80	वर्ष 82–83 की यह सहाय-
28.	झांकरोटा	6,628 = 00	अनुदान राशि अभी तक
29.	मोहनपुरा	5,333 = 20	ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त
30.	मुहाना	6,191 = 27	नहीं की गई है। यह राशि पं.स. सांगानेर में जमा है।

पिछले पाँच वर्षों में हुई निजी आय का विवरण

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	1978-79	79-80	80-81	81-82	82-83	योग	उन कार्यों का विवरण जिनमें पंचायतों द्वारा निजी आय का उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कल्याणपुरा	2793-75	1796-25	650-45	9278-50	4910-65	19429-60	वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रीय पर्व, विविध खर्च इत्यादि
2.	श्री राम की नागल	43-65	5-50	0-50	10-75	रिकार्ड जाँच हेतु गया	60-40	"
3.	मुहाना	87-25	188-50	11298-00	11222-00	7365-99	30161-74	"
4.	कमोरिया	2020-15	1664-55	1519-85	799-00	6267-55	12271-10	"
5.	पंवलिया	1377-70	1228-00	2254-15	1882-25	4530-50	11271-70	"
6.	जयसिंहपुरा	1415-15	3728-95	5616-77	2301-70	991-50	14154-07	"
7.	कलकाड़ा	रिकार्ड जांच हेतु गया हुआ है।		222-25	1758-75	7220-40	9201-40	"
8.	पिद्यानी	182-55	298-25	219-75	2-25	1481-75	2184-55	"
9.	दादीया	1926-15	951-53	429-70	2314-86	4469-59	10091-73	"
10.	दांतली	3286=75	837-25	834-57	159-15	2194-00	7311-72	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	शिकारपुरा	3962-00	757-30	1483-35	2510-95	4353-25	13066-85	वेतन एवं भत्तो का भुगतान प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रीय पर्व, विविध खर्च इत्यादि
12.	लुनियावास	11951-50	11019-00	6971-50	8586-00	8214-50	46742-50	"
13.	टिकरीया	1173-27	5977-00	2803-00	2458-50	7344-80	19756-57	"
14.	नेवटा	3001-25	1144-75	1844-75	2096-20	4603-80	12690-75	"
15.	गोनेर	8944-98	12412-20	6171-60	11654-40	13922-75	53105-93	"
16.	अवनियां	2855-20	878-15	5373-15	845-10	5314-65	15266-25	"
17.	भांकरोटा	8990-20	8925-50	7872-90	13553-93	9724-15	46066-68	"
18.	अजयराजपुरा	803-37	1261-10	1179-15	1323-65	जांच में गया यह रिकार्ड	4567-27	"
19.	बीलवा	2395-87	211-30	699-70	958-80	1379-50	5595-17	"
20.	श्योपुर	जिलाधीश जयपुर के जांच हैतु रिकार्ड गया			4098-10	1130-20	5228-30	"
21.	जयपुरा	1-4-77 से 14-11-83 तक का रिकार्ड जांच में गया				—	—	"
22.	जगतपुरा	1-4-77 से 22-11-83 तक का रिकार्ड जांच में गया				—	—	"
23.	कपूरावाला	1978-79 से 80-81 का रिकार्ड जांच में गया			8649-55	10523-55	19173-10	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	रायपुरा ओद	3015-20	2791-38	1430-80	3743-75	6509-05	17490-18	वेतन एवं भत्तों का भुगतान प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रीय पर्व, विविध खर्च इत्यादि
25.	मांग्यावास	जिलाधीश जयपुर के जांच हेतु रिकार्ड गया हुआ है।				—	—	,,
26.	दहमी कलां	जिलाधीश जयपुर के जांच हेतु रिकार्ड गया हुआ है।				—	—	,,
27.	मोहनपुरा	जिलाधीश जयपुर के जांच हेतु रिकार्ड गया हुआ है।				—	—	,,
28.	लाखना	रिकार्ड जांच हेतु गया हुआ है।				—	—	,,
29.	महापुरा	8794-40	11717-05	23598-76	48122-15	112328-95	204561-31	,,
30.	वाटिका	7026-12	8718-40	8874-39	8847-70	15911-78	49378-39	,,

पिछले पांच वर्षों में मेलों व समारोहों से हुई आय का विवरण

1. लूनियावास	11018–00	9752–50	6551–50	5807–50	6855–00	39984–50	1. पानी की व्यवस्था 2. सफाई की व्यवस्था
2. गोनेर	4749–00	5059–00	2188–00	7583–00	13133–00	32712–00	3. रोशनी की व्यवस्था 4. प्रचार एवं प्रसार
3. वाटिका	216–75	203–50	410–75	423–20	655–50	1909–50	5. स्टेशनरी खरीद 6. पुरस्कार आदि 7. विविध व्यय

नोट :—तहसील सांगानेर की शेष पंचायतों को मेलों व समारोहों से कोई आय नहीं हुई।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

ग्राम पंचायत धौली मगरी पंचायत समिति मावली जिला–उदयपुर को 1 अप्रेल, 1978 से 31 जनवरी, 1984 तक सहायता प्राप्ति का विवरण

क्र.स.	दिनांक	राशि	कार्य जिस हेतु प्राप्त हुई	सहायता प्राप्ति का स्रोत
1	2	3	4	5
1.	21.9.78	1137.00	सहायक अनुदान विकास कार्य हेतु	पंचायत समिति, मावली
2.	20.1.79	2925.22	,,	,,
3.	21.7.79	1200.00	शिक्षा कर ,,	,,
4.	27.8.79	1050.00	विविध खाली बोरियों	,,
5.	14.9.79	1523.20	सहायक अनुदान	,,
6.	26.11.79	761.60	,,	,,
7.	29.1.80	761.60	,,	,,
8.	12.3.80	2000.00	औषधालय भवन निर्माण हेतु	,,
9.	31.3.80	1750.00	,,	,,
10.	31.3.80	6250.00	धौलीमगरी से सिन्दु सड़क हेतु	,,
11.	17.5.80	3863.50	गेहूँ के परिवहन व्यय हेतु	,,
12.	29.6.80	60.00	चन्दा विकास कार्यों हेतु	जन सहयोग
13.	16.8.80	761.44	सहायक अनुदान कार्यों हेतु	पंचायत समिति मावली
14.	30.8.80	45.00	चन्दा विकास कार्यों हेतु	जन सहयोग
15.	3.9.80	1750.00	बस-स्टेण्ड धर्मशाला निर्माण हेतु	पं०स० मावली
16.	3.9.80	1750.00	आयुर्वेद भवन बाउण्ड्री	,,
17.	6.10.80	761.60	सहायक अनुदान	,,
18.	10.10.80	1125.00	विविध खाली बोरियों का विक्रय	,, ,,
19	17.11.80	761.60	सहायक अनुदान	,,
20.	11.1.81	35.00	चन्दा विकास कार्यों हेतु	जन सहयोग

1	2	3	4	5
21.	3.2.81	393.75	विविध खाली बोरियों का विक्रय	पं०स० मावली
22.	3.2.81	60.00	विविध खाली बोरियों का विक्रय	,, ,,
23.	13.10.81	2500.00	निर्माण कार्य हेतु	,,
24.	9.11.81	3000.00	शिक्षा कर विकास कार्य हेतु	,,
25.	15.4.82	1523.20	सहायक अनुदान विकास कार्य हेतु	,,
26.	21.7.82	750.00	औषधालय भवन निर्माण हेतु	,,
27.	21.7.82	750.00	स्कूल खेडीघासा का निर्माण हेतु	,,
28.	15.10.82	250.00	बढ़िया शिक्षा अन्तर्गत सहायता	,,
29.	15.10.82	1632.00	अकाल राहत कार्य हेतु श्रमिकों को भुगतान	,, ,,
30.	16.10.82	900.00	सामग्री भाग की राशि निर्माण कार्य हेतु	,,
31.	21 12.82	761·60	सहायक अनुदान राशि निर्माण कार्य हेतु	,,
32.	9.5.83	1523.20	,, ,,	,,
33.	13 6 83	761.60	,, ,,	,,
कुल योग		45,077.11		

ग्राम पंचायत धोलीमगरी पंचायत समिति, मावली के वर्ष 1978-79 का आय व्यय का विवरण

क्र. सं.	आय नाम मद	आय राशि रुपये पैसे	क्र.सं.	व्यय नाम मद	व्यय राशि रुपये पैसे
1.	गत वर्ष के पोते	0·33	1.	वेतन सचिव	219·00
2.	वारना चबूतरी रोडवेज	299·00	2.	वेतन चपरासी	145·00
3.	कोर्ट फीस	40·30	3.	कन्टनजेन स्टेशनरी	56·81
4.	भूमि विक्रय	50·00	4.	यात्रा भत्ता सरपंच	8·41
5.	काइन हाउस की आय	801·00	5.	स्कूल भवन निर्माण घासाखेड़ी	1700·00
6.	ग्रान्ट इन इड	4062.22	6.	गेहूँ यातायात के पं. स. में जमा कराये	2863·50
7.	ब्याज की आय	1·85	7.	प्याऊ मवेशियान	100·00
8.	फीस फैसला	1·50	8.	पानी भराई	6·00
9.	तलबाना	3·00	9.	पोस्ट पलानाखुर्द में जमा कराये	21·85
10.	दण्ड जुर्माना	1·00	10.	डाक-व्यय पोस्टेज	1·40
			11.	बंगलादेश सहायता	50·00
			12.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य स्कूल धुलाई मोठाई 12/—+30/—	42.00
			13.	शेष रहे	66·24
	योग	5280.20		योग	5280·20

ग्राम पंचायत घोलीमगरी, पंचायत समिति मावली के वर्ष 1979–80 का आय व्यय का विवरण

क्र. सं.	आय नाम मद	आय राशि रु. पै.	क्र. सं.	व्यय नाम मद	व्यय राशि रु. पै.
1	2	3	1	2	3
1.	श्री पोते	66·24	1.	वेतन सचिव	420·00
2.	दण्ड	18·00	2.	वेतन चपरासी	240·00
3.	चरागाह की आय	7·00	3.	ब्याज पी. ओ. में जमा	8·00
4.	भूमि विक्रय	2962·00	4.	स्थाई सामान	85·00
5.	कोर्ट फीस	1·90	5.	काइन हाउस	140·00
6.	तलवाना	1·00	6.	राष्ट्रीय पर्व	35·00
7.	खाली बोरी विक्रय से	1050.00	7.	कन्टनजन	42·21
8.	ब्याज पी. ओ. से	8·00	8.	पंचायत भवन किराया	121·50
9.	प्रतिलिपि	0·75	9.	यात्रा भत्ता सरपंच	34·00
10.	शिक्षा कर	200·00	ı0.	प्याऊ मवेशी हेतु	30·00
11.	अनुदान	3046·40	11.	सहायता स्कूल	5·00
12.	पी·ओ. से	250·00	22.	डाक खर्च	0·30
13.	औषधालय भवन हेतु प्राप्त	3750·00	13.	पंचायत भवन निर्माण	3882·50
14.	सड़क घोलीमगरी के सिन्दु हेतु प्राप्त	6250·00	14.	प्रा. वि. खेडी निर्माण	2341·25
15.	बारना टैक्स	49·00	15.	फुड फार वर्क गेहूँ यातायात राशि	1000·00
			15.	औषधालय भवन निर्माण	1979·04
			17.	पी. ओ. मावली में जमा शुदा	8000·00
			18.	वर्ष के अन्त में पोते	293·49
	कुल योग आय	18,660 = 29		योग व्यय	18660 = 29

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची)

पंचायत धरियावद, पंचायत समिति, धरियावद की दुकानों के बकाया किराये की सूची

क्र०स०	नाम व्यक्ति मय वल्दियत	कब से कब तक की बकाया	मूल	ब्याज	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पूरनसिंह, बलवन्तसिंह/ शंभूसिंह धरियावद	15-1-77 से 29-2-84	341.00	281.20	622.20	
2.	श्री नानालाल/चुनीलाल तेली, धरियावद	22-10-75 से 29-2-84 तक	2494.00	2076.00	4570.00	
3.	श्री दिलीप कुमार/माणकलालजी, धरियावद	13-9-77 से 29-2-84 तक	166.00	156.00	322.00	
4.	श्री भारतसिंह/रामसिंह राजपूत, धरियावद	23-10-75 से 29-2-84 तक	1173.00	768.00	1941.00	
5.	श्री मन्नालाल/नेतराम पालीवाल, धरियावद	26-2-77 से 29-2-84 तक	1424 00	885.00	2309.00	
6.	श्री नरेन्द्र कुमार/रामप्रतापजी, धरियावद	23-10.75 से 29-2-84 तक	1380.00	1543.00	2923.00	

1	2	3	4	5	6
7.	श्री ताज मोहम्मद/गुलमोहम्मदजी, घरियावद	1-12-76 से 29-2-84 तक	3570.00	3098.00	6668.00
8.	श्री मदनलाल/गोरधनलाल स्वर्णकार, घरियावद	23-1-75 से 29-2-84 तक	1588.00	1037.00	2625.00
9.	श्री सज्जनलाल/डालचन्द खत्री, घरियावद	77-78 से 29-2-84 तक	171.00	147.00	318.00
10.	श्री सूरजमल/छगनलाल गर्नोडिया, घरियावद	76-77 से 29-2-84 तक	4065.00	2098.00	6163.00
11.	श्री माणकलाल/चुन्नीलाल तेली, घरियावद	15-10-75 से 29-2-84 तक	1308.00	1126.00	2434.00
12.	श्रीमती कंचनबाई/बेवा फकीरचन्दजी धोबी, घरियावद	77-78 से 29-2-84 तक	818.00	393.00	1211.00
13.	श्री नूर मोहम्मद/अजीम खां जी मुसलमान, घरियावद	23-4-79 से 29-2-84 तक	648.00	540.00	1185.00
14.	श्री कन्हैयालाल/हीरालाल स्वर्णकार, घरियावद	75-76 से 29-2-84 तक	1689.00	840.00	2529.00
15.	श्री कान्तिलाल/जवेंहरलाल झुठावत, घरियावद	1-12-76 से 29-2-84 तक	1265.00	740.00	2005.00

1	2	3	4	5	6
16.	श्री सनवरी अली/मैराजुद्दीन मुसलमान, धरियावद	80-81 से 29-2-84 तक	374.00	180.00	494.00
17.	श्री रणजीतसिंह सोलंकी, धरियावद	77-78 से 29-2-84 तक	367.00	340.00	707.00
18.	श्री मनसुखलाल/बालमुकन्द पालीवाल	10-11-75 से 29-2-84 तक	210.00	163.00	373.00
19.	श्री जवाहरलाल/बालचन्द पि. केशरीमल दोषी, धरियावद	79-80 से 29-2-84 तक	1115.00	929.00	2044.00
20.	श्री कल्याणमल/बालचन्द, धरियावद	79-80 से 9-2-84 तक	770.00	475.00	1245.00
21.	श्री महावीर कुमार/जवाहरलाल झुठावत, धरियावद	13-9-77 से 29-2-84 तक	512.00	310.00	822.00
22	श्री भगवतीलाल/मन्नालाल पालीवाल, धरियावद	77-78 से 29-2-84 तक	679.50	81.00	760.50
23.	श्री नानलाल/प्रेमचन्द कीकावत	25-1-79 से 29-2-84 तक	1307.00	344.40	1651.40
24.	श्रीमती खुरशीदा बेगम पत्नी श्री अलजीरे आजम खाँ पठान	27-10-82 से 29-2-84 तक	396.00	148.00	544.00

1	2	3	4	5	6
25.	श्री लक्ष्मीलाल/सज्जनलाल पालीवाल, धरियावद	24-12-75 से 29-2-84 तक	—	243.00	243.00
26.	श्री कन्हैयालाल/भ्रमकलाल पालीवाल, धरियावद	79-80 से 29-2-84 तक	—	48.00	48.00
27.	श्रीमती लालीबाई पत्नी श्री खेमराज शर्मा, धरियावद	76-77 से 29-2-84 तक	—	332.00	332.00
28.	श्री रामचन्द्र/मूलचन्द पालीवाल, धरियावद	77-78 से 29-2-84 तक	—	117.00	117.00
		योग :	27770.50	19438.60	49209.10

पंचायत धरियावद, पंचायत समिति, धरियावद के गुमटियों की बकाया राशि की सूची

क. सं.	नाम व्यक्ति मय वल्दियत	कब से कब तक की बकाया	मूल	ब्याज	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री कालूलाल/गेंदमल डागरिया, धरियावद	3-12-76 से 29.2.84 तक	244.00	184.00	428.00	
2.	श्री रमजानुद्दीन/नसीरुद्दीन मुसलमान, धरियावद	80–81 से 29.2.84 तक	220.00	66.00	286.00	
3.	श्री रामेश्वर/गमेरचन्द सैन, धरियावद	79–80 से 29.2.84 तक	143.00	98.00	241.00	
4.	श्री प्रेमनारायण/ ओंकारलाल जी शर्मा धरियावद	79–80 से 29.2.84 तक	380.00	157.00	537.00	
5.	श्री सुदर्श कुमार/नन्द लाल जी डागरिया	80–81 से 29.2.84 तक	290.00	62.00	352.00	
6.	श्री महावीर कुमार/ शान्तिलाल दोषी, धरियावद	82–83 से 29.2.84 तक	625.00	124.00	749.00	
7.	श्री तुलसीराम/चुन्नी लाल चौधरी	79–80 से 29.2.84 तक	377.70	138.00	515.00	

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री वन्शीलाल/ हीरालाल पालीवाल, धरियावद	79–80 से 29.2.84 तक	421.00	101.50	522.50	
9.	श्री वालचन्द/केशरीमल दोषी, धरियावद	79–80 से 29.2.84 तक	437.50	175.00	612.50	
		योग	3137.50	1105.50	4243.00	

(एडवान्स) बकाया की सूची

क्र०सं०	नाम व्यक्ति मय पिता	प्रयोजन	राशि देने का दिनांक	बकाया राशि मूल	ब्याज	योग
1.	श्री मोहनलाल/गेहरीलाल सुथार, धरियावद	सीमेन्ट क्रय	25-10-78	2767/-	2122/-	4889/-
2.	श्री मोहनलाल/भोलेराम शर्मा	नई वस्ती स्कूल के कमरे निर्माण	22-11-78	1000/-	632/-	1632/-
3.	श्री मोहम्मद हनीफ/गुलमोहम्मदजी मुसलमान, धरियावद	कांसीया की पट्टियाँ खरीद हेतु	17-5-81	2000/-	644/-	2644/-
4.	श्री मोडसिंह/केशरसिंह, धरियावद	नाली निर्माण	1-11-83	5000/-	200/-	5200/-
		योग :		10767/-	3598/-	14365/-

भूमि विक्रय की बकाया सूची पंचायत धरियावद, पंचायत समिति, धरियावद

क्र०सं०	नाम व्यक्ति मय वल्दियत	गाँव	बकाया राशि का दिनांक	29-2-84 तक बकाया राशि का विवरण		
				मूल	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रामनारायण/चुन्नीलाल चौधरी	धरियावद	9-6-76	407/-	410/-	817/-
2.	श्री मुख्यातर अहमद/गफूर खाँ जी मुसलमान	,,	,,	224/-	190/-	410/-
3.	श्री उदयसिंह/भंवरलालजी कोठारी	,,	,,	880/-	810/-	1690/-
4.	श्री बालकिशन/लक्ष्मण लौहार	,,	,,	230/-	220/-	450/-
5.	श्री चाँदमल/जवाहरलाल झुठावत	,,	,,	480/-	410/-	890/-
6.	श्री सूरजमल/केशरीमल दोषी	,,	,,	380/-	300/-	680/-
7.	श्री कन्हैयालाल/केशूलाल शर्मा	,,	,,	36/-	30/-	66/-
8.	श्री कचरू/लक्ष्मण सालवी	,,	,,	160/-	140/-	300/-
9.	श्री लाल शंकर/भवानी शंकर शर्मा	,,	,,	700/-	600/-	1300/-
10.	श्री मनोहरसिंह/भंवरसिंह	,,	,,	400/-	300/-	700/-
11.	श्री अर्जुनलाल/कन्हैयालाल सोनी	,,	,,	348/-	280/-	628/-

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री रिखबदास/अमेरलाल झुठावत	धरियावद	9 6-76	700/-	600/-	1300/-
13.	श्री विमलकुमार/केशरीमल ,,	,,	,,	900/-	800/-	1700/-
14.	श्री भैरू सिंह/गमेरसिंह झाला	नेला	,,	340/-	280/-	620/-
15.	श्री रामचन्द्र/देवीलाल शर्मा	धरियावद	,,	40/-	30/-	70/-
16.	श्री बलवन्तसिंह/टकसिंह ड्राइवर	,,	,,	40/-	30/-	70/-
17.	श्री नारायण/सीताराम	,,	,,	90/-	75/-	165/-
18.	श्री बाबूखां/हसनबक्श	,,	,,	50/-	40/-	90/-
19.	श्री अशरफ खां/आबिद खां	,,	,,	278/-	200/-	478/-
20.	श्री हबीब खां/नन्ने खां	,,	,,	460/-	380/-	840/-
21.	श्री नरोत्तम/कालूलाल शर्मा	,,	,,	342/-	200/-	542/-
22.	श्री ठारूमल/पमनेदास सिंधी	,,	,,	110/-	90/-	200/-
23.	श्री अब्दुल/नूरमोहम्मद लखारा	,,	,,	270/-	210/-	480/-
24.	समस्त पंच दसा नरसिंहपुरा समाज (श्री देवेन्द्र कुमार पटवा,	,,	,,	110/-	90/-	200/-
25.	श्री सूरजमल/केशरीमल दोषी	,,	,,	205/-	190/-	395/-
26.	श्री नारायण/उदयलाल शर्मा	,,	,,	195/-	170/-	365/-

1	2	3	4	5	6	7
27	श्री अमीर खां/अमाल खां	धरियावद	9-6-76	360/-	300/-	660/-
28.	श्री नेपालसिह/नवलसिह	,,	,,	360/-	300/-	660/-
29.	श्रीमती कंचन बाई/बेवा फकीरचंद धोबी	,,	,,	90/-	70/-	160/-
30.	श्री मोडसिह/केशरसिह	,,	,,	360/-	300/-	660/-
31.	श्री केशु/भैरा सुथार	,,	,,	,,	,,	,,
32.	श्री भगू/गुमान सुथार	,,	,,	,,	,,	,,
33.	श्री नवलराम/गमेराजी सेन	,,	,,	,,	,,	,,
34.	श्री मांगीलाल/शंकरजी राजपूत	,,	,,	,,	,,	,,
35.	श्री रूपचन्द/ताराचन्द सुथार	,,	,,	,,	,,	,,
36.	श्रीमती नारायणदेवी पत्नी दामोदर शर्मा	,,	,,	250/-	200/-	450/-
37.	श्री महेन्द्रकुमार/गिरधारीजी	,,	,,	200/-	180/-	380/-
38.	श्री गिरधारी/नाथूलाल	,,	,,	200/-	180/-	380/-
39.	श्री विमलकुमार/रणजीतलाल	,,	,,	200/-	180/-	380/-
40.	श्री गोपालसिह/रघुवीरसिंह	,,	,,	720/-	680/-	1400/-
41.	श्री मोतीलाल/अमरजी कलाल	,,	,,	360/-	300/-	660/-
42.	श्री नन्दसिह/खुमानसिह	,,	,,	180/-	160/-	340/-

1	3	3	4	5	6	7
43.	श्री शंकरलाल/ज्ञानमल सुथार	धरियावद	9-6-76	900/–	800/–	1700/–
44.	श्री कल्याणमल/वसन्तीलाल डागरिया	,,	,,	300/–	280/–	580/–
45.	श्री गेन्दमल/हीरालाल	,,	,,	200/–	180/–	380/–
46.	श्री कालूलाल/माणकलाल सोनी	,,	,,	200/–	180/–	380/–
47.	श्री पन्नालाल/गेबाजी मोची	,,	,,	675/–	100/–	775/–
48.	श्री तिलकप्रसाद/गोरीशंकर शर्मा	,,	,,	1536/–	400/–	1936/–
			कुल योग राशि	19797/–	13395/–	33192/–

नोट : उक्त प्लाटों की राशि पंचायत द्वारा निर्णय के बाद वसूल की गई। बाद में जिलाधीश उदयपुर के आदेश क्रमांक विकास/41/4-75 दिनांक 9-6-76 के अनुसार प्लाटों की रेट का पुनः निर्धारण होने से राशि बकाया रही है।

भाग (2) से संबंधित सूची

क्र०सं०	नाम व्यक्ति मय वलिदयत	प्रभावशाली व्यक्ति का नाम	व्यक्ति से सम्बन्ध	नि:शुल्क भू-खण्ड आवंटन वर्ष	भू-खण्ड साइज
1.	श्री गोविन्द/बाबरू मेघवाल, निवासी धरियावद	श्री बाबरू मेघवाल, सहवृत सदस्य, पंचायत धरियावद	पुत्र	1981-82	25/15 375 वर्ग फीट
2.	श्री मोहम्मद हनीफ पिता गुलमोहम्मदजी मुसलमान, नि० धरियावद	श्री ताज मोहम्मद, वा. पंच पं. धरियावद	भाई	81–82	30/20 600 वर्ग फीट
3.	श्री इश्तियाक मोहम्मद पिता श्री जहीर अहमदजी मुसलमान, नि. धरियावद	श्री जहीर अहमद, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी	पुत्र	81–82	25/15 375 वर्ग फीट